हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

22 मार्च, 2016

खण्ड-1, अंक-8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 22 मार्च, 2016

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)1
हरियाणा विधान सभा के पूर्व विधायकों तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का अभिनंदन	(8)4
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(8)4
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(8)23
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)28
राज्य में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव संख्या-2 पर चर्चा की अनुमति	(8)33
हरियाणा विधान सभा के पूर्व विधायक का अभिनंदन	(8)40
राज्य में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव संख्या-2 पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)40

मूल्य :

स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का समय बढ़ाना (8)67

राज्य में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव संख्या-2 पर चर्चा (पुनरारम्भ) (8)68

सदन की बैठक का और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का समय बढ़ाना (8)86

राज्य में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव संख्या-2 पर चर्चा (पुनरारम्भ) (8)86

सदन की बैठक का और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का समय बढ़ाना (8)95

राज्य में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव संख्या-2 पर चर्चा (पुनरारम्भ) (8)95

विधान कार्य -

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं.-1) बिल, 2016 (8)112

बैठक का समय बढ़ाना (8)114

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (8)114

हरियाणा विधान सभा के पूर्व विधायक का अभिनंदन (8)115

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) (8)115

बैठक का समय बढ़ाना (8)122

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) (8)122

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 22 मार्च, 2016

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल होगा।

Construction of Mini Secretariat Building in Bawal

***1311 Dr. Banwari Lal :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state the time by which the building of Mini Secretariat in Bawal Sub division is likely to be constructed ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, बावल में लघु सचिवालय की इमारत के निर्माण के लिए चिन्हित की गई 5 एकड़ 5 कनाल भूमि में से तादादी 3 एकड़ भूमि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से सम्बंधित है तथा इसे राजस्व एंव आपदा प्रबन्धन विभाग को स्थानान्तरित किया जा रहा है। लघु सचिवालय की इमारत के निर्माण का कार्य भूमि स्थानान्तरण होने के उपरान्त आरम्भ कर दिया जाएगा।

To Promote Board and Plywood Industries

***1426 Shri Ghanshyam Dass :** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that a large number of Board and Ply-wood industries have been set up in District Yamuna Nagar, If so, the efforts made by the Government to develop and promote the said industries; and

(b) whether there is any proposal to set an institution in Yamuna Nagar to develop low cost and high quality technology for the abovesaid industries togetherwith the time by which it is likely to be set up ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : जी हाँ श्रीमान जी,

(क) लगभग 300 प्लाईवूड उद्योगों को विकसित और बढ़ाने के लिए लगभग 1687.28 लाख रुपये की कीमत के संयुक्त सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) विकसित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) संयुक्त सुविधा केन्द्र उच्च श्रेणी की तकनीक के होंगे, जो कम कीमत और अच्छी गुणवत्ता का माल तैयार करने में सहायक होगा तथा भारत सरकार से अन्तिम अनुमति मिलने से दो सालों के भीतर स्थापित कर दिये जाएंगे।

श्री घनश्याम दास : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यमुनानगर जिले में जो प्लाईवुड बोर्ड का उद्योग विकसित हुआ है उस उद्योग को यहां के उद्योगपतियों ने अपने बलबूते पर विकसित किया है और आगे बढ़ाया है। आज यमुनानगर का नाम इस उद्योग के कारण सारे भारत वर्ष में जाना जाता है। हमें प्लाईवुड बोर्ड के उद्योग में चीन के प्लाईवुड उत्पादों की वजह से बहुत चुनौती मिल रही है। यमुनानगर के उद्योगपतियों ने आज तक तो चीन की चुनौती को सीधे तौर से स्वीकार करते हुए यहां पर उसकी एन्टरी नहीं होने दी है। यदि सरकार ने शीघ्र ही कम लागत और अधिक गुणवत्ता वाली अधिक से अधिक सुविधायें इस उद्योग को प्रदान नहीं की तो नि:संदेह प्लाईवुड बोर्ड का उद्योग संकट में आ जायेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस उद्योग से संबंधित जो संयुक्त सुविधा केन्द्र विकसित करने के लिए समयावधि का जिक्र किया हैं, मैं समझता हूँ कि उस समयावधि का समय कम करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा संभव होगा तो निश्चित तौर पर प्लाईवुड उद्योग को हम बेहतर सुविधायें प्रदान कर सकते हैं।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो चिंता व्यक्त की है वह वाजिब है। निश्चित तौर से भारत वर्ष में यमुनानगर का प्लाईवुड उद्योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस उद्योग के साथ न केवल बहुत बड़ा व्यवसायी वर्ग जुड़ा हुआ है बल्कि उसके साथ-साथ किसान और मजदूर वर्ग भी जुड़ा हुआ है। हरियाणा सरकार का उद्योग विभाग के साथ-साथ अन्य दूसरे विभागों के साथ भी एक सकारात्मक व सहयोगात्मक रवैया रहा है। हरियाणा सरकार ने विशेषरूप से प्लाईवुड बोर्ड के उद्योग को सुविधायें देने के लिए टैक्स से संबंधित अनेक स्कीम्ज बनाई हैं ताकि इस उद्योग से जुड़े व्यवसायियों पर अनावश्यक कर्ज का बोझ न पड़े। सरकार द्वारा इस उद्योग के लिए हर प्रकार से सहयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इनको वुड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार लगातार फारेस्ट विभाग के साथ मिलकर उनके जो भी कम्युनिटी डिवेलपमैंट प्रोजैक्ट हैं या जो कम्युनिटी फोरेस्ट्री के प्रोग्राम हैं वह भी बराबर वहां पर चलाती रही है ताकि इनको सहयोग मिलता रहे और रॉ-मैटीरियल की उपलब्धता में इन प्लाईवुड उद्योगों को कोई दिक्कत ना आए। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार ने रॉ-मैटीरियल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जो पॉपलर आदि से रॉ-मैटीरियल मिलता है, उसको भी इसके catchment area में शामिल करने के लिए विशेष पहल की हुई है। इण्डस्ट्री डिपार्टमैंट में भारत सरकार की कॉमन फैसिलिटीज़ सैन्टर की स्कीम है। भारत सरकार इस प्रकार कॉमन फैसिलिटीज़ सैन्टर को स्थापित करने के लिए 70 प्रतिशत का सहयोग देती है। राज्य सरकार को 10 प्रतिशत का सहयोग देना होता है। इस प्रकार के क्लस्टर में लगी हुई इण्डस्ट्री को अपनी एक स्पेशल परपज़ व्हीक्ल स्कीम बनाकर 20 प्रतिशत का योगदान देना होता है। हरियाणा सरकार ने आगे बढ़कर इन्टरप्राइजिज़ प्रमोशन पॉलिसी के अन्दर एक नई योजना दी की जो स्पेशल परपज़ व्हीक्ल स्कीम के तहत इण्डस्ट्री अपना योगदान 20 प्रतिशत देने की बजाय केवल 10 प्रतिशत दें। हरियाणा सरकार उसके बदले में अपना 20 प्रतिशत योगदान देगी, इस योजना के ऊपर भी इस दिशा में सरकार ने काम प्रारम्भ किया हुआ है। पूरे हरियाणा में इस प्रकार के एम.एस.ई. सैक्टर को बढ़ाने के लिए हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। हमें इसकी पूरी चिंता और ख्याल है। इसकी रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक की

संतुष्टि के लिए बताना चाहता हूँ कि सी.एफ.सी बन रहा है इसमें हमने Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bangalore आई.पी.आई. और आर.टी.आई. का भी इसमें सहयोग मिला है, जो टैक्नीकल सपोर्ट दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो चाईना के कम्पीटीशन के बारे में चिंता जाहिर की है वह बेसिक्ली फेस वेनियर तैयार होता है, उसको लेकर के इनकी चिंता है कि अब वो महंगा हो गया है और चाईना में सस्ता है। अध्यक्ष महोदय, उसी तरह की सुविधा भी इस कॉमन फैसिलिटीज सैन्टर के अंदर हम उपलब्ध करवायेंगे ताकि जो प्लाईवुड उद्योग हैं वे सी.एफ.सी. का प्रयोग करके उस फेस वेनियर को तैयार कर पायेगा। Processing line, plotter, top coating, Pulverizer अनेक प्रकार की मशीनें इस सी.एफ.सी. के अन्दर आने वाली है। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी यह सी.एफ.सी. यमुनानगर में स्थापित हो जाये।

श्री घनश्याम दास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि यह श्रम अधारित काम है। ऑटोमेशन की इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है। ऑटोमेशन से गुणवता में सुधार होता है और लागत भी कम होती है। इसके साथ ही इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई पक्षों पर विचार करने की आवश्यकता है। जैसे आस-पास के प्रदेशों में मार्किट कमेटी की फीस इस पर नहीं लगती, पर हरियाणा में लगती है। इसी तरह से उद्योगों को दी जाने वाली बिजली आस-पास के प्रदेशों से महँगी दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, सारा पक्का माल एक ही जगह जाकर बिकता है। अध्यक्ष महोदय, हम बाकी प्रदेशों से मुकाबला करके अपना प्रोडक्ट बेच सके, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी यदि ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो गरिमा प्लाईवुड के बारे में यमुनानगर की बनी हुई है वो बनी रहेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कहता हूँ कि यमुनानगर का प्लाईवुड उद्योग सारे देश को एक दिशा दिखा सकता है।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यमुनानगर में सढौरा हल्का पिछड़ा क्षेत्र है जो पहाड़ के साथ लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है, और वहां पर काला आम्ब में बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है। क्या उस तरह की फैक्ट्री सढौरा हल्के में लगाने का सरकार का कोई विचार है?

श्री अध्यक्ष : बलवंत सिंह जी, यह एक अलग प्रश्न है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री घनश्याम जी ने अपने पूरक प्रश्न में जिस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा की है और हरियाणा प्रदेश की तुलना अन्य राज्यों की मार्किट कमेटिज से की है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से इतना आश्वस्त करके कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जितनी सुविधा प्लाईवुड उद्योगों को मिल रही है, उसी के कारण ही यमुनानगर में प्लाईवुड उद्योग विकसित हुआ है। पूरे देश में जितना प्लाईवुड का निर्माण होता है, उसमें से 50 प्रतिशत प्लाईवुड का निर्माण अकेले यमुनानगर जिला में होता है। स्वाभाविक है कि सरकार के सहयोग के कारण ही यह सम्भव हुआ है। सरकार ने जो वातावरण उनको दिया है वह वुड की अवेलेबिलिटी से लेकर, टैक्नीकल सपोर्ट और टैक्सिज में भी जो सुविधाएं दी है, उसी के कारण ऐसा संभव हो पाया है। सरकार के सहयोग के बिना यह सम्भव नहीं हो सकता

[कैप्टन अभिमन्यु]
था, फिर भी जितने भी सुझाव आते हैं, उनकी पूरी डिटेल बनाकर डाइग्नोस्टिक स्टडी की हुई है, उस डिटेल की पूरी जानकारी देने के लिए मैं सदन का समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ। हमें इसकी पूरी जानकारी है। हमने उनकी रिकवायरमैंट्स को समझा है। उनको फेस वेनियर पीलिंग, यूरिया फोर्मल डिहाइड रेजिन, वेनियर बोंडिंग और वेस्ट स्क्रैप के लिए अल्टरनेटिव प्रोडक्ट तथा हाई डैंसिटी प्लाइवुड मेकिंग प्रैस चाहिए तो इस प्रकार की जितनी भी सुविधाएं चाहिएं ये सब स्टडी रिपोर्ट में है और इन सब पर काम हो रहा है। हमने उद्योगों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकातें की हैं। अध्यक्ष जी, इनके लिए आपने भी स्वयं चिंता जाहिर की है। हमने भी इसके सुधार के लिए काफी प्रयास किये हैं। अत: माननीय सदस्य हमें जो समस्याएं बताएंगे हम उनका समाधान करेंगे और इनके द्वारा दिए गए सुझावों को अपनाएंगे और उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे।

हरियाणा विधान सभा के पूर्व विधायकों तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का अभिनंदन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज पूर्व विधायक पंडित रामकुमार गौतम और श्री फूल सिंह खेड़ी सदन की कार्यवाही देखने हेतु हरियाणा विधान सभा के सदन में बैठे हैं। मैं सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Four Laning of NH-65 from Ambala to Kaithal

***1268. Shri Aseem Goel :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether it is fact that the four laning of NH-65 from Ambala to Kaithal has not been started so far; if so, the reasons thereof togetherwith the time by which the work will be started there on alongwith it is likely to be completed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी। कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है तथा 08.07.2018 तक पूरा होना निर्धारित है।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह कार्य (अम्बाला से कैथल तक राष्ट्रीय राजमार्ग-65 को चारमार्गी करना) बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। यहां पर एक बड़ी सड़क का निर्माण होना है। अम्बाला शहर में एक हाइवे का एक टुकड़ा है। यह टुकड़ा लगभग 11 किलोमीटर का है और दो भागों में बंटा हुआ है। इसे 0-5 और 5-11 किलोमीटर में विभक्त कर दिया गया है। इन सड़कों का बजट एस्टीमेट भी बन चुका है। इस 0-5 किलोमीटर के टुकड़े के लिए प्रदेश सरकार ने 1878 लाख रूपये और 5-11 किलोमीटर के टुकड़े के लिए 1405 लाख रूपये का बजट रखा है लेकिन यह फाइल पिछले एक साल से केंद्र या राज्य सरकार के पास अटकी हुई है। इसका बजट अभी तक पास नहीं हो सका है। पूरा शहर इस 11 किलोमीटर के टुकड़े के सही हालत में न होने की वजह से काफी परेशान है। अगर हम इसे ठीक कराने के लिए लोक निर्माण विभाग के पास जाते हैं तो विभाग कहता है

कि यह नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। हम तो उस पर पैच भी नहीं लगा सकते हैं। इस टुकड़े का आधा किलोमीटर का एरिया तो ऐसा है जहां पर बारिश होते ही 5-6 फुट तक पानी जी.टी. रोड़ पर खड़ा हो जाता है और इस रोड़ का दृश्य एक तालाब के जैसा बन जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अगर केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2016 तक बजट ऐस्टीमेट पास नहीं किये तो यह कार्य अगले साल के लिए चला जाएगा क्योंकि वन टाइम इनवेस्टमैंट के नाते लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ है कि अम्बाला का जो बाइपास बनाना है उसे नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेकओवर करेगा। मेरा लोक निर्माण मंत्री से अनुरोध है कि उनका लोक निर्माण विभाग इसे एक बार रिपेयर करवाकर सौंपें और सड़क के काम को तीव्र गति से करवाने का कष्ट करें। अम्बाला के इस रास्ते के बनने से वहां की जनता को भी राहत मिलेगी और विभाग को भी फायदा होगा।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। हमारे विभाग ने इस पर तकरीबन 6 करोड़ रूपये खर्च किये हैं। इस काम में जहां कहीं भी दिक्कत है हम उनको दूर करके इस सड़क को नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूरा करवाएंगे। अगर नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे पूरा नहीं करेगा तो हरियाणा सरकार इस सड़क को पूरा करने की कोशिश करेगी।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिन 6 करोड़ रूपयों का जिक्र किया है उनमें से 3.5 करोड़ रूपये मेरे हल्के अम्बाला से लेकर इस्माइलाबाद तक की सड़क के लिए लगे हैं। ये रूपये सड़क को चालू हालत में रखने के लिए लगे हैं। माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश भी इसके लिए मुझसे चिंता व्यक्त करते रहते हैं। यह सड़क चलने लायक जरूर हो गई है। इस 11 किलोमीटर के टुकड़े के लिए 33 करोड़ रूपये का बजट एस्टीमेट है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2016 तक इसे पास करना है। अगर हम अभी इस बजट एस्टीमेट को पास कराने से चूक गए तो फिर भविष्य में भी दिक्कत आएगी।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि इस कार्य को 31 मार्च, 2016 से पहले ही पूरा करने की कोशिश करेंगे।

Outstanding Amount of Power Distribution Companies

***1236. Shri Balwan Singh Daulatpuria :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the amount of the power distribution companies outstanding against the defaulters togetherwith the scheme of the Government to recover the said outstanding amount; and

(b) the name of companies with whom power purchase agreement have been made during the period from the year 2005 to October, 2014 and October, 2014 to till date togetherwith the details thereof ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(ए) वितरण कम्पनियों के डिफाल्टरों के विरूद्ध लम्बित बकाया धनराशि निम्न प्रकार है।

वितरण कम्पनियां	दिसम्बर 2015 तक डिफाल्टिंग राशि (रुपये करोड़ में)		
	प्रिंसिपल	सरचार्ज	कुल
उ.ह.बि.वि.नि.	1464.63	426.01	1890.64
द.ह.बि.वि.नि.	2807.99	1739.92	4547.91
उ.ह.+द.ह.	4272.62	2165.93	6438.55

इस समय चयनित 260 ग्रामीण घरेलू फीडरों पर "म्हारा गाँव जगमग गाँव स्कीम" चल रही है जिसके तहत पुराने बकायों की मूलधन राशि चालू बिलों सहित पाँच नियमित किश्तों में गांव के उपभोक्ताओं से वसूल की जाएगी। पिछले बिल तथा किश्त अदा करने के बाद, सम्पूर्ण सरचार्ज राशि माफ की जाएगी। यह स्कीम चरणों में सभी ग्रामीण घरेलू फीडरों तक बढाई जाएगी।

(बी) मांगी गई सूचना निम्न प्रकार है:-

(i) वर्ष 2005 से अक्तूबर 2014 तक किए गए बिजली खरीद समझौते।

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन का नाम	स्थापित क्षमता में हरियाणा का हिस्सा (मेगावाट)	यूनिट की किस्म	प्लांट की लोकेशन
1	2	3	4	5
ए	**नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एन.टी.पी.सी.)**			
1.	रिहन्द सुपर थर्मल प्रोजेक्ट-III	56.1	थर्मल	उत्तर प्रदेश
2.	फिरोज गांधी ऊचांहर सुपर थर्मल स्टेज-III	11.99	थर्मल	उत्तर प्रदेश
3.	कहलगांव -II (बिहार)	68.70	थर्मल	बिहार
4.	हिमाचल प्रदेश में कोलडम हाइड्रो ई.पी.पी.	63.00	हाइड्रो	हिमाचल
बी	**अन्य पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स**			
5.	कोडरमा-टी.पी.पी. (दामोदर वैली कॉर्पोरेशन)	100	थर्मल	पश्चिम बंगाल
6.	मेजिया बी.टी.पी.एस. (दामोदर वैली कॉर्पोरेशन)	100	थर्मल	पश्चिम बंगाल
7.	प्रगति गैस पॉवर स्टेशन (दिल्ली)	137.1	गैस	दिल्ली
8.	ताला हाइड्रो	14.99	हाइड्रो	भूटान
9.	रामपुर हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट	17.02	हाइड्रो	हिमाचल
सी	**नेशनल हाइड्रो पॉवर कार्पोरेशन (एन.एच.पी.सी.)**			
10.	बैरा-सूल हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट	60.39	हाइड्रो	हिमाचल
11.	सलाल हाइड्रो-इलैक्ट्रिकल प्रोजेक्ट स्टेज-I एवं II	103.64	हाइड्रो	हिमाचल
12.	टनकपुर हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट	6.03	हाइड्रो	उत्तरांचल

1	2	3	4	5
13.	चमेरा हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट I	85.32	हाइड्रो	हिमाचल
14.	चमेरा-III हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट	12.43	हाइड्रो	हिमाचल
15.	चमेरा-II हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट	17.01	हाइड्रो	हिमाचल
16.	ऊड़ी हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट	26.02	हाइड्रो	जे एण्ड के
17.	ऊड़ी हाईड्रो पॉवर प्रोजेक्ट	13.37	हाइड्रो	जे एण्ड के
18.	धौलीगंगा हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट	15.99	हाइड्रो	उत्तरांचल
19.	धुलहस्ती हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट	21.33	हाइड्रो	जे एण्ड के
20.	पार्बती-III हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट	50.08	हाइड्रो	हिमाचल
21.	सेवा-II हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट	7	हाइड्रो	हिमाचल
डी	**टिहरी हाइड्रो डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (टी.एच.डी.सी.)**			
22.	कोटेश्वर हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट	16.84	हाइड्रो	उत्तरांचल
ई	न्यूक्लियर पॉवर स्टेशन (एन.पी.एस.)			
23.	नरोरा अटॉमिक पॉवर स्टेशन (एन.ए.पी.एस.)	27.98	न्यूक्लियर	उत्तर प्रदेश
24.	राजस्थान अटॉमिक पॉवर प्रोजेक्ट स्टेज बी-4	48	न्यूक्लियर	राजस्थान
25.	राजस्थान अटॉमिक पॉवर प्रोजेक्ट स्टेज-5 एवं 6	24.95	न्यूक्लियर	राजस्थान
एफ	इंडिपैंडेंट प्राईवेट पॉवर प्रोजेक्टस (आई.पी.पी.)			
26.	जय प्रकाश करचम वांगटू हाईडल पॉवर	200	हाइड्रो	हिमाचल
27.	पी.टी.सी. (छत्तीसगढ़) द्वारा लैंको अमरकंटक थर्मल (आई.पी.पी.) (मामला विवाद अधीन)	285	थर्मल	छत्तीसगढ़
28.	महात्मा गांधी सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन, झज्जर (केस-2)	1188	थर्मल	हरियाणा
29.	सी.जी.पी.एल. मुन्दरा यू.एम.पी.पी.	400	थर्मल	गुजरात
30.	अदानी पॉवर लिमिटेड अंडर केस-1 बिडिंग	1424	थर्मल	गुजरात
31.	पी.टी.सी. जी.एम.आर थर्मल केस-1 बिडिंग	300	थर्मल	उड़िसा
32.	सासन पॉवर लिमिटेड (यू.एम.पी.पी.)	445.50	थर्मल	मध्यप्रदेश
33.	इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन (आई.जी.एस.टी.पी.एस.)	693	थर्मल	हरियाणा
34.	पी.टी.सी. बगलीहार हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट	50	थर्मल	जे. एण्ड के.
35.	भौरूका स्मॉल हाइड्रो यमुनानगर	6	हाइड्रो	हरियाणा
36.	पी. एण्ड आर. गोगरीपुर स्मॉल हाइड्रो करनाल	2	हाइड्रो	हरियाणा
37.	पुरी ऑयल मिल्स, स्मॉल हाइड्रो करनाल	2.8	हाइड्रो	हरियाणा
38.	जे.एन.एन.एम. स्कीम के अन्तर्गत सोलर पॉवर प्रोजेक्ट	7.80	सोलर	हरियाणा
39.	सिवाना सोलर प्रा.लि.	5	सोलर	हरियाणा
40.	एस.ई.सी.आई. द्वारा सोलर पॉवर	80	सोलर	राजस्थान
41.	जैमको बॉयोमास, प्रोजेक्ट	15	बॉयोमास	हरियाणा

1	2	3	4	5
42.	स्टारवॉयर बायोमास पॉवर प्रोजेक्ट	9.9	बॉयोमास	हरियाणा
43.	श्री-ज्योति	9.5	रिन्यूएबल	हरियाणा
44.	ए.बी. ग्रेन्स	5	रिन्यूएबल	हरियाणा
45.	शुगर मिल्स (5 नं.)	36	बगासे	हरियाणा
46.	नरायणगढ़ शुगर मिल	25	बॉयोमास	हरियाणा
	कुल	**6294.78**		

(ii) **वर्ष अक्तूबर 2014 से अब तक किए गए बिजली खरीद समझौते।**

क्र. सं.	**उत्पादन स्टेशन का नाम**	**स्थापित क्षमता में हरियाणा का हिस्सा (मेगावाट)**	**यूनिट की किस्म**	**प्लांट की लोकेशन**
ए	**नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एन.टी.पी.सी.)**			
1.	बलारच रिन्युएबल एनर्जी प्रा.लि.	1	सोलर	हरियाणा
2.	नील मेटल प्रोडेक्ट लिमिटेड	20	सोलर	हरियाणा
3.	अल्टीमेट सन सिस्टमस प्रा.लि.	1	सोलर	हरियाणा
4.	मैसर्ज सुभाष इन्फ्रा इंजीनियरस प्रा.लि.	1	सोलर	हरियाणा
	कुल	**23**		

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष जी, बिजली विभाग के बिजली बिल में एक कॉलम होता है - सैंडरी चार्जिज। आम उपभोक्ता को इस कॉलम के विषय में कुछ नहीं पता है। पिछले दिनों हमारी पार्टी इंडियन नैशनल लोक दल का डैलीगेट नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से मिला था। उस समय वहां पर माननीय वित्त मंत्री महोदय भी मौजूद थे परंतु हमें उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कुछ समय पहले यह चार्ज चण्डीगढ़ में लगता था। बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने इस चार्ज पर बैन लगा दिया अत: जब यह चार्ज हमारी राजधानी में नहीं लगता तो फिर हमारे प्रदेश के आम उपभोक्ताओं के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है ? इस चार्ज को हरियाणा में तुरंत बंद किया जाना चाहिए। दूसरी बात, उदय योजना के तहत सैंटर गवर्नमैंट बिजली वितरण कम्पनियों का 3/4 हिस्सा कर्ज स्वयं वहन करेगी और 1/4 हिस्सा हरियाणा सरकार वहन करेगी। इस योजना से हरियाणा पर बिजली वितरण का घाटा काफी कम हो गया है। अत: अब आपको बिजली को सस्ता करना चाहिए क्योंकि कुछ समय पहले आपने बिजली कम्पनियों पर घाटे का हवाला देकर बिजली के रेट बढ़ाए थे।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी का पहला सवाल था कि चूककर्ताओं के विरूद्ध बिजली वितरण कम्पनियों की कितनी बकाया राशि है तथा उक्त बकाया राशि को वसूल करने की सरकार की क्या योजना है। मेरे माननीय साथी ने दूसरा सवाल पूछा है कि वर्ष 2005 से अक्तूबर 2014 तथा अक्तूबर 2014 से आज तक की अवधि के दौरान उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके साथ बिजली खरीद समझौता किया गया तथा उनका ब्यौरा क्या है ? अध्यक्ष महोदय, आज तक बिजली विभाग के जहां तक घाटे की बात है तो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम का घाटा 6438.55 करोड़ रूपये है।

सरकार ने 16.6.2005 को एक योजना बनाई थी। उस समय 1782 करोड़ रूपये की बकाया राशि थी जिसमें से 1100 करोड़ रूपये एग्रीकल्चर सैक्टर का था और 1379.99 करोड़ रूपये डौमैस्टिक का बकाया था। उस समय सरकार ने कहा था कि 20 किश्तों में जो उपभोक्ता लगातार बिल भरेगा 20 किश्तों के बाद उसका सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। इसका लाभ 49.9 परसैंट लोगों ने ही उठाया। उसके बाद उन लोगों ने भी बिल भरना बंद कर दिया था। यह स्कीम पिछली सरकार ने चलाई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमें गर्मी के महीनों में 3000 से 6300 मेगावाट तक बिजली की आवश्यकता होती है और सर्दी में 7000 से 9000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है। हमारे पास 10082.38 मेगावाट बिजली अवेलेबल है यानि हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। माननीय साथी ने दूसरा सवाल पूछा है कि हम बिजली कहां कहां से लेते हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि हम रिहन्द सुपर थर्मल प्रोजैक्ट-III, उत्तर प्रदेश से 56.1 मेगावाट, फिरोज गांधी ऊंचाहर सुपर थर्मल स्टेज-III, उत्तर प्रदेश से 11.99 मेगावाट, कहलगांव, बिहार से 68.70 मेगावाट, हिमाचल प्रदेश में कोलडम हाइड्रो ई.पी.पी से 63 मेगावाट, कोडरमा-टी.पी.पी. दामोदर वैली कारपोरेशन, पश्चिम बंगाल से 100 मेगावाट, मेजिया बी.टी.पी.एस., दामोदर वैली कारपोरेशन, पश्चिमी बंगाल से 100 मेगावाट, प्रगति गैस पॉवर स्टेशन, दिल्ली से 137.1 मेगावाट, ताला हाइड्रो, भूटान से 14.99 मेगावाट, रामपुर हाइड्रो पॉवर प्रोजैक्ट, हिमाचल से 17.02 मेगावाट, बैरा-सूल हाइड्रो पॉवर प्रोजैक्ट, हिमाचल से 60.39 मेगावाट, सलाल हाइड्रो-इलैक्ट्रिककल प्रोजैक्ट स्टेज-1 और स्टेज-II ,हिमाचल से 103.64 मेगावाट, टनकपुर हाइड्रो पॉवर प्रोजैक्ट, उत्तरांचल से 6.03 मेगावाट, चमेरा हाइड्रो पॉवर प्रोजैक्ट-1, हिमाचल से 85.32 मेगावाट, चमेरा-III हाइड्रो पॉवर प्रोजैक्ट, हिमाचल से 12.43 मेगावाट, चमेरा-II हाइड्रो पॉवर प्रोजैक्ट, हिमाचल से 17.01 मेगावाट बिजली लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के टोटल 46 प्रोजैक्ट हैं जिनसे हम बिजली लेते हैं।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि "उदय" स्कीम के तहत बिजली विभाग का कर्जा स्टेट गवर्नमैंट ऑन करने जा रही है। क्या इस स्कीम से उपभोक्ताओं को भी कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं अर्थात् बिजली के रेट कुछ कम किए जाएंगे या नहीं।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेट्री कमीशन के पास लोग अपनी कम्पलेंटस दे सकते हैं तथा हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेट्री कमीशन की ऐडवाइस पर ही हरियाणा में बिजली के रेट घटाए और बढ़ाए जाते हैं।

श्री रणबीर सिंह गंगवा : स्पीकर सर, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने हरियाणा रेगुलेट्री कमीशनन के बारे में बताया। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो किसान अपने ट्यूबवैल के लिए कनैक्शन लेते हैं उन कनैक्शन्ज़ के ऊपर आपने एक लाख रूपया अलग से लगा दिया। इस सम्बंध में 20 जून, 2015 का हरियाणा रेगूलेट्री कमीशन का लैटर है। जब माननीय मंत्री जी हरियाणा रेगुलेट्री कमीशन के कहने पर बिजली के रेट बढ़ा देते हैं तो क्या ये हरियाणा रेगुलेट्री कमीशन को किसानों से जो कनैक्शन का एक लाख रूपया लिया जा रहा है क्या वे इसको कम करवाने का काम करेंगे?

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, यह एक सैल्फ फाईनैंस की स्कीम थी जिसके तहत शुरू में किसानों से प्रति कनैक्शन 30 हज़ार रूपये लिये जाते थे जिसे 70 हज़ार रूपये बढ़ाकर एक लाख रूपये कर दिया गया था लेकिन अब इस बढ़ी हुई राशि को वापिस ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो किसान तत्काल स्कीम के तहत कनैक्शन लेते हैं उनसे एक लाख रूपये अतिरिक्त रूप में तत्काल चार्ज़ के रूप में लिये जाते हैं। जिस एक लाख रूपये की बात विधायक जी कर रहे हैं उस राशि में से 70 हज़ार रूपये घटाकर उसको फिर से 30 हज़ार रूपये कर दिया गया है।

डॉ. पवन सैनी : स्पीकर सर, गांवों और शहरों में भी हमारे कुछ भाई चक्की चलाते हैं। इन सभी चक्की चलाने वाले भाइयों से बिजली विभाग द्वारा एक-एक महीने का एक्स्ट्रा बिल लिया जाता है। अपनी इस समस्या को लेकर मेरे हल्के के चक्की चलाने वाले सभी भाई मुझसे मिले थे और अपनी शिकायत मेरे पास दर्ज़ करवाई। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उनके द्वारा जितने यूनिट कंज्यूम किये जाते हैं उनसे उससे ज्यादा यूनिट का बिल लिया जाता है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हम इस मामले की विभाग के सक्षम अधिकारी से जांच करवा लेते हैं कि ये एडवांस और ज्यादा बिल किस वजह से लिये जा रहे हैं। इस समस्या का उचित समाधान किया जायेगा और की गई कार्यवाही से माननीय सदस्य को अवगत करवा दिया जायेगा।

डॉ. पवन सैनी : स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही प्रार्थना है कि इस मामले में आवश्यक कार्यवाही शीघ्रता से करवाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है अब आप बैठ जायें।

Upgradation of CHC Dabwali

***1109. Smt. Naina Singh Chautala :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the C.H.C. Dabwali to General Hospital ?

स्वास्थ्य मंत्री (अनिल विज) : हां, श्रीमान जी।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : स्पीकर सर, अगर सरकार द्वारा डबवाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्ज़ा बढ़ा दिया जाता है तो उससे न केवल सिरसा और डबवाली के लोगों का ही फायदा होगा बल्कि इससे राजस्थान और पंजाब के हरियाणा की सीमा के साथ लगते गांवों के लोगों का भी फायदा होगा। मेरे हल्के के टप्पी, टिगड़ी, पिपली, हस्सू और हसवाना इत्यादि गांवों में बहुत ज्यादा कैंसर के मरीज़ हैं। अगर इस सामुदायिक केन्द्र का दर्ज़ा सरकार द्वारा बढ़ा दिया जाता है तो इससे कैंसर के मरीज़ों को बीकानेर और जयपुर नहीं जाना पड़ेगा।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जो डबवाली का अस्पताल है हमने उसका दर्ज़ा बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। इसको जल्दी ही 100 बैड का अस्पताल बना दिया जायेगा। इसके लिए 01 दिसम्बर, 2015 को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल चुकी है और इस समय इसके एस्टीमेट्स

भी बन चुके हैं। अब इससे आगे का जो इस अस्पताल को बनाने का प्रोसैस है टैण्डरिंग का और इसके निर्माण कार्य का काम भी जल्दी ही शुरू हो जायेगा।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहूंगी कि मैंने कल उनको एक पत्र गांव चौटाला के अस्पताल की जर्जर बिल्डिंग के बारे में लिखा था। मैं उनसे एक बार फिर कहना चाहूंगी कि वे उस अस्पताल की जल्दी से जल्दी सुध लें क्योंकि उसकी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और जिससे बहुत ज्यादा नुक्सान हो जायेगा। अगर माननीय मंत्री जी इस काम को भी जल्दी से जल्दी करवा देंगे तो मैं उसके लिए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगी।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैंने यह बात पहले भी बताई थी कि मैंने आदेश दे दिये हैं कि प्रदेश की ऐसी जितनी भी पी.एच.सीज़. और सी.एच.सीज़. की बिल्डिंग्ज़ जर्जर हालत में है हम उन सारी की सारी का सर्वे करवाकर उन सभी का ही एस्टीमेट बना रहे हैं। इस प्रकार से उसमें चौटाला गांव भी शामिल है। हम प्रदेश की सभी पी.एच.सीज़. और सी.एच.सीज़. का जीर्णोद्धार कर रहे हैं इसलिए सभी माननीय सदस्यों को हमारे इस काम के लिए हमारा धन्यवाद करना चाहिए।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : स्पीकर सर, हमारे रतिया में हॉस्पिटल के निर्माण के लिए बजट की अलॉटमैंट हो चुकी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के निर्माण का कार्य आरम्भ करवाया जाये।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, वैसे तो बिल्डिंग बनाने का काम पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर के विभाग द्वारा किया जाता है फिर भी हम इसको एक्सपीडाईट करवा देंगे।

(इस समय यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Leakage of Water Supply Pipe Lines

***1273 Shri Balkaur Singh :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that water supply pipes in village Kalanwali and Thraj Bhima are lying damaged and leaking; if so, the time by which the abovesaid pipe lines are likely to be repaired/replaced ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : नहीं श्रीमान् जी, इसलिए इस भाग का प्रश्न नहीं उठता। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है यह हमारा नहर आधारित इनलैट चैनल है यह वॉटर टैंक तक जा रहा है। यह कुछ जगह से डैमेज हो गया है लेकिन फिर भी हम कच्चे चैनल से उस वॉटर टैंक में पानी पहुंचा रहे हैं। वहां पर हम 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन दे रहे हैं। इसी प्रकार से गांव थराज में भी हम 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन दे रहे हैं। ऐसे ही गांव भीमा में हमारी पानी की पर्याप्त आपूर्ति जारी है।

श्री बलकौर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी पानी देने की बात कर रहे हैं। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि वहां पर पानी पहुंच ही नहीं रहा है। जिस प्रकार से कालांवाली गांव के बारे में मैंने यहां पर बताया है यह मेरा अपना गांव है। इसकी जो पाईप लाईन है वह पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। जब नहर बंद हो जाती है और ज़मींदार के खेत में पानी आना बंद हो जाता है तो उस समय हम उस खाले से वह पानी वॉटर वर्क्स तक लेकर आते हैं। जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो गांवों की पाईप लाईन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है मैंने उनके बारे में माननीय मंत्री जी से सवाल पूछा है। क्या मंत्री जी उसके बारे में बताने की कृपा करेंगे। मुझे यह बताया जाये कि ये पाईप लाइन्स कब तक रिपेयर हो जायेंगी या फिर कब तक नई डाल दी जायेंगी ?

श्री घनश्याम सर्राफ : स्पीकर सर, कालांवाली कस्बे की जनसंख्या लगभग 7000 है। वहां पर 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिया जा रहा है। इस जल घर के लिए 400 एम.एम. की जो पाईप थी वह वास्तव में क्षतिग्रस्त है। इसलिए वहां पर कच्चे चैनल से पानी पहुंचाया जा रहा है। हमने इन पाइप्स को बदलने का प्रस्ताव तैयार किया था जिसको ऐडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्राप्त हो चुकी है। इन दोनों गांवों में 67.46 लाख रूपये की लागत से नई पाइप लाइन्ज़ डाल दी जायेंगी। जहां तक थराज और भीमा गांवों में वॉटर सप्लाई की बात है इन दोनों गांवों को जलघर से वॉटर सप्लाई होती है जो कि पूरी मात्रा में की जा रही है।

श्रीमती रेणुका बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि कल मैंने माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछा था जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हांसी शहर के अंदर जींद चौंक से हांसी बाई-पास के बीच में जो पानी की पाइप लाइन है उसे बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहती हूं कि यह पाईप लाईन लगभग 50 साल पुरानी है। यह पाईप लाईन जगह-जगह से लीक है। पानी की इस पाईप लाईन में लीकेज़ की वजह से पी.डब्ल्यू.डी. वाले वहां इस सड़क की रिपेयर नहीं कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जब तक वह पाईप लाईन नहीं बदली जाती तब तक इस सड़क की रिपेयर नहीं की जा सकती। मेरी मंत्री जी से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना है कि ये वहां पर फिर से सर्वे करवायें। वहां पर जो पब्लिक हैल्थ के एस.डी.ओ. हैं उसकी पिछले डेढ़ साल में नौ बार ट्रांसफर हो चुकी है। यह रिकार्ड की बात है। मैं नहीं जानती कि माननीय मंत्री जी को यह रिपोर्ट कौन दे रहा है मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि जो भी इनको यह रिपोर्ट दे रहा है वह ठीक रिपोर्ट नहीं दे रहा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर इनको मौका मिले तो ये उस रास्ते से ज़रूर जायें तो इनको स्वयं वास्तविकता का पता चल जायेगा। उस सड़क की भी बहुत बुरी हालत है पी.डब्ल्यू.डी. वाले कहते हैं कि जब तक यह पाईप लाईन नहीं बदली जाती तब तक इस सड़क की रिपेयर नहीं हो सकती। इसलिए मेरी बार-बार मंत्री जी से प्रार्थना है कि ये उस पाईप लाईन को या तो चेंज करवा दें या फिर उस पाईप लाईन को वहां से रिमूव करवा दें।

श्री घनश्याम सर्राफ : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्या को यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हांसी में कोई भी पाईप लाईन 50 साल पुरानी नहीं है। मुझे जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक यह पाइप लाइन दुरूस्त है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बावजूद भी अगर माननीय सदस्या जी बार-बार आग्रह करती हैं तो हम उसकी दोबारा से

जांच करवा लेते हैं और जो भी ज़रूरी कार्यवाही बनेगी उसे जल्दी से जल्दी किया जायेगा। हम की गई कार्यवाही से माननीय सदस्या को भी अवगत करवा देंगे।

Shortage of Doctors

***1135 Shri Ved Narang :** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that there is shortage of doctor and lady doctor in CHC Hospital of Barwala; if so, the time by which the shortage of doctors is likely to be met out?

Health Minister (Shri Anil Vij) : Sir, a statement is placed on the Table of the House.

Statement

There is a shortage of one Medical Officer in the Community Health Centre, Barwala (Hisar) against the total santioned strength of six doctors. Presently, there is no lady Medical Officer working at CHC Barwala (Hisar). Efforts will be made to post a lady Medical Officer at the earliest.

श्री वेद नारंग : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी है कि वहाँ पर केवल एक चिकित्सा अधिकारी की कमी है उसके बारे में मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उसको वे दोबारा चैक कर लें। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर पिछले 3 साल से कोई भी महिला चिकित्सा अधिकारी नहीं है इसलिए बरवाला और आसपास की महिलाओं को ईलाज के लिए या तो दूर जाना पड़ता है या प्राईवेट डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर महिला चिकित्सा अधिकारी की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, बरवाला सी.एच.सी. में कुल 6 पद स्वीकृत हैं। एक तो सीनियर मैडिकल ऑफिसर का पद है जो भरा हुआ है, मेडिकल ऑफिसर्स के 4 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 3 भरे हुये हैं और एक डैंटल सर्जन का पद है वह भी भरा हुआ है। माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल सही है कि वहाँ महिला चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है और उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि वह भी जल्दी लगा दी जायें। अभी हमने डॉक्टर्स की भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र जारी कर दिये हैं और डॉक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जल्दी ही महिला चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति हो जाये।

श्री वेद नारंग : अध्यक्ष महोदय, इस काम के लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले बजट सत्र में मैंने सदन में मंत्री जी से पूछा था कि उकलाना के हॉस्पीटल में डॉक्टर्स के सभी पद खाली पड़े हुये हैं उसके बाद मंत्री जी ने वहॉ पर 3 डॉक्टर तुरन्त प्रभाव से लगा दिये थे लेकिन 15 दिन बाद 2 डॉक्टर वहाँ से तबादला करवा गये। अब वहाँ पर केवल एक डॉक्टर है और

[श्री अनूप धानक]

उसकी ड्यूटी भी ज्यादातर बरवाला में लगा दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उकलाना में डॉक्टर्स की नियुक्ति की जायेगी या नहीं ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमने डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी बायोमैट्रिक मशीनें लगा दी हैं और हम यहाँ से बैठ कर देख लेते हैं कि किस अस्पताल में कितने डॉक्टर्स ड्यूटी पर आये हैं और कितने नहीं आये हैं। मैं अपनी टेबल से स्वयं चैक करता हूँ। हो सकता है कि पहले इस तरह की प्रथा हो कि डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं आते हों लेकिन अब वह बात नहीं हो सकती। मैंने पिछले सत्र में उकलाना में 3 डॉक्टर्स की पोस्टिंग कर दी थी अगर वे वहाँ से तबादला करवा गये हैं तो हम वहाँ पर और डॉक्टर लगा देंगे। अभी हम फ्रस्ट फेज में यह कोशिश कर रहे हैं कि एक भी अस्पताल ऐसा न हो जिसमें एक भी डॉक्टर न हो, हर अस्पताल में कम से कम एक डॉक्टर अवश्य हो। आज के दिन हरियाणा में डॉक्टर्स की कमी है इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ और इसको पूरा करने के लिए अभी हमने एक और निर्णय किया है। पी.एच.सीज में एक लेडी डॉक्टर, 2 डॉक्टर और एक डैंटल सर्जन का पद होता है। अब हमने वहाँ पर ऐलोपैथिक के एक डॉक्टर की जगह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी ऐलोपैथिक की इजाजत दे दी है। हमारे पास 550 पी.एच.सीज हैं। अब हर पी.एच.सी. में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक ऐलोपैथिक डॉक्टर और एक डैंटल सर्जन लगाया जायेगा। इस प्रकार हमें बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जायेंगे तथा उनको हम अपने अस्पतालों में खाली पदों पर लगाने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ऐलोपैथिक की इजाजत देने से लोगों को लाभ भी होगा। वे आयुर्वेदिक से ईलाज करवाना चाहेंगे तो उनको आयुर्वेदिक उपचार मिल जायेगा और यदि वे ऐलोपैथिक से ईलाज करवाना चाहेंगे तो उनको ऐलोपैथिक उपचार भी उपलब्ध होगा। अभी हम जो कदम उठा रहे हैं उसके बारे में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पहले हॉस्पीटलों की जो बैडशीट थी वह बदली नहीं जाती थी और जो सफेद रंग की होती थी जिसका पता भी नहीं लगता था कि वह कितने दिनों से बिछी हुई है। अब हमने हर हॉस्पीटल में हर दिन के लिए अलग-अलग रंग की चादर का प्रावधान कर दिया है। अब हर रोज बैड पर अलग रंग की चादर बिछेगी क्योंकि पहले केवल एक ही सफेद रंग की चादर होती थी जिसको रोजाना नहीं बदला जाता था तो हमने अब उसको हर दिन के लिए अलग-अलग रंग की चादर कर दी हैं जैसे कि सोमवार के दिन अलग रंग की, मंगलवार को अलग रंग की और बुधवार को अलग रंग की चादर बिछेगी। अब सारे हरियाणा के मेडिकल कॉलेजिज में अलग-अलग रंग की चादर बिछेंगी जिसके लिए हमने चादरों के ऑर्डर भी कर दिये हैं। सर, इससे इंफैक्सन ग्रेड भी बहुत डाऊन जाएगा क्योंकि हर आदमी को पता लगेगा कि आज चादर बदली नहीं गई है। हर आदमी को पता होगा कि आज तो मंगलवार है और आज तो पीले रंग की चादर होनी चाहिए थी और आज पीले रंग की चादर क्यों नहीं है। इस तरह से हमने चादर का रंग चेंज कर दिया और उस चादर के बॉर्डर पर उस दिन का नाम जैसे सोमवार, रविवार आदि भी लिखा होगा कि इस रंग की चादर इस दिन बिछाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हम काफी कदम उठा रहे हैं लेकिन इसमें धीरे-धीरे सुधार होगा क्योंकि कई चीजें हैं जिसमें समय लगता है। सर, यह बात ठीक है कि डॉक्टरों की कमी है और हम उस कमी को भी पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।

Drainage and Sewerage System in Colonies

***1308. Shri Mahipal Dhanda :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that no arrangement to drain out the water in 79 unapproved colonies in Panipat Rural Assembly constituency has been made by the Government; and

(b) whether the Government has formulated any scheme to drain out the water by lying sewerage system or drainage system in the abovesaid colonies; if so, the time by which it is likely to be implemented?

जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : श्रीमान, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

वक्तव्य

(क) व (ख)सरकार द्वारा हाल ही में अस्वीकृत कालोनियों में सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट के माध्यम से 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पेयजल उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। अस्वीकृत कालोनियों में पानी की निकासी बारे निर्णय अभी नहीं लिया गया है। पानीपत की अस्वीकृत कालोनियों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक ने जो सवाल पूछा है उसमें 79 कालोनियों में निकासी के प्रबंध के बारे में पूछा गया है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अस्वीकृत कालोनियों में सरकार का 40 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पेय जल उपलब्ध कराने का निर्णय है और 31 मार्च तक इन कालोनियों का एक खाका तैयार होना है कि कौन-कौन सी कालोनियां रैगुलराईज होने जा रही हैं। उसके बाद जिन कालोनियों में निकासी का प्रबंध करने की स्वीकृति मिलेगी उन कालोनियों में हम पानी की निकासी का प्रबंध करेंगे।

श्री महीपाल ढ़ांडा : अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट के माध्यम से मंत्री जी 40 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पेय जल उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट लगाए जाएंगे और वह किस-किस इलाके में लगाए जाएंगे। दूसरा मेरा निवेदन यह था कि हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की पाईप लाईन नहीं है और जो पाईप लाईन है वह प्राईवेट टयूबवैल से पानी देने वाले लोगों की हैं अर्थात जो लोगों को प्राईवेट पानी देते हैं उनकी पाईप लाईन है। अगर आपने इन सार्वजनिक स्टैंड पोस्टों तक पानी पहुंचाना है तो भी पाईप लाईन की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने लम्बे-चौड़े ईलाके में केवल एक ही टयूबवैल से पानी पहुंचाया जा रहा है और वहां पर दूसरा टयूबवैल लगाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। इसलिए मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमने उस सारे एरिया का एक ऐस्टीमेट भी बनाया था जिसका आपको संज्ञान भी है। वह 29 करोड़ रूपये का ऐस्टीमेट बना था जिसमें 32 टयूबवैल और 116 किलोमीटर लम्बी पाईप लाईन के माध्यम से हम हर घर तक पानी पहुंचा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय उन कालोनियों में सारा का सारा लेबर तपका रहता है और वहां पर इतनी भयंकर बिमारियां फैली हुई हैं जिससे कोई भी घर ऐसा नहीं बचा जिस घर में एक-एक आदमी बीमार न हो। वह आदमी मजदूरी करते हैं और वह जितनी मजदूरी करते है वह सारी की सारी होस्पीटलों में जा रही है। वहां पर पीने के पानी

[श्री महीपाल ढ़ांडा]

की बहुत किल्लत है और वहां की जो गलियां हैं और उनकी जो नालियां हैं उनकी निकासी का तो काई रास्ता ही नहीं है। जब निकासी नहीं है तो जो निकासी का पानी है वह सारा का सारा सड़क के ऊपर आकर पड़ता है। सर, इससे भी बुरी बात क्या हो सकती है कि वहां जो मलमूत्र का पानी है वह लोगों ने अपने घर के आगे जो गड्ढ़ा खोदा हुआ है उसमें आता है और फिर घर की महिलाएं डिब्बे से उस पानी को बाहर सड़क पर फैंकती हैं। जब सड़क पर उस पानी को निकालती हैं तो वहां हर रोज लड़ाइयां होती हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन हैं कि आप वहां पर पानी की निकासी के लिए सीवरेज व्यवस्था का भी हमें भरोसा दें। सर, इसके लिए हमने आदरणीय मंत्री श्रीमती कविता जैन को भी इन कालोनियों को वैध करने का प्रश्न लगाया था तो उन्होंने अपने उत्तर में एक ही वाक्य लिख दिया कि अभी कोई प्रपोजल नहीं है जबकि हमारे वहां पर इतनी भारी घोर समस्या है कि हम वहां पर जा पाने में भी सक्षम नहीं हैं। वहां की जो स्थिति है उसका हमने सबसे पहले सर्वे करवाया है और सर्वे करवाकर उसकी रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी है। मेरा निवेदन यह है कि जब तक यह कॉलोनिज वैध हो उससे पहले इन अवैध कॉलोनिज को मूलभूत सुविधाओं संबंधी स्वीकृति तो दे ही दी जानी चाहिए ताकि इन कॉलोनिज में अन्य जनहित के कार्य शुरू किए जा सकें।

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों माननीय विधायक साथी श्री महीपाल ढांडा जी ने एक रिक्वेस्ट लैटर भेजा था उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि 78 किलोमीटर लम्बी पाईप लाईन जल्दी ही डाल दी जायेगी जिसकी वजह से पीने के पानी की सुविधा लोगों को सुलभ हो सकेगी। (विघ्न)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, माननीय ढांडा जी का प्रश्न अनआथोराइज्ड कॉलोनीज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैडम कविता जी को इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए क्योंकि यह उनके विभाग से संबंधित नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह तो हाउस में गलत परम्परायें पड़ेंगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप यह भी तो देखिये कि कविता जी इन कॉलोनिज के विषय पर ढांडा साहब द्वारा पिछले दिनों उनसे पूछे गये प्रश्न को आज पूछे गये प्रश्न के साथ जोड़ते हुए जवाब दे रही हैं। इस सवाल के विषय पर उनकी तैयारी तो देखिये। (शोर एवं व्यवधान) परन्तु मैं भी मानता हूँ कि वास्तव में यह प्रश्न घनश्याम सर्राफ जी के विभाग से ही संबंधित है। मैडम कविता जी ने तो सामान्यत ही इस प्रश्न को अपने विभाग के साथ जोड़ लिया है। (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर बिना बात के ही खड़ी नहीं हुई हूँ। माननीय ढांडा साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने अपने प्रश्न के साथ मेरा नाम भी जोड़ते हुए कहा था कि उन्होंने मैडम कविता जी के पास भी इस तरह का एक प्रश्न लगाया था तो ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए इस प्रश्न पर जवाब देना आवश्यक हो गया था। इस संबंध में बताना चाहुँगी कि इनके क्षेत्र में 79 कॉलोनिज ऐसी हैं जिनके प्रपोजल्ज हमारे पास आये हैं और 31 मार्च, 2016 तक हमने न केवल पानीपत बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी अर्बन लोकल बाडिज ऐरियाज हैं वहां से भी हम इस तरह की अवैध कॉलोनिज के सर्वे मंगवा रहे हैं और जैसे ही सर्वे आ जायेंगे उसके पश्चात एक एक्ट के तहत जिसको Haryana Management of Civil

Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Area Act, 2013 के नाम से जाना जाता है, जोकि वर्ष 2013 में एक साल के लिए बनाया गया था और जिसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है, उस एक्ट को दोबारा से रिन्यु किया जायेगा, और इस एक्ट के अधीन जो भी अनआथोराइज्ड कॉलोनिज, एक्ट की सभी नार्म्ज तथा कंडीशंज को पूरा करती होंगी, उन सभी कॉलोनिज में जो बेसिक एमेनिटिज हैं जिनमें पीने का पानी, सीवरेज सुविधा, सड़क या फिर बिजली की सुविधाओं आदि को हमारी सरकार पूरे हरियाणा प्रदेश की सभी अवैध कालोनियों में प्रदान करने का काम करेंगी। (इस समय मेजें थपथपाई गई) (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ढांडा साहब, अब तो मैं समझता हूँ कि आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए।

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज जो प्रश्न किया था वह माननीय मंत्री श्री घनश्याम सर्राफ से संबंधित विभाग के लिए किया था और उसी प्रश्न के दौरान मैंने माननीय श्रीमती कविता जैन को भी पिछले दिनों उनके विभाग से जुड़े कुछ इसी तरह के ही एक प्रश्न की याद दिलाई थी। मैं तो माननीय सर्राफ जी से अपना प्रश्न पूछ रहा था और बाकायदा उन्होंने उस प्रश्न का जवाब भी दे दिया था। अब जबकि माननीय मंत्री श्रीमती कविता जैन जी मेरे प्रश्न के बीच में उठकर जवाब देने लग गई है तो मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा कि जैसाकि उन्होंने बताया कि 31 मार्च, 2016 तक हरियाणा प्रदेश की सभी अर्बन लोकल बाडिज ऐरियाज से अवैध कॉलोनिज के सर्वे मंगवाये जा रहे हैं। इस संबंध में यह जानना चाहता हूँ कि जिन अवैध कॉलोनिज के नाम 31 मार्च, 2016 के सर्वे में आयेंगे क्या केवल उन्हीं कॉलोनिज में बेसिक ऐमेनिटिज से संबंधित सुविधायें प्रदान की जायेंगी या फिर जिनके नाम नहीं आयेंगे उनके लिए इंतजार किया जायेगा तथा जिस एक्ट की अभी उन्होंने बात की है, उस एक्ट को कब तक लागू किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : ढांडा जी, आपका जो प्रश्न था वह मैडम कविता जी के विभाग से संबंधित नहीं है। यह तो मंत्री जी की दरियादिली है कि उन्होंने घनश्याम सर्राफ जी के विभाग से संबंधित प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब आपको इस विषय पर मैडम कविता जैन से पूछने की जरूरत नहीं है, आप जो प्रश्न माननीय मंत्री जी घनश्याम सर्राफ जी से पूछ रहे थे केवल उसी प्रश्न पर फोकस करें। (विघ्न)

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात स्वीकार करते हुए माननीय मंत्री श्री घनश्याम सर्राफ जी से पूछना चाहूँगा कि जो उन्होंने अभी कहा कि मेरे क्षेत्र में स्थित अवैध कॉलोनिज में 78 किलोमीटर लम्बी पाईप लाईन जल्दी ही डाल दी जायेगी और यहां रह रहे लोगों को पीने के पानी की सुविधा जल्द ही सुलभ हो सकेगी, उस आश्वासन के मद्देनज़र मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि इस कार्य के लिए कोई समयावधि निश्चित कर दी जाये तो मैं समझता हूँ कि वह ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि समयावधि निश्चित होने पर क्षेत्रवासियों को आश्वस्त तो किया ही जा सकेगा कि इतने समय में अपनी कॉलोनिज में पानी की पाईप बिछाने का कार्य शुरू हो जायेगा और इतने समय में पूरा हो जायेगा। यदि मंत्री जी साफ बता दें कि इस कार्य पर एक महीना, दो महीने या फिर तीन महीने का समय लगेगा तो निश्चित रूप से मैं उनका शुक्रगुजार हूंगा।

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, यह काम कुछ बड़ा है लेकिन बावजूद इसके मैं ढांडा साहब को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और बहुत जल्दी इस कार्य को पूरा कर दिया जायेगा।

Amount Spent on Domestic Toilets

*1226. Sh. Zakir Hussain : Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state the districtwise details of total amount spent on domestic toilets under the Swchh Bharat Mission (rural) from October, 2014 till to date?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

श्रीमान जी, अक्तुबर, 2014 से 10 मार्च, 2016 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत घरेलू शौचालयों पर 10024.38 लाख रुपये खर्च किये गये हैं जिसका जिलावार विवरण निम्न प्रकार है।

क्रमांक संख्या	जिला	कुल उपयोग राशि (रुपये लाख में)
1	अम्बाला	245.38
2	भिवानी	729.19
3	फरीदाबाद	183.86
4	फतेहाबाद	222.64
5	गुड़गांव	332.44
6	हिसार	193.03
7	झज्जर	608.11
8	जीन्द	611.59
9	कैथल	553.94
10	करनाल	625.09
11	कुरूक्षेत्र	240.72
12	महेन्द्रगढ़	607.19
13	मेवात	673.71
14	पलवल	631.38
15	पंचकुला	212.96
16	पानीपत	457.01
17	रेवाड़ी	355.72
18	रोहतक	388.61
19	सिरसा	611.53
20	सोनीपत	571.83
21	यमुनानगर	968.45
	कुल	**10024.38**

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो उनके उत्तर में फीगर दी गई है, वह बहुत ही बड़ी और भारी फीगर है। मेवात और पूरे हरियाणा प्रदेश में आज यह हालात हैं कि जो यह राशि खर्च हुई है उसमें बहुत ज्यादा धांधलेबाजी हुई है। हमने फिजिकली देखा है कि जो पुराने शौचालय थे उनको ही रिकॉर्ड पर चढ़ाया गया है और नये शौचालय पिछले डेढ़ साल के दौरान मैंने हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव में कोई निर्माण कार्य होते हुए नहीं देखा है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इसकी फिजिकल वैरीफिकेशन करवायेंगे? कांग्रेस के पिछले 10 साल के शासनकाल में पंचायत विभाग को इतनी बुरी तरह से लुटा गया था कि हमने अपनी जिन्दगी में ऐसी लुट कभी नहीं देखी थी। किसी भी कार्य का कोई भी एस्टीमेट नहीं है, कोई भी सैंकशंड नहीं है, ना ही कोई एम.बी. भरी गई और ना ही कोई कम्पलीशन की रिपोर्ट है। इसके बारे में मैंने दिसम्बर सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या 959 लगाया था। माननीय मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि तीन महीने के अंदर आपको लिखित में जवाब दे दिया जायेगा, लेकिन आज तक सचिवालय से कोई भी जवाब नहीं आया है। मैंने कहा था कि इसका जवाब तीन महीने क्या तीस साल तक भी नहीं आ सकता क्योंकि वहां इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तथा न ही कोई कागज है। कांग्रेस शासन का जो भ्रष्टाचार है क्या माननीय मंत्री जी इसको छुपाने की चेष्ठा कर रहे हैं? जो खेद और दुख की बात है। यह मामला भी इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है क्योंकि कांग्रेस राज में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तथा पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान भी यही चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि इस घोटाले की जांच विभाग से नहीं बल्कि विजिलेंस या किसी सिटिंग जज से इन्क्वायरी करवाने की कृपा करें?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात सुनकर मुझे मध्यप्रदेश की बात ध्यान में आ गई। मध्यप्रदेश सरकार ने 'विवाह योजना' बहनों के विवाह में दहेज देने के लिए योजना शुरू की थी। इस योजना के अनुसार बहुत सारे लोगों पर आरोप लगे कि उन्होंने दहेज के लालच में विवाह कर लिया है। जब मध्यप्रदेश सरकार ने इसकी इन्क्वायरी कराई तो पता लगा कि उन्होंने दोबारा से उसी से विवाह कर लिया है। जिन लोगों ने दोबारा से विवाह किया उनका कहना है कि हमारा विवाह पहले धूमधाम से नहीं हुआ था और दहेज भी नहीं मिला था, लेकिन अब मध्यप्रदेश सरकार बैंड बाजो के साथ धूमधाम से विवाह कर रही है और साथ में दहेज भी दे रही है। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में मुझे भी शौचालयों की संख्या का आंकड़ा देखकर हैरानी हुई थी। लोगों द्वारा स्वयं बनाए गए शौचालयों की संख्या का आंकड़ा कम है। हरियाणा प्रदेश में बेस लाइन सर्वे की रिपोर्ट में वर्ष 2011 को छोड़कर 30,67,907 घर बिना शौचालयों के बताएं गए हैं। इनमें से 26,45,259 घरों में शौचालय बन गए हैं और 4,22,648 घरों में शौचालय बनाने बाकी है। अध्यक्ष महोदय, अगर इन सब घरों में शौचालय बन जाएंगे तो हम यह कह पाएंगे कि हरियाणा प्रदेश के हर घर में शौचालय होगा। अब किसी को भी बाहर खुले में शौच जाना नहीं पड़ेगा। मुझे विभाग द्वारा पता चला है कि लोगों ने 2,29,574 शौचालय खुद बनाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे भी लगा था कि सरकार की सहायक स्कीम से बनने वाला आंकड़ा बहुत बड़ा है क्योंकि हम सभी बी.पी.एल. परिवारों को शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रूपये देते हैं। ए.पी.एल. में भी कई सारी ऐसी कैटेगरी हैं जिनमें धोबी, मजदूर, छोटे किसान, अनुसूचित जाति

[श्री ओमप्रकाश धनखड़]

के लोग, विकलांग या किसी परिवार की मुखिया महिला हो उसको भी हम यह सुविधा देते हैं। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने शौचालय खुद बनाएं हो और सरकारी स्कीम का भी फायदा उठा लिया हो। यह इस अवसर की उपलब्धता हो सकती है, इसलिए जांच का विषय है। मेवात में शौचालय बनाने की संख्या बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान में 2 अक्तुबर, 2019 के बाद भारत का कोई भी नागरिक लौटा या बोतल में पानी लेकर बाहर शौच आदि के लिए नहीं जाएगा। हमने हरियाणा में 4 लाख, 22 हजार शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। दूसरी बात कुछ लोगों की आदत ही बाहर शौच करने की होती है जिसकी वजह से वे घर में शौचालय होने के बावजूद भी शौच के लिए बाहर जाते हैं। हमें इस आदत का निवारण करने के लिए भी एक नारा देना पड़ेगा। ये नारा हो सकता है - "एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया।" अगर एक व्यक्ति भी शौच के लिए बाहर जाता है तो वह अकेला ही पूरे परिवार जितनी गंदगी पैदा कर देता है। जब आदमी बाहर शौच करता है तो मक्खियां उस पर बैठकर इतनी गंदगी फैलाती है कि वह कुछ व्यक्तियों के शौचालय में शौच करने का भी फायदा नहीं मिलने देता है, इसलिए पूरे गांव को ही बाहर शौच करने से रोकना होगा। स्वच्छता का लक्ष्य विभाग का मिशन है। माननीय सदस्य के सवाल का जवाब देने के लिए मैं विभागीय अधिकारियों को शौचालयों के निर्माण पर खर्च की जांच करने की आज्ञा दूंगा। प्रश्न संख्या 965 के जवाब में माननीय मंख्यमंत्री जी और मैंने बताया है कि मेवात में हमारा लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मैं माननीय सदस्यों को मेवात की सारी रिपोर्ट उपलब्ध कराऊंगा। मैं मेवात के विधायकों से निवेदन करूंगा कि वे लोगों को जाकर समझाएं कि वे बाहर शौच न करें। मेवात में 80 हजार, 51 घरों में अभी तक शौचालय नहीं है। ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसमें इतने कम शौचालय हो। मैं मेवात के सभी विधायकों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भारत सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने में हमारी मदद करें।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री से दो प्रश्न पूछे थे। पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के आंकड़ों के अनुसार मेवात में डेढ़ सौ गांव ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी ही उपलब्ध नहीं है। जहां पीने का स्व्च्छ पानी उपलब्ध न हो वहां पर शौचालय का उपलब्ध होना असंभव है। वहां के लोग पीने का पानी लाने के लिए 4-4 किलोमीटर तक जाते हैं। इस क्षेत्र को डार्क जोन घोषित किया हुआ है। ऐसे 80 गांव तो माननीय सदस्य चौ. नसीम अहमद के फिरोजपुर-झिरका और श्री रहीश खान के पुन्हाना क्षेत्र में हैं और 80-85 गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। इस तरह 150 गांव तो सिर्फ दो-तीन हल्कों में ही हो जाते हैं। दूसरी बात, शिक्षा में सोशियो इकोनॉमिक सैंसस के अनुसार मेवात में एक प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जो दसवीं या इससे ज्यादा शिक्षित हैं और सिर्फ 6.6 प्रतिशत लड़के ऐसे हैं जो मैट्रिक या इससे ऊपर की पढ़ाई किये हुए हैं। यह सोशियो इकोनॉमिक सैंसस का रिकॉर्ड है। इसमें किसी लम्बी-चौड़ी इंकवायरी की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ विधान सभा की एक कमेटी बना दें। इसके अतिरिक्त यह काम कांग्रेस पार्टी के कामों को ढ़कने के लिए किया जा रहा है। जिस तरह मेडिकल कॉलेज में हुई गड़बड़ को ढ़का गया है जिसमें कांग्रेस ने सैकड़ों-करोड़ों रूपये खाने का काम किया है। मुझे पता चला है कि इस गड़बड़ की जांच के लिए विजिलैंस जांच के बजाय विभागीय जांच के

आदेश दिए गए हैं। यह बड़े अफसोस की बात है कि उस पर जो पर्दा डाला जा रहा है। सरकार को इसकी भी विजिलैंस इंकवायरी करवानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे प्रश्न संख्या 959 के जवाब में तीन महीने में इस जांच को करवाने का आश्वासन दिया था। यह रिकॉर्ड की बात है। इसे 2 मार्च को 3 महीने पूरे हो चुके हैं लेकिन इसका आज तक जवाब नहीं आया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस कोताही के लिए विभाग के खिलाफ कार्रवाई करें। वहां पर पिछले दस साल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज भी शौचालयों में यही धांधलेबाजी चल रही है। मेवात में ही 90-95 प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में उनकी दुल्हन तो थी चाहे दोबारा निकाह हुआ हो या स्वयंवर हुआ हो। यहां जब शौचालय ही नहीं है तो फिर वे सबूत क्या देंगे। दोबारा विवाह तो मेवात में भी हुए हैं। वहां पर पढ़ाई की सुव्यवस्था नहीं है और इलैक्शन लड़ने के लिए उन पर जबरदस्ती शिक्षा की शर्त थोप दी गई है और वहां सचमुच में दो बार दुल्हनें आई हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे पिछले सवाल का जवाब आज तक नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन महीने बहुत होते हैं। यह रिकार्ड के जांच की बात थी क्योंकि वहां रिकार्ड नहीं था इसलिए मेरा अनुरोध भी है और निवेदन भी है कि इसकी विजीलैंस इन्कवायरी करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की कमेटी बनाकर आप इसकी जांच के आदेश दें क्योंकि विभाग के खिलाफ प्रिवीलेज मोशन का मामला बनता है। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का सवाल जाए और तीन महीने में भी विभाग की तरफ से जवाब न आए तो यह बहुत संगीन मामला है इसलिए इसकी जांच के आदेश दिए जाएं। मंत्री जी, आप संकोच न करें और कांग्रेस राज के काले कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश न करते हुए इसकी जांच के आदेश दें या विधान सभा के 5 सदस्यों की एक कमेटी बना कर इसकी जांच के आदेश दें। हम लोगों को कांग्रेस के लोगों के बारे में क्या बताएंगे, लोग तो अपने आप ही इनको देख लेंगे। लोग कहेंगे कि जब शौचालय हैं ही नहीं तो जाएं कहां, पीने का पानी है ही नहीं तो बाथरूम्ज में पानी कहां से आएगा। अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी का इंतजाम और शौचालय बनवाने का काम जरूर करवाया जाए। आजकल लोग अपनी इज्जत खूब समझते हैं और वे शौचालयों में जाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस मामले में उदासीन है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इन दोनों मामलों में विजीलैंस जांच के आदेश देंगे।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जो बेस लाइन सर्वे हैं उसको हम दोबारा करवा लेंगे। माननीय साथी जानना चाहते हैं कि इस केस की एक्चुअल स्थिति क्या है तो मैं इस बारे में एक्चुअल स्थिति विभाग से पता करवा लूंगा। हमने इनको पिछले सैशन में भी आश्वस्त किया था तथा अब विभागीय जानकारी लेकर अगर हमें लगता होगा, जैसा आपने कहा है कि इसमें घोटाला हुआ है तो हम इस केस की विजीलैंस जांच करवाने के लिए तैयार हैं और इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, इन शौचालयों की सूची आप ब्लॉक लैवल पर या फिर तहसील लैवल पर सार्वजनिक कर देंगे तो थोड़े दिनों में लोग ही अपने आप आकर कहने लग जाएंगे कि किस-किस ने झूठे पैसे ले रखे हैं और किसने नहीं ले रखे हैं। मान लो कंवरपाल के नाम का शौचालय बना रखा है लेकिन शौचालय है ही नहीं तो कंवर पाल खुद अपनी शिकायत लेकर आ जाएगा कि मेरे घर में तो शौचालय है ही नहीं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, हमें यह सूची सार्वजनिक करने में कोई दिक्कत नहीं है इसलिए हम यह सूची सार्वजनिक कर देंगे।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोग तो राक्षस थे। वे ईंट, सीमेंट आदि सब चीजों के नाम पर पैसे खा गए और डकार तक नहीं ली। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में अगर की तो बात ही नहीं है। यदि मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ प्रिवीलेज मोशन लाया जाए या फिर मुझे 6 महीने तक विधानसभा की कार्यवाही में भाग न लेने दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस मामले की भी और हमारे यहां के मेडीकल कालेज की भी जांच के आदेश दिए जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से भी कहना चाहूंगा कि आपकी भी तोहीन हुई है कि साढे 3 महीने तक विभाग की तरफ से जवाब नहीं आया है। यह बहुत संगीन मामला है। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में आपकी भी तोहीन हुई है क्योंकि विधानसभा की मुहर लगकर यहां से प्रश्न गया है और विभाग की तरफ से जवाब नहीं आया है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए जाएं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय साथी ने अभी स्मरण कराया है इसलिए विभाग ने जो जवाब बनाया होगा मैं उसको आज ही मंगवाकर देख लूंगा और मुझे लगा कि इसमें विजीलैंस जांच की जरूरत है तो हम 100 परसैंट इस मामले में जांच करवाएंगे।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अगर विभाग से जवाब नहीं आया होगा तो क्या आप विभाग के खिलाफ विजीलैंस जांच करवाएंगे।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि अगर विभाग से रिप्लाई नहीं आया होगा तो हमें इसकी विजीलैंस जांच करवाने में कोई दिक्कत नहीं है।

Proper Maintenance of Industrial Area of Dharuhera

***1215. Shri Randhir Singh Kapriwas :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to improve the condition of roads which have been damaged badly in the Dharuhera industrial area; if so, the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : जी, हाँ। धारूहेड़ा क्षेत्र में सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए 21.43 करोड़ की राशि का अनुमान विचारराधीन है।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : अध्यक्ष महोदय, मैं धारूहेड़ा क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा कि 1976 में यह ओद्योगिक शहर शुरू हुआ था। जिन सड़कों का मैंने जिक्र किया है ये 1982 में बनी थी और 1982 के बाद वहां सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ। वहां 26 उद्योग लगे हैं,

उनकी एसोसिएशंज मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया कि हम मेक इन इंडिया पर चल रहे हैं और हमने यहां बहुत ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सड़कें किसी भी क्षेत्र के लिए मूलभूत सूविधा होती है। इस औद्योगिक क्षेत्र की एसोसिएशंज ने मुझे कहा कि हमारे यहां अगर रेत की भी सड़कें बना दी जाएं तो भी काम चल जाएगा क्योंकि इन सड़कों पर बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जैसा बताया है कि इन सड़कों के लिए लगभग 21 करोड़ रूपये की प्रपोजल बनाई गई है तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि यह प्रपोजल पहले से ही बनी हुई है बल्कि उस समय यह भी कहा गया था कि यह प्रपोजल मंजूर हो गई है। प्रपोजल मंजूर होने के बाद जब मैं हुडा के सी.ए. से मिला तो उसने मुझे बताया कि यह मामला दो सालों से इसलिए लम्बित है क्योंकि हुड्डा और एच.एस.आई.आई.डी.सी. इस प्रपोजल को आपस में अदल-बदल कर रहे हैं।

11:00 बजे **कैप्टन अभिमन्यु** : आदरणीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है वह पूरी तरह से जायज़ है। हुडा द्वारा धारूहेड़ा के मास्टर प्लॉन का सैक्टर 7 और 8 का जो विकसित इण्डस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया गया है इसका कुल क्षेत्रफल 579.48 एकड़ है। इसको तीन फेज़ में डवैल्प किया गया था। इसमें 339 इण्डस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। यह हुडा के बनने से पहले भी 1974 में बना था। पिछली सरकार ने कैबिनेट में इसको हुडा से एच.एस.एस.आई.डी.सी. को ट्रांसफर करने का निर्णय किया गया है। एच.एस.आई.आई.डी.सी. के अंदर एक कमेटी इस बात को एग्जामिन कर रही है कि इसको टेक-ओवर करना है या नहीं। हमारी सरकार का यह सैद्धांतिक फैसला है कि इसको एच.एस.आई.आई.डी.सी. टेक-ओवर करे और इसकी जितनी भी सड़कें हैं जिनको रिपेयर वर्क की बहुत ही ज्यादा ज़रूरत है उनकी जल्दी से जल्दी रिपेयर की जाये। वहां पर सड़कों की हालत वास्तव में बहुत ज्यादा खराब है। हमारा विभाग इन सड़कों की जल्दी से जल्दी रिपेयर करवायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Number of Engineering and Polytechnical Colleges

***1278. Prof. Ravinder Baliala :** Will the Technical Education Minister be pleased to state:-

(a) the total number of Engineering and Polytechnic Institutes closed in the State during the period from the year 2009 to till date together with the reasons thereof; and

(b) the details of the total number of seats of all streams in Government Engineering and Polytechnical Institutes of the State separately togetherwith the number of seats lying vacant from the year 2009 till to date ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान जी। कथन हाउस के पटल पर रख दिया गया है।

कथन

(क) शैक्षणिक सत्र 2009 से अब तक हरियाणा राज्य में 28 प्राईवेट इन्जीनियरिंग संस्थाओं को प्रबन्धन एंव समितियों के अनुरोध पर बन्द किया गया है।

शैक्षणिक सत्र 2009 से अब तक हरियाणा राज्य में 9 प्राईवेट बहुतकनीकी संस्थाओं को प्रबन्धन/समितियों के अनुरोध पर बन्द किया गया है।

प्राइवेट इन्जीनियरिंग कालेज व प्राइवेट बहुतकनीकी संस्थान बन्द होने के कारण सम्मिलित है:

1. छात्रों का कम प्रवेश
2. छात्रों का शैक्षणिक सत्र के बीच में पढ़ाई छोड़ना।
3. संस्थाओं का प्रबन्धन/समितियों का वित्तीय संकट।

(ख) राज्य में सरकारी इन्जीनियरिंग एवं बहुतकनीकी संस्थानों की सभी शाखाओं में कुल सीटो का विवरण व रिक्त सीटों सहित वर्ष 2009 से अब तक निम्नलिखित है:-

उपरोक्त के सन्दर्भ में सूचना निम्नलिखित नीचे दर्शाई गई है:

पाठयक्रम का नाम	सत्र	संस्था के प्रकार	संस्थानो की संख्या	सभी संस्थानों की कुल सीटों की संख्या	सभी संस्थानों की कुल रिक्त सीटों की संख्या
	2015.16		9	2830	830
	2014.15		10	2900	546
	2013.14		10	2819	628
बी०ई० /	2012-13	राजकीय	10	2935	388
बी०टेक	2011-12		10	2935	200
	2010-11		8	2115	111
	2009-10		7	2050	36
	2015.16		25	9900	2060
	2014.15		25	10080	1824
	2013.14		24	10710	2115
डिप्लोमा	2012.13	राजकीय	26	10590	1116
इन्जी0	2011.12		26	10590	612
	2010.11		30	13170	495
	2009.10		22	13900	0

To Supply Electricity in Dhanies

***1366. Shri Ranbir Singh Gangwa**
Shri Makhan Lal Singla } **:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply electricity in the Dhanies on Government expenditure; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, बिजली विभाग ने राज्य में ढ़ाणियों को बिजली आपूर्ति देने के लिए पहले से ही एक नीति लागू की है।

To Metal the Umetalled passage

***1228. Shri Naseem Ahmed :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the passage from Firozpur Jhirka to Biwan?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हां, श्रीमान जी।

To Lay Down the Sewerage System in Rural Areas

***1234. Sh. Rajdeep Phogat :** Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to lay down sewerage system in the rural areas of Haryana, if so, the time by which it is likely to be laid down ?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : हाँ श्रीमान जी। वर्तमान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

Land Acquisition for SEZ

***1239. Shri Abhay Singh Chautala :** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the details of land acquired by the Government for SEZ purpose; and;

(b) the names of the companies to whom the abovesaid land has been provided and whether any construction work has been done on the abovesaid land; if not, the present status hereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, इस सम्बन्ध में विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, (एच०एस०आई०आई०डी०सी०) द्वारा विशेष आर्थिक जोन (चरण-1) के रूप में योजित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक कम्पलैक्स की स्थापना के लिए एक सार्वजनिक प्रयोजन हेतु तहसील एवं जिला गुड़गांव के गाँवों खाण्डसा, नरसिंहपुर, मोहम्मदपुर झाड़सा, गाडौली खुर्द तथा हरसरू की 1779 एकड़ 3 कनाल 4.25 मरला भूमि के अधिकरण के लिए दिनांक 29.01.2003 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अर्न्तगत अधिसूचना जारी की थी। राज्य सरकार द्वारा 1715 एकड़ 3 कनाल 5.5 मरला भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 6 के अर्न्तगत घोषणा दिनांक 28.01.2004 को जारी की थी। भूमि अर्जन कलक्टर, गुड़गाँव ने 27.01.2006 को 1590 एकड़ भूमि का अवार्ड किया।

[श्री मनोहर लाल]

(ख) अवार्ड की घोषणा के पश्चात, 1383.68 एकड़ भूमि, रिलायन्स हरियाणा, (एस0ई0जेड0) लिमिटेड को कन्सयेन्स डीड दिनांक 26.04.2007 के द्वारा स्थानान्तरित की गई थी जो अब दिनांक 29.08.2014 को एच0एस0आई0आई0डी0सी0 को वापिस आ चुकी है। मौके पर चार दिवारी के अलावा कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। तत्पश्चात राज्य सरकार ने गुड़गाँव में देहली मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना के अर्न्तगत, विभिन्न पहल योजनाओं के अर्न्तगत मुख्य परियोजना के रूप में ग्लोबल सिटी परियोजना की पहचान की। मंत्रीमंडल ने अपनी बैठक दिनांक 7 फरवरी 2014 में रिलायन्स हरियाणा एस0ई0जेड0 लिमिटेड से वापिस मिली भूमि पर एच0एस0आई0सी0डी0सी0 तथा देहली मुम्बई कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड तथा डी0एम0आई0सी0डी0सी0 के मध्य विकसित किया जाना प्रस्तावित है। डी0एम0आई0सी0डी0सी0 ने ग्लोबल विटी परियोजना के लिए औचित्यता अध्ययन एवं मास्टर बनाने के लिए ए0ई0सी0ओ0एम0 इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

Construction of Road

***1289. Shri Makhan Lal Singla :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road from village Gadli to Kukarthana in Sirsa Assembly Constituency; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (नरबीर सिंह) : नही, श्रीमान जी।

To set up Transport Nagar

***1249. Shri Naresh Kaushik :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal to set up a Transport Nagar in Bahadurgarh; if so, whether any land has been acquired for the purpose togetherwith the time by which it is likely to be set up?

मुख्यमंत्री (मनोहर लाल) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्तमान में बहादुरगढ़ में परिवहन नगर की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है और न ही इसके लिए भूमि अधिग्रहित की गई है। परन्तु सैक्टर-12 बहादुरगढ़ में ऑटो मार्किट, जो कि एक सम्बंधित गतिविधि है, की स्थापना हेतू प्रस्ताव विचारधीन है। चूंकि ऑटो मार्किट बहादुरगढ़ के लिए चिन्हित भूमि का एक बड़ा भाग विवादित है तथा न्यायालय में विचारधीन है, इसलिए मार्किट के विकास के लिए इस समय कोई समय सीमा इंगित नहीं की जा सकती।

To Widen the Roads

***1254. Shri Krishan Hooda :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state :-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to widen Gohana-Baroda-Julana Road; and

(b) if so, the time by which the work is likely to be started thereon?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी। इसलिए, प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता।

Change in Environment

***1263. Shri Bhagwan Dass Kabirpanthi :** Will the Environment Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the global environment is changing due to pollution; and

(b) if so, the schemes launched or proposed to be launched by the Government to improve the environment ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) पर्यावरण को सुधारने के लिए सरकार द्वारा आरम्भ की गई या आरम्भ की जानी वाली प्रस्तावित प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं :

1. संवेदनशील क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर हरियाणा राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया।

2. राज्य भर में मलजल और औद्योगिक बहिस्त्राव के उपचार के लिए शहरी क्षेत्रों में मलजल उपचार संयन्त्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त बहिस्त्राव उपचार संयन्त्रों की स्थापना प्रक्रिया में है।

3. 4 सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना और 9 ऐसे स्टेशनों की स्थापना प्रक्रिया में है।

4. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रक बोर्ड द्वारा नियमित रूप से राज्य में बह रहे नदी और नालों के पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है।

5. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रमुख जल प्रदूषण ईकाईयों में प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों की स्थापना और संचालन को सुनिश्चित करता है।

[कैप्टन अभिमन्यु]

6. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रमुख जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को शून्य तरल निर्वहन प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और नियमित रूप से इन निर्देशों के अनुपालन की निगरानी की जा रही है।

7. वाहनों से होने वाले प्रदूषण की जाँच के लिए बड़े पैमाने पर बी.एस.-IV उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं।

8. निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से धूल उत्सर्जन को नियन्त्रित करने के लिए और खुले क्षेत्रों में कृषि कचरे को जलाने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

9. खतरनाक अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट के प्रबन्धन को सुनिश्चित करना।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Repair of Road

241. Shri Om Parkash Barwa : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the road from village Gignau to village Potia in Loharu Block of Loharu constituency has been damaged; if so, the time by which it is likely to be repaired ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हां, श्रीमान जी। जैसा कि, विशेष मरम्मत का कार्य प्रगति पर है और इसके 30.04.2016 तक पूर्ण होने की संभावना है।

To Notify Village Committees

272. Shri Karan Singh Dalal : Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to constitute Notified Village Committees in each villages; if so, the criteria of selection of the Members of such Committees; and

(b) the function of said Committee cited above ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) नहीं, श्रीमान जी, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994, की धारा 22 में पहले ही उप-कमेटी तथा स्थानीय कमेटी गांव में पंचायत द्वारा गठित करने की व्यवस्था है।

(ख) हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994, में उप-कमेटी तथा स्थानीय कमेटी वहीं कार्य करेगी जो धारा 22 में दिया गया है।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 में निम्न प्रकार से प्रवाधान है:-

22. (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित उप समितियां गठित करेगी, अर्थात:-

(i) कृषि उत्पादन, पशुपालन तथा ग्राम उद्योग तथा गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कृत्यों का पालन करने के लिये उत्पादन उप समिति;

(ii) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कृत्यों का पालन करने के लिये सामाजिक न्याय उप समिति:-

(क) अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो तथा अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलों, क्रीड़ाओं तथा अन्य हितों को प्रोत्साहन देना ;

(ख) ऐसी जातियों, तथा वर्गों का सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलों, क्रीड़ाओं तथा अन्य हितों को प्रोत्साहन देना ;

(iii) शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, सार्वजनिक संक्रमों तथा ग्राम पंचायत की उप समितियों के अन्य कृत्यों के सम्बन्ध में सुख सुविधाएं उप समिति ;

(iv) जहां कोई ग्राम पंचायत एक से अधिक ग्रामों से गठित की जाती है, इसमें सम्बन्द्ध ग्राम के पंच और ग्राम सभा के सदस्यों में से नियुक्त सदस्यों की एक स्थानीय समिति होगी ;

(v) कोई अन्य समिति जिसे ग्राम पंचायत गठन करने के लिये ठीक समझे।

(2) प्रत्येक उप समिति तथा स्थानीय समिति में कम से कम पांच सदस्य होंगे, जिसमें सरपंच तथा उप-सरपंच, जैसी भी स्थिति हो, शामिल होंगे। सरपंच उत्पादन समिति तथा सुख-सुविधा समिति का पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष होगा। उप-सरपंच सामाजिक न्याय समिति का पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष होगा :

परन्तु सामाजिक न्याय समिति में कम से कम एक महिला सदस्य तथा अनुसूचित जाति का एक सदस्य होगा।

(3) प्रत्येक समिति, ऐसी रीति में ही विहित की जाये, किसान क्लब, महिला मण्डल, युवक मण्डल तथा अन्य सभी प्रकार के सदस्यों को नियुक्त करने के लिये सक्षम होगी। पंचायत क्षेत्र में सहकारी सोसाइटियों का प्रतिनिधि उत्पादन समिति किया जायेगा। नियुक्त सदस्यों के अधिकार तथा दायित्व ऐसे होंगे जो विहित किए जायें।

(क) प्रत्येक उप समिति ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा तक उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों का पालन करेगी।

Basic Amenities in Colonies

247. Shri Lalit Nagar : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide basic amenities in the dozens of colonies inhabited from Palla Bridge to Basantpur Tilpat in Tigaon Assembly constituency; if so, the details thereof ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : हां, श्रीमान जी। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

तिगांव निर्वाचन क्षेत्र में पल्ला पुल से बसन्तपुर तिलपत के बीच में 19 कोलोनियों को पहले ही नागरिक सुविधाओं एवं आधारभूत सुविधाओं से अपूर्ण क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। इन कालोनियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 संख्या	कालोनी का नाम	क्षेत्रफल(एकड़ में)
1	अंगनपुर डेयरी	15
2	चेत राम कालोनी	0.76
3	छाजन नगर भाग-I छाजन नगर भाग-II छाजन नगर भाग-III	34.3
4	दीपावली एनकलेव	19.2
5	नम्बरदार कालोनी	25.7
6	निखिल एनकलेव	17
7	ओम एनकलेव	38.8
8	पंचशील एनकलेव	47
9	पावर हाऊस कालोनी	7.5
10	राव सुलतान सिंह कालोनी	2.4
11	सरस्वती कालोनी भाग-1 सरस्वती कालोनी भाग-2	67.3
12	सरपंच कालोनी	1.9
13	शिव कालोनी	63
14	शिव कालोनी एक्सटैनसन	89.4
15	श्याम कालोनी	50.4
16	श्याम कालोनी एक्सटैनसन	6.94
17	सुभाष नगर	23.06
18	सूर्या कालोनी	43.4
19	सूर्या विहार	82.9
	कुल	**635.96**

ऐसी कालोनियां जिनको पहले ही नागरिक सुविधाओं एवं आधारभूत सुविधाओं से अपूर्ण क्षेत्र घोषित किया हुआ है, उन कालोनियों में सीवर पाईप लाईन बिछाने के लिए एवं बरसाती पानी की निकासी की सुविधा हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिनांक 30.06.2016 तक तैयार कर ली जायेगी।

To Impose Tax on Liquor for the Nourishment of Cows

287. Shri Nagender Bhadana
Shri Om Parkash Barwa } **:** Will the Excise and Taxation Minister pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to impose tax on liquor in the State for the Nourishment of Cows?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : जी नहीं श्रीमान, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नही है।

To Start of MSc Classes

253. Shri Pirthi Singh : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start the classes of MSc in the KM Government College of Narwana; if so, the time by which these classes are likely to be started therein ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान जी, वर्तमान में के.एम. राजकीय महाविद्यालय, नरवाना में एम.एस.सी. की कक्षाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shifting of Bus Stand

279. Shri Jasbir Singh : Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift Safidon Bus Stand outside the Safidon city; if so, the time by which the abovesaid Bus Stand is likely to be shifted ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान जी, नहीं।

Inclusion of Jind in NCR Zone

258. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Chief Minster be pleased to state the current status of Jind District with respect to its inclusion in the NCR Zone?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : जींद जिले को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.3182(अ) दिनांक 24.11.2015 अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। यह अधिसूचना अनुबंध 'क' पर संलग्न है।

[श्री मनोहर लाल]

अनुबंध 'क'

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

का.आ. 3182(अ.) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 (1985 का 2) की धारा 2 के खण्ड (च) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संबंधित भागीदार राज्यों की सहमति और बोर्ड के परामर्श के अनुपालन में केन्द्र सरकार एतदद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रों के विवरण से संबंधित निम्नलिखित संशोधन करती है:-

1. हरियाणा राज्य के संबंध में अनुसूची की क्र.सं. 2 में मौजूदा प्रविष्ठियां, जिन्हे बाद में दिनांक 1 अक्तुबर 2013 की राजपत्र अधिसूचना सं.का.आ.2979 (अ) की क्र.सं. 1 के तहत शंसोधित किया गया था, में निम्नलिखित प्रविष्टियां, जोड़ी जाती है:-

   xii. संपूर्ण जींद जिला जिसमें जींद, जुलाना, सफीदौ और नरवाना तहसील शामिल है।

   xiii. संपूर्ण करनाल जिला जिसमें करनाल, नींलोखेड़ी, घरौंडा, असंध और इन्दरी शामिल है

2. उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित अनुसूची के क्रम सं. 3 पर मौजुदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

   i. संपूर्ण गाजियाबाद जिला जिसमें गाजियाबाद, मोदी नगर और लोनी तहसील शामिल हैं;

   ii. संपूर्ण हापुड़ जिला जिसमें हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर और धौलाना तहसील शामिल हैं;

   iii. संपूर्ण बुलन्दशहर जिला जिसमें बुलन्दशहर, सिकन्दराबाद, खुर्जा, शिकरपुर, डिबाई, अनूपशहर और स्थान तहसील शामिल हैं;

   iv संपूर्ण बागपत जिला जिसमें बागपत, बड़ौत और खेकड़ा तहसील शामिल है;

   v संपूर्ण मेरठ जिला जिसमें मेरठ, मवाना और सरधाना तहसील शामिल है;

   vi संपूर्ण गौतमबुद्ध नगर जिला जिसमें दादरी, सदर और जेवर तहसील शामिल है;

   vii संपूर्ण मुजफ्फरनगर जिला जिसमें मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, जनसथ और खतौली तहसील शामिल है।

Supply of Drinking Water

237. Shri Hari Chand Middha : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that there is not adequate drinking water supply in village Manoharpur in Jind Assembly constituency; and

(b) if so, the steps taken by Government to supply the adequate drinking water in the abovesaid villages?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) :

(क) नहीं श्रीमान जी, गांव मनोहरपुर को 55 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पीने की आपूर्ति की जा रही है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

Upgradation of Schools

299. Shri Rajdeep Phogat : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government High Schools of villages Santor and Rampura upto Government Senior Secondary School; if so, the time by which these schools are likely to be upgraded?

शिक्षा मंत्री (रामबिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान जी।

विद्यालय स्तरोन्नति के लिए निर्धारित मापदंड पूरे नहीं करते।

Construction of Four-Lane Roads

333. Dr. Pawan Saini : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to Four-Lane the roads from Pehowa to Yamuna Nagar and Saha to Ambala togetherwith the time by which these are likely to be Four Laned ?

लोक निर्माण मंत्री (नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

राज्य में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं संबंधी स्थगन प्रस्ताव संख्या-2 पर चर्चा की अनुमति

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा हरियाणा राज्य में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैंने इसे आज की कार्यसूची में ले लिया है। प्रस्ताव सदन के पटल पर रख दिया गया है।

अब मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की स्वीकृति के पक्ष में हैं, अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, चूंकि इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए सदस्यों की संख्या 11 से ज्यादा है इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(स्वीकृति प्रदान की गई।)

श्री अध्यक्ष : अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित की जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव है -

कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित की जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित की जाये।

(प्रस्ताव पारित हुआ।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-71 के तहत इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया है। सभी माननीय सदस्य दो घंटे के अंदर इस बारे में अपनी बात कह सकते हैं और दो घंटे के पश्चात् इस विषय पर चर्चा स्वत: समाप्त हो जायेगी। उसके बाद आज की बैठक की कार्य सूची के अनुसार सदन की कार्यवाही शुरू हो जायेगी।

माननीय सदस्यगण, मुझे श्री जय प्रकाश, विधायक से ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-30 प्राप्त हुई है जो कि समान विषय पर है। मैंने इसको स्वीकार करते हुए स्थगन प्रस्ताव संख्या-2 के साथ जोड़ दिया है इसलिए श्री जय प्रकाश, विधायक भी इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले सकते हैं। अब श्री अभय सिंह चौटाला अपना स्थगन प्रस्ताव पढ़ेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान् सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक तथा अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि आरक्षण के लिए मांग के बाद हाल ही की घटनाओं से, राज्य अभूतपूर्व हिंसा में डूब गया था जिससे जान-माल की हानि हुई। दुखद घटनाएं और अधिक दुर्भाग्यपूर्ण थी क्योंकि ये सरकार की ओर से जानबूझकर लापरवाही का परिणाम था क्योंकि सत्तारूढ़ दल के प्रमुख सदस्य भड़काऊ वक्तव्य दे रहे थे तथा सरकार को बाद के परिणामों की पहले ही प्रत्याशा की जानी चाहिए थी। सरकार न केवल प्रत्याशा करने में विफल रही परन्तु प्रतिक्रिया करने में भी बहुत धीमी रही जबकि स्थिति विस्फोटक थी। सेना के बुलाए जाने के कुछ समय उपरान्त सामान्य स्थिति दिखाई पड़ी, राज्य में बहुत से स्थान हिंसा तथा मौतों से तबाह हो गए थे।

यदि पूर्ववर्त्ती घटनाएं सत्तापक्ष के आदेश पर राजनैतिक और प्रशासनिक मशीनरी की विफलता को उजागर करती हैं तो हिंसा के उपरान्त जो प्रतिक्रिया अपेक्षित थी अपितु दयनीय भी थी। यह प्रत्यशा की गई कि सरकार कम से कम नुकसान की भरपाई के लिए तुरन्त पग उठाने की घोषणा कर सकती है। यह प्रत्याशा थी कि हिंसा के दौरान जिन लोगों की जानें गई हैं उनके परिवार को 25 लाख मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की जाएगी। यह भी प्रत्याशा थी कि सरकार सम्पत्ति के नुकसान के लिए अन्तिम अनुमान के आने तक पर्याप्त तदर्थ आधार पर मुआवजे की घोषणा करती। दोनों मोर्चों पर सरकार अपने संवैधानिक

कर्त्तव्य का निर्वहन करने में असफल रही, पहले राज्य के निवासियों की जान-माल की रक्षा करने के लिए तथा बाद में पीड़ितो को राहत प्रदान करने के अवसर पर भी विफल रही।

इस असफलता के दृष्टिगत, यह मांग की गई है;

हिंसा की ओर ले जाने वाली घटनाओं में सर्वोच्च न्यायलय के एक वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग स्थापित किया जाए;

जो लोग इस स्थिति से निपटने में अपना कर्तव्य निर्वहन करने में अपना निर्वहन करने में असफल रहे उनकी जिम्मेदारी तय की जाए, तथा;

इस देरी की स्थिति पर भी तुरन्त पर्याप्त राहत की जाये ताकि जल्दी से जल्दी पीड़ितों का जीवन का सामान्य स्थिति में आ जाए।

श्री अध्यक्ष : अब श्री जय प्रकाश जी भी अपना प्रस्ताव पढ़ेंगे।

श्री जय प्रकाश : मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक तथा अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर जो आरक्षण आन्दोलन हुआ था। जो मुआवजा किसी भी प्रकार का हरियाणा सरकार द्वारा आबंटित किया गया है या किया जाएगा क्या वह मृतक व्यक्तियों को दिया जाएगा या जाति के आधार पर आबंटित किया जाएगा या दिया जाएगा अगर मुआवजा आबंटित नही किया जाएगा तो मौजूदा सरकार द्वारा क्या क्राईटेरिया तय किया गया है इस महान सदन को बतलाने का कष्ट करें। इस सारे घटना क्रम की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से कराई जाऐगी क्योंकि अलग-अलग पार्टियों की तरफ से जो ओडियो वायरल हुई है उस में विरोधाभास बना हुआ है और हरियाणा की जनता यह जानना चाहती है कि इस ऐपीसोड के पीछे किन-किन असामाजिक तत्वों का हाथ है। ऐसे असामाजिक तत्वों का पता लगाना चाहिए जिन्होने इस प्रदेश के भाइचारे को बिगाड़ने का काम दिया गया है। मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि सरकार इस पर बताने का कष्ट करे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, फरवरी माह में "आरक्षण की मांग के बाद" प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगभग 80 घंटों तक हुई हिंसक घटनाएं नि:सन्देह दुर्भाग्यपूर्ण एवं दु:खद थीं। परन्तु यह कहना कि ये हरियाणा सरकार की इस मांग या आन्दोलन के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही की परिचायक है, पूर्णत: असत्य एवं आधारहीन है और स्थिति पर काबू पा लिए जाने के बाद सरकार द्वारा निर्दोष लोगों के जान और माल को हुई क्षति का आंकलन करने या उन्हें और तुरन्त सहायता देने में कोई भी ढ़ील दिखाए जाने का आरोप नितान्त गैर-जिम्मेदाराना एवं कपोल-कल्पित है।

मांग के प्रारंभ में ही सरकार ने वार्तालाप के माध्यम से हल निकालने का ठोस प्रयास किया। हरियाणा की जनता को विदित है कि 9 फरवरी, 2016 को सर्व जाट खाप के लगभग 70 प्रतिनिधियों के साथ 2 घंटे तक चली हमारी बैठक के तुरन्त बाद उन्होने अपनी आगामी 15 फरवरी की प्रस्तावित हरियाणा बन्द की कॉल वापिस ले ली थी। 31 मार्च 2016 तक मांग को पूरा करने का का मार्ग सुझाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी के गठन के हमारे निर्णय से वे लोग पूरी तरह सहमत थे। फिर भी, 12 फरवरी से ऑल इण्डिया जाट सभा ने मय्यड़ में रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। इस पर 13 फरवरी को उनसे एक बैठक करके यह

[श्री मनोहर लाल]

धनना भी समाप्त करवा दिया गया था। जब अगले दिन सांपला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा और फिर 15 फरवरी को दिल्ली-रोहतक रेलवे लाइन तथा रोहतक एवं झज्जर जिलों में कुछ सड़कों पर जाम लगा दिए गए तो हमने एक ओर तो भारत सरकार से आर.ए.एफ.की पांच कंपनियों की मांग की और दूसरी ओर मांग से जुड़ी सभी खापों, संगठनों एवं आन्दोलनकारियों के प्रतिनिधियों से 17 फरवरी को चण्डीगढ़ में एक और बैठक करने का निर्णय किया। लगभग 80 प्रतिनिधियों के साथ तीन घण्टे चली इस बैठक में आरक्षण देने के लिए विधान सभा में उचित बिल लाने का हमने आश्वासन दिया। आन्दोलनकारियों के प्रतिनिधि भी इससे सहमत हुए और धन्यवाद ज्ञापित करके सहर्ष चले गये परन्तु कुछ राजनैतिक दलों के लोग सरकार द्वारा आरक्षण की मांग को मान लेने के बावजूद आन्दोलन को जारी रखने के लिए आन्दोलनकारियों को भड़काते रहे जिसके फलस्वरूप 18 फरवरी, 2016 को आन्दोलनकारियों ने प्रदेश में 9 जगहों पर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया और राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजमार्गों पर 247 जगहों पर जाम लगा दिया। 17 फरवरी की बैठक में आये प्रतिनिधियों ने पूछे जाने पर बताया कि आन्दोलन का नेतृत्व कुछ ऐसे तत्वों के हाथ में चला गया है जो उनकी बात नहीं मान रहे हैं।

इसलिए 18 फरवरी, 2016 को मंत्रिमण्डल की बैठक करके स्थिति की समीक्षा की गई। इसके तुरन्त बाद भारत सरकार से अर्द्धसैनिक बलों की 50 अतिरिक्त कम्पनियों की मांग की गई तथा अगले दिन एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सभी राजनैतिक दल 19 फरवरी, 2016 को चण्डीगढ़ में हुई इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में भी आरक्षण के लिए विधान सभा के आगामी सत्र में एक बिल लाने का हमने आश्वासन दिया। बिल के ड्रॉफ्ट पर सभी विपक्षी पार्टियों ने अपने सुझाव देने की बात भी कही। बैठक में बनी सहमति के बाद सभी द्वारा अमन-चैन एवं भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की गई। लगभग 1 बजे समाप्त हुई इस बैठक से लगा कि प्रदेश में शान्ति बनी रहेगी।

परन्तु 2 घण्टे बाद ही रोहतक शहर में स्थिति अत्यन्त तनावपूर्ण हो गई क्योंकि लाठी, जैली, देसी कट्टे लेकर सैंकड़ों ग्रामीण शहर की सड़कों पर घूमने लगे। भीड़ से किसी असमाजिक तत्व ने बीएसएफ के जवान पर गोली चलाकर उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया। भीड़ ने घायल जवान को उपचार के लिए भी उठाने नहीं दिया तथा एम्बूलैंस और अन्य वाहनों को आग लगा दी। बढ़ती हिंसा देखकर लगभग 2.30 बजे बीएसएफ द्वारा आत्म-रक्षा में गोली चलाई गई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सांय 5 बजे तक रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, हिसार, जीन्द व कैथल के सभी उपायुक्तों को कर्फ्यू लगाने तथा इंटरनेट सेवाएं बन्द करने तथा सेना बुलाने के आदेश दे दिए गए। बढ़ती हुइ हिंसा को देखते हुए हर जिले में चण्डीगढ़ से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को विशेष रूप से तुरन्त रवाना किया गया। रोहतक में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को भी भेजा गया। हमने तुरन्त भारत सरकार के रक्षा मंत्री एवं गृह मंत्री से सम्पर्क किया। देर रात तक सभी जिलों में अर्द्धसैनिक बलों और भारतीय सेना को पहुंचा दिया गया। चूंकि सेना को सभी सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से रोहतक शहर पहुंचने में कठिनाई हो रही थी हमारे विशेष अनुरोध पर वायु सेना के हेलीकॉप्टरों को 19 फरवरी देर रात इस कार्य के लिए प्रयोग में लाया गया।

20 फरवरी को 100 कम्पनी अर्द्धसैनिक-बल और सेना के अतिरिक्त कालम मांगे गए। प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं सजग किया गया। मैंने बिलकुल

स्पष्ट आदेश दिये कि हर शहर में रात में पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और सेना के 1 से लेकर 5 अलग-अलग संयुक्त दल एवं मैजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की संयुक्त अगुवाई में पूरी रात हर शहर में गश्त करें, बल का प्रयोग करने से न झिझकें तथा किसी भी सूरत में उपद्रव न होने दें। दुर्भाग्यवश अत्यन्त प्रयास के बावजूद सोनीपत से सेना एवं अर्द्धसैनिक बल पूरी रात गोहाना तक नहीं पहुंच पाई। अत: 21 फरवरी की सुबह हैलीकॉप्टरों से अर्द्धसैनिक बलों को गोहाना उतारा गया।

हिंसा से प्रभावित सभी क्षेत्रों में उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा समुचित बल प्रयोग किया गया। पूरे घटनाक्रम में कुल 30 लोगों की मृत्यु हुई, और 320 व्यक्तियों को चोटें लगी जिनमें 72 पुलिस तथा सुरक्षा बलों के कर्मचारी सम्मिलित हैं। त्वरित तथा कड़ी कार्यवाही के कारण 22 फरवरी दोपहर तक स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया। देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी उग्र एवं हिंसक स्थिति को इतने कम समय में नियंत्रित कर लिया गया। और नि:संदेह विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मांग को मान लिए जाने के हर आश्वासन के बावजूद आन्दोलन हिंसक रूप ले गया।

आंदोलन की आड़ में जिन अपराधियों ने अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया है उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 21-03-2016 तक इस सम्बन्ध में 2087 मुकदमें दर्ज किए जा चुके है तथा 444 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आएं हैं जिससे पता लगता है कि इस उपद्रव के सूत्रधारों में कांग्रेस और लोकदल के कुछ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इस बारे में जॉच जारी है तथा जॉच पूरी होने पर स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी।

22 फरवरी सायं 4 बजे मंत्रिमण्डल की बैठक करके हमने आन्दोलन के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सभी सम्पतियों, चाहे आवासीय या वाणिज्यिक, के नुकसान के लिए पूरा मुआवजा देने तथा किसी भी प्रकार की हुई चूक के लिए नागरिक और पुलिस प्रशासन दोनों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका का तुरन्त मुल्यांकन करने के निर्णय लिए। आन्दोलन में मारे गए निर्दोष व्यक्तियों के आश्रितों को दस-दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का निर्णय भी उसी दिन लिया गया। सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त अपने स्व-आंकलित नुकसान के 25 प्रतिशत तक की अंतरिम सहायता देने का भी निर्णय लिया। विभाग की वेबसाइट पर ऑन लाईन आवेदन 24 फरवरी से लेने शुरू कर दिए गए। क्षति पूर्ति दावे के प्रोफॉर्मा उपायुक्त, एस.डी.एम. तहसीलदार और नगरपालिका कार्यालय में भी उपलब्ध करवाए गए। 19 मार्च, 2016 तक कुल 2198 दावे प्राप्त हुए। इनमें से 1997 दावों, जिनमें 1799 शहरी तथा 198 ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, को अंतरिम तथा अंतिम प्रतिपूर्ति के रूप में 28.17 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई। हर दावे का भुगतान सीधे प्रार्थी के बैंक खाते में RTGS से किया गया है।

23 फरवरी को हमने सभी सरकारी बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि जिन बीमा युक्त प्रतिष्ठानों में आगजनी, लूटपाट तोड़फोड़ आदि के कारण नुकसान हुआ है, उनके 15 दिन में बीमा क्लेम का निपटारा करें। 23 फरवरी को ही सभी बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तिय कम्पनियों को भी निर्देश दिये गये कि इन घटनाओं से प्रभावित एवं पीड़ित लोगों में से जो ऋण लेने के इच्छुक हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से, विशेषकर Differential Rate of Interest स्कीम जिसमें ब्याज

[श्री मनोहर लाल]

दर मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक है ऋण उपलब्ध करवाए जाएं। मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा इससे अधिक त्वरित गति से दिए जाने की कहीं कोई मिसाल नहीं मिलेगी।

22 फरवरी, 2016 की मंत्रिमण्डल की बैठक के निर्णय अनुसार बाद सरकार ने 25 फरवरी 2016 को श्री प्रकाश सिंह, जो कि सीमा सुरक्षा बल तथा उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत महानिदेशक हैं, को प्रशासनिक तथा पुलिस लापरवाही की जिम्मेदारी 45 दिन में तय करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने जांच प्रारंभ कर दी है। मुझे विश्वास है कि उनकी जांच रिपोर्ट निर्धारित समय में सरकार को प्रस्तुत हो जाएगी और इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाएगी।

इसके अतिरिक्त अब तक एक पुलिस महानिरीक्षक तथा दो उप पुलिस अधीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। एक पुलिस अधिकारी को भारतीय संविधान की धारा 311(2)(b) के अंतर्गत बर्खास्त भी कर दिया गया है। कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पूरे घटनाक्रम के पीछे साजिश का खुलासा करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो न्यायिक जांच का रास्ता हमेशा खुला है।

हरियाणा में हमेशा से 36 बिरादरी के लोग मिलझुल कर रहे हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम से हुए घावों को भरने तथा भाईचारा कायम करने में हम पूरी ताकत और तीव्रता से लगे हुए हैं।

मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार प्रत्येक हादसे से निपटने में सक्षम है। अपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, किसी निर्दोष को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाएगा तथा सारे फैसले गुण-दोष के आधार पर किए जाएंगे। जिस पुलिस तथा प्रशासनिक कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही पाई जाएगी उसे बख्शा नहीं जाएगा।

अंत में, मै सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब राजनैतिक तथा व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास करने का संकल्प लें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम सब एक साथ मिलकर प्रदेश के हित में फैसले करेंगे तो कोई भी अराजक तत्व प्रदेश की शांति को भंग करने का दु:साहस नहीं कर सकेगा।

श्री अध्यक्ष : अब इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी और प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते श्री अभय सिंह चौटाला जी इस विषय में अपने विचार रखेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये जो सारी की सारी घटनायें हुई इन घटनाओं की अब तक कितनी जांच हो चुकी है। जैसे यहां पर जो लिखित जवाब आया है उसमें यह बताया गया है कि 09 फरवरी, 2016 को खापों के प्रतिनिधि और जाट नेताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई। जब सरकार की उनके साथ बातचीत हुई थी जो आश्वासन आज दिये गये हैं अर्थात जो आश्वासन इन तमाम घटनाओं के बाद दिये गये कि हम आपको आरक्षण दे देंगे और यह

आरक्षण इसी सैशन में दे दिया जायेगा। ये सारी बातें अगर 09 फरवरी, 2016 की बैठक में कर दी जाती तो न तो लोगों की जाने जाती और जो सरकारी मशीनरी थी न तो उसकी तबाही होती, जो सरकारी दफ्तर थे न उनको ही कोई क्षति पहुंचाई जाती, जो दुकाने जली वे न जलती और जो दूसरे प्राईवेट प्रतिष्ठान थे उनमें से जो सामान लूटा गया वह सामान न लूटा जाता और न ही लूटपाट करने के बाद उनमें आग लगाई जाती। मैं यह बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि इस सारे घटनाक्रम के दौरान सरकार की प्रशासन पर बिल्कुल भी पकड़ नहीं थी। इसकी वजह से भी यह आंदोलन इतना उग्र और हिंसक हो गया था। आज के दैनिक ट्रिब्यून अखबार में यह खबर छपी है कि कोर्ट के सैशन जज की तरफ से यह कहा गया है कि उस दौरान जज भी दहशत की हालत में थे जो अपना घर छोड़ कर दूसरी जगह पर पनाह ले रहे थे। अगर आप चाहो तो मैं यह अखबार आपको दे सकता हूँ और आप इसको पढ़ सकते हैं। न केवल ये सारी बातें हुई बल्कि इस तरह की हिंसा को भड़काने के लिए लोगों ने किस-किस तरह के हथकंडे अपनाए यह भी मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने इसको बढ़ाने का काम किया और जिन्होंने पब्लिक तथा प्राईवेट सम्पत्ति को आग के हवाले किया वे कौन-कौन लोग थे और उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है? इसी प्रकार से इस जाट आंदोलन के दौरान जो हमारे प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे या हमारे शहीद थे उनकी प्रतिमाओं को भी तोड़ दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैथल में चौधरी छोटूराम की प्रतिमा को गर्दन से तोड़ दिया गया। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है उसके हिसाब से यह तो वहाँ के उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक ने रातों-रात उसको ठीक करवा दिया ताकि लोगों में किसी तरह का असंतोष न फैले और जाट समुदाय की तरफ से भड़क कर शहर में आ कर कोई नुकसान न कर दिया जाये। जिन लोगों ने इस प्रकार का काम किया है क्या सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है, क्या सरकार ने उन लोगों की पहचान की है कि वे लोग कौन थे? इसी तरह से झज्जर में राव तुलाराम की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाया गया, क्या सरकार ने उन लोगों की भी पहचान की है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, अगर पहचान की गई है तो क्या सरकार उन लोगों के नाम बतायेगी ? इसी तरह से जीन्द में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया जिसका जिक्र मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी किया था। उस एरिया में रहने वाले चाहे वे ब्राहम्ण थे, चाहे खाती थे या उस क्षेत्र के व्यापारी वर्ग के लोग थे, उन्होंने उनको रोका और कहा कि भाईयो चौधरी देवीलाल की प्रतिमा अगर आपको इतनी ही अच्छी लगती है तो एक-एक सबके घर में भिजवा देंगे लेकिन इसको तोड़ो मत। अगर आप इसको नुकसान पहुंचाओगे तो यहाँ के हालात खराब हो जायेंगे। इसी प्रकार से झज्जर में एक शहीद की प्रतिमा लगी हुई थी। शहीद किसी जाति विशेष के नहीं होते, वे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं और वे सबके होते हैं। उस शहीद की प्रतिमा को भी तोड़ा गया। अगर कोई किसी शहीद की प्रतिमा को तोड़ता है तो वह सबसे बड़ा अपराध करता है। जिन लोगों ने उस प्रतिमा को तोड़ा उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है, क्या आप उनके नाम भी हाउस में बताने की कृपा करेंगे ? इसी प्रकार से चौधरी देवीलाल की प्रतिमा को तोड़ने के लिए जो लोग घन और हथौड़े ले कर उस प्रतिमा पर जा चढ़े थे क्या आप उनके नाम भी हाउस को बतायेंगे तथा उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? अध्यक्ष महोदय, इस आन्दोलन के दौरान ऐसे लोगों के खिलाफ मुकद्दमे बनाए गये हैं जिनके पैरों में गोलियाँ लगी हुई हैं। जो अपना इलाज करवा रहे हैं और जिनको गोलियाँ लगी हुई हैं उनके खिलाफ 307 के मुकदमे दर्ज किये जा रहे हैं। जो लोग हिंसा फैला रहे थे, अखबारों के

[श्री अभय सिंह चौटाला]

माध्यम से या टेलीविजन पर भड़काऊ भाषण दे कर लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे, जो लोगों में भ्रम पैदा कर रहे थे उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है यदि की है तो सदन को बताया जाये कि किन-किन लोगों के खिलाफ सरकार ने क्या-क्या कार्रवाई की है ? हमने पिछले सवा साल से आपको बारी-बारी से यह बात कही थी कि प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए जिस तरह से आपकी पार्टी के सांसद राजकुमार सैनी जो कुछ बोल रहे हैं उस पर आप रोक लगाईये लेकिन उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई और वे इसी तरह से भाषणबाजी करते रहे। अगर समय रहते आप उन पर रोक लगा लेते तो इस प्रकार के हालात नहीं होते। इसके साथ-साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि इस आन्दोलन से प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है उसका भी आंकलन करवाया गया है या नहीं। जिस प्रकार से किसी ऐजेन्सी ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। उसने अपने आप नुकसान का आंकलन किया है या सरकार ने उससे सर्वे करवाया है, जिसने बताया है कि इस आन्दोलन के दौरान प्रदेश में 35 हजार करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अपने ब्यान में ये बात कही थी कि मैं बहुत जल्द सब लोगों को कम्पनसेट करने का काम करूंगा। आपने नुकसान के लिए जो राशि बताई है उसके मुताबिक तो सैंकड़ों करोड़ रूपये भी नहीं दिये गये हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप केवल और केवल छोटी-मोटी मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। जिनका असलियत में नुकसान हुआ है उनको कम्पनसेट करना चाहिए। अगर आपका प्रशासन सही होता और अगर आप अपनी जिम्मेवारी सही ढ़ंग से निभाते तो न तो कैप्टन अभिमन्यु जी की कोठी जलती और न ही श्रीमती गीता भुक्कल जी के घर को आग के हवाले किया जाता। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका था और प्रशासन फेल तब होता है जब सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाती। अगर सरकार कोई सख्त निर्णय लेती तो 100 फिसदी यह सब चीजें नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा कि जो कम्पनसेशन देने की बात थी जहां हजारों करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है क्या लोगों के बीच में केवल ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात रखकर केवल पीठ थपथपाने का काम करोगे या लोगों को कम्पनसेट करोगे। लोगों के जख्म पर मरहम लगाओगे या उसको ठीक करने का काम करोगे। मैं मुख्यमंत्री जी से ये सारी बातें जानना चाहता हूं।

हरियाणा विधान सभा के पूर्व विधायक का अभिनंदन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पूर्व विधायक श्री ईश्वर सिंह पलाका जी स्पीकर दीर्घा में उपस्थित हैं मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका स्वागत करता हूं।

राज्य में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव संख्या-2 पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, सारे आन्दोलन के दौरान शांतिपूर्ण धरने पर बैठे लोगों पर किस प्रकार से किन तत्वों ने रोहतक से आकर दंगा किया जो 19 तारीख तक सब शांति में थे और 19 तारीख के बाद किस प्रकार से पं. नेकी राम होस्टल में पुलिस ने दखल देकर वहां काफी बच्चों को पीटा उनको बहुत ज्यादा चोट मारी गई उनमें से 6 बच्चे मेरे इलाके के आस पास के थे, दो बच्चे पोहकरी खेड़ी गांव के थे और जो आस पास के बच्चे थे वह सारी रात लाखन

माजरा तक पैदल चले और उनके पास केवल निक्कर, बनियान और एक तोलिया था। उन्होंने अपने गांव में आकर आप बीती बताई कि हमारे होस्टल में बहुत भारी संख्या में पुलिस घूसी और हमें पशुओं की तरह पीटने लगी। मैं इस संबंध में पूछना चाहता हूं कि किस अधिकारी के निर्देश पर तथा किन कारणों से नेकी राम शर्मा होस्टल के अन्दर रात के समय पुलिस वाले भारी तादाद में घुसे? कौन से डी.एस.पी. के नेतृत्व में वह चले, किसके आदेश से चले इसकी जानकारी प्रशासन के पास होगी कि इसमें किसके आदेश थे और इस पर किस प्रकार से कार्रवाही हुई? मैं अपने जवाब में माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वह इसके बारे में बताएं। उससे अगले दिन यूनिवर्सिटी के गेट नं.-2 पर विद्यार्थी केवल अपना प्रदर्शन कर रहे थे तब अचानक उसी डी.एस.पी. ने वहां पहुंच कर लाठीचार्ज की और अचानक गोलियां चलाई गई और प्रशासन की तरफ से दावा किया जाता है कि उसमें बी.एस.एफ. के जवान घायल हुए लेकिन आज तक न तो उस बी.एस.एफ. के जवानों की शक्ल दिखाई दी और न ही उनका नाम बताया गया। अध्यक्ष महोदय, उनकी आड़ लेकर कर बच्चों को भड़काया गया और भड़काने के बाद तनाव पैदा किया गया। वह कौन सी शक्ति थी जिसने रोहतक में इस प्रकार की हरकत की। किन लोगों ने चाहे वह किला बाजार था, बड़ा बाजार था उसके अन्दर लूटपाट की वह लोग चिन्हित कर लिये जाने चाहिए थे। अगर वह चिन्हित कर लिए तो वह कौन थे? इसी प्रकार झज्जर में जो फायरिंग हुई उसमें जो विडियो सामने आई है मैं समझता हूं कि वह विडियो सरकार के पास भी होगी उस विडियो के अन्दर कुछ नहीं है केवल गलियां सुनी पड़ी हैं उसमें केवल दो आदमी मोटर साइकिल पर जा रहे हैं और उसके बाद पुलिस की जिप्सी से एक जवान कुदता है ए.के. 47 का बट मारता है, वह किसके आदेश पर मारता है उस समय तक झज्जर में कुछ नहीं हुआ था। अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से केवल एक बिरादरी को बदनाम करने के लिए ये 35 बिरादरी का नारा लेकर के आए। सदियों से हमारे हरियाणा के अन्दर भाई चारा है और सदियों से हम इक्ट्ठे रहते आए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सारे आरक्षण के आंदोलन की आड़ में सरकार की निष्क्रियता के कारण अपराध को फलने-फूलने तथा आगे बढ़ने का मौका मिला और 35 जात के ढ़कोसले पर एक जाति विशेष को बदनाम करने का काम किया गया। मैं जाट हूँ। मुझे गर्व है लेकिन मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मेरे द्वारा किसी दूसरी जाति की सार्वभौमिकता, स्वतंत्रता व निष्ठा पर उंगली उठाई जाये लेकिन दूसरी जाति को भी अधिकार नहीं है कि वह हमारी जाति की सार्वभौमिकता, स्वतंत्रता व निष्ठा पर उंगली उठाये। मेरे स्वर्गीय पिता जी सात बार पैप्सू, पंजाब तथा हरियाणा विधान सभा के बारी-बारी सदस्य रहे हैं। ये रिकॉर्ड की बात है डॉ मिढा जी सदन में बैठे है उनको भलीभांति पता है। वर्ष 1947 में जब पंजाबी बिरादरी पाकिस्तान से आई थी उस वक्त उनका सबसे बढ़कर स्वागत करने वाले थे। वे जब तक जीये उन लोगों के साथ रहे। इनका सुख-दुख में साथ दिया। आज हमारा समाज सुरक्षा चाहता है, इक्ट्ठा रहना चाहता है। विडम्बना देखिये आज 35 बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करके यह शपथ दिलाई जाती है कि हम जाट जाति के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे या फिर उससे कोई नाता नहीं रखेंगे। यह कौन सी सभ्यता है? क्या यह सरकार बतायेगी कि यह कार्रवाई देशद्रोह की कार्रवाई नहीं है। समाज को बांटने का काम देशद्रोह की कार्रवाई के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। पिछले शुक्रवार को माननीय मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने जाट समाज के कुछ सदस्यों को हरियाणा निवास में आमंत्रित किया था। इसके बाद पुलिस महानिदेशक का प्रैस कांफ्रेंस के माध्यम से एक बयान आया और शनिवार के दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर भी एक खबर आई कि जाट आरक्षण

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

आंदोलन में केवल जाट समुदाय के लोग ही शामिल नहीं थे बल्कि अन्य लोग भी शामिल थे। मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो लोग जाट आरक्षण के आंदोलन में शामिल हुए थे उनकी पहचान करने संबंधी कार्यवाही पूरी कर ही ली होगी। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि सरकार ने जो जांच की है और उसमें जिन लोगों के नाम सामने आये हैं, उन सबकी सूची सदन के सामने लाई जानी चाहिए। पुलिस महानिदेशक का बयान है कि उन्होंने उपद्रवी लोगों को चिन्हित कर लिया है। अत: उपद्रवी लोगों के नामों को सावर्जनिक करने की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रकरण के लिए सरकार की विफलता का कारण उसकी निष्क्रियता रही है। अगर इस जाट आरक्षण आंदोलन की जांच न्यायिक आयोग से करवाई जाये तो सच्चाई सामने निकलकर आयेगी और पता लग जायेगा कि दोषी कौन हैं। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि किसी दूसरी जाति के उपर आक्षेप लगा सके। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जानबूझकर की गई घटनायें तथा परस्पर विरोधी बयानों ने हरियाणा को बेबस और लाचार बना दिया था अत: इसकी इंक्वॉयरी न्यायिक आयोग के माध्यम से कराना अत्यावश्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचना मिलनी चाहिए कि क्यों 18 फरवरी की रात रोहतक के नेकी राम कॉलेज के हॉस्टल में पुलिस ने रात को घुसकर, किसके आदेश पर, किस डी.एस.पी. की अगुवाई में तथा कौन से अपराध के कारण वहां पर रह रहे एक जाति विशेष के विद्यार्थियों को पीटा गया। उसी रात को एन.डी.टी.वी. पर याहिया खां यूनिवर्सिटी में असामाजिक तत्वों के द्वारा लड़कियों के हॉस्टल में घुसने संबंधी एक क्लिप दिखाई जा रही थी जिसको बार-बार रोहतक के नेकी राम कॉलेज की घटना के साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी। जो पुलिस जे.एन.यू. में घुसने की गुरेज तक नहीं कर सकती वही नेकी राम कॉलेज के हॉस्टल में घूसकर लाठीचार्ज करती है, बहुत निन्दनीय है। मुरथल में एक फर्जी कांड के तहत हरियाणा के जाट समुदाय को बदनाम करने का काम किया गया। माननीय हाई कोर्ट ने, डी.जी.पी. साहब ने तथा सरकार ने अपनी सारी इंक्वॉयरी कर ली लेकिन बावजूद इसके एक भी घटना सामने नहीं आ सकी है। जिस अखबार ने, जिस ए.बी.पी. न्यूज चैनल ने इस फर्जी कांड के तहत जाट समाज को बदनाम करने के काशिश की तथा समाज को बांटने का काम किया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है उसके बारे में क्या माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बताने का कष्ट करेंगे? अध्यक्ष महोदय, समाज को बांटने वाली यह सभी घटनायें क्रमवार घटित हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपना जवाब दें तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का जवाब जरूर आयेगा।

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन साल बड़े ही मन से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था और मैं आज भी चाहता हूँ कि यह सरकार अच्छा काम करे और हमारा हरियाणा प्रदेश हर क्षेत्र में तरक्की करे। जिस प्रकार से इस सरकार का यह डेढ़ साल का कार्यकाल रहा है और इस दौरान आरक्षण आंदोलन की वजह से जो आगजनी तथा लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, इस तरह की घटनाओं से हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। आज सरकार पर उंगलियां उठती हैं, विपक्ष पर उंगलिया उठती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पर उंगलिया उठती हैं तथा नेताओं पर उंगलियां उठती हैं। हमें इसकी जड़ में जाना चाहिए कि किन लोगों ने इस घिनौने काम को अंजाम दिया। अभी मेरे भाई अभय जी ने दैनिक ट्रिब्यून का जिक्र किया है, अगर उसकी थ्योरी के अंदर देखेंगे तो सारी बातों का निचोड़ आ जाता है। अगर सम्मानित कुर्सी

पर बैठे हुए जज ने इस तरह की बातें कही हैं कि हम भी सुरक्षित नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी के घर को जला दिया गया था। इस प्रदेश में जब जज सुरक्षित नहीं है, प्रदेश के ऑफिसर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी सुरक्षित कैसे हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 1-2 अखबार की लाइनें पढ़कर सुनाता हूँ 'आंदोलन के संगठित फैलाव और बड़े पैमाने पर हुई हिंसा ने यह साफ दिखाया है कि कुछ ऐसी ताकतें थी जो पर्दे के पीछे से काम कर रही थी' अध्यक्ष महोदय, यह माननीय जज ने कोर्ट में ऑर्डर किया है। लोगों ने बिना सोये रातें गुजारी। कुछ बुजुर्गों ने तो इस हालात की तुलना देश के विभाजन के समय हुए खून खराबे से की है। इस मामले को बड़ी संजीदगी से लेना पड़ेगा। मेरे माननीय साथी श्री परमिन्द्र सिंह ढुल जी ने बड़े अच्छे ढंग से कहा है कि हरियाणा प्रदेश का आपसी भाईचारे का ताना-बाना बिगड़ गया है। जिस प्रकार से यह खबर आई है, मैं यह बात दिल से कहता हूँ कि हरियाणा में जहां-जहां इस प्रकार के हादसे हुए हैं, हर जगह व्यक्तिगत तौर पर गया हूँ और एक-एक व्यक्ति से मिला हूँ। हरियाणा प्रदेश के सभी दंगा प्रभावित इलाके जैसे झज्जर, रोहतक में भी गया हूँ। इसलिए मैं अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि लोगों का गुस्सा और लोगों की भावनाएं क्या थी? अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के लोगों ने कहा था कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि लोगों का गुस्सा नेताओं के खिलाफ है। मैंने कहा कि जब हरियाणा जल रहा हो और कुलदीप बिश्नोई घर बैठे जाये, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त ये घटनाएं हो रही थी, उस समय मैंने हरियाणा के उन दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था। जैसे ही आंदोलन समाप्त हुआ मैं उन इलाकों में गया जहां श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को लोगों ने जूते मारे थे और उनके भाषण सुनने के लिए अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिये थे। वहां के लोगों ने मुझे अपने गले लगाकर अपना दुखड़ा रोया था। मैं सदन में उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के नाम पर झज्जर में एक घर में मॉ और बेटी के साथ-साथ चार-चार आदमियों ने बलात्कार किया था। यह बात सुनकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस घिनौनी घटना में अफसर लोगों ने साथ दिया। हांसी हल्के के ढाणी पाल, जग्गा बाणा, सैनीपुरा में किस प्रकार से लोगों को चुन-चुन कर मारा था, यह सभी जानते हैं। हांसी हल्के के एस.डी.एम. श्री जगदीप सिंह और डी.एस.पी. श्री सन्दीप खड़े होकर तमाशा ही नहीं देख रहे थे बल्कि उपद्रवियों को और उकसा रहे थे। जब माननीय राज्यपाल महोदय को सर्वदलीय बैठक करके एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर ज्ञापन देने गए थे, उस समय मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा था। लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ नहीं हुई है। झज्जर के अंदर मुझे बताया गया था कि विरेन्द्र प्रजापत पुत्र श्री ओम प्रकाश जिसकी उम्र 22 साल थी, जो मीटर रीडर का काम किया करता था। जब वह मीटर ठीक करने जा रहा था, तो उपद्रवियों ने उसकी मोटर साइकिल को रोक कर उसकी जाति प्रजापत पूछकर कुल्हाड़ी से काट दिया, जिसकी फोटो उसके बाप ने मुझे दिखाई थी। अध्यक्ष महोदय, इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ, बाप के कंधों पर उसके जवान बेटे की अर्थी का होता है। अध्यक्ष महोदय, एक और हैरानी की बात यह है कि हरियाणा के ऑफिसर उसको कहते हैं कि आप इसको इक्सीडेंट में तब्दील कर दो आपको मुआवजे की राशि एक्स्ट्रा दे दी जायेगी। वे लोग अतिरिक्त उपायुक्त श्री नरवाल का नाम लेते हैं। क्या लोग सरकार से यही उम्मीद करते हैं? किन-किन उम्मीदों के सहारे लोगों ने हरियाणा प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उसी

[श्री कुलदीप बिश्नोई]

सरकार के अधिकारी एक्सीडैंट दिखाने की बात कहते हैं। जिन उपद्रवियों ने सर छोटू राम की मूर्ति तोड़ी है उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज होना चाहिए, जिन उपद्रवियों ने चौधरी देवी लाल की मूर्ति तोड़ी हैं उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री राजकुमार सैनी जिन्होंने शुरू से लोगों को भड़काने का काम किया है उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज होना चाहिए, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने आंदोलन को भड़काने का काम किया है उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज होना चाहिए और जिन तीन अफसरों का मैंने जिक्र किया है उनके खिलाफ भी मुकद्दमा दर्ज होना चाहिए। सरकार का काम लोगों का विश्वास जितने का होता है। अगर सरकार किसी दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं नहीं समझता यह भाईचारा कायम रहेगा। माननीय सदस्य श्री परमिन्द्र सिंह ढुल ने सही कहा है कि कोई 35 बिरादरी का नारा देता है और कोई सिर्फ एक बिरादरी का नारा देता है, यह हमारे प्रदेश के लिए घातक होता जा रहा है। मेरे ऊपर भी लोगों ने इस प्रकार के आरोप लगाए थे कि कुलदीप बिश्नोई जात-पात की राजनीति करता है। स्वर्गीय जननायक चौधरी भजन लाल ने कभी भी जात-पात की राजनीति नहीं की, मैं उन्हीं के दिखाए हुए पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। यदि हमने जात-पात की राजनीति करी होती तो हरियाणा ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के इतिहास में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने पूरे प्रदेश के अलग-अलग कोने से चुनाव जीते हों। आखिर क्या वजह थी जिससे हम लोग प्रदेश के प्रत्येक हिस्से से चुनाव जीते पाए। हम लोगों ने 36 बिरादरी को साथ लिया था। चौधरी भजनलाल ने फरीदाबाद से चुनाव जीता जोकि यू.पी. और दिल्ली के बोर्डर पर स्थित है। मैंने भिवानी और आदमपुर से चुनाव जीते हैं जोकि राजस्थान बोर्डर पर स्थित है। मेरे बड़े भाई ने कालका विधान सभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं जोकि हिमाचल और चण्डीगढ़ बोर्डर पर है, हमारे कजन श्री दूड़ाराम और चाचा श्री हरमान ने फतेहाबाद-टोहाना से चुनाव जीते हैं जोकि पंजाब बोर्डर पर है, चौधरी भजन लाल ने करनाल से चुनाव जीते हैं जोकि हरियाणा के मध्य में स्थित है। हमने कभी जात-पात की बात नहीं की। हमारे ऊपर भी विपक्ष के लोगों ने जात-पात का लांछन लगाया है। हमने आज तक कुल 31 चुनाव लड़े हैं जोकि देश में सर्वाधिक हैं। हम पर भी जात-पात के लांछन लगे हैं। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम सभी पार्टियों के लोगों को मिलकर प्रदेश में आपसी भाईचारे को वापस लाना है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी जब जवाब दें तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि मैंने गवर्नर हाउस में जिन अधिकारियों के नाम बताए थे उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है या नहीं? सरकार के कौन-कौन से मंत्री और प्रतिनिधि वहां पर गए और लोगों से मिले। चाहे वह ढ़ाणी पाल हांसी के अंदर था चाहे हांसी शहर के अंदर था लेकिन मैं जग्गाबाड़ा, ढ़ाणी पाल और सैनीपुरा के लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हांसी शहर को बचाने का काम किया। अगर ये लोग सामने न आए होते तो पूरा हांसी शहर आग के हवाले कर दिया जाता। भाई जय प्रकाश ने ठीक कहा है कि जात-पात के ऊपर जिन लोगों ने प्रदेश को जलाया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि सदन में जो मुआवजा देने का फैसला किया गया है तो मुआवजा देते समय वे नुकसान का आंकलन अवश्य करें। सरकार ने आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों को एक-एक नौकरी देने का वायदा किया है। आपकी सरकार को ऐसी घोषणा करने से पहले आंकलन करना चाहिए था क्योंकि किसी का नुकसान 2 लाख का हुआ है और किसी का 50 लाख का नुकसान हुआ है इस तरह सरकार को आंकलन के हिसाब से ही मुआवजा देना चाहिए।

आंदोलन के दौरान जो हुआ वह अच्छा नहीं हुआ। उपद्रवियों ने आंदोलन में पहले तो दुकानें लूटी और फिर दुकानें जला दी ताकि सरकार के पास कोई सबूत न रहे कि दुकानें लूटी गई हैं और उनमें कितना नुकसान हुआ है। अपराधी अपराधी होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। जात-पात से ऊपर उठकर मुआवजा राशि जारी की जानी चाहिए। मैं भाई जय प्रकाश की एक बात से डिफर करता हूं कि जिन लोगों की पुलिस या सेना की गोली से मौत हुई है उनका सरकार को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो भविष्य के लिए एक गलत संदेश जनता के बीच जाएगा कि पुलिस और आर्मी के ट्रकों को जला दो, तोड़ दो, पुलिस अधिकारियों को पीटो क्योंकि बाद में आपको मुआवजा तो मिल ही जाएगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : अध्यक्ष जी, विपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला ने आपसे जाट आरक्षण पर एक स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए अनुरोध किया था। किंतु उस समय आपने उनके अनुरोध पर स्थगन प्रस्ताव को लाने से अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उस समय यह हाउस की कार्यवाही के नियमों के मुताबिक ठीक नहीं था। उन्होंने 15-15 मिनट में हाउस को रोकने का प्रयास किया और हाउस रूका। आपने प्रयास किया कि हाउस को दोबारा चलाया जाए ताकि जाट आरक्षण के संबंध में चर्चा के लिए दिन निश्चित हो सके। भारतीय जनता पार्टी भी जाटों को आरक्षण देने के पक्ष में है। चर्चा के बाद एक प्रस्ताव लाकर प्रैस में भेजा गया कि श्री अभय सिंह चौटाला जाट आरक्षण के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आए है। आज हमारे सदन में श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा उपस्थित नहीं हुए हैं क्योंकि वे अढ़ाई करोड़ जनता का सामना नहीं करना चाहते हैं। भाई अभय सिंह चौटाला तथा भाई जय प्रकाश ने भी उनको बुलाने का प्रयत्न किया परंतु श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सदन में आना नहीं चाहते। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के समय वे हरियाणा की जनता से भागना चाहते हैं क्योंकि उनके मन में चोर है। पूरे प्रदेश में पंचायत के चुनाव शांति से हो चुके थे। 14 फरवरी को रोहतक में सर छोटूराम स्कूल में सरपंचों को शपथ दिलाई गई तब तक प्रदेश में माहौल अच्छा था। 14 फरवरी को दोपहर बाद जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री तथा श्री ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु के रोहतक से निकलते ही सांपला में धरना दे दिया गया। इस धरने के लिए भी सर छोटूराम की जमीन को चुना गया। इसी जगह पर उनकी जयंती मनाई जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में और प्रदेश में जाट आरक्षण के पक्ष में है। पिछले 10 सालों में रोहतक में एक साइकिल तक को भी नहीं रोका गया। पूरे प्रदेश में रोहतक को इस आंदोलन के लिए चुना गया और वहां आग लगाने का काम किया गया जोकि बहुत ही चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि इस देश और प्रदेश में ताऊ देवीलाल का बहुत बड़ा कद रहा है इसलिए भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सोचा कि शायद अभय सिंह चौटाला दोबारा ताऊ देवी लाल न बन जाए इसलिए उसने रोहतक में इस जाट आरक्षण आंदोलन को करवाया। पूरे प्रदेश में खासकर रोहतक को इस आंदोलन के लिए चुनने के लिए और आगजनी के काम के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वह कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा है और इसके प्रूफ आज हमारे सामने हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज के दिन रोहतक में चैक करवाकर देखा जा सकता है कि कैनाल रैस्ट हाउस के सामने कांग्रेस के पूर्व विधायक बी.बी. बत्तरा के घर का जो साइन बोर्ड है उसको टच तक नहीं किया गया। मैम्बर आफ पार्लियामैंट, शादी लाल बत्तरा जिसके घर के आगे का जो साइन बोर्ड है उसको टच तक नहीं किया गया। मनीष ग्रोवर के घर के बाहर जो साइन बोर्ड है उसको पूरी

[श्री मनीष कुमार ग्रोवर]

तरह तोड़ दिया गया। मनीष ग्रोवर के दफ्तर के साइन बोर्ड को तोड़ दिया गया और दफ्तर को जला दिया गया और दिल्ली की तरफ भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के घर की तरफ अशोक खुराना जी जो पार्षद हैं उसके घर के साइन बोर्ड को तोड़ा जाता है उसके बाद जैसे ही फाटक पार जाते हैं वहां सारी दुकानें जला दी जाती हैं। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के लोगों की जो दुकानें थी उनको टच नहीं किया जाता, इससे क्या संकेत जाता है ? इससे यही संकेत जाता है कि इस सारे कांड में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का हाथ था। यह जाट आरक्षण, जाट आरक्षण न होकर भूपेन्द्र आरक्षण था। कुर्सी की लालसा के कारण उसने ये सब काम करवाया। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का घर भी जला दिया गया। अध्यक्ष महोदय, कलानौर में जो घटना हुई उसको कुलदीप बिश्नोई जी देखकर आए होंगे और शायद अभय सिंह चौटाला जी भी वहां गए होंगे। इन्होंने शायद ठीक से चिन्हित नहीं किया होगा कि वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो दुकानें थी या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वालों की दुकानें थी उनको ही जलाया गया है। कांग्रेस के पदाधिकारियों में से किसी की दुकान को वहां टच नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं भाई जयप्रकाश जी से कहना चाहता हूं कि वहां तो कोई जाति की बात नहीं थी और वहां एक ही बिरादरी के लोग रहते हैं उसके बावजूद भी वहां कांग्रेस के नेताओं के पदाधिकारियों की दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानों को जला दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कांड योजनाबद्ध तरीके से किया गया है और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। अभी हमारे बारे में कहा जा रहा था कि 35 बिरादरियों की भारतीय जनता पार्टी वह संगठन और वह खून है जो सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलने वाली है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल जैन कौन था? वह वहां 35 बिरादरियों का नेतृत्व कर रहा था। मैं बताना चाहता हूं कि वह दीपेन्द्र हुड्डा का और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का खास चहेता था। उनके फोटो और होर्डिंग्ज वहां लगे हुए थे लेकिन जब यह घटना हुई उससे एक दिन पहले उसको संयोजक बनाया जाता है। उस समय जो कोर्ट के बाहर वकील बैठे थे वे लोग कौन थे ? मैं कहना चाहता हूं कि वे वकील भी उन्हीं के हैं और 35 बिरादरी भी उन्हीं की है। पूरे प्रदेश में 35-36 बिरादरी के भाई चारे को तोड़ने की जो कोशिश की गई है वह भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी की कोशिश है। पूरे प्रदेश के माहौल को जो खराब करने का काम किया गया है इस बारे में मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि इसमें भूपेन्द्र सिह हुड्डा का हाथ है। यह जाट आरक्षण आंदोलन कांग्रेस की ही देन है। पिछले हमारे विपक्ष के साथी जो सामने बैठे हैं वे आरोप लगाते थे कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा क्षेत्रवाद और जिलावाद की राजनीति करता है। कांग्रेस की सोच समाज को तोड़ना है और उन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन के माध्यम से समाज को तोड़ने का काम किया है। जिला की क्या बात करें उन्होंने तो गांवों को और शहरों को भी लड़ाने की कोशिश की है। आनन्द सिंह दांगी यहां बैठे नहीं हैं मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि उसने ताऊ देवीलाल परिवार का नमक खाया है। 25 फरवरी, 1990 को महम कांड में जब गोलियां चली थी तो वह किस तरह तूड़े में छिपकर राजीव गांधी के पास भाग गया था। आज उसने रोहतक को जलाने के लिए गांव से ट्रालियां भर भर कर शहर को उजाड़ने का काम किया है। मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन में आनन्द सिंह दांगी और उनके कार्यकर्त्ताओं का हाथ है। हमारी सरकार की सोच साफ और स्पष्ट हैं। हम जाट आरक्षण के पक्ष में हैं। हम जाति पाति से उठकर इस देश के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का इस देश में जाति पाति को तोड़ने में और भाई चारे को तोड़ने में सबसे बड़ा रोल है। मैं आज आपके माध्यम से

कहना चाहता हूं कि जो हानि इस प्रदेश में हुई है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कुछ अधिकारी भी इसमें इनवोल्व रहे हैं। उन अधिकारियों को लगा कि सरकार 5 साल की है दोबारा नहीं आयेगी। मैं कहना चाहूंगा कि वे अधिकारी गलती में हैं। जिस तरह से 2002 में गुजरात में सभी लोग और मिडिया वाले कह रहे थे की मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी लेकिन मोदी जी की सरकार लगातार वहां बनी। वहां से मोदी जी निकलकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार आगे भी प्रदेश में बनेगी लेकिन चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने जाट आरक्षण के माध्यम से हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। इस आंदोलन में जो कुछ हुआ उसमें जो अधिकारी इनवोल्व हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इस सारे मैटर की जांच करने के लिए आयोग बना है। मैं भी इस बात का पक्षधर हूं कि इस सारे मुद्दे की प्रोपर जांच होनी चाहिए। इसमें जिन अधिकारियों की इनवोल्वमैंट हो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले 10 साल हुड्डा जी के साथ मिलकर प्रदेश को लूटा है। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश, प्रदेश और समाज कभी भी इन कांग्रेसियों को माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।

सरदार जसविन्दर सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, गुरूवाणी में एक श्लोक है - गल्ली अस्सी चंगीया, आचारी बुरियां, मनहु कुसुधा कालीया बाहरि चिटविहाय। इसका सार यह है कि गलबात तो हम बहुत अच्छी करते हैं लेकिन हमारा आचार व्यवहार ठीक नहीं होता। हम लोगों का मन काला होता है और कपड़े हमने सफेद पहने हुए हैं। जिस जाट आरक्षण की बात की जा रही है यह केवल जाटों का नहीं बल्कि इसमें 5 जातियों को आरक्षण देने की बात है। (इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई।) पीछे दिसम्बर में जब सैशन चल रहा था उस समय भी हमने शंका जाहिर की थी कि भारतीय जनता पार्टी का कुरूक्षेत्र से सांसद श्री राज कुमार सैनी जाति विशेष के खिलाफ लगातार अनाप-सनाप बोल रहा है, जिसके कारण उस जाति का दिल बहुत दुख रहा है इसलिए उन पर लगाम लगाई जाए। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे तब यह बात कही कि उन्हें पाकिस्तानी कहा गया। मेरे भी पूर्वज पाकिस्तान से आये थे जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के पूर्वज आए थे। उस समय मुख्यमंत्री जी की आंखें नम हो गई थी। इस तरह जब किसी जाति विशेष को लगातार किसी द्वारा गालियां दी जाएं और उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जायेगी तो क्या हालात होंगे। दिसम्बर सैशन में जब मैंने कहा कि राज कुमार सैनी जिस प्रकार की भड़काऊ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस पर लगाम लगाई जाए तो हमारे सीनियर मिनिस्टर श्री राम बिलास शर्मा जी ने मुझे टोकते हुए कहा कि जो माननीय सदस्य इस सदन का सदस्य नहीं है उसका यहां नाम नहीं लिया जा सकता। शर्मा जी 5 बार जीतकर आए हैं और मैं 4 बार जीतकर आया हूं। मुझे भी सदन के रूल्ज, प्रोसीडिंग्ज और प्रोसीजर की पूरी जानकारी है। मैंने कहा कुरूक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं यह बोल देता हूं लेकिन उस समय मेरी बात को हंसी में टाल दिया गया। उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से 19 फरवरी को सर्वदलिय बैठक बुलाई गई, उस बैठक में मैंने दो सुझाव दिये। एक तो मैंने यह कहा कि 5 जातियों को सरकार आरक्षण देने के लिए तैयार है इसलिए अधिवेशन बुलाकर सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे और केन्द्र सरकार भी इसको लेकर अपनी मंशा स्पष्ट करे। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भाई भी आरक्षण के लिए तैयार हैं, हम भी इन पांच जातियों को आरक्षण देने के लिए तैयार हैं और सरकार भी तैयार है तो फिर देर किस बात की है। मैंने उस समय यह कहा था कि एक दिन का सैशन बुलाकर सरकार अपनी

[सरदार जसविन्दर सिंह सन्धु]

मंशा जाहिर कर दे कि सरकार की मंशा क्या है। दूसरा सुझाव यह दिया था कि मुख्यमंत्री जी आप अपनी पार्टी के सांसद राज कुमार सैनी जी को कहें कि उन्होंने जो बातें किसी जाति विशेष के लिए कही उसके लिए वे माफी न मांगे केवल खेद प्रकट कर दें ताकि प्रदेश में भाईचारे का माहौल बना रहे। मुख्यमंत्री जी ने उसी समय उनसे फोन पर 8 मिनट तक बात की लेकिन वे टस से मस नहीं हुए और वे अपनी आदत से बाज नहीं आए। इसी प्रकार से 35 और 36 बिरादरी की बात भी हरियाणा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा की गई। कुरूक्षेत्र से विधान सभा सदस्य श्री सुभाष सुधा जी यहां पर विराजमान है उन्हें पता होगा कि कुरूक्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा अपने आपको 35 बिरादरी का नेता बताते हुए एक मीटिंग का आयोज़न किया गया और यह आश्चर्य की बात थी कि उस मीटिंग में केवल मात्र 15 लोगों ने ही हिस्सा लिया। इन 15 लोगों ने ही 35 बिरादरी की बात की। वहां पर उपस्थित लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की कस्में उठाई गई। वहां पर हरियाणा प्रदेश के एक समुदाय विशेष के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उस मीटिंग की सारी सी.डीज़. और दूसरी जानकारियां हमारे पास भी हैं और सरकार के पास भी हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया जी, महर्षि बाल्मिकी जी का जन्म बाल्मिकी समाज में हुआ। उन्होंने भगवान श्री राम चन्द्र जी के बच्चों को शिक्षा व दीक्षा दी। इसी प्रकार से श्री गुरू गोबिन्द सिंह महाराज जी ने अपना सर्ववंश इस मुल्क की आन-बान और शान के लिए न्यौछावर किया। उन द्वारा इस मुल्क की बेहतरी के लिए लगातार लड़ाई लड़ने का काम किया गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का जन्म यादव वंश में हुआ और कंस भी उसी समाज में थे। किसी व्यक्ति के अच्छा-बुरा होने का जाति कोई मापदण्ड नहीं है। अच्छे-बुरे लोग हर जाति और हर वर्ग में होते हैं। चंद लोगों की वजह से हरियाणा प्रदेश में जो एक समाज को बदनाम करने का किस्सा दोहराया गया उसकी जितनी भी ज्यादा निंदा की जाये वह कम है। मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के जिन इलाकों में लोगों द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन किया गया लेकिन वहां पर भी सैंकड़ों लोगों पर मुकद्दमें दर्ज़ कर दिये गये। मेरे पेहवा हल्के में भी इसी प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोगों के खिलाफ मुकद्दमें दर्ज़ कर दिये गये। मैं चाहता हूं कि ये झूठे मुकद्दमें वापिस लिये जायें। इसी प्रकार से सफीदों से निर्दलीय विधायक श्री जसबीर सिंह देसवाल हैं उनके घर के ऊपर भी जिन लोगों ने हमला किया उनकी जानकारी भी सरकार को इस सदन में रखनी चाहिए लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया उल्टे मुकद्दमा इनके खिलाफ दर्ज़ कर दिया गया। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को अपने घर की सुरक्षा करने का अधिकार नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि यह जो एक सोची समझी साजिश थी चाहे प्रोफैसर विरेन्द्र सिंह थे और चाहे दूसरे लोग थे। जिन्होंने दुकानों को लूटने का काम किया, समाज के भाई चारे के माहौल को बिगाड़ने का काम किया उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही जल्दी से जल्दी की जाये। जो लोग इन उपद्रवियों द्वारा उजाड़े गये हैं और जिनके साथ सन् 1947 वाला किस्सा फिर से दोहराया गया है। सरकार को उन पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा कम्पनसेट जल्दी से जल्दी करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया जी, जब वर्ष 2013 में जो कांग्रेस की सरकार थी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली वह वक्फ बोर्ड से सम्बंधित कानून में एक अमैडमैंट लेकर आई थी जिसको बाद में प्रदेश में लागू कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदया, सन् 1947 के बाद जो पंजाबी सिक्ख समाज पाकिस्तान से उजड़ कर यहां पर आया था उस समय ऐसे हालात नहीं थे कि वे अपनी कोई दुकान या ज़मीन खरीद सकते। तब यह जो वक्फ बोर्ड की

ज़मीन थी वह शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के पास शुरूआत में 7-8 साल रही। उस समय इन लोगों को लगातार पट्टे पर ये ज़मीनें दी गई। तब से लेकर अब तक लगातार वे लोग उसका पट्टा भर रहे थे। अब जब 19 फरवरी, 2016 को सारे प्रदेश में आग लगी हुई थी। उस समय उन पंजाबियों की दुकानों को उपद्रवियों द्वारा लूट लिया गया और उनको उजाड़ा गया। इसके ठीक 2-3 दिन बाद ही उनकी बोली लगा दी गई। जिनकी आंखों के आंसू अभी नहीं सूखे थे अभी वे अपनी तबाही पर आंसू बहा रहे थे उनको उजाड़ने का काम हरियाणा प्रदेश का वक्फ बोर्ड कर रहा है। मैं इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह पट्टेदारों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इसलिए इस कानून को रोकना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार यहां पर एक रेजोल्यूशन लेकर आये और केन्द्र सरकार को लिखा जाये कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो गंदा कानून पास किया था उसको रद्द किया जाये। इसी प्रकार से मैं एक बार पुन: कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जिन लोगों के साथ ये ज्यादतियां हुई हैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा कम्पनसेट किया जाये। इसके साथ ही मैं यह मांग भी सरकार से एक बार फिर से करना चाहता हूं कि जिन उपद्रवियों ने यह ताण्डव किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये। धन्यवाद।

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : उपाध्यक्ष महोदया, वैसे तो यह डिस्कशन जाट आरक्षण के लिए रखा गया था लेकिन वक्फ बोर्ड के विषय पर हम भी सरदार जसविन्द्र सिंह जी के विचारों से सहमत हैं और हम इस विषय पर साथ हैं कि कांग्रेस के द्वारा पारित इस काले कानून को खत्म किया जाये।

श्री हरि चन्द मिड्ढा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं विनती कर रहा हूँ कि जब हम लोग पाकिस्तान से उजड़ कर आये थे उस समय हमारे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ आ कर हमने मेहनत की जिसके कारण हमारे परिवारों का 36 बिरादरी के साथ रिस्ता और प्यार बना रहा। लेकिन आज पंजाबी समुदाय के 2 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को रात की रोटी नहीं मिल रही हैं। आज उनके हालात देख कर आंख में आंसू आ जाते हैं। मैंने पानीपत, जीन्द, फरीदाबाद और बाकी हरियाणा से भी इस तरह की बात सुनी है और उनको देख कर आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं ज्यादा न कहते हुये हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जो शान्ति के प्रतीक हैं व भगवान का रूप हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भूखों को खिलाना, नींद से न जगाना खुश रखना और खुशियां देना ही आपके हाथ में है। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती सीमा त्रिखा) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह जो भारत देश है यह जो सबसे कम उम्र में शहीद हुये, शहीद-ए-आजम भगत सिंह जी का देश है। इसका नाम जब ऊंचाईयों के लिए चर्चा में आता है तो लोहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र आता है। कहीं पर महात्मा गांधी जी की चर्चा होती है और उस देश के एक प्रदेश हरियाणा में एक तांडव और एक जघन्य कुकृत्य किया गया जिसको तांडव ही कहा जा सकता है। उस तांडव को करने के लिए कुछ ऐसे लोग थे जो कि गलत मानसिकता रखते थे, खास तौर से जो भ्रष्ट राजनीतिक मानसिकता रखते थे क्योंकि जब से केन्द्र में माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और हरियाणा में

[श्रीमती सीमा त्रिखा]

श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो दो नारे दिये गये हैं। भारत और हरियाणा दोनों का इतिहास रहा है। आपने गरीबी हटाओ का नारा बहुत सुना होगा लेकिन गरीब बढ़ते चले गये और गरीबी हटी नहीं। उसके ऐवज में प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि "सबका-साथ सबका विकास" जो कि दिखाई देता था। ऐसा ही एक नारा शायद जिससे हरियाणा की 36 बिरादरी खुश थी और इस सदन में हर दल का चुना हुआ प्रतिनिधि इस बात को स्वीकार करता है कि मुख्यमंत्री जी का जो व्यवहार है वह सभी के प्रति बराबर है। इसी प्रकार का एक नारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिया कि "हरियाणा एक हरियाणावी एक"। जिससे यह दिखाई देता है कि वे 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको यह हजम नहीं हो रहा था क्योंकि जिनको सत्ता में रहने की आदत पड़ गई हो उनको जब कुर्सी से दूरी दिखाई दे और आने वाले 5 साल की भी दूरी दिखाई दे तो उन्होंने एक ऐसा षडयन्त्र रचा जिसमें एक विशेष जाति को आगे करके उनका गलत इस्तेमाल करके पूरे के पूरे हरियाणा में गलत काम करने का प्रयास किया। बातें बहुत होती हैं कि इस पूरे कांड में कई निर्दोषों की जाने गई हैं। जब सारा सर्वे हो कर रिपोर्ट आयेगी तब पता चलेगा कि निर्दोषों के साथ-साथ शायद कुछ दोषियों की भी जान गई हो। उपध्यक्ष महोदया, हम सब लोग बड़ी आसानी से यहां सब बातों पर चर्चा कर लेते हैं लेकिन एक व्यक्ति चाहे वह दोषी हो या निर्दोष हो जब वह अपने अन्तिम सांस लेता है उसकी वजह से कम से कम पांच महिलाएं बेसहारा होती हैं। उसकी पत्नी, उसकी माता, उसकी पुत्री, उसकी बहन और उसकी सास। उसके जाने के बाद ये पांच महिलाएं बेसहारा होती हैं और वह व्यक्ति चाहे सीमा के ऊपर गोली खाकर सहादत को प्राप्त होता है या वह व्यक्ति इस प्रकार के किसी ताण्डव के अन्दर किसी भी उपद्रवी की या किसी और माध्यम से गोली का शिकार होता है। लेकिन जिन लोगों को राजनीति करनी है उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है। इसमें जो सबसे बड़ी वजह रही है वह यही है कि कई लोगों की जानें चली जाएं और सरकार हिल जाए। मैं ऐसा मानती हूं कि श्री मोदी जी की सरकार में और श्री मनोहर लाल जी की सरकार में किसी को भी ए राजा और कन्नी मोजी देखने को नहीं मिल रहे हैं। जब ए राजा और कन्नी मोजी देखने को नहीं मिल रहे हैं तथा कुछ ऐसी चीजें हरियाणा सरकार के द्वारा पास की गई जिसका जीता जागता उदाहरण पंचायत के चुनाव थे। पंचायत के चुनावों ने सभी जातिय समीकरणों को तोड़ दिया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम 36 बिरादरी को साथ लेकर राजनीति में आते हैं लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो कहते हैं कि मैं पंजाबी हूं, मैं जाट हूं। मैं कहती हूं कि इस पूरे सदन में बैठे हुए एक भी आदमी न वह पंजाबी है, न जाट है, न गुर्जर है और न बनिया है। ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ ढ़ाई करोड़ लोगों के सेवादार हैं। चाहे वह किसी भी चुनी हुई प्रणाली से बन कर आए हों। मैं यह मानती हूं कि हमारे जो आई.ए.एस.,एच.सी.एस. अधिकारी हैं, वह भी चुनकर आते हैं। अगर हम लोग घर-घर वोट मांग कर बनते हैं तो ये भी पेपर देकर ही चुनकर आते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं ऐसा मानती हूं कि धर्म गुरू और राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स और शहीद यह किसी विशेष जाति के नहीं हुआ करते लेकिन इनके कर्म अच्छे हों तो सारी दुनिया खड़े होकर कहती है कि यह मेरे देश का है, यह मेरे फरीदाबाद का है, मैं इसकी माँ हूं। जब अपने पेट से गन्दी औलाद पैदा होती है तो माँ मानने से मना कर देती है कि इसको मैंने जन्म दिया है। यह स्वर होना चाहिए हमारे समाज का, ये स्वर होना चाहिए भारत की मिट्टी का, ये स्वर होना चाहिए भारत के संस्कारों का। लेकिन इस बात को

देख कर बड़ा दु:ख लगता है कि एक ऐसी शख्सियत क्योंकि जो आदमी चार-पांच बार सांसद रह चुका हो और जिस व्यक्तित्व ने ताऊ देवीलाल जी जैसे महान व्यक्ति को हराकर कुर्सी ली हो और जिस व्यक्ति ने लगातार दो बार हरियाणा का मुख्यमंत्री होने का गौरवमयी पद की प्राप्ति हुई हो और जिस व्यक्ति के परिवार की तीन पीढ़ियां लगातार भारत को सेवा देती रही हों। अगर ऐसा व्यक्ति ऐसी आपदा के समय में ईलाके को संभालने की बजाए हरियाणा को छोड़ कर दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर धरने पर जाकर बैठ गया। मैं तो धरने का अर्थ समझती हूं धरा हुआ अर्थात जो पड़ा ही रह गया जिनको कुछ करने की जरूरत नहीं है सिर्फ देखते रहो। यह ऐसे लोगों के खिलवाड़ का नतीजा है जो इतना लम्बा कांड हुआ। उपाध्यक्ष महोदया, बड़े दु:ख के साथ कहा जाता है जैसा कि पहले मेरे भाईयों ने भी बोला है कि लोगों के साथ टारगेट करके काम किया गया है और इसी तरीके से बोतल में पैट्रोल डालकर फैंका गया। यह सब जितना भी कुछ हुआ मैं ऐसा मानती हूं कि इसके पीछे राजनीति की प्यास और तड़प रही है। जैसे कहते हैं कि मछली को पानी से निकाल दो तो वह थोड़े समय के बाद तड़प-तड़प कर अपनी जान दे देती है। उपाध्यक्ष महोदया, ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनको सत्ता से दूर कर दो तो उनके भी प्राण जाने की नोबत आई होती है। मैं इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि जब सारा सदन और सभी लोग इस बात पर तटस्थ हैं कि यह जो भी कुछ हुआ यह राजनीतिक षड़यंत्र है तो उसकी जांच भी उसी प्रकार से की जाए। इस आरक्षण आंदोलन के दौरान जो पक्ष भी दोषी हैं चाहे वह ब्यूरोक्रेटस की तरफ से हैं जिनकी जिम्मेवारी थी या फिर वह उस पक्ष से हैं जो राजनीति से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाही जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे से पहले इस सदन में जाट आरक्षण आंदोलन पर तमाम तरह की बातें कही गई लेकिन मैं उसे न दोहराते हुए केवल यह कहना चाहूँगा कि सभी जाति व धर्म इंसान के बनाये हुए हैं अल्ला और ईश्वर ने तो केवल इंसान को बनाया है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई गांव या फिर कोई कस्बा बुरा नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदया, एक पुरानी कहावत है कि "बुरे होते हैं लोग- और बुरी होती है सोच" इस पुरानी कहावत को मेवात की 36 बिरादरी की जनता ने सच करके दिखाया है। मेवात मेरा क्षेत्र है इसलिए मैं इसकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग जो मेवात के बारे में अनभिज्ञ हैं वह मेवात के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि मेवात में जाट आरक्षण आंदोलन इसलिए शांत रहा क्योंकि यहां पर जाट बिरादरी के लोग नहीं रहते हैं। लोगों के दिमाग में यह भी धारणा है चूंकि आरक्षण पांच जातियों का आंदोलन था तो संभवतया इसमें केवल जाट बिरादरी के ही लोग आरक्षण से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे और अगर मेवात में जाट बिरादरी के लोग होते तो नि:संदेह उनका नाम भी आंदोलन में आता। इस बारे में मैं सदन को बताना चाहूँगा कि मेवात क्षेत्र में कम से कम एक लाख से उपर की आबादी जाट बिरादरी की है। तावडु और नूंह में 36 बिरादरियों के लोग रहते हैं। यहां पर सिख भी हैं, जाट भी हैं, मेव भी हैं, गुर्जर भी है, अहीर भी हैं और अन्य दूसरी जातियों के लोग भी यहां पर रहते हैं। जब हरियाणा प्रदेश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था तो उस समय भी मेवात क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों ने आपसी प्रेम व भाईचारा कायम रखा। मेवात के सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने तथा सहीं सोच रखने वाले समाजसेवियों ने भी मेवात क्षेत्र की सभी 36 बिरादरियों के समाज को संभाल कर रखा जिसके लिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, अगर जाति धर्म का कोई झगड़ा होता तो सन 1947 में जब पूरा देश जला था और रेलों में कटी लाशें पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान से भी रेलों में कटी हुई लाशें भारत

[श्री जाकिर हुसैन]

में आई थी, उस समय के तनावपूर्ण माहौल के बावजूद भी फिरोजपुर झिरका में जो पांडव कालीन शिवजी महादेव का एक झिरमय मन्दिर स्थित है, जिसमें देश-विदेश से लोग पूजा करने के लिए आते हैं तथा नूंह के नल्हड़ गांव में नल्लेश्वर महादेव जी का पाण्डव कालीन मन्दिर है जिसे पंजाब की एक बहुत बड़ी संस्था चलाती है,अगर हिन्दू-मुसलमानों के मन में जात-पात का फर्क तब आया होता तो आज यह पाण्डवकालिन मन्दिर नहीं बचने थे। माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी जैसाकि एक दिन कह रहे थे कि वह एक बार नहीं अनेकों बार मेवात में जाकर इन मन्दिरों के दर्शन करके आये हैं, इनको तो उन मन्दिरों की हालत बहुत अच्छी तरह मालूम है। सन 1947 में जब भारत-पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उसकी एक वजह थी। हमारे बुजुर्गों ने विभाजन के दुख को देखा है और झेला है। हम लोग रहने वाले इसी मेवात के हैं। मेरे दादा जी मरहूम यासीन खां जी लाहौर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। हमारी पाकिस्तान के लायलपुर में भी जमीन हुआ करती थी। उन्होंने लायलपुर की जमीनें छोड़ दीं, मुरब्बे के मुरब्बे छोड़ दिये लेकिन उसके बदले में भारत में जमीनें नहीं ली। यह देशप्रेम अकेले यासीन खां का नहीं था बल्कि उस समय भी सभी मेवातवासियों में यह देशप्रेम सर्वोपरि हुआ करता था। (इस समय पक्ष और विपक्ष के लोगों द्वारा मेजें थपथपाई गई) आज जो यह बात कही जा रही है कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान उपद्रव किसी एक विशेष जाति ने किया है या उसने किया है या इसने नहीं किया है, इस तरह की बातें केवल सोच पर निर्भर करती हैं। चौधरी यासिन खां का गुड़गांव में मकान हुआ करता था जोकि आज भी मौजूद है। सन 1947 में अंग्रेजों ने इस पूरी तिमंजली कोठी को आग लगवाकर जलवा दिया था। उनकी पूरी लॉ की किताबें जलवा दी गई। कारण मात्र यह था कि किसी भी तरह से मेवात की शांति भंग हो जाये। मेवात में सभी हिन्दुओं का कत्ल हो जाये, बात और भड़क जाये और मेव पाकिस्तान चले जायें। मेवों ने न कभी पाकिस्तान मांगा था और इसलिए पाकिस्तान गये भी नहीं। एक बार जब महात्मा गांधी जी नूंह के घासेड़ा गांव में गये थे तो उस वक्त मेरे दादा जी ने उनके सामने खुलेतौर से कह दिया था कि जनाब हम इस भारत वर्ष के बाशिंदे हैं हम पाकिस्तान नहीं जायेंगे और भारत में रहकर ही अपनी जान देंगे। आज हरियाणा प्रदेश की इन विकट परिस्थितियों में मेवात के लोगों ने देश का नाम उंचा किया है और यह साबित कर दिया है कि आदमी, जाति व धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो केवल मात्र आदमी की सोच पर निर्भर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, यह भी नहीं है कि मेवात में यह आरक्षण की आग न पहुंची हो। किरहा गांव में कुछ लोगों ने गऊशाला में इकट्ठा हो करके जाटो के गांव में भड़काने का काम किया था। माननीय मंत्री श्री धनखड़ जी को पता है कि हमारे गांव में वह बहुत बड़ी गऊशाला है। मैंने प्रशासन से कहा था कि आप उन लोगों के बीच में मत जाना। उपाध्यक्ष महोदया, मुझे विधायक बनाने से पहले, मेवात हल्के के 36 बिरादरी के लोगों ने चौधरी बना रखा है, जिस पर मुझे फख्र है, इसके लिए मैं हल्के के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उस धरने पर गया। वहां पर कुछ लड़के और बुजुर्ग बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि हमारे यहां तो सब ठीक-ठाक है और आपस में भाईचारा भी है। उन्होने बताया कि उनके पास टेलीफोन आ रहे हैं कि यहां तो आरक्षण के नाम पर कोई भी दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, तुम्हारा तो नाम मीडिया में छप नहीं रहा। चाहे आप डिटेल चैक करवा लिजिए। मैं भी उनके साथ मंडकोला की लोकल सड़क पर बैठ गया, पहले ही उस सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा रहती थी। लोगों के धरने पर बैठ जाने के कारण वह सड़क बंद हो गई। मैंने उनसे कहा कि अखबार की खबर बनाने के लिए आप मेरी गाड़ी का

शीशा फोड़ दो, इससे खबर बन जाएगी कि लोगों ने विधायक जी की गाड़ी का शीशा फोड़ दिया है। धरने पर बैठे लोग कहने लगे कि आपकी गाड़ी का शीशा क्यों फोड़े? मैंने कहा कि फिर अपनी गाड़ी का शीशा फोड़ लो। उपाध्यक्ष महोदया, ऐसी लाइटली बातें करते हुए सभी लोग अपने-अपने घरों में चले गये। मेवात हल्के में जाट आंदोलन में किसी ने साइकिल भी नहीं रोकी और ना ही किसी ने साइकिल में पंक्चर करने जैसा कोई छोटा नुकसान किया है। उपाध्यक्ष महोदया, इस घटना की माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत गहराई से जांच करनी पड़ेगी और दोषियों पर कार्रवाई करके जनता के सामने लाना पड़ेगा। असली दोषी तो वे हैं जो दूर से बैठ कर जाट आंदोलन को और तेज भड़काने का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ धारा 120-बी लगाई जाये। उपाध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि इस धारा 120-बी में हत्या कांड के ऊपर फांसी की सजा भी हुई है। इसलिए उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाना बहुत जरूरी है। सरकार ने आगे बढ़कर दंगा पीड़ित लोगों को मुआवजा देकर पुनर्वास करने का एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और इस प्रकार से उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। यह मुआवजा सभी लोगों को मिलना चाहिए चाहे उसमें कोई भी पुलिस की गोली से मरा हो या सेना की गोली से मरा हो क्योंकि जब आंदोलन होता है तो उसमें सभी लोग आंदोलन को भड़काने वाले नहीं होते बल्कि बहुत से निर्दोष लोग भी होते हैं। यह इस बात से साबित होता है कि जाट आरक्षण माननीय चौधरी देवी लाल जी के सिद्धांतों पर चलते हुए वर्ष 1990 में गुरनाम सिंह आयोग लागू हुआ था और माननीय मास्टर हुक्म सिंह जी ने जाटों और अन्य जातियों को भी इस आयोग में डाल दिया था। लेकिन आज जो इस बात के लिए दोषी हैं इन्हीं की सरकार आने के बाद गुरनाम सिंह आयोग में से उन लोगों को निकाल दिया और तब से आंदोलन लगातार चलता आ रहा है। आज ही लोग नहीं मरे उपाध्यक्ष महोदया जी पहले भी लाडवा के श्री सुनील श्योराण ने आंदोलन में शहादत पाई थी। वर्ष 2011 के आंदोलन के दौरान विजय कड़वासरा और संदीप कड़वासरा भी शहीद हुए थे। आज जो आंदोलन हुआ है, वह राजनीतिक के लिए नहीं हुआ है, यह जो एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की बात हुई है। राजनीति की सोच रखने वाला व्यक्ति जानता है कि एक बिरादरी से तो गांव का पंच भी नहीं बन सकता विधायक और सांसद बनना तो बहुत दूर की बात है। हमारे देश की सीमाओं पर जब विदेशी हमला करते हैं, उससे भी ज्यादा घिनौना अपराध हमारे समाज के ऊपर आक्रमण करने का हुआ है। इसमें शामिल उन उपद्रवियों को छांटकर सख्त से सख्त सजा दिलवानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने कहा है कि पुलिस और सेना की गोली से कोई भी मरे उसको मुआवजा का हक नहीं मिलना चाहिए, मैं उनकी भावना का आदर करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, यह बात तो ऐसी हो जाएगी जैसे हम सेना और पुलिस को परमिट दे रहे हों कि आंदोलन में कोई भी दोषी या निर्दोष शामिल हो उनको गालियों से भून दो। इसका मतलब यह होगा कि एमरजैंसी से भी बड़ा काला कानून इस देश में लागू करने की पहल हो रही है। जिससे कोई भी अपने हक की आवाज नहीं उठा सके। आंदोलनों के दौरान वर्ष 1977 में स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण जी, श्री मोरारजी देसाई, चौधरी देवी लाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जेल भी काटी थी इसलिए इस तरह के लाइसैंस देना गलत होगा। जो व्यक्ति इस आंदोलन में मरे हैं वे कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं थे वे हमारे ही नौजवान भाई थे। जिन लोगों की सम्पत्ति इसमें जलाई गई है सरकार को उन्हें पूरा मुआवजा देना चाहिए। मरे हुए व्यक्ति के परिवार को एक सरकारी नौकरी भी अवश्य देनी चाहिए। मुरथल का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे प्रदेश की 36 बिरादरी के भाईचारे के अमन-

[श्री जाकिर हुसैन]

चैन के लिए घातक है। इसी आंदोलन के दौरान एक अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटना मुरथल कांड के रूप में उठाई गई है। अगर यह घटना सच्ची है तो इससे शर्मनाक दूसरी कोई बात हमारे प्रदेश के लिए नहीं हो सकती। हरियाणा सरकार ने हाइकोर्ट में एफिडेविड दिया कि इस तरह की मुरथल में कोई घटना नहीं हुई। सरकार ने इस घटना की जांच के लिए दो सीनियर ऑफिसर्ज एडिशनल चीफ सैक्रेटरी श्री देवेन्द्र कुमार और आई.जी. श्री परमजीत अहलावत की कमेटी बना दी। ये दोनों अधिकारी मौके पर गए और मुरथल घटना की जांच की। इन्होंने रिपोर्ट दी कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। प्रदेश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक आई.जी. को नियुक्त किया लेकिन उन्होंने वहां पर इंकवायरी के दौरान एक भारी चूक की। वे जांच स्थल पर बिना वर्दी के गई हुई थी। वह कंडक्ट के खिलाफ है। पंजाब पुलिस रूल्ज के अनुसार किसी भी पुलिस अधिकारी जांच के लिए बिना वर्दी जाना अलाऊ नहीं है। उस पुलिस अधिकारी को जांच स्थल पर देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहां पर सरकार अधिकारियों को चहलकदमी करने के लिए भेज रही है। आप चाहे तो इसके वीडियो क्लिप भी देख सकते हैं। पंजाब पुलिस रूल्ज के अनुसार किसी भी अधिकारी को किसी सरकारी फंक्शन या जांच के लिए जाना हो तो पुलिस की वर्दी पहनना उसके लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि कोई पुलिस अधिकारी उच्च पद पर है तो वह निक्कर और पैंट में ही जांच करना शुरू कर देंगे और महिला पुलिस अधिकारी भी मनमर्जी से कपड़े पहनकर जांच करना शुरू कर देगी। अगर ऐसी घटनाओं को इग्नोर किया गया तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। अधिकारियों को चाहिए कि वे घटना-स्थल पर अपनी पूरी वर्दी पहनकर ही जाएं। इस घटना को सरकार को बहुत ही गम्भीरता से लेना चाहिए। मुरथल कांड की वजह से प्रदेश के मान-सम्मान पर प्रश्नचिह्न लग गया है। अगर मुरथल में ऐसी घटना हुई थी तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी तो सरकार को वीडियो क्लीप्स के आधार पर खड़े झूठे गवाहों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इस घटना को भड़काने वालों का पता लगाना चाहिए कि इसके पीछ कौन थे और गवाहों ने अपनी गवाही क्यों बदली ? माननीय मंत्री जी सदन में बताएं कि ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई हो रही है। आज फिर से जो लोग वर्ष 1947 में पाकिस्तान से उजड़कर आए थे उनको उजाड़ने की कोशिश हो रही है। मेरे क्षेत्र में भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से उजड़कर आए थे। गुड़गांव के सबसे प्रसिद्ध दुकानदार लाला श्यामलाल बजाज हमारे यहां पर रहे थे। उपाध्यक्ष महोदया, लालपुर के एक बहुत बड़े रईस लाला काशीराम तनेजा जी का जब घर जल गया था तो वे हमारे घर में रहे थे। उन्होंने हमारे दादा जी से कहा कि हम मकान खाली कर देते हैं, आप अपने घर में रह लीजिए। लेकिन हमारे दादा जी 6 महीने तक जामा मस्जिद के एक कमरे में तब तक रहे जब तक उनको पंडित जवाहर लाल नेहरू से मकान नहीं दिला दिया। उस घर की मरम्मत तक लाला काशीराम ने कराई थी। आज हरियाणा वक्फ बोर्ड के काले कानून के माध्यम से उनको फिर से उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि कुछ धनाढ्य लोग छोटे-मोटे किराये पर चल रहे हों लेकिन ज्यादातर 80-90 प्रतिशत लोग वे लोग हैं जो 30-40 साल से बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, आज दबंगों और पैसे वाले लोगों के मुकाबले वे लोग भला कैसे रह सकते हैं। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : जाकिर हुसैन जी, आपका 15 मिनट का समय पूरा हो चुका है।

डॉ. पवन सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, काम रोको प्रस्ताव के ऊपर एक सदस्य 15-15, 20-20 मिनट तक बोल रहा है। आपको इनके लिए समय-सीमा रखनी चाहिए। अगर किसी सदस्य को अपनी बात कहनी है तो उसी समय-सीमा के भीतर कहनी चाहिए। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह रोहतक में वकील बैठे थे। उनके ऊपर इन लोगों ने हमला किया। वे 35 बिरादरी के लोग नहीं थे बल्कि सिर्फ एक ही बिरादरी के लोग थे। आपको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया : सदन की कार्यवाही की नियमावली के मुताबिक स्थगन प्रस्ताव पर कोई भी सदस्य 15 मिनट से ज्यादा समय तक नहीं बोल सकता।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, निश्चित रूप से हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में 3-4 दिन का ऐसा काल है जिसमें कुछ महापुरूषों की मूर्तियों का भंजन नहीं किया गया बल्कि पूरे हरियाणा की मूर्ति का भंजन किया गया है। वास्तव में इस मूर्ति भंजन का जो दोषी है उसको पहचानकर पब्लिक के सामने लाना और उसको उचित सजा मिले यह इस सारे सदन की मंशा है। जिस विषय को लेकर यह आंदोलन हुआ उसके बीज भी कांग्रेस पार्टी ने बोये थे। यह सारा सदन जानता है कि किस तरह से पॉलीटिकल बैनीफिट के लिए और सारे नियमों को ताक पर रखते हुए उन्होंने यह रैजोल्यूशन पास किया था। बैकवर्ड क्लासिज कमीशन ने उसको क्यों नहीं माना इसकी कोई सफाई न देते हुए चलते चलते उन्होंने एक रैजोल्यूशन पास कर दिया। वे एक नोटिफिकेशन करके आरक्षण देकर चले गए। आज उसका जो अंजाम होना था वही अंजाम हुआ और सर्वोच्च न्यायालय से इसके खिलाफ निर्णय आया। हमारी केन्द्र सरकार की संजीदगी है और मेरे दल की संजीदगी है कि ज्यों ही सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया त्यों ही मेरी पार्टी के अध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री ने समाज के सभी लोगों से मिलकर उनको आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहिए और हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे और हम आपके पक्ष में खड़े हैं। एक विषय चल रहा था कि इस रास्ते को अगर आगे बढ़ाना है तो बैकवर्ड क्लास कमीशन के माध्यम से ही बढ़ेगा। बैकवर्ड क्लास कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, जिस प्रकार के सदस्य उस कमीशन में मौजूद हैं, शायद यह रास्ता इतनी जल्दी नहीं निकलेगा और इसमें कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। चूकि कमीशन में भी कांग्रेस के समय में राजनीति थी और उस कमीशन में कांग्रेस के ही अपॉइंटिड लोग थे। आरक्षण देने के लिए भी हरियाणा की कांग्रेस पार्टी लगी थी और आरक्षण रोकने के लिए भी हरियाणा की कांग्रेस पार्टी लगी थी। यह खुली बात है कि कौन किस के प्रभाव में था और कौन क्या कर रहा था। सभी प्रमुख खापों के लोग और ये आंदोलन कराने वाले लोग हरियाणा भवन, दिल्ली में मुख्यमंत्री महोदय से मिले और उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि हम पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़े हैं। सम्पूर्ण समाज धैर्य से प्रतीक्षा कर रहा था कि इससे कुछ रास्ता निकलेगा। पुनर्विचार याचिका भी केन्द्र सरकार की तरफ से दी गई। हरियाणा की हाई कोर्ट में भी हमारी सरकार ने अपना पक्ष रखा और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद हम उन नौकरियों को भी उन समाज के लोगों के लिए खाली रखेंगे तथा जब हमारे पक्ष में निर्णय होगा हम तब ये नौकरियां समाज के उन लोगों को देंगे जिसके लिए ये आरक्षण होगा। एडमीशन की सीटों को भी हमने खाली रखा लेकिन जब दाखिले की आखिरी तारीख आ गई और हमें लगा कि इन सीटों का लाभ किसी को

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

नहीं मिल पाएगा और ये सीटें खाली रह जाएगी तब हमने निर्णय लिया कि इन सीटों पर दूसरे लोगों को एडमिशन दे दिया जाए ताकि कोई तो पढ़ ले और जब निर्णय आ जाएगा तब ये सीटें उसी समाज के लोगों में आबंटित कर देंगे। आंदोलन करने वाले समाज के प्रतिनिधि करनाल में मुख्यमंत्री महोदय से मिले और मुख्यमंत्री महोदय ने उनको कहा कि हम पूरी तरह से इस विषय पर काम कर रहे हैं और पूरी तरह से इस विषय पर जो रास्ता केन्द्र से बनेगा उस रास्ते के हिसाब से सारी व्यवस्था करेंगे। सम्पूर्ण समाज में पोजीटिविटी थी और मुख्यमंत्री जी पर उनका भरोसा था। एक बात वातावरण में चली कि शायद केन्द्र में कोई ऐसा विषय आगे बढ़ सकता है कि जिन जातियों को पिछड़े वर्ग में राज्यों में आरक्षण है सैंटर में ज्यों का त्यों दे दिया जाएगा। शायद इसके समर्थन में कोई कानून केन्द्र में बनाने की बात चल निकलेगी। ऐसा वातावरण बना था। उस वातावरण के बनने से एक बात यह निकली कि राजस्थान, यू.पी. और एम.पी. के जाटों को आरक्षण मिल जायेगा क्योंकि उनकी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आया। जबकि हरियाणा में स्टे हुआ है इसलिए हरियाणा में कठिनाई आयेगी। इसलिए हरियाणा इस तरह की व्यवस्था करे कि किसी तरह की दिक्कत इसमें न रहे और यह अपेक्षा पूरी हो जाए। सरकार और मुख्यमंत्री जी के सामने यह बात आई तो उन्होंने कहा कि जो भी समाज के लोग कहते हैं उनको बुला लिया जाये और जिस भी तरह से आगे बढ़ना है सरकार खुले मन से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। 9 फरवरी को 55 लोगों से इस आरक्षण को लेकर खुले मन से एक-डेढ़ घंटे मुख्यमंत्री जी के निवास पर बात हुई। उसमें यह बात निकली कि चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए और कमेटी के जो भी सुझाव आयेंगे उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी इस कमेटी की जल्दी रिपोर्ट चाहते थे लेकिन हैपनिंग हरियाणा और बजट सत्र होने के कारण 31 मार्च का समय दिया गया है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो प्रतिनिधि उस मीटिंग में आए थे उनसे बहुत अच्छे वातावरण में बात हुई थी और वे सरकार पर भरोसा करते हुए वापिस गए थे। उस मीटिंग में कोई छोटा ग्रुप नहीं आया था। उस ग्रुप ने मय्यड़ में धरना शुरू किया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी से तथा मेरे से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि यदि वहां जाकर उनसे सही वातावरण में बात हो जायेगी तो वे धरना उठा लेंगे। मैं बात करने के लिए उनके पास गया। शायद यह 11-12 फरवरी की बात है। मैंने उनसे बातचीत की और वे उससे संतुष्ट हो गये थे तथा रात को ही उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया था। उसके बाद 14 तारीख को सांपला में रैली की गई। वह रैली यह कहकर की गई कि पुराने रोहतक के लोग रैली करना चाहते हैं। हमने पूछा कि क्या विषय है तो कहा गया कि कोई विषय नहीं है केवल अपनी बात दोहराना चाहते हैं और रैली करेंगे, उसके पश्चात् चले जायेंगे। रैली होने के बाद जो आयोजक लोग थे वे चले गये। लेकिन उस रैली में से 150 लोगों ने सांपला में धरना शुरू कर दिया जिनमें कोई आंदोलनकारी नहीं था और न ही समाज की खापों के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 150 लोग वहां सड़क पर बैठ गए। एक बार लगा कि यह शायद कोई तत्कालिक बात है और कुछ घंटों में लोग उठ जायेंगे जैसे मय्यड़ का विषय चला था उसी तरह लोगों के इगो सैटिस्फैक्शन की बात होगी। लेकिन समाज में चारों तरफ कहीं ऐसा नहीं दिख रहा था कि सरकार की बात पर लोगों को भरोसा नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि षड़यंत्र भी सांपला से शुरू हुआ। आंदोलन अलग है, समाज अलग है इसमें से व्यक्तियों को हटा दिया गया तथा स्थान को इम्पोर्टैंट बना दिया गया। कहा गया कि सांपला उठेगा सब उठेंगे। सांपला बैठा है तो सब बैठे हैं।

व्यक्ति की बजाए स्थान को महत्वपूर्ण बना दिया। वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे बात की जा सकती। अगर हम गहराई से देखें तो हम यह पायेंगे कि यह सब कुछ एक तयशुदा षड़यन्त्र के तहत किया गया। हम सभी जनप्रतिनिधि हैं और यहां पर चुनकर आयें हैं। हम सभी को इस बारे में अच्छी जानकारी होती है। इस सारे मामले में भी एक स्थान विशेष को महत्वपूर्ण बनाया गया था। उस स्थान विशेष पर जो लीडरलैस ग्रुप बैठा था वही यह तय कर रहा था कि क्या हो और क्या नहीं हो। जब ऐसा लीडरलैस ग्रुप निर्णय करता है तो उस ग्रुप में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बुरा बोलता है सारी की सारी कार्यवाही उसी व्यक्ति के हिसाब से चलती है। मैं लगातार आंदोलनकारियों से सम्पर्क बनाए हुए था। मुझे यह भी बताया गया था कि अगर एक बार मैं वहां आ जाऊंगा तो शायद सभी लोग मान जायेंगे। जो इलाके की प्रमुख खापों के प्रतिनिधि थे मैंने उनसे इस सारे मसले को सुलझाने के लिए बात की उन्होंने कहा कि हम प्रयास करते हैं इसलिए सुबह एक बार आप आ जाईए हम भी वहां आ जायेंगे। उन्होंने मुझे यह बताया कि उन्होंने वहां पर रैली तो ज़रूर की थी लेकिन उन्होंने वहां पर धरने का कोई फैसला नहीं किया था। उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से यह बताया था कि वे वास्तव में धरने पर बैठना भी नहीं चाहते थे लेकिन हमारे ना चाहने के बावजूद भी कुछ लोग धरने पर बैठ गये हैं। उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया कि फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं वे अपना धरना समाप्त करके वहां से उठ जायें। उस दिन मैं एक विवाह समारोह में बहादुरगढ़ गया था इसलिए उस रात को मैं बहादुरगढ़ में ही रूक गया था क्योंकि मेरे मन में यह विचार था कि सुबह साँपला जाकर उस धरने इत्यादि को खत्म करवाऊंगा। इस प्रकार 15 फरवरी, 2016 को सुबह 09.00 बजें मैं साँपला में धरना स्थल पर गया। उस इलाके की सभी प्रमुख खापों के प्रतिनिधि भी मेरे कहने के मुताबिक वहां पर हाज़िर थे। उस समय सभी ने एक स्वर से मुझसे यही मांग की कि वे यह चाहते हैं कि मैं विधान सभा के मार्च में होने वाले सत्र में जाट आरक्षण के मुद्दे को उठाऊं। जाट आरक्षण का मुद्दा तो इससे पहले भी लगभग विधान सभा के हर सत्र में उठता रहा है इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। उनको मैंने सरकार की कमिटमैंट बताते हुए कहा कि विधान सभा के मार्च में होने वाले सत्र में हमें इस मुद्दे को उठाने में कोई आपत्ति नहीं है इसलिए हम इस मुद्दे को ज़रूर उठायेंगे। मेरे इतना कहने पर ही वहां पर उपस्थित 95 प्रतिशत लोग सहमत हो गये कि अगर आपने यह आश्वासन दे दिया है तो अब हमारा धरना समाप्त है इसलिए अब हम यहां पर नहीं बैठेंगे। सभी प्रमुख खापों के प्रतिनिधियों ने भी यही कहा लेकिन 4-5 लोगों ने उनके विपरीत बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने यह कहा कि हम नहीं उठेंगे। उनके ऐसा कहने पर जो बड़े लोग थे वे बड़े लज्जित हुए। उन्होंने उनके आगे हाथ भी जोड़े और यह भी कहा कि वे उनके पिता के समान हैं लेकिन वे 4-5 लोग नहीं माने। उन्होंने बाद में मुझसे कहा कि हम तो चलते हैं और अब आप भी निकल जाईए। उन्होंने मुझे यह भी कहा कि उनको उठाने की वे एक कोशिश और कर लेते हैं। उन 4-5 लोगों के कारण जो बड़ी उम्र के लोग थे वे काफी बुरा महसूस कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको यहां पर बुलाया। आपने यहां आकर हमारी मांग को भी स्वीकार कर लिया लेकिन इसके बावजूद भी 4-5 लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। जो लोग उस समय धरना उठाने के लिए नहीं मान रहे थे उनमें से दो लोग अभी जेल के अंदर हैं। कुछ लोग जो बचे हैं वे भी जल्दी ही जेल के अंदर हो जायेंगे। वे कौन लोग थे इसकी जानकारी लगभग सभी को है। मैं वहां से निकला तो साँपला के अगले चौंक पर रास्ता बंद था क्योंकि 15 फरवी, 2016 को रोहतक में सरपंचों का शपथ ग्रहण समारोह होना था। जब मैं

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

वहां से निकला तो इस्माईला में रास्ता बंद था। यह मैं आपको सुबह 09.30 बजे की बात बता रहा हूं। मेरे भाई श्री जय प्रकाश जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि बिना पूर्व की तैयारी के यह सब कुछ नहीं हो सकता। मैं यह बात पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि इस आंदोलन को ऐसा रूप देने की पहले से ही पूरी तैयारी की गई थी। जब मैं इस्माईला वाले पुल से वापिस आकर उस पुल के साथ जो रास्ता जाता है उस रास्ते से सोनीपत रोड पर गया तो बोहर में रास्ता बंद था। इस प्रकार से सुबह-सुबह एक घंटे के अंदर-अंदर रोहतक आने के सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। मैं श्री जय प्रकाश जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या बिना पूर्व की तैयारी के यह सब कुछ हो सकता है और क्या बिना पूर्व नियोजित षड़यन्त्र के यह सारा उपद्रव हो सकता है कि सुबह-सुबह 09.30 बजे ही यह सभी कुछ हो जाये अर्थात् इस आंदोलन का जो नेतृत्व था उस नेतृत्व को साईड में करके मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इस जाट आरक्षण आंदोलन को अंदरखाते लीड किया। जाटों के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी घुसी और जहां पर इस आंदोलन का प्रमुख अड्डा बनाया गया था वह पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का अपना विधान सभा क्षेत्र है गढ़ी-साँपला-किलोई। इस जगह को ही पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार आंदोलन का प्रमुख केन्द्र बनाया गया। यहीं पर उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस के लोग प्रेरित होकर आगे आये और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके उसको उग्र, हिंसक व लूटपाट का केन्द्र बनाया। मेरे पास एक-एक गतिविधि के फोटोग्राफ्स हैं और सब गतिविधियों की वीडियोग्राफी भी हुई है। जिनके आधार पर कोई भी यह कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने यह सब कुछ योजनापूर्वक किया। इसी प्रकार से अगले दिन झज्जर में पंचों की शपथ होनी थी। दोपहर को ही मेरे पास झज्जर के डिप्टी कमिश्नर का फोन आ गया कि सर झज्जर के सभी रास्ते रोक दिये गये हैं। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा कि आप ही हमें यह बतायें कि हम पंचों के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित करें या नहीं। मैंने उनसे कहा कि वे अपना कार्यक्रम करें। मैंने उनसे यह भी कहा कि जैसा भी माहौल हो हम अपना कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसलिए आप इस सबसे प्रभावित मत होईए। हमने झज्जर में पंचों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया और लगभग आधे लोग उस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। शपथ नहीं हुई लेकिन जिस प्रकार से पूरा झज्जर बंद कर दिया गया उससे यही मंशा समझ में आ गई थी कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है और इसे कौन करवा रहा है। शाम को गुड़गांव में भी इसी प्रकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना था लेकिन वहां पर इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। जिस प्रकार से माननीय साथी श्री ज़ाकिर हुसैन जी कह रहे थे कि वहां पर बहुत भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अगले दिन जीन्द में भी शपथ ग्रहण समारोह था और वहाँ पर सभी रास्ते खुले हुये थे और बहुत ही भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि शायद कुछ लोग रह गये हैं इसलिए यदि उनसे भी बात हो जायेगी तो फिर कोई आंदोलन नहीं होगा। इसलिए 16 तारीख को सभी जनप्रतिनिधियों को संदेश भिजवाया कि 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी आपसे अपने निवास पर मिलना चाहते हैं। 17 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पर जहाँ मैं भी और कैप्टन अभिमन्यु जी भी तथा हमारे मंत्रीमंडल के और भी साथी मौजूद थे। सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री जी की खुले दिल से बात हुई और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जो भी व्यवस्था चाहते हैं हम उसी हिसाब से कर देंगे। जब तक विधेयक नहीं आता तब तक E.B.P (Economic Backward Person) के रूप में व्यवस्था कर देंगे। जब विधेयक लाने की बात

उन्होंने कही तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसके लिए हमारी कमेटी बनी हुई है वह काम कर रही है। उन्होंने जो क्रीमी लेयर की बात कही उसको भी माना जिसके लिए सभी ने तालियाँ बजाई और भोजन भी किया लेकिन बाहर निकलते हुये एक विवशता जता दी कि आंदोलन हमारे हाथ में नहीं है। यह बात सच भी है कि आंदोलन उनके हाथ में नहीं था, आंदोलन भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के हाथ में था, कांग्रेस के हाथ में था। मेरे सामने जो साथी बैठे हुये हैं उनको सुनकर बुरा लगेगा लेकिन यह सच है कि चढ़े तवे पर दो रोटियाँ सेंकने में इंडियन नैशनल लोकदल से जुड़े लोगों ने भी काम किया। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, 17 तारीख को जिस समय मुख्यमंत्री जी से जाट भाईयों की बात हो रही थी उसी समय इनसो के प्रदेश अध्यक्ष सांपला में भाषण दे रहे थे यह बात रिकॉर्ड की है और हमारे पास उसकी सी.डी. भी उपलब्ध है। अगर इंडियन नैशनल लोकदल चाहेगा तो उसको हाउस में प्रैजेंट कर दिया जायेगा। सांपला में प्रदीप देसवाल भाषण दे रहा है कि "मुख्यमंत्री के निवास पर जो भी फैसला हो रहा है उसको नहीं माना जायेगा। कोई ऐसा फैसला नहीं मानेंगे जो ड्राइंग रूम में होता है। मैं सांपला में बैठा हुआ हूँ और जो भी फैसला लिया जायेगा यहीं पर सांपला में लिया जायेगा। मैं 2 दिन से बैठा हुआ हूँ, दिन-रात बैठा हुआ हूँ। कोई भी ऐसा दूसरा फैसला नहीं मानने देंगे जो सांपला से बाहर होगा।" यह बाकायदा चढ़े तवे पर रोटी सेंकने का काम इंडियन नैशनल लोकदल के व्यक्तियों की तरफ से किया गया। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, इस प्रकार से विघ्न डालना गलत बात है। नेता प्रतिपक्ष ने हमारे एक सांसद का नाम लिया था लेकिन हमने कोई विघ्न नहीं डाला। कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए लेकिन सबको अपनी बात कहने दी जाये, चर्चा को चलने दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने हाउस में स्वयं यह बात कही थी कि अगर हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति इस आंदोलन में कोई गलत भूमिका निभा रहा है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन जो सरकार में बैठे हुये लोग हैं, जो सत्ता के भगीदार हैं उनमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री राजकुमार सैनी हों, चाहे रोशन लाल आर्य हों, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। धनखड़ साहब ने यह कह दिया कि आपके इनसो के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देसवाल सांपला में जा कर बैठ गये लेकिन आप मुझें यह बताओ कि उसने कौन सा उपद्रव किया है ? वह कोई अकेला नहीं बैठा हुआ था बल्कि उस समाज के और लोग भी बैठे हुये थे। क्या वह अकेला बैठा था, यह ठीक है कि वह वहाँ पर बैठा हुआ था, अगर उसने कोई भड़काऊ भाषण दिया है, अगर कोई गलत काम किया है या वह कहीं उपद्रव में शामिल हुआ है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हम यह नहीं कहेंगे कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी लेकिन यह बड़ी हैरानी की बात है कि आप उन लोगों को क्यों बचा रहे हैं जो वास्तव में इस सारे के सारे मामले में शामिल थे। उपाध्यक्ष महोदया, यह बड़े हैरानी की बात है कि आपकी पार्टी के एक भी आदमी ने खड़े होकर यह नहीं कहा कि राजकुमार सैनी का ब्यान जितनी बार भी आया वह गलत था जबकि वह एक बार नहीं बोले सवा साल लगातार बोलते रहे और आज भी वह अपनी गलत ब्यानी करने से बाज नहीं आते। आज भी हमारे पास अखबार है इस अखबार में तो उन्होंने आर्मी को भी चेलेंज करने का काम किया है। आर्मी के खिलाफ भी

उसने इस किस्म के ब्यान दिये हैं लेकिन आपने आज भी इस बात की प्रवाह नहीं की कि लोग किस तरह से प्रदेश में आग लगा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कार्रवाही करो तो किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर नहीं जितने भी लोग उसमें शामिल हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाही करो।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, विपक्ष के नेता ने जो मुद्दा उठाया उस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि मैंने प्रदीप देशवाल को कोट किया जो उसी के शब्द थे और वही कोट किये गये हैं जिसका टाईम भी वही है और वह उसी 17 तारीख को कोट हुए हैं। मैंने अपनी तरफ से कोट नहीं किया यह उसी के शब्द थे (शोर एवं व्यवधान) और उसी टाईम पर वह कह रहा है कि "मुख्यमंत्री जी के घर की बात मत मानो जो फैसला होगा सांपला में होगा।" उनकी उसी बात को कोट किया गया है और उसी के शब्दों को विदइन इन्वर्टिड कॉमाज कोट किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, आप उस पर मुकदमा दर्ज करवाओ और उस पर जो धारा लगती है वह लगाओ आपको कौन रोक रहा है। आप इस पर कार्रवाही करो आपको रोका किसने हैं। क्योंकि अगर मुझे भी कोई चीज पसंद नहीं होगी तो मैं भी आपको यह कहूंगा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा तो वह भी आपकी बात से सहमत नहीं होगा इसलिए आपकी बात उसने नहीं मानी होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, समस्त पार्टी ने, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी के प्रभारी ने हमारे अध्यक्ष ने राजकुमार सैनी और आर्य दोनों के ब्यानों की निन्दा की है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 पवन सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, उनके साथ और भी कई लोग हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नायब सिंह सैनी : क्या आपके कार्यकर्ता श्री प्रदीप देशवाल के खिलाफ आप द्वारा निन्दा प्रस्ताव लाया गया है कि उसने ऐसा गलत काम किया है। आप बताईये कि आपकी तरफ से किसका निन्दा प्रस्ताव आया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपध्यक्ष महोदया, उसमें जो भी लोग शामिल हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाही करो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नायब सिंह सैनी : कार्रवाही तो कराएंगे जो भी दोषी होगा। आप इस बारे में चिन्ता न करें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, सरकार की तरफ से पहले भी कमीटमैंट किया गया और अब भी सरकार अपने कमीटमैंट पर है। लगभग 449 जगहों पर धरना हुआ जिसमें सरकार का संयम रहा कि किसी भी धरने पर एक भी डंडा नहीं चलाया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, वहां पर डंडे नहीं चले सीधी गोलियां चलाई गई हैं। आप तो देखने ही तब आए जब पूरा प्रदेश तबाह हो गया।

श्री सुभाष बराला : मंत्री जी द्वारा जवाब दिया जा रहा है। बार-बार विपक्ष की तरफ से इस प्रकार की रोका-टोकी नहीं होनी चाहिए। अभय जी, आप थोड़ा बहुत सुनने का मादा रखो आप कोई भी बात पूरी नहीं होने देना चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, कहीं कोई गोलियां नहीं चली। अगर कोई बाजार में दुकान जला रहा है, स्कूल जला रहा है किसी का घर जला रहा है और सामने से गोलियां चला रहा है तो उस अवस्था में सरकार ने केवल और केवल उपद्रवियों पर कार्रवाही की है बाकि सम्पूर्ण 449 धरनों पर जिसके लिए मैं चेलेंज के साथ कह रहा हूं कि सरकार ने कहीं डंडा तक नहीं लगाया। इसमें सरकार के संयम की और सरकार के धैर्य की प्रसंशा करनी चाहिए। सरकार उसमें पोजिटिव थी, सरकार कॉमेटिव थी और सरकार कह रही थी कि जो आप कह रहे हैं हम उसको करेंगे उसके बावजूद भी जिन्होंने हिंसा फैलाई वास्तव में जो दोषी हैं उनको सामने लाने की बात है। ये हिंसा फैलाने वाले, जनता को भड़काने वाले जिनकी ऑडियॉज भी सबके सामने आ गई है जिन्होंने अलग-अलग जगह जाकर लोगों को भड़काया है ऐसी अलग-अलग बात सामने आई हैं निश्चित रूप से पूरे सदन और पूरे हरियाणा के सामने वह लोग लाए जाने चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदया मैं आपको नक्शा भी बताना चाहता हूं। मैं बादली हल्के से आता हूं वहां किसी ने एक बिजली का बल्ब भी नहीं फोड़ा और हमारे विधायक नरेश जी बहादुरगढ़ से आते हैं वहां भी किसी ने एक खम्भे को भी हाथ नहीं लगाया जोकि वहां इतना बड़ा शहर और इतना बड़ा इंडस्ट्रीयल ऐरिया है जहां पर लोगों ने संयम और धैर्य दिखाया। इस तरह की घटनायें सांपला, किलोई, बेरी, गोहाना, महम तथा मुरथल के ही आस-पास क्यों होती हैं। इस नक्शे को ध्यान से देखने की बहुत जरूरत है। मैं भिवानी, पानीपत, जींद, सिरसा तथा फतेहाबाद के लोगों की बड़ाई करना चाहता हूँ जो उन्होंने अपने शहरों को बचाये रखा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, धनखड़ साहब इसलिए तो भिवानी की बड़ाई नहीं करना चाहते क्योंकि भिवानी में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दफ्तर को तोड़ा गया था और यहां पर हमारे पैट्रोल पम्प में आग लगाकर फूंकने का काम किया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, जिन्होंने गलत काम किया है मैं उनकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं इस बात के लिए उनकी बड़ाई करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने अपने शहरों को बचाए रखा और वहां पर किसी प्रकार के अमानवीय कृत्य को प्रश्रय नहीं दिया। (शोर एवं व्यवधान) गलत बात की कभी भी बड़ाई नहीं की जा सकती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, भिवानी में जाट धर्मशाला को आग के हवाले कर दिया गया इसलिए कृषि मंत्री जी भिवानी के लोगों की बड़ाई कर रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान) इसका मतलब तो यह हुआ कि धनखड़ साहब उनके द्वारा की गई कार्यवाही से सहमत हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, ऐसा बिल्कुल नहीं हैं जो अभय जी कहना चाह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं अभय जी को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस किसी ने भी ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि उपद्रवियों पर कार्यवाही करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) अगर कार्यवाही करनी थी तो अभी तक क्यों नहीं की। आपको किसने रोका है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, उपद्रवियों पर कार्यवाही जरूर की जायेगी उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। मैं फिर अपनी बात पर आता हूँ। जाट समुदाय के लोग तो पूरे हरियाणा प्रदेश में मौजूद थे लेकिन बावजूद इसके पूरे हरियाणा प्रदेश के 7000 गांवों में जिस प्रकार के संयम व धैर्य का परिचय लोगों ने दिया तथा किसी भी गांव में कोई व्यक्ति गांव के किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं भिड़ा, वह अति प्रशंसनीय है। यह मैं जरूर मानता हूँ कि गांव के लोगों ने शहर में आकर तोड़-फोड़ की लेकिन किसी भी व्यक्ति ने अपने गांव के भाईचारे को नहीं बिगड़ने दिया लेकिन बाद में जो हरियाणा प्रदेश का वातावरण बना दिया गया था उसका मुझे बहुत गहरा दुख है। सदन में श्री कुलदीप बिश्नोई द्वारा मुरथल जैसी एक घटना का जिक्र करते हुए कह दिया गया है कि झज्जर में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान एक मां तथा बेटी के साथ बलात्कार किया गया है। इस तरह के बयान को बड़े सोच समझकर देने की जरूरत होती है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि इस तरह का कोई भी मामला झज्जर में सामने नहीं आया। (शोर एवं व्यवधान) झज्जर में जातिगत हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के श्री नायब सिंह सैनी, श्री सुभाष सुधा, श्री पवन सैनी, श्री नरेश कौशिक तथा श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास गये थे। जैसी खबर मीड़िया द्वारा फैलाई गई थी वैसी खबर इस सदन में कुलदीप बिश्नोई के द्वारा फैलाई जा रही है। यह बहुत अशोभनीय कृत्य है। (शोर एवं व्यवधान) आप बहुत जिम्मेवार आदमी हैं। आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। (शोर एवं व्यवधान) आप बहुत जिम्मेवार नेता हैं। (शोर एवं व्यवधान) झज्जर में छावनी मोहल्ले में भी यह सब लोग पीड़ितों से मिलकर आये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदया, झज्जर की घटना वास्तव में हुई घटना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, झज्जर में इस प्रकार की कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई है। (शोर एवं व्यवधान) किसी एक आदमी ने भी इस तरह की बात नहीं कही जो कुलदीप बिश्नोई द्वारा इस सदन में कही गई है। (शोर एवं व्यवधान) यह अपने आपको 36 बिरादरी का नेता बता रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नाई : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि कुलदीप बिश्नोई तथ्यों के आधार पर बात करता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मैं बिश्नोई जी से पूछना चाहता हूँ कि जब यह झज्जर गये थे तो क्या छोटू राम धर्मशाला में भी गये थे। (शोर एवं व्यवधान) छोटू राम जी की टूटी हुई मूर्ति देखकर आये थे ? (शोर एवं व्यवधान) वहां पर जो कुछ हुआ उसके बारे में आपने सदन में बताया। (शोर एवं व्यवधान) केवल मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ से संबंधित बातें करके सदन को गुमराह मत कीजिए। (शोर एवं व्यवधान) आप केवल अपने स्वार्थ पूरा होने वाली बात तक ही कैसे पहुंचे। (शोर एवं व्यवधान) आपको सभी जगह बराबर जाना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी बार-बार मेरा नाम लेकर मेरी इन्टेन्शॅन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि झज्जर में बलात्कार हुआ है तो इनकी बात का उत्तर देने के लिए मुझे इनका नाम तो लेना ही पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी द्वारा उस पीड़ित परिवार के पास जाने की हिम्मत तो दिखाई नहीं गई और मेरी इन्टेन्शॅन पर सवाल उठाये जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मै झज्जर जिले के हर पीड़ित परिवार के घर जाकर आया हूँ। (शोर एवं व्यवधान) बिश्नोई जी इस मुद्दे को उछालकर राजनीति करना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदया, कृषि मंत्री जी बतायें तो सही कि वह किस-किस के घर पर गये थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मैं स्वयं झज्जर में पीड़ित सभी 14 घरों में जाकर मिलकर आया हूँ। इन 14 घरों में चाहे वह खाती का घर हो, मैं उसके घर गया, ब्राम्हण का घर हो, उसके घर गया, भराने गांव के हरिजन के घर पर गया तथा सैनी मोहल्ला आदि सभी जगह जाकर मैं पीड़ितजनों से मिलकर आया हूँ। झज्जर जिले के भी कई लोग मेरे साथ गये थे। (शोर एवं व्यवधान) मैं झज्जर हिंसा पीड़ित सभी पक्षों से मिलकर आया हूँ। मैं एकपक्षीय बात नहीं कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान) मैं सब पक्षों से मिलकर आया हूँ। वास्तव में नेतृत्व से इसी प्रकार की आशा भी होती है कि जो भी बात की जाये वह एकपक्षीय न होकर बहुपक्षीय हो। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, मै उस सैनी परिवार से भी मिलकर आया हूँ जहां पर कुलदीप बिश्नोई गया था। (शोर एवं व्यवधान) एक भी परिवार को नहीं छोड़ा। सभी परिवारों में जाकर मिला हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी एक पीड़ित तक तो पहुंच नहीं सके, क्या पता यह झज्जर में जाकर भी आयें हैं या नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मैं खुद झज्जर जाकर आया हूँ और मेरा जाना तो पूरे देश को पता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडा : उपाध्यक्ष महोदया, कुलदीप जी न हरियाणा में रहते हैं न हिन्दुस्तान में रहते है इसलिए इनको खुद ही पता नहीं है कि वे कहां की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कौशिक : उपाध्यक्ष महोदया, मैं और हमारे दूसरी साथी एक एक घर में जाकर लोगों से मिलकर आये हैं। (शोर एवं व्यवधान) कुलदीप बिश्नोई सदन का समय खराब कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदया : धनखड़ जी, अब आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो झज्जर जिले के सभी 14 पीड़ित परिवारों से मिलकर आया हूँ। (शोर एवं व्यवधान) कुलदीप बिश्नोई सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, कुलदीप जी बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार के दो-दो मंत्री जाकर आये हैं। झज्जर में कोई भी रेप का केस नहीं हुआ। जैसी अफवाह मुरथल के बारे में मीडिया द्वारा फैलाई गई थी, वैसी अफवाह कुलदीप बिश्नोई के द्वारा इस सदन मे फैलाई जा रही है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा निवेदन है कि आप इसका संज्ञान लेते हुए इसकी जांच कीजिए। संयोग से आपकी बहन वहां की डिप्टी कमिश्नर हैं आप उनको अभी फोन लगा लीजिए। पता लगाईये और तय कीजिए कि क्या हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : देखिये, आप लोग बैठिये। माननीय मुख्यमंत्री जी इस केस की जांच करवायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी घुमा फिराकर बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मैं घुमा-फिराकर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अभी तथ्यों की जांच करवाई जाये।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ पवन सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, इस महान सदन में कुलदीप बिश्नोई द्वारा दिए गए बयान, सदन को गुमराह करने का प्रयासभर हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : बिश्नोई जी, आप सच्चाई से भाग नहीं सकते। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, बिश्नोई जी ने सदन में झूठी बातें कहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदया, आप वहां के उपायुक्त महोदय से पूछ कर जांच करवा लीजिए। (शोर एवं व्यवधान) सदन को सच्ची बात का पता चल जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदया : हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-72 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर एक सदस्य केवल 15 मिनट ही बोल सकता है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में एक अपील करना चाहता हूँ कि सदन में जातिवाद से ऊपर उठकर चर्चा करें। तथ्यों के आधार पर ही सदन में चर्चा होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पता कराए की झज्जर में जितनी बार भी गोली चलाने के आदेश हुए थे, उनमें श्री नरवाल, अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के हस्ताक्षर हैं या नहीं। हर आदेश पर श्री नरवाल के हस्ताक्षर हैं। केवल जाति के आधार पर एक एडिशनल डिप्टी कमीशनर वहाँ था। केवल जाति के आधार पर आरोप लगाना गलत है। हमारी उपायुक्त महोदय यादव जाति की थी और पुलिस अधीक्षक बैरागी स्वामी जाति के थे। केवल एक अफसर सब जगह खड़ा था और हर आदेश पर दस्तखत कर रहा था कि चलाओ गोली। उपाध्यक्ष महोदया, 12 लोग मेरे यहां के इस आंदोलन में मारे गए हैं। ऐसी घटना के बाद भी लोग राजनैतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इसके लिए आपने 2 घंटे की समय अवधि निर्धारित की हुई है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि स्थगन प्रस्ताव की महत्ता को देखते हुए इसे एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का समय एक बजे के बाद बढ़ा दिया जायेगा।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, आज एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में चर्चा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा में जो घटना घटी थी उसके कारण हरियाणा के मान-सम्मान और गौरव को बड़ी भारी ठेस पहुँची है। यह घटना अचानक ना होकर के एक षडयंत्र के तहत हुई थी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास सदा इस प्रकार का रहा है। दिनांक 31 अक्टूबर, 1984 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद देश की राजधानी में जो नजारे देखने को मिले थे, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थे। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सिख दंगों की जांच करने के लिए जस्टिस नानावटी का एक कमीशन बनाया था। उपाध्यक्ष महोदया, उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रायसीना रोड़ पर रहते थे और उनके सामने सिख भाइयों का टैक्सी स्टैंड था। अटल जी बाथरूम में थे तो उन्होंने किसी आदमी को कहते हुए सुन लिया कि इस टैक्सी स्टैंड को आग लगाने के लिए लोग आ रहे हैं। जैसे ही वाजपेयी जी ने सुना वैसे ही अर्ध वस्त्रों में लाठी लेकर खड़े हो गए और कहने लगे यह कैसे हो सकता है ? आग लगाने के लिए कांग्रेस के नेता धर्म दास, जगदीश टाईटलर और सांसद श्री सज्जन कुमार आए थे। वर्ष 1984 के दंगों में 3033 सिख भाइयों को जिंदा जलाया गया था। वाजपेयी जी के कानों में कुछ लोगों ने कहा कि आप ये लिस्ट मत पढ़िए, आप चुनाव हार जायेंगे। वाजपेयी ने भरी जनसभा में मन से कहा था कि भले ही मैं चुनाव 10 बार हार जाऊं पर मैं देश को नहीं हराना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, आज कांग्रेस सत्ता के बिना नहीं रह सकती है। हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार के रूप में चुना है। हमारी विचारधारा जैसे ही 5 अन्य विधायक भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस सरकार का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को सौंपा गया है जो स्वभाव से बिल्कुल सरल, सीधे और सादा पहनावा पहनने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष ओलावृष्टि से ग्रस्त फसल के लिए किसानों को 11 सौ करोड़ रूपये का मुआवजा दिया है। प्रदेश में 8 मार्च को ओलावृष्टि हुई थी और हमारी सरकार ने एक मई को ही उसकी मुआवजा राशि वितरित कर दी। सफेद मक्खी के कारण से 5 जिलों में खराब हुई कपास की फसल का भी मुआवजा दिया गया है। मिड्ढा साहब ने जिस शब्द का प्रयोग किया ...(विघ्न) अभय सिंह चौटाला जी, आप जब बोलते हैं तो हमारी पार्टी के बहुत कम सदस्य आपके भाषण में विघ्न डालते हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे मुआवजा राशि के विषय पर बाद में चर्चा कर लें। फिलहाल सदन में एडजर्नमैंट मोशन पर चर्चा चल रही है तो ये उसी पर चर्चा करें। जब मुआवजा राशि के वितरण की बात होगी तो आप उस पर भी चर्चा कर लेना। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : चौटाला जी, मंत्री जी उसी विषय पर आ रहे हैं।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, यह दुकान ढींगड़ा की है, यह इंजीनियरिंग कॉलेज सुरेश शर्मा माकड़ौली का है इस तरह की सूचना उपद्रवियों के पास कहां से आई ? लोगों ने फोन कर-करके कि तुम तो कीड़ी भी नहीं रोक रहे हो। एक संसद सदस्य डी.सी. और एस.डी.एम. से पूछता है कि शहर बंद हो गया या नहीं हुआ है ? उपाधक्ष महोदया, बड़े मन की बात है कि लाशों के ऊपर भी राजनीति की जा रही है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का षडयंत्र है। इस सदन में माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला, स्पीकर साहब श्री कंवर पाल और माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को सदन में बुलाने का प्रयत्न किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन में क्यों नहीं आए ? वे माननीय सदस्य चेहरा छुपाना चाहते हैं इसीलिए सदन में नहीं आ रहे हैं। अगर वे यहां बैठे होते तो ये सारी बातें सुनकर उनको सच्चाई से सामना करना पड़ता। उपाध्यक्ष महोदया, यह जाट आरक्षण के नाम पर हरियाणा प्रदेश में जो बर्बादी हुई है यह मुद्दा जाट आरक्षण का नहीं बल्कि यह तो कुर्सी आरक्षण का मुद्दा था। हरियाणा की जनता ने पहली बार एक गरीब और आम आदमी की समस्या को समझने वाले झोला लटकाए संगठन का काम करने वाले, एक छोटी-सी सब्जी की दुकान चलाने वाले आदमी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी के जैसे एक मुख्यमंत्री मिले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ यह कहकर एक साजिश रची गई थी कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता किंतु उनकी साजिश सफल नहीं हुई और वे हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गये। प्रधानमंत्री बनने के बाद वे लोगों की इच्छानुसार काम करने लगे। उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा में हुए इस भयंकर उपद्रव से आहत होकर मैं सदन में दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा -

"लम्हों ने खता की है,
सदियों को सजा भुगतनी पड़ेगी।"
जिन लोगों ने भी ...(विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, वे कोट तो दस-दस लाख के पहनते हैं। (विघ्न)

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : उपाध्यक्ष महोदया, क्या माननीय सदस्य सरदार जसविन्द्र सिंह संधू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी याद आ गये हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा हमारी पार्टी के किसी भी सदस्य को श्री राहुल गांधी याद नहीं आ सकते। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सिख कौम को दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो घाव मिले हैं उन्हें हम कभी नहीं भूल सकते।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, 9 फरवरी और 17 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सर्वखाप पंचायत की बातचीत हुई और उसके बाद

उन्होने भोजन किया। फिर 18 तारीख को सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक के बाद जैसा ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे थे कि सांपला में मोर्चा लगा दिया गया। उपाध्यक्ष महोदया, आज हरियाणा प्रदेश की बरबादी हुई है। जिस प्रकार जे.एन.यू. में कहा जाता है कि अफसर जिंदाबाद - हिंदुस्तान मुर्दाबाद उसी तरह हरियाणा में जो बरबादी हुई है इसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस ही जिम्मेदार है। यह सत्ता पाने के लिए ही उनका षडयंत्र था और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। धन्यवाद।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, हाउस के अंदर यह चर्चा हुई थी कि झज्जर में बलात्कार हुआ और कुलदीप बिश्नोई जी जो हमारे साथी मैम्बर हैं उन्होंने बड़ा जोर देकर यह बात कही कि वहां इस प्रकार की घटना घटी। सरकार की तरफ से कहा गया कि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ और न किसी की ओर से कोई एफ.आई.आर. लोज कराई गई है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि यह हाउस में हुई चर्चा है तथा हाउस में इस किस्म के जब आरोप लगें तो हाउस की जिम्मेवारी बनती है कि उसके लिए एक कमेटी का गठन करवाया जाए और सच्चाई का पता लगाया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि यदि इस मामले में एक कमेटी का गठन किया जाएगा तो कमेटी वहां जाकर जांच करके आएगी तभी पता चल पाएगा कि इन दोनों में से कौन हाउस को गुमराह कर रहा है। कमेटी जब मौके पर जाएगी और उस परिवार के लोग कमेटी के सामने आएंगे तो 100 फीसदी सारी बात क्लीयर हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन के नेता से भी अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर एक कमेटी का गठन करें ताकि पता चल सके कि दोनों में से कौन गलत बात कर रहा है। दोनों में से जो गलत बात कहेगा उसके खिलाफ इसी हाउस में प्रिवीलेज मोशन लाया जाना चाहिए।

श्री रणबीर सिंह गंगवा : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा में जो घटनाएं घटी, ऐसी घटनाएं मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। जो जाट आरक्षण आंदोलन था वह एक जातीय हिंसा में तबदील हो गया था और उसको जातीय हिंसा में तबदील करने वाले लोग कौन थे इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस आंदोलन के दौरान जिन लोगों का नुकसान हुआ, जिन लोगों के शोरूम फूंके गए, जिन लोगों के घर जला दिए गए, जब हम उन लोगों के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं तो उनको देखकर हमें बड़ी तकलीफ और दर्द होता है।

स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का समय बढ़ाना

उपाध्यक्ष महोदया : यदि हाउस की सहमति हो तो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

राज्य में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव संख्या-2 पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री रणबीर सिंह गंगवा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं हांसी में गया था और वहां हमारी पार्टी के एक पदाधिकारी रविन्द्र सैनी ने मुझे कहा कि विधायक जी, मैंने तो कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला उसके बावजूद भी मेरा होंडा का शोरूम जला दिया गया और ट्रैक्टर की एजैंसी जला दी गई। सामने एक भाई जी का होटल था, उनकी दो-तीन दुकानें जला दी गई। उन्होंने कहा कि हमने तो किसी समाज के खिलाफ कुछ नहीं बोला फिर हमारे साथ यह अन्याय क्यों हुआ। मंत्री जी अभी बोल रहे थे कि इस आंदोलन को भड़काने में कांग्रेस के लोगों का अहम रोल रहा है और इस बारे विस्तार से चर्चा भी हुई। उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिए लेकिन 13:00 बजे सरकार का काम दूसरे के ऊपर आरोप लगाना नहीं होता बल्कि कार्रवाई करना होता है। अगर सरकार के लोग आज यह कहते हैं कि फलां-फलां लोगों का षड़यंत्र था तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यह सरकार चर्चा हुई कि कहां-कहां नुकसान हुआ। इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी के 20 विधायक हैं और किसी के भी हल्के में पत्ता तक नहीं हिला। अभी आरोप लगाये जा रहे थे कि हम लोगों ने भी रोटियां सेकने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी पार्टी के संस्थापक जननायक चौधरी देवी लाल जी थे और वे हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते थे और उन्होंने कभी भी जात पात की राजनीति नहीं की। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी ने अगर कभी जात-पात की राजनीति की होती तो कभी भी रणवीर सिंह गंगवा राज्यसभा में नहीं जा सकता था। मैं यह बात भी गर्व के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों नैशनल पार्टी हैं। हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर पार्लियामैंट में गया है तो केवल मैं गया हूं और मेरी पार्टी ने मुझे भेजने का काम किया है इससे जाहिर होता है कि हमारी पार्टी जात पात की बात नहीं करती। उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान में 36 बिरादरी के आपसी भाईचारे के रूप में जाना जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। सरकार ने कहा है कि आंदोलन के कारण जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के प्रतिष्ठान और घर जल गए और रोड़ पर आ गए उन्हें निश्चित रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार मुआवजा भी दे देगी, लोग भी मदद कर देंगे और परमात्मा की दया से उन लोगों का काम काज दोबारा से ठीक हो जायेगा तो आर्थिक भरपाई तो समय के साथ हो जायेगी लेकिन जातीय हिंसा के कारण जो आपस की खाई पैदा हो गई वह सबसे भयानक है। हम गांव में बैठते हैं और अगर कोई कुछ कसूर कर देता है और वह किसी भी जाति का हो तो हम कहते हैं कि यह म्हारे वाले ने किया है और यह थारे वाले ने किया है। इस तरह से फैसले हो जाते हैं। अगर गांव में इस तरह से फैसले होने लग गये कि यह किस जाति का है और वह किस जाति का है तो समाज का रूप बहुत भयानक हो जायेगा। सरकार को इस बात पर भी चिंता करनी चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह से माहौल को भड़काने का काम किया उन पर सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का नाम लिया गया है, इस बात से मैं बिलकुल सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से आरक्षण देकर राजनीति की थी वह बात सबके सामने उस समय आ गई थी जब कोर्ट ने उस आरक्षण पर स्टे कर दिया क्योंकि वह गलत तरीका था। उन्होंने यह केवल वोट हासिल करने के लिए दिया था। जिसकी वजह से पुरा हरियाणा आज जला है। सत्तापक्ष के लोग हमारी तरफ भी अंगुली करते हैं जो कि बिलकुल गलत

है। आंदोलनकारियों को यह कह कर उठाया था कि उनको आरक्षण देंगे। जबकि उसके बाद सरकार के विधायकों एवं मंत्रियों के अलग-अलग बयान आते हैं। वह क्या है, क्या यह भड़काने का काम नहीं है ? इसी तरह से आज टी.वी. के ऊपर मीडिया में डिबेट होती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए क्योंकि फलां-फलां जाति गरीब हो गई है उसे आरक्षण दे दो। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि मैं पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहा। यह सरकार का काम है कि आरक्षण कैसे देना है, क्या करना है। यदि हम संविधान के मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर हरियाणा भड़क जायेगा। इन बातों का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जहां तक संविधान की बात है मैंने भी पढ़ा है। सबसे पहले सोसयली स्टेट्स क्या है किसी भी जाति का क्योंकि जो हमारा समाज है वह एक जातिगत समाज है। इस सच्चाई से कोई भी इंकार नहीं कर सकता। किसी भी जाति को इस पहलू से देखा जाता है कि उसका सोशल स्टेट्स क्या है। सोशल स्टेटस की बात केवल गांवों या शहरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि अगर हम निर्वाचित होकर इस सदन तक भी पहुंच जाते हैं तो यह सदन भी उस मानसिकता से अछूता नहीं है। यहां भी हमारी वही मानसिकता कहीं न कहीं हमारे दिमाग के अंदर रहती है। इसका उदाहरण मैं इसी सदन को देता हूँ 17 मार्च, 2016 को जो इसी सदन के अंदर बात हुई महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब इस सदन में चर्चा हो रही थी और हमारी पार्टी के माननीय सदस्य श्री अनूप धानक जी ने जब यह बात उठाई कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब हिसार गये थे तब हमें डी-प्लान की ग्रान्ट देने का वायदा करके आये थे लेकिन अभी तक भी हमें वह ग्रांट नहीं मिली है। उस समय मैंने उठकर जब कुछ कहना चाहा तो माननीय वित्त मंत्री महोदय जी ने जो शब्द उस समय यूज़ किये वे ध्यान देने योग्य थे। मैं यहां पर उनका उल्लेख करके उनके द्वारा कहे गये शब्दों पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल उस मानसिकता के बारे में बताना चाहता हूं जो हमारे समाज की और हम सब की मानसिकता है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय कहा कि एक गरीब आदमी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। यह उसी मानसिकता को उजागर करता है। यह बात सिर्फ माननीय वित्तमंत्री महोदय नहीं बल्कि सभी पर लागू होती है। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा नाम एक माननीय सदस्य द्वारा किसी विषय के संदर्भ में लिया गया है इसलिए मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री रणबीर गंगवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मुझे पहले अपनी बात पूरी करने दी जाये उसके बाद आदरणीय वित्त मंत्री जी इक्ट्ठा जवाब दे दें।

उपाध्यक्ष महोदया : गंगवा जी, आप बैठिए। वित्त मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं उनकी बात सुन लीजिए।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया जी, माननीय सदस्य श्री रणबीर सिंह गंगवा जी संदर्भ से बाहर जाकर बात को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत संदर्भ में बोल रहे हैं। वास्तव में अनूप धानक जी मेरे बगल के हल्के के हैं और मैं उनको बहुत प्यार और स्नेह करता हूं। वे भी इस बात को भलीभांति जानते हैं। मैं उस समय उनके समर्थन में बोला था कि वे एक निहायत ही शरीफ आदमी हैं इसलिए उनको अपनी बात कहने दी जाए। इस प्रकार से मैंने "शरीफ आदमी" शब्द भाव का प्रयोग किया था न कि "गरीब आदमी" कहा था। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं माननीय साथी श्री रणबीर सिंह गंगवा जी को आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे विधान सभा के इस पटल को अपनी गलत बात कहने के लिए प्रयोग न करें।

श्री रणबीर गंगवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, जो रिकार्ड की बात है बेशक आप 17 मार्च का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, मैं वही बात कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदया : गंगवा जी, आप विषय पर ही बोलें।

श्री रणबीर गंगवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं विषय पर ही बोल रहा हं। मैं विषय से हटकर नहीं बोल रहा हूं। अगर आप मुझे बोलने की इजाज़त नहीं भी देंगे तो मैं बैठ भी जाऊंगा लेकिन फिर आपके ऊपर आरोप लगेंगे कि यहां पर एक बैकवर्ड क्लॉस का व्यक्ति बोल रहा था लेकिन आपने उसे बोलने नहीं दिया। (विघ्न) बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति की आवाज को दबाया जा रहा है।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया जी, क्या श्री रणबीर सिंह गंगवा जी का यह कथन उनकी सोच को जात-पात तक ही सीमित होने का प्रमाण नहीं है। वे हर बात में जाति-पाति को लेकर बैठ जाते हैं। ये हर बात को जाति के चश्मे से देखना चाहते हैं। मैं इनसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि इनको कभी तो इंसानियत की बात भी करनी चाहिए। हर बात में जाति का जिक्र करना अच्छी बात नहीं है। हर समय जाति के ही तीर एक-दूसरे पर चलाते रहना किसी को भी शोभा नहीं देता। (शोर एवं व्यवधान) इनकी इसी सोच के कारण ये आज विपक्ष में बैठे हैं। इन्होंने यहां पर एक बात यह भी कही कि मैं अपनी जाति के कारण ही भारत की संसद के उच्च सदन राज्यसभा में गया था न कि अपनी काबिलियत या क्षमता के कारण।

श्री रणबीर गंगवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मैंने यह कहा था कि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो जातिगत नहीं है बल्कि वह हर वर्ग और जाति को साथ लेकर चलती है। मैंने चौधरी देवी लाल जी का नाम भी लिया था कि उन्हीं महापुरूष के दिखाए हुए रास्ते पर हमारी पार्टी चलती है। इसलिए जाति देखकर नहीं बल्कि काबिलीयत के आधार पर ही हमारी पार्टी ने मुझे राज्यसभा में भेजा।

उपाध्यक्ष महोदया : गंगवा जी, आपको बोलते हुए 15 मिनट का समय हो गया है इसलिए अब आप कृपा करके बैठ जायें।

श्री रणबीर गंगवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, आप 15 मिनट के समय की बात कह रही हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे बोलने ही कहां दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है गंगवा जी, आप अपनी बात को एक मिनट के अंदर ही समाप्त करें।

श्री रणबीर गंगवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मैंने यह कहा था कि हमारी जो मानसिकता है वह यहां भी उजागर हो ही जाती है। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया जी, अगर श्री रणबीर सिंह गंगवा जी या किसी दूसरे माननीय सदस्य को एक बार भी लगा हो कि उनके प्रति मैंने कभी भी जातिवादी सोच को दर्शाने वाला व्यवहार किया है तो मैं अपने आपको इसका दोषी मानता हूं और जिसके कारण मुझे केवल मात्र इस सदन ही नहीं अपितु समाज में भी रहने का अधिकार नहीं है। श्री रणबीर सिंह गंगवा जी ने यहां पर ऐसी बात कहकर हमारी सोच के ऊपर एक प्रश्नचिन्ह लगाया है। (शोर एवं व्यवधान) मैं यहां पर एक बात फिर से पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां पर किसी भी

माननीय साथी के साथ व्यवहार में अगर हमने छोटी सी भी ख्यानत की है तो उसके लिए हम सजा के पात्र हैं लेकिन जो आरोप माननीय सदस्य श्री रणबीर सिंह गंगवा जी ने मेरे ऊपर लगाया है यह आरोप 302 के आरोप से भी ऊपर का आरोप है।

श्री रणबीर गंगवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, जैसा वित्त मंत्री जी कह रहे हैं मैंने वैसा कुछ भी नहीं कहा बल्कि मैंने तो यह कहा था कि हमारे समाज की जो मानसिकता है वह इस प्रकार की है और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी भी समाज के ही अंग हैं और वे भी समाज से अलग नहीं हैं। जो बात श्री अनूप धानक जी ने कही है अगर उसी बात को माननीय सदस्य श्री मूल चंद शर्मा या श्री असीम गोयल जी ने खड़े होकर कहा होता या फिर हमारी पार्टी के माननीय सदस्य श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया जी ने कहा होता तो शायद माननीय वित्त मंत्री जी "गरीब आदमी" शब्द का प्रयोग नहीं करते। उपाध्यक्ष महोदय जी, यह सच्चाई है और इससे कोई भी सदस्य और समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं भाग सकता। अगर कोई भागने की कोशिश भी करता है तो वह असफल कोशिश ही होगी।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया जी, जो बात श्री रणबीर सिंह गंगवा जी कह रहे हैं यह उनकी मानसिकता होगी हमारी नहीं है क्योंकि जो कुछ भी कोई व्यक्ति बोलता है वह अपने मन की सोच के मुताबिक ही बोलता है।

उपाध्यक्ष महोदया : गंगवा जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए अब आप कृपा करके बैठ जायें।

श्री रणबीर गंगवा : उपाध्यक्ष महोदया, अगर हम इन सभी तथ्यों पर गहन विचार करके कोई फैसला करेंगे तो फिर वह गलत नहीं होगा और सभी को अपना हक मिलेगा तथा न ही इस तरह का माहौल खराब होगा। उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो यही कहने के लिए खड़ा हुआ था, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो सभी सदस्यों से यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस सदन में इस तरह की बात न की जाये जिस प्रकार की बात हमारे साथी गंगवा साहब ने कही है कि श्री अनूप धानक के बारे में ऐसी बात कही है। मैं उनसे माफी चाहूँगा कि इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। इस सदन को जाति के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। इस सदन में हम सभी विधायक चुन कर आते हैं और यहाँ पर कोई विधायक गरीब नहीं है क्योंकि जब विधायक चुन कर आ गये तो गरीब कैसे हुये ? (विघ्न) हम सभी विधायक चाहे किसी भी जाति से हैं लेकिन हमें इस तरह का तल्ख व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक तरफ हम पंजाब से एस.वाई.एल. नहर को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हरियाणा में कुछ शांति का माहौल बना है, ऐसे समय में इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, अब आरक्षण की बात की गई है तो मैं आरक्षण पर भी अपनी बात कहना चाहूँगा। आरक्षण आन्दोलन की आड़ में जो दंगे हुये हैं उनके मुख्य कारणों पर सारे सदन को चर्चा करनी चाहिए। यह आरक्षण की आग आज की नहीं है, उसकी चिंगारी 1990 में भी भड़की थी जब केन्द्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं लोकसभा का सदस्य था। उस वक्त ओ.बी.सी. का खाका तैयार हुआ था। उससे पहले एस.सीज. के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण था और जो ऑरिजनल बी.सी. के भाई थे उनके लिए 16 प्रतिशत आरक्षण था तथा बाद में उसमें 11 प्रतिशत का आरक्षण और शामिल किया गया था। उसके बाद 1996 में दूसरी जातियों को शामिल करके उनको

[श्री जय प्रकाश]
ओ.बी.सी. का दर्जा दिया गया। मैं तो यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि जो दंगे हुये हैं वे गलत हैं लेकिन जो जाट बिरादरी के लोग हैं वे आरक्षण सरकार से लेना चाहते हैं न कि किसी दूसरी जाति के लोगों से। दूसरी जातियों को भी इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि जब मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लोकसभा में पेश हुई तथा पांच जातियों को ओ.बी.सी. में शामिल किया गया तो उस वक्त किसी दूसरी जाति ने विरोध नहीं किया था। अब जब जाट बिरादरी के लोगों ने आरक्षण की मांग करते हुये धरना शुरू कर दिया तो मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तथा उस बैठक में यह निर्णय हुआ था कि हम जाटों को आरक्षण देंगे लेकिन धरना शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। उस समय सभी लोगों ने धरना प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की और सरकार यह भी कह रही है कि हम जाटों को आरक्षण देंगे। उपाध्यक्ष महोदया, यह देखना जरूरी होगा कि वे कौन लोग थे जिन्होंने पिछले एक साल से इस आग को भड़काने का काम किया था। यदि आपकी जांच में यह बात सामने आये कि इस आग को भड़काने में एक सांसद का हाथ है तो उनको भी सजा दी जानी चाहिए। जब प्रो. वीरेन्द्र की ऑडियो के आधार पर उन पर कार्रवाई हो सकती है तो जो दूसरी वीडियो वायरल हुई हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक वीडियो हमारे विधायक श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास जी की भी वायरल हुई है उसको भी जनता के सामने रखा जाना चाहिए।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से श्री जयप्रकाश जी को कुछ कहना चाहता हूं और उनको मैं अपने दिल की बात सुनाना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि जाट बिरादरी के साथ और लोगों ने विरोध किया है तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई विरोध नहीं करता। * * * की बात तब हुई थी जब दंगे भड़के और तब हरियाणा में * * * सामने आई। सरकार चाहे कुछ नहीं कर पाई लेकिन* * *के दबाव में आन्दोलनकारी बैक फुट पर आ गये जिससे हरियाणा प्रदेश में शान्ति हुई।

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, फिर तो ये भी उसमें दोषी हैं तो इनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, दूसरी बात आई जांच की उसमें प्रकाश सिंह कमीशन जो जांच कर रहे हैं वह केवल अधिकारियों की जांच कर रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है कि जिस तरीके से पोस्टिंग और ट्रांसफर एक जाति विशेष के अधिकारियों की हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि कसूरवार चाहे कोई ऑफिसर हो उनके खिलाफ एक्शन लो और जो अखबारों में जाति विशेष की चर्चाएं हैं उसको रोकने का काम भी आपको तत्काल करना चाहिए ताकि लोगों के मन में विश्वास की भावना बने चाहे वह अधिकारी हैं चाहे वह कर्मचारी हैं। अब रोहतक की बात आई और झज्जर की बात आई उसमें किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि हांसी के सिसाय में ----

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, जो यह बात कही गई कि 35 बिरादरी के दबाव में आन्दोलनकारी बैक फुट पर आ गये। मैं समझता हूं कि यह 35 बिरादरी वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए इसलिए इसको कार्रवाई से निकलवा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदया : इस 35 बिरादरी वाली बात को कार्रवाही से निकाल दिया जाए।

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, ठीक है यह शब्द कार्रवाही से निकलवा देना चाहिए। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदया सिसाय गांव में हादसा हुआ है। हांसी में

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

किसी भाई के साथ कोई जुल्म हुआ है वह भी गलत बात है। लेकिन सिसाय के लोगों के साथ जो हुआ गुप्ता जी आप भी मेरी बात की ताईद करोगे वह भी तो गलत है। वह किन लोगों ने किया। जिस प्रकार से हमारे भाई श्री जसबीर सिंह जी के घर को जलाने का जो फैसला लिया गया और किस तरह से उनके घर और उनकी गाड़ियों को बुरी तरीके से जलाया गया जिससे इनका परिवार तीन घण्टे तक बाहर बैठा रहा। वे लोग भी तो उपद्रवियों में शामिल होने चाहिए। इसी प्रकार से कैथल में दीन बन्धू श्री छोटूराम का सटैचू तोड़ा गया। उपाध्यक्ष महोदया झगड़े क्या हैं? वह केवल राजनीतिक वोट बैंक हासिल करने के हैं और वोट बैंक हासिल करने के लिए जिस भी पार्टी ने और जिस भी नेता ने यह प्रयास किया है उसके खिलाफ कार्रवाही की जाए। जिस प्रकार से वर्ष 1990 में तत्कालिन प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया था उसके बाद उसकी दोबारा सरकार नहीं आई जिसमें हरियाणा से एक मैंबर भी चुन कर नहीं गया। इसलिए हमने सोहार्द का वातावरण करना है। अब कई भाई यह कहते हैं कि इस उपद्रव के पीछे चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का हाथ है तो मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश को आग नहीं लगवा सकता। आप इस बात को सोचिये (शोर एवं व्यवधान) नहीं - नहीं (शोर एवं व्यवधान)

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, हम यह सबूत के साथ बताएंगे कि इस उपद्रव के पीछे उनका ही हाथ है। जयप्रकाश जी आप गलत ब्यानी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) हम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सबूत लेकर आएंगे। (शोर एवं व्यवधान) वही इस प्रदेश में आग लगाने वाले हैं उन्हीं ने हरियाणा प्रदेश के अन्दर आग लगाई हैं। (शोर एवं व्यवधान) वह हरियाणा को लूटने वाले हैं। वह हरियाणा को जलाने वाले लोग हैं। आप उनकी वकालत करने के लिए यहां पर आए हैं (शोर एवं व्यवधान) वह सदन में क्यों नहीं आते। वह सदन में आकर सुनना क्यों नहीं चाहते। वह पीछे से आग लगाने वाले केवल वही हैं जिनका आप बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : उपाध्यक्ष महोदया, हमारे विधायक श्री मनीष ग्रोवर के गनमैन की बात करते हैं इन्होंने बात स्पष्ट कर दी थी (शोर एवं व्यवधान) इसलिए जयप्रकाश जी आप बड़े गैर जिम्मेवारा रूप से उनकी बात कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, क्या जय प्रकाश जी आप उनकी गारंटी लेते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, * * *

उपाध्यक्ष महोदया : जय प्रकाश जी बिना परमिशन के बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, जयप्रकाश जी ने तो उनको क्लीन चिट दे दी। आप हरियाणा को जलाने वाले को क्लीन चिट दे रहे हो।(शोर एवं व्यवधान) आप सौदे-बाजी कर रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, * * *

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती सीमा त्रिखा) : अध्यक्ष महोदय, इनकी गम्भीरता तो देखिए इतने संगीन मामले पर भी हंसते हुए निन्दा कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस जाट आरक्षण आंदोलन की सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाई जानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट की जांच में जो भी दोषी पाया जायेगा उसको सजा दो। (शोर एवं व्यवधान) इस बात के लिए सरकार भी स्वागत की पात्र होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सीमा त्रिखा : अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश जी जैसे लोग, लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) इन जैसे लोगों को जनता समय आने पर सबक जरूर सीखायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, जनता किसको सबक सिखायेगी और किसको नहीं सिखायेगी यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

खनन एवं भूविज्ञान राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश जी कांग्रेस के कुकर्मों को यहां सदन में जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) जयप्रकाश जी भूपेन्द्र हुड्डा की गोदी में जाकर बैठ गये हैं। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा की जनता इनकी असलियत जान चुकी है। (शोर एवं व्यवधान) जनता ने अबकी बार इनको सदन में भेजा है, अगली बार वह यह गलती करके इन्हें इस सदन में नहीं बैठाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, सैनी साहब को ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। इन्हें भी पता नहीं होगा कि यह कहां पर जाकर बैठेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नायब सैनी : अध्यक्ष महोदय, जय प्रकाश जी को भलीभांति बता देना चाहता हूँ कि हम यहीं पर बैठेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, सैनी जी ख्याली पुलाव पका रहे है। मेरी क्या बताओंगे तुम खुद ही इस सदन में नजर नहीं आओगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री नायब सैनी : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा जल रहा है और यहां सदन में जयप्रकाश जी हंस कर बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, जय प्रकाश जी कांग्रेस पार्टी की वकालत कर रहे हैं। इनको कांग्रेसी मित्रों के पास बाहर भेजने की जरूरत है। यह भूपेन्द्र हुड्डा की वकालत कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) शर्म आनी चाहिए इनको। (शोर एवं व्यवधान) भूपेन्द्र हुड्डा को यहां सदन में आकर अपनी बात कहनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) जय प्रकाश को सदन में भूपेन्द्र हुड्डा की वकालत करने की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती संतोष सारवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश :* * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आपको बोलते हुए बहुत समय हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री जय प्रकाश :* * * * *।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप मेरी बात सुनिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश :* * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप मेरी बात सुनिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश :* * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप एक बार जो मैं कहना चाहता हूँ उसे सुन तो लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयप्रकाश :* * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी द्वारा जो भी बातें अब कही जा रही हैं उन बातों को रिकॉर्ड न किया जाये।

श्री जयप्रकाश :* * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती संतोष सारवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है। मुझे बोलने के लिए समय दिया गया है। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश :* * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जयप्रकाश जी को कहना चाहता हूँ कि गलती करके जाति की चादर मत ओढ़ो। (शोर एवं व्यवधान) तुम जैसे लोगों ने जाट जाति को बदनाम किया है। (शोर एवं व्यवधान) तुम जैसे लोगों को जाट जाति को बदनाम करने की किसी भी कीमत पर छूट नहीं दी जायेगी। (शोर एवं व्यवधान) तुम जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए जाति की चादर ओढ़कर काम कर रहे हो। (शोर एवं व्यवधान) तुम जैसे लोगों ने जाट जाति को बदनाम किया है। (शोर एवं व्यवधान) जाट जाति को बदनाम नहीं होने देंगे। (शोर एवं व्यवधान) गलती करके जाति की चादर ओढ़ रहे हो, जाति की चादर ओढ़कर अपराध करते हो, जाति को बदनाम किया और फिर जाति की चादर ओढ़कर अपने आपको निर्दोष साबित कर रहे हो। (शोर एवं व्यवधान) ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश :* * * * * (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, चंद उदण्ड, पापी, षड़यंत्रकारियों व स्वार्थी लोगों के लिए जाट जाति को बदनाम नहीं होने दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) जय प्रकाश जी, तुम्हारे साथी जो षड़यंत्रकारी हैं केवल उनके स्वार्थ की खातिर जाट जाति को बदनाम नहीं होने देंगे। (शोर एवं व्यवधान) चंद बिके हुए लोगों द्वारा यह जाट आरक्षण की आग लगाई गई है। (शोर एवं व्यवधान) जाट समाज सर छोटू राम जी का समाज है उनके इस समाज को इन चन्द स्वार्थी लोगों की खातिर बदनाम नहीं होने दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश :* * * * * (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश जैसे बिके हुए लोगों ने अपने स्वार्थ की खातिर सामाजिक ताने बाने को छिन्न-भिन्न करने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश :* * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जयप्रकाश जी, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) सबको अपनी राय रखने दीजिए।(शोर एवं व्यवधान) ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही सदन में खड़े होकर बोलते रहेंगे। (शोर एवं व्यवधान) आप तो बोल लिए हैं औरों को भी अपनी राय रखने का मौका मिलना ही चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (सरदार बख्शीश सिंह विर्क) : अध्यक्ष महोदय, . . .(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बख्शीश जी, आप अभी बैठिये, आपको भी बोलने का मौका दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेक चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार से जयप्रकाश जी बोलते रहे तो औरों को मौका कैसे मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान) मैंने आपसे कितनी बार अनुरोध किया है कि मुझे बोलने का मौका दिया जाये लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : टेक चन्द जी, आपको भी बोलने का मौका देंगे। (शोर एवं व्यवधान) फिलहाल संतोष सारवान जी का प्वॉयंट आफ आर्डर है अत: आप उन्हें अपनी बात रखने दीजिए उसके बाद आपको मौका देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती संतोष चौहान सारवान : अध्यक्ष महोदय, जाट आरक्षण के नाम पर हरियाणा में जो उपद्रव और जो अराजकता हुई उसके लिए भाई जय प्रकाश जी वकालत करते हुए कह रहे हैं कि इस आंदोलन की आग को भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नाम न थोपा जाये। अध्यक्ष महोदय, इस आंदोलन की आग को भड़काने के लिए भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का नाम कैसे न थोपा जाये। अध्यक्ष महोदय, जब झज्जर और रोहतक को पूरी तरह से आग के हवाले किया जा रहा था तो उस समय चुन-चुनकर लोगों को टारगेट करते हुए उनकी दुकान, मकान और अन्य प्रतिष्ठानों को जलाया गया। यह बात मैं पूरे सबूत के साथ कह रही हूँ और यदि कोई चाहे तो मैं इस संबंध में सबूत पेश भी कर सकती हूँ। 20 फरवरी, 2016 को भूपेन्द्र हुड्डा के राईट हैंड तथा खास-खास आदमियों ने रोहतक व सोनीपत के अपने खास-खास लोगों व कार्यकर्ताओं को टेलीफोन करके कहा कि तुम लोग चुड़ियां पहन लो। तुम लोग झज्जर व रोहतक में देखो वहां पर क्या-क्या हो चुका है और तुम यहां शांत बैठे हों। यह बात सुनकर लोग रात के अढ़ाई बजे मोटर साईकिलों पर जत्थे बनाकर निकले और उन्होंने सैकड़ों वाहनों को मुरथल में आकर जला दिया। अमृतसर से चलकर दिल्ली और उसके आगे जाने वाले लोग मुरथल में जाकर फंस गये। उनका बहुत बुरा हाल किया गया। उनकी गाड़ियां तक जला दी गई। बड़ी मुश्किल से बहनों और बेटियों ने ढाबों में जाकर शरण ली और अपनी जान बचाई और यह जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि भूपेन्द्र हुड्डा ने यह काम नहीं किया है। बड़ा अजीब है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री जय प्रकाश :* * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री संतोष चौहान सारवान : अध्यक्ष महोदय, जय प्रकाश जी कह रहे हैं कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने ऐसा नहीं किया है बल्कि हमने उन पर शक किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश :* * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती संतोष चौहान सारवान : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, सरकार सच्चाई से भाग रही है। (शोर एवं व्यवधान) सरकार मूक दर्शक बन कर बैठी रही। (शोर एवं व्यवधान) किसी एक आदमी पर ऐसा आरोप लगाना गलत है। (शोर एवं व्यवधान) सारी घटना की जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, जाट आंदोलन के दौरान कई नेता रोहतक में हंस-हंस कर बातें कर रहे थे। (शोर एवं व्यवधान) उन नेताओं को लोगों के जूत पड़ें हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूँ कि उन नेताओं की जौ पैरवी कर रहे हैं, उन्हें भी जूते पड़ेंगे। (शोर एवं व्यवधान) यह जनता सबक सिखाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती संतोष चौहान सारवान : भाई जय प्रकाश जी, आप बैठ जाइये। मुझे अपने प्रदेश के हितों की बातें कहने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, प्लीज आप अपनी सीट पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती संतोष चौहान सारवान : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे प्रदेश को जलाया है। मेरे प्रदेश की इज्जत और गौरव को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तार-तार कर दिया है। आज सदन में नेताओं और अधिकारियों की पैरवी हो रही है कि विशेष जाति के नेताओं और अधिकारियों को कुछ ना कहा जाये। अध्यक्ष महोदय, उन नेताओं और अधिकारियों को क्यों ना कहा जाये ? जिन्होंने टेलीफोन के माध्यम से आंदोलन को भड़काया है। सरकार में उच्च पद पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने इस आंदोलन को आँख बंद करके देखा है। मेरे भाई जय प्रकाश जी यह कह रहे हैं कि सरकार इस आंदोलन को रोकने के लिए विफल रही है। जब वर्ष 1971 में हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, उस वक्त हजारों की संख्या में बहन-बेटियां बांग्लादेश से हर रोज भारत में आ रही थी। उस समय के नेताओं ने इस बात का विरोध किया था कि इन शणार्थियों को भारत में घुसने मत दो। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह कहा था कि उनको बांग्लादेश में गोली मारी जा रही है और इनकी इज्जत आबरू को भी लुटा जा रहा है। किसी भी तरीके से इनको भारत में आने के लिए नहीं रोक सकते तो इनको अपनी सरहद पर गोलियों से मार दो, यही एक तरीका हो सकता है। इस प्रकार के हालात हरियाणा के अंदर पैदा कर दिए थे। जाट आंदोलन में 30 दोषी व निर्दोष आदमियों की जानें गई हैं। यदि सरकार इस हिंसक आंदोलन में तत्परता और मुस्तैदी नहीं दिखाती तो 30 क्या 300 आदमियों की जाने भी जा सकती

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्रीमती संतोष चौहान सारवान]

थी। कांग्रेस पार्टी के लोग घर बैठे-बैठे सरकार की विफलता की बातें करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हर चीज को संभालने में एक समय लगता है। सुनियोजित ढंग से तीन महीने पहले इस आंदोलन का षडयंत्र रचा गया था। ऐम्बूलैंस गाड़ियों के अन्दर पैट्रोल और डीजल रखने का काम किया गया था। दवाई छिड़कने वाली टैंकियों में पैट्रोल-डीजल भरकर आग लगाने का काम किया गया था। सबसे पहले सुनियोजित ढंग से लोगों की लिस्टें बनाकर चुन-चुन कर लोगों के घरों व दुकानों को आग के हवाले किया गया था। लोगों पर तरह-तरह के अत्याचार किए गए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से यह कहना चाहती हूँ कि सरकार को इस बात का कोई भी अंदेशा नहीं था कि कांग्रेस के लोग इस तरह की अराजकता फैलायेंगे ? आज सदन में एक माननीय सदस्य उन नेताओं की वकालत करता है कि कांग्रेस निर्दोष है और अधिकारी भी निर्दोष हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो अराजकता हरियाणा के अंदर फैलाई है, उन्हें आने वाली पीढ़ियां कभी भी माफ नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरी तरह से सजग थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उदारता, सहनशक्ति, नम्रता, मृदभाषी आदि गुणों को उनकी कमजोरी नहीं माननी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी दंगा पीड़ित लोगों के पुनर्वास और उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेकचंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का समय दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आपको भी बोलने का मौका दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) सभी माननीय सदस्यगण इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, इसलिए सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि केवल पांच मिनट में ही अपनी बात समाप्त करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता और सभी सदस्यगणों से एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार कहती है कि सुनियोजित ढंग से तीन महीने पहले हरियाणा के अन्दर इस आंदोलन का षडयंत्र रचा गया था। आंदोलन में ऐम्बूलैंस की गाड़ियो के साथ दवाई छिड़कने वाली टंकियों का इस्तेमाल हुआ था। इसका मतलब आपका प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से फेल था। मुख्यमंत्री की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते हैं जिनमें सी.आई.डी. और पुलिस इत्यादि विभागों के अधिकारी होते हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर डी.सीज. भी मुख्यमंत्री जी की सहायता के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री को एक-एक मिनट की रिपोर्ट देना इन अधिकारियों की जिम्मेवारी होती है। इसलिए प्रदेश में क्या हो रहा है उसके बारे में वे मुख्यमंत्री को अवगत कराते हैं। अत: यह मानकर चलिए कि आपकी सरकार जाट आंदोलन से निपटने में सौ फीसदी नाकाम रही है। सरकार के नोटिस में आपके अधिकारी यह बात नहीं लाए जिसकी वजह से प्रदेश में इतना जान-माल का नुक्सान हुआ है। मुझसे पहले माननीय मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बता रहे थे कि प्रदेश में आग लगवाने वालों को जूते लगेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा क्या आप उन लोगों को भी जूते लगवाओगे जिन्होंने जाटों के खिलाफ जहर उगला है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी आप कार्रवाई करें जिन्होंने इस प्रदेश को फूंकने में भूमिका निभाई है। इसके साथ-साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर भी कार्रवाई करोगे।

श्री हरविन्द्र कल्याण : अध्यक्ष महोदय, मुझे राजनीति में आए हुए 25 साल हो गए हैं परंतु विधायक मैं अभी बना हूं। इस सदन में इस बार बहुत से विधायक पहली बार चुनकर आए हैं। हम लोग एक अच्छी और विकास की सोच के साथ कि अपने इलाके में विकास करेंगे और प्रदेश के विकास में योगदान देंगे ऐसा सोचकर आए थे। मगर आज यह देखकर दु:ख हो रहा है कि इस महान सदन में आज किस विषय पर चर्चा हो रही है। स्पीकर महोदय, हमारे सम्मानित सदस्य श्री परमिन्द्र सिंह ढुल ने एक बहुत अच्छा विषय रखा है। उन्होंने 35 जाति बनाम 1 जाति के विषय पर चिंता भी जाहिर की है और कहा है कि यह हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता यह भी नहीं है कि जाति विशेष को चिन्हित करके उनके प्रतिष्ठानों को आग के हवाले कर दिया जाए और उनके खून-पसीने की कमाई को खाक में मिलाएं। स्पीकर महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हर जाति में अच्छे और गंदे लोग होते हैं जिसको हमें समाज के नाते देखना चाहिए। आज किसी भी राजनीतिक फायदे के लिए या राजनीतिक सोच से प्रेरित होकर किसी को क्लीनचिट देना किसी भी जिम्मेवार सदस्य के लिए उचित नहीं होगा। जिन ताकतों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हरियाणा के भाईचारे को खराब करने की कोशिश की और हरियाणा को जिस भाईचारे की वजह से जाना जाता है पूरे देश में उसके माथे पर कलंक लगाने की कोशिश की है उनकी पहचान होनी चाहिए। ऐसा होना बहुत जरूरी है। हमें प्रदेश की यह स्थिति देखकर दु:ख होता है। मेरे परिवार के और चौटाला परिवार के कई पीढ़ियों से संबंध हैं। मेरे पिताजी के चौधरी देवीलाल के साथ घनिष्ठ संबंध थे। आज मेरे पिताजी इस संसार में नहीं हैं। मेरे परिवार के हर सुख-दु:ख में गांव मांडौठी के चौधरी उदय सिंह दलाल सामाजिक नाते से और बुजुर्ग की हैसियत से शामिल होते हैं तथा हमारे परिवार को हर सुख-दु:ख में सम्भालते हैं। स्पीकर साहब, इसलिए प्रदेश में बिगड़े भाईचारे पर मुझे दु:ख होता है। किसी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं है। आज मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि सवाल उनके सदन में उपस्थित न होने का नहीं बल्कि सदन से बाहर जाने के कारण का है। उन्होंने बाहर जाने के लिए कारण स्वयं बनाया है मगर असली कारण क्या है इसे पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है। मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आज हरियाणा प्रदेश को इस तरीके से कलंकित किया है। स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को ज्यादा लम्बी नहीं खींचूंगा। हरियाणा प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जिनके बारे में सबको पता है कि किस सद्भावना के साथ वे हरियाणा को प्रगति के रास्ते पर अग्रसर करने का काम कर रहे हैं। सवाल काम करने की नीयत का है। सवाल यह है कि कौन किस सोच के साथ उस सत्ता का इस्तेमाल कर रहा है। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले केवल मुआवजा वितरण के ऊपर एक चर्चा करूंगा। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उन लोगों को तत्काल प्रभाव से मुआवजा देने का काम किया है जिन लोगों को इन दंगों के दौरान नुक्सान हुआ। मैं मुआवजा देने के बारे में केवल एक बात कहना चाहूंगा कि केवल निर्दोष को मुआवजा मिलना चाहिए मगर उसको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए जिसको वहां पर दंगा करने के दौरान गोली लगी क्योंकि वह कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं कि जिसको सरकार के खजाने से मुआवजा देकर हम कोई सम्मान देने की बात करें। समाज को इस प्रकार का हमको संदेश देना है और इस बात पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है।

डा० पवन सैनी (लाडवा) : अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं संबंधी जो स्थगन प्रस्ताव आया है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हरियाणा में पिछले दिनों जो घिनौना और जघन्य कृत्य हुआ उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आया हूं और इस पार्टी का लक्ष्य भी है कि "सबका साथ सबका विकास"। मुख्यमंत्री महोदय ने हमें एक नारा भी दिया है कि "एक हरियाणा एक हरियाणवी"। हमें पढ़ाया भी जाता है और सिखाया भी जाता है तथा बुलवाया भी जाता है कि-

पथ का अन्तिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना,
और सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना।

अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि यह मामला केवल आरक्षण का नहीं था। चूंकि कांग्रेस के हाथों से सत्ता चली गई इसलिए यह मामला मुख्यमंत्री की कुर्सी का था। मुझे कहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि इस हरियाणा में जहां जहां भी ऐसे कुकृत्य हुए हैं, आगजनी हुई है और लूटपाट हुई है वहां या तो कांग्रेस का विधायक है तथा जहां कांग्रेस का विधायक नहीं है वहां कांग्रेस के लोगों ने इस तरह के काम करवायें काम कियें हैं। चाहे गोहाना की बात करें, कलानौर की बात करें, झज्जर की बात करें या कैथल की बात करें या जहां जहां भी ये काम हुए हैं वहां से या तो कांग्रेस के विधायक चुनकर आए हैं या वहां पर कांग्रेस के लोगों का प्रभाव है। अध्यक्ष महोदय, बार बार राजकुमार सैनी का नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने इस प्रकार का जहर फैलाने का काम किया है। राज कुमार सैनी जी ओ.बी.सी. की बात करते हैं, ओ.बी.सी. के हकों की बात करते हैं, उनके आरक्षण की बात करते हैं, उनके आरक्षण से छेड़छाड़ की बात करते हैं। वे उनके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं भी उनसे सहमत हूं परंतु समाज के किसी दूसरे वर्ग के साथियों के बारे में यदि वे अपशब्द बोलते हैं तो वहां मेरी उनके साथ मत भिन्नता है और मैं वहां उनके साथ नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने सबको बोलने का समय दिया सब इस विषय पर बोले हैं लेकिन इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे प्रदीप देसवाल का नाम ले लेते या उन्होंने उसकी निंदा की होती। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, बार बार राजकुमार सैनी का नाम लेकर कहा जाता है कि राजकुमार सैनी एक वर्ग के बारे में अपशब्द बोलते हैं लेकिन मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि दूसरे समाज के लोगों ने भी तो हवा सिंह सांगवान के नाम का जिक्र तक नहीं किया। (विघ्न)

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वांयट आफ आर्डर पर अपनी बात कहना चाहता हूं। अभी पवन सैनी ने कहा कि किसी ने हवा सिंह सांगवान के नाम का जिक्र नहीं किया जबकि मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारी इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के अध्यक्ष ने स्पैशल प्रैस कांफ्रैस करके हवा सिंह सांगवान के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में कहा है और मांग की है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर इसकी क्लीपिंग चाहिए तो मैं वह भी लाकर दिखा सकता हूं। जो सदन के नेता का अपमान किया गया है हम उससे सहमत नहीं है इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। (विघ्न)

डा० पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई वक्ता बोल रहा होता है तो ये लोग बीच में इंटरवीन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूं मुझे 5 मिनट का समय दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आरक्षण के ठेकेदार यशपाल मलिक ने भी बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी एक आडियो और विडियो वायरल देश में,

प्रदेश में हुई जिसमें में वे कई प्रकार की गालियां दे रहे हैं। उनके खिलाफ किसी नेता ने अखबार में या न्यूज चैनल पर बयान नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे समय कम मिला है उनके इस अपराध की जितनी निंदा की जाए वह कम है लेकिन बार-बार विपक्ष के साथी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे कृत्य के अंदर जिस प्रकार से पूरा हरियाणा लुट रहा था और जल रहा था तथा एक दूसरे पर गोलियां चल रही थी इस तरह के माहौल का मुख्यमंत्री जी ने थोड़े से अंतराल में समेटने का काम किया इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोग इस तरह का कृत्य करना चाह रहे थे यदि इसे समय रहते नहीं समेटा जाता तो लोग हमारे मुख्यमंत्री जी को कहते कि मनोहर लाल जी ने किस प्रकार का काण्ड किया और इनके हाथ खून से रंगे हैं। हम मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं और उन्होंने बड़ी सूझबूझ से इसे हल किया है। भाई जय प्रकाश बरवाला जी इस समय सदन में नहीं हैं। वे चुनकर तो निर्दलिय आये हैं लेकिन उनकी आत्मा अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही है। वे जंतर-मंतर पर धरने में गए। किरण चौधरी और अशोक तंवर के साथ उनकी फोटो थी जिसमें वे हंस रहे थे। वे कांग्रेस पार्टी के एंजैंट के नाते यहां बैठे हैं। उन्होंने निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी के साथियों को सदन में बुला लिया जाए। आपके अनुमति देने के बाद भी उनके कहने से कांग्रेस के साथी नहीं आए। मैं मुख्यमंत्री जी से केवल यही कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो लोग निर्दोष थे उनको मुआवजा दिया जाए। परंतु जो लोग उपद्रवी थे जिनकी मृत्यु हो गई उनको मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारियों की संलिप्तता की बात भी आई। हांसी के एस.डी.एम.,दहिया, झज्जर के एस.डी.एम., मलिक और मुनीष कमार, एस.एच.ओ. का नाम आया है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह के जो अधिकारी हैं उनकी जांच करके कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। 19 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें हमारी पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के अध्यक्ष अशोक कुमार अरोड़ा जी और हमारी पार्टी के उपनेता सरदार जसविन्द्र सिंह संधू दोनों ने भाग लिया था। मुझे लगता है सैनी साहब अखबार नहीं पढ़ते या टी.वी. नहीं देखते। उस दिन हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी ने कहा था कि राज कुमार सैनी जो ओ.बी.सी. ब्रिगेड बनाने की बात करता है उसके खिलाफ और हवा सिंह सांगवान जो जाट ब्रिगेट बनाने की बात करता है, ऐसे लोगों को रोका जाए। यह बात उन्होंने खुलकर कही थी। (विघ्न)

डा० पवन सैनी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय नेता से यह बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपने शासन काल के दौरान जो *** हरियाणा प्रदेश में दिखाई थी उसके कारण ही हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनको हरियाणा प्रदेश की सत्ता से पिछले लगभग 15 वर्षों से बेदखल किया हुआ है। मेरी आपके माध्यम से इनसे यही प्रार्थना है कि ये सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही किसी माननीय सदस्य से बात करें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, अभी-अभी जो माननीय सदस्य डॉ. पवन सैनी जी द्वारा जो *** शब्द प्रयोग किया गया है सर्वप्रथम तो उसे सदन की कार्यवाही से निकलवाया जाये और दूसरी बात माननीय सदस्य इसके लिए यहां पर माफी मांगे।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : जो *** शब्द अभी डॉ. पवन सैनी जी द्वारा प्रयोग किया गया है उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, केवल इस शब्द को सदन की कार्यवाही से निकलवाने मात्र से बात नहीं बनेगी बल्कि डॉ. पवन सैनी को इसके लिए सदन में माफी भी मांगनी पड़ेगी तभी हम सदन की कार्यवाही को आगे चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन सैनी : स्पीकर सर, में अपनी बात यहां पर फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष को अपनी मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। मैंने दूसरे माननीय सदस्यों के प्रति इनके व्यवहार को बहुत बार यहां पर देखा है। ये किसी भी माननीय सदस्य को धमका देते हैं।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपको भी यहां पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि कोई माननीय सदस्य "तुक्के" से इस सदन का सदस्य निर्वाचित हो गया है। वास्तव में यहां किसी भी सदस्य को जनता ने चुनकर भेजा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, पहले आप डॉ. पवन सैनी जी से माफी मंगवायें उसके बाद ही हम सदन की कार्यवाही को आगे चलने देंगे फिर चाहे आप हमें नेम करके सदन से बाहर ही क्यों न निकाल दें हम डॉ. पवन सैनी के द्वारा माफी मांगने के बाद ही सदन की कार्यवाही को चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान) डॉ. पवन सैनी का बात करने का यह क्या तरीका है। एक आदमी हाऊस में खड़ा होकर कह रहा है कि हमने अपने शासन काल के दौरान हरियाणा प्रदेश में *** की है। आपके माध्यम से मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि ये हमें यह तो बतायें कि हमने क्या *** की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, जिस शब्द की आप बात कर रहे हैं वह शब्द सदन की कार्यवाही से निकलवा दिया गया है इसलिए अब आप बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, यह किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता पहले आप डॉ. पवन सैनी से माफी मंगवायें तभी हम सदन की कार्यवाही को चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अभय सिंह जी, यह मैं भी मानता हूं कि डॉ. पवन सैनी जी ने जो शब्द बोला है वह गलत बोला है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी द्वारा उस शब्द को कार्यवाही से निकलवा दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपकी तरफ से भी ऐसी बहुत सी बातें कही गई हैं जैसे आपने सीधे-सीधे डॉ. पवन सैनी को यह कह दिया कि आप तो ऐसे ही एम.एल.ए. बन गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, ऐसा कहकर हमने उनको कोई गाली थोड़े ही न दी है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपने ऐसा कहकर माननीय सदस्य डॉ. पवन सैनी जी को उत्तेजित कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान) अभय सिंह जी, माननीय सदस्य द्वारा प्रयोग किये गये शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है। अभी एक बहुत ही गम्भीर विषय पर यहां चर्चा हो रही है। इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आपने ही इस विषय को सदन में उठाया है। इसलिए कृपया करके आप बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। अगर आप सारे समय को ऐसे ही शोर-शराबे में नष्ट कर देंगे तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं हो पायेगी। (शोर एवं व्यवधान) डॉ. पवन सैनी जी ने श्री राज कुमार सैनी की कोई पैरवी नहीं की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नायब सैनी : स्पीकर सर, इस सदन में अभी एक प्रस्ताव पास किया जाये कि यहां पर कोईभी माननीय सदस्य किसी भी माननीय सदस्य के प्रति अपशब्दों या अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। श्री अभय सिंह चौटाला जी, यहां पर बहुत ही नहीं अपितु बार-बार ऐसा करते हैं।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : स्पीकर सर, श्री अभय चौटाला जी लगभग-लगभग सभी सदस्यों के साथ तू-तड़ाक करके बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यगण, कृपया करके अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें। माननीय मुख्यमंत्री इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मनोहर लाल : माननीय सदस्यगण, देखिए इस प्रकार से हल्के शब्दों में उत्तर-प्रत्युत्तर देने से सदन का बेशकीमती समय भी खराब होता है और जिस प्यार और प्रेम के माहौल में सदन की कार्यवाही चल रही होती है वह प्यार-प्रेम का भाव भी इससे प्रभावित होता है। जैस विपक्ष के माननीय नेता की तरफ से यह शब्द किसी माननीय सदस्य के लिए आया कि आप तो "तुक्के" से विधान सभा में सदस्य चुनकर आ गये हो। मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए एक माननीय सदस्य के लिए यह एक अपशब्द ही है। इसलिए श्री अभय सिंह चौटाला जी ने जो कहा वह भी ठीक नहीं है और डॉ. पवन सैनी जी ने श्री अभय सिंह जी को जो कहा कि आपने अपने शासन काल के दौरान हरियाणा प्रदेश में *** की वह शब्द भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से ही इन शब्दों को वापिस लिया जाना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विधान सभा या लोक सभा में भेजती है और जनता के द्वारा यहां पर चुनकर भेजा हुआ कोई भी व्यक्ति इस सदन का एक सम्मानित सदस्य होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यहां पर कोई "तुक्के" से नहीं आता है। कल को कोई भी व्यक्ति किसी को भी "तुक्के" जैसा कुछ भी कहने लग जायेगा। मैं समझता हूं कि यह किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। इसी प्रकार से डॉ. पवन सैनी जी द्वारा *** शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं समझता हूं कि यह भी सही नहीं है और ठेस पहुंचाने वाला शब्द है। दोनों शब्दों को या तो वापिस लिया जाये या फिर दोनों ही माननीय सदस्यों की ओर से इन शब्दों के प्रयोग के लिए खेद प्रकट किया जाये।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने अभी अपनी तरफ से यह बात कही है कि दोनों तरफ से बातें कही गई हैं। मैं जब अपनी बात कह रहा था तो मेरी बात के लिए सदन के नेता या कोई मंत्री उसका जवाब दे सकते थे। हम जब कोई भी बात सदन में पूछते हैं या किसी भी इशू पर सरकार से जवाब मांगते हैं तो मंत्री जी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह

[श्री अभय सिंह चौटाला]

खड़ा हो कर उस पर अपना जवाब दे न कि कोई भी सदस्य खड़ा हो कर बीच में इन्ट्रप्ट करे। हम कई बार यह बात कहते रहे कि आपके सदस्य बीच में खड़े होते हैं वह गलत बात है तथा यह बात हाउस की प्रोसीडिंग्स के मुताबिक नहीं है। यह नियम सभी सदस्यों के लिए लागू है और मेरे ऊपर भी लागू होता है। अध्यक्ष महोदय, जब कोई गलत बात होती है और मैं उस पर सवाल पूछना चाहता हूँ और आप मुझे बोलने के लिए समय देते हैं तो सदन के बाकी सदस्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे मुझे बीच-बीच में रोकने का प्रयास करें। मेरे द्वारा उठाये गये सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी मंत्री जी की बनती है। मैंने आपको स्वयं यह कहा था कि डॉ. पवन सैनी को बोलने के लिए समय अवश्य दिया जाये। मैंने तो श्री अशोक अरोड़ा जी वाले इशू पर सफाई दी थी कि उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उसके बाद जब डॉ. पवन सैनी मुझे बोलते हुये बीच में टोक रहे थे तो मैंने सिर्फ यह कहा था कि आपकी सूत बैठ गई। उस बात पर अगर कोई सदस्य यह कहे कि आप गुण्डागर्दी करने की वजह से 15 साल तक सत्ता से बाहर रहे हो तो यह बात हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए आप सदन के नेता से या सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहें कि वे प्रस्ताव ले आयें कि हमें नेम करके सदन से बाहर निकाल दिया जाये। उसके बाद आप अपनी मर्जी से किसी भी सदस्य को खड़ा करके हमारे खिलाफ जितनी मर्जी गालियाँ निकलवा लेना फिर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कांग्रेस सरकार थी तो वे भी ऐसा ही किया करते थे। कोई न कोई ऐसी बात आ जाती थी जिसका हम विरोध करते थे और जब विरोध करते थे तो हमें नेम करके बाहर निकाल दिया जाता था। आज भी मुझे लगता है कि इसमें कोई षडयन्त्र है कि जब मुख्यमंत्री जी इस काम रोको प्रस्ताव पर अपना जवाब दें उससे पहले विपक्ष को नेम करके बाहर निकाल दिया जाये। इसलिए इस तरह के शब्द प्रयोग करवाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, आप डॉ. पवन सैनी से कहिये कि वे अपने शब्द वापिस लें, इससे कम हमें मंजूर नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, मेरी भी आपसे एक रिक्वैस्ट है कि आप जिस तरह से बात करते हैं उससे सामने वाला सदस्य भी उत्तेजित हो जाता है और उसने उसी उत्तेजना में वह बात कह दी। उसने उत्तेजना में ही वह बात कही है, उसका ऐसी बात कहने का कोई इरादा नहीं था। आप कई बार तू कह कर बात कर जाते हैं और वास्तव में उसका आपको भी पता नहीं चलता कि आपने क्या कह दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये मुझे तू कह कर बात कर लें मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। तू तो हम अपने मा-बाप को भी कहते हैं। यह तो हमारे रूटीन के शब्द हैं। मुझे तो उनके द्वारा कहे गये गुण्डा शब्द पर ऐतराज है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप इतने सीनियर सदस्य हैं और ये नये सदस्य हैं ये उस बात को महसूस कर जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अगर इनको तू शब्द से ऐतराज है तो मैं इनको आप कह कर भी बोल लूंगा लेकिन ये अपने गुण्डे वाले शब्द वापिस लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, मैं डॉ. पवन सैनी जी से कहता हूँ कि वे अपने गुण्डा कहने वाले शब्द वापिस ले लें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन सैनी : आदरणीय अध्यक्ष जी पहले तो ये मेरे बड़े भाई हैं और सदन के विपक्ष के नेता हैं और अगर ये कहें कि ----

श्री अध्यक्ष : पवन जी, देखिये वह सारी बात मैंने रख दी है।

डॉ. पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी कोई मान सम्मान है मुझे किसी ज्योतिषी ने कोई पर्ची नहीं दी थी जिससे मैं एम.एल.ए. बनकर आया हूं एक-एक आदमी ने बटन दबाया है तब जाकर मैं एम.एल.ए. बना हूं। ये सदन के दूसरे साथियों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसे बैठ जा रे बैठ जा, वैसे सूत बैठ गया। डार्क रूम में जा कर इनका नार्को टैस्ट करवाओ फिर देख कर बताएंगे। इसी तरह जैसे इनका माईक थोड़ी देर बाद चले तो तुरंत ऊपर वाले को धमकाते हैं कि अरे क्या बात हो गई ये चला क्यों नहीं रहा, क्या इनकी यह बात ठीक हैं ? यह मेरे बड़े भाई हैं और यह सदन में कहें कि मैं इस प्रकार का व्यवहार नहीं करूंगा आप मेरे छोटे भाई हैं। हम अपने आप को इनके छोटे भाई स्वीकार करते हैं। वह ये कहें कि मेरा भी यह कहना गलत था कि सूत बैठ गया। अध्यक्ष महोदय, सूत तो परमात्मा बैठाता है पता नहीं किसके सूत लग रहे हैं और किसके नहीं लग रहे। मैं यह मानता हूं कि गुण्डागर्दी शब्द ठीक नहीं है जिसको माननीय सदन के नेता ने भी कहा है लेकिन उस आचरण को गुण्डागर्दी ही समझ लो क्योंकि इनका व्यवहार ठीक नहीं है। अगर वह अपने इस व्यवहार को ठीक करने के लिए तैयार हैं तो मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका हुआ आप इनको बोलिये कि वह अपने शब्द वापिस लें। (शोर एवं व्यवधान) यह अपने आप को क्या समझते हैं। यह भी इस उपद्रव में शामिल थे और ये सभ्यता की बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पवन जी, आप यह कह दें कि मुझसे वह शब्द उत्तेजना में कहे गये मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बता दिया है कि मेरा गुण्डागर्दी शब्द कहने का तात्पर्य यह था कि इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है अगर इस गुण्डागर्दी शब्द को कहने से इनको कोई आहत हुई है तो मैं अपना वह शब्द वापिस लेता हूं लेकिन ये इनके व्यवहार के कारण था। (शोर एवं व्यवधान)

प0 मूल चन्द शर्मा (बल्लभगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जाट आन्दोलन पर बोलने का मौका दिया। मैं यह मानता हूं कि यह सदन की सबसे बड़ी पंचायत है और इस प्रदेश की पंचायत में आदणीय भाई कुलदीप जी ने, श्री अभय चौटाला जी ने जो बात रखी कि इस में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो ताण्डव हुआ है उसको हर एक आदमी का दिल जानता है कि इस प्रदेश में क्या-क्या हुआ है। इसमें प्रदेश की जो सबसे बड़ी बात है वह राजनीतिक पीड़ा है जो वोट के कारण एक दूसरे की सच्चाई सामने नहीं आने दे रही है। जो ताण्डव यहां मचा चाहे चौधरी देवी लाल जी की मूर्ति पर तांडव किया, सर छोटूराम जी की मुर्ति पर तांडव किया या राव तुलाराम जी की मुर्ति पर किया तांडव गया। वह लोग कौन हैं जिन्होंने इस प्रकार से मुर्तियों को तोड़ने का काम किया है। प्रदेश में बाजार में दुकानों को जलाया गया चाहे वे सोनीपत, गोहाना, रोहतक या झज्जर की हो। मेरे फरीदाबाद तक भी लोग पहुंच गये।

[प0 मूल चन्द शर्मा]

इस हालात में प्रदेश की दुकानों को जलाया गया ऐसा पहले इस प्रदेश में कभी नहीं हुआ था। आज जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार है और प्रदेश की सरकार के सभी सदस्य मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े थे लेकिन प्रदेश में दुकान जलती रही और अधिकारी देखते रहे जिसमें वह लोग भी दोषी है जो बढ़िया पदों पर विराजमान थे चाहे कोई एस.पी. था, चाहे कोई डी.एस.पी था, चाहे एस.एच.ओ. था, चाहे वहां का डी.सी. था, चाहे रेंज का अधिकारी था उन लोगों ने वहां के लोकल प्रशासन के लिए क्या किया ? प्रशासन ने इन लोगों के लिए जो मदद की गुहार करते हुए चीख-पुकार कर रहे थे कि उनके घरों में आग लगी हुई है, कुछ नहीं किया। यह पीड़ित लोग पुकारते रहे लेकिन उनकी कोई सुनने वाला मौजूद नहीं था। (विघ्न)

सदन की बैठक का और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय बढ़ाना।

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्य में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं संबंधी स्थगन प्रस्ताव संख्या-2 पर चर्चा (पुनरारम्भ)

प0 मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, लोग अपनी सुरक्षा की मांग के लिए चिल्लाते रहे और अधिकारी मूकदर्शक बनकर यह तांडव देखते रहे। रोहतक में तो यह आलम था कि 14 फरवरी, 2016 को मुख्यमंत्री जी ने नव-नियुक्त सरपंचों को शपथ दिलाई और उसके बाद पूरे रोहतक की सड़कों को इस तरह सील कर दिया गया जैसे कि सीमायें सील होती हैं। इसका नतीजा यह रहा कि जो महिलायें सरपंच पद की शपथ लेने आई थी रात के 12-1 बजे गलियों में घूमती रही उनको निकलने का कहीं भी रास्ता नहीं मिला। जब रास्ता नहीं मिला तो अपने प्रियजनों को उन्होंने फोन पर सूचनाएं दी कि हम जाट आंदोलन में फंस गई हैं, सभी ओर जाम लगा हुआ है, हम कैसे निकलकर आयें। क्या प्रदेश के अधिकारियों को इस बात का तनिक भी ज्ञान और सबक नहीं था कि प्रदेश में अब आगे क्या होने जा रहा है ? एक रोड़ जाम हो जाये तो अलग बात है लेकिन शहर के तमाम रोड़ जाम हो जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में भी प्रदेश के अधिकारियों पर जूं तक न रेंगी ? एक तरफ यह विकट हालात थे और दूसरी तरफ जाट आंदोलनकारियों का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करता रहा और यह भी कहता रहा कि सब कुछ ठीक ठाक है और बाद में यह जाट आंदोलनकारियों का नेतृत्व हाथ खड़ा कर देता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इस तरह प्रदेश में बुरा हाल मचा दिया गया। अपराधी चाहे कोई भी हो, चाहे वह किसी भी पार्टी का अधिकारी क्यों न हो, किसी धर्म, मजहब या जात का

ही क्यों न हो जिन लोगों ने इस प्रदेश में तांडव मचाया है ताकि हम दिल्ली दूध और पानी की सप्लाई रोक देंगे तथा अमर्यादित भाषण देकर जाट समाज के लोगों को हिंसक कार्यवाही के लिए उकसाने की कार्यवाही को भी किसी भी स्तर पर प्रदेश में मचे तांडव व उपद्रव के लिए कम नहीं आंका जा सकता। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज होने चाहिएं। खापों के आदेश से प्रदेश नहीं चला करते हैं। खापों के आदेश से कानून नहीं बदले जाया करते हैं। कानून, कानून के हिसाब से चला करता है। जो लोग कानून को नहीं मानते, प्रदेश की सरकार को नहीं मानते उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही जरूर की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उस दिन मंगलवार का दिन था मैं भी गन्नौर से निकलकर जा रहा था। गन्नौर में कोई भी रोड़ ऐसा नहीं था जो जाम न कर दिया गया हो। सैंकड़ों वाहन फूंक दिये गये थे। आग लगे ट्रक तबाही का मंजर बयान कर रहे थे। पंजाब, कश्मीर तथा हिमाचल आदि प्रदेशों से आये हुए लोग जान बचाते हुए छिपते फिर रहे थे दूसरी तरफ जो लोग धरने पर बैठे थे उनको बराबर शराब व स्मैक की सप्लाई की जा रही थी। उन्हें तीनों समय का भोजन बराबर दिया जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, यह कौन लोग थे जिन्होंने यह सभी प्रकार की सप्लाई देने का काम किया था। क्यों प्रदेश के अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि सात दिन से शराब, स्मैक तथा भोजन की सप्लाई कहां से की जा रही है। यह बड़ा खेद का विषय है। अध्यक्ष महोदय, किन-किन लोगों ने मीटिंगें करके प्रदेश के हालात को बिगाड़ने का काम किया है उन सबकी वीडियो तैयार है और जब यह सामने आयेंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। आज एक विशेष समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल पाकिस्तानी हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री अखंड भारत वर्ष के नागरिक हैं। चाहे जिन परिस्थितियों में हिंदुस्तान व पाकिस्तान का बंटवारा हुआ लेकिन पाकिस्तान से जो लोग हिन्दुस्तान आकर बस गये हैं वह इस अखण्ड भारत के नागरिक हैं। यह लोग इनको बाहरी बताने वाले कौन होते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज यह प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जिन लोगों ने उपद्रव किया है, हिंसा की है या आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही जरूर की जानी चाहिए। इन घटनाओं में चाहे कांग्रेस का, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, चाहे किसी खाप का आदमी है, चाहे किसी भी जाति या बिरादरी का आदमी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर ऐसे लोगों को बख्श दिया गया तो एक बार फिर यह लोग प्रदेश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा सकते हैं। अगर अधिकारी समय पर चेत जाते तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश में इतना बड़ा उपद्रव तो दूर की बात चिड़ियां भी पर नहीं मार सकती थी। प्रदेश के कई अधिकारी जिनमें डी.सी व एस.डी.एम. भी शामिल हैं, इतने बड़े अधिकारियों ने कोई कार्यवाही न करके वास्तव में उपद्रवियों को पनाह देकर आंदोलन को भड़काने का ही काम किया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, वाईंड अप कीजिए।

प0 मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मुझे इस आंदोलन के दौरान मारे व सताये गये लोगों के लिए बहुत पीड़ा है। मुझे अपनी पीड़ा शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने उपद्रवियों को पनाह देने व आंदोलन को भड़काने का काम किया उन अधिकारियों की पहचान कर उनको भी सजा दी जानी चाहिए। प्रदेश

[प0 मूल चन्द शर्मा]

किसी खाप या समूह की धमकियों पर नहीं चला करते। अधिकारी वर्ग मुख्यमंत्री जी को तो कह देते हैं कि प्रदेश में सब ठीक ठाक है लेकिन वास्तव में अधिकारी वर्ग उपद्रवियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करके उन्हें पनाह व संरक्षण देने का ही काम करते हैं। यह काम अधिकारियों ने ठीक नहीं किया है। इस तरह के अधिकारियों की पहचान करके उन्हें सजा दी जानी चाहिए। जो लोग इस आंदोलन के दौरान मारे गये है तथा जिनके घरों को जलाया गया है तथा जो निर्दोष हैं उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन लोगों को निर्दोष किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता जिन्होंने सेना के ट्रकों में आग लगा दी हो। यह उपद्रवी लोग सेना के सामने खड़े हो गये। इस तरह के लोगों को इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई इस तरह के हुड़दंग की हिमाकत न कर सके। प्रदेश में दुकानों को चुन-चुनकर जलाया गया। इस जाट आरक्षण आंदोलन में द्रोपदी के चीर-हरण की भांति हरियाणा प्रदेश का भी चीर-हरण किया गया। हरियाणा प्रदेश में तांडव मचाया गया और प्रदेश के अधिकारियों ने इसे महज देखने भर का काम किया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा अपने रोहतक जिले को छोड़कर दिल्ली में जाकर भूख हड़ताल पर बैठ गये ताकि सोनिया गांधी के सामने नम्बर बना सके। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा प्रदेश को आग के हवाले करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। यह सब मैंने जो बयान किया है यह मेरे अंदर की पीड़ा है। प्रदेश में बहन-बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया गया। हम अपनी बहनों-बेटियों को वह सम्मान तो वापिस नहीं दिला सकते लेकिन ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देकर उनको उनके द्वारा किए गए अमानवीय कार्यो का अहसास तो करवाया ही जा सकता है ? ऐसे अमानवीय कार्यों को अंजाम देने वाले इन लोगों को न्यायपालिका के माध्यम से जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए मैं समझता हूँ कि केवल तभी इनके कुकृत्यों का हिसाब-किताब बराबर किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

श्री टेक चंद शर्मा (पृथला) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मुद्दा है। मेरे से पहले सभी सदस्यों ने चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के हों सभी बड़े-बड़े नेताओं ने जाट आरक्षण के बारे में चर्चा की है। लेकिन बड़ा दु:ख होता है जब हाउस में हम इस तरह का तनावपूर्ण माहौल पैदा करते हैं और सोचते हैं कि हमारे से अच्छा और पवित्र कोई भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहूँगा कि कमरों में जाकर जिन बातों पर सहमति बनती हैं, सदन में उन बातों को बदल दिया जाता है। अगर सदन में वही सच्चाई की बातें होने लगे तो मैं गारन्टी के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में राम राज स्थापित हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा के विकास की जो रफ्तार चल रही है, उसमें चार चाँद लग सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यगण ने आरक्षण के मुद्दे पर अपने-अपने तरीके से कहा है कि जातिवाद की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं तो यह कहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय, जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए तो आरक्षण भी जातिवाद पर नहीं होना चाहिए। देश के आजाद होने के बाद वर्ष 1990 में एक हिंसक घटना में हिन्दुस्तान जल कर राख हो गया था। अध्यक्ष महोदय, वैसा ही माहौल हरियाणा प्रदेश में जाट आंदोलन के

दौरान उपद्रवियों द्वारा की गई घटनाओं से हुआ है। हरियाणा का कोई भी व्यक्ति चाहे उसमें सत्ता पक्ष या विपक्ष का भी सदस्य क्यों ना हो, यदि वह अपने दिल पर हाथ रख कर यह कह दें कि हरियाणा में जो उपद्रव हुआ है वह अच्छा हुआ है तो मैं आज ही सदन में शर्मिंदा होने के लिए तैयार हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जब से हरियाणा की भागडोर संभाली है तब से 'सबका साथ-सबका विकास' नारे के अनुरूप विकास किया है। जिस माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' की है, उसके बारे में टिप्पणी की जाती है कि वह 'पाकिस्तानी' है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि उस आदमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके और एफ.आई.आर. दर्ज करके जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यगणों ने हाउस में जाट आंदोलन में हुई हिंसक घटना में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के सदस्यों को शामिल होने की बातें उठाई है। सच्चाई तो जनता के सामने अपने आप आ गई क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद में आग क्यों नहीं लगी? सिरसा में आग क्यों नहीं लगी? अहीरवाल क्षेत्र में आग क्यों नहीं लगी? यह आग सिर्फ रोहतक व चुनिंदा शहरों में ही क्यों लगी है। इसलिए हरियाणा की जनता सब कुछ जानती है, हमारे बार-बार कहने से कुछ नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है कि जाट आरक्षण में एक जाति बिरादरी को जबर्दस्ती लेकर इसकी आड़ में गलत काम किए जा रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आरक्षण कभी जोर जबर्दस्ती से नहीं लिया जाता है। जब देश का संविधान बना था उस समय 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था कि देश में जो दबे कुचले लोग हैं, उन्हें आरक्षण दिया जाये ताकि उन्हें अन्य लोगों के बराबर में लाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, तब से लेकर के एक नई परिपाटी बनती चली जा रही है और राजनेता लोग इसे वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। वर्ष 1990 में जब श्री वी.पी.सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद देश के क्या हालात थे ? यह सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए मेरे माननीय साथी श्री जय प्रकाश जी कहते हैं कि देश के शहीदों में हमारे बच्चे होते हैं, यदि शहीदों के नाम से आरक्षण लेना चाहते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। जिस समय कोई जवान शहीद होता है तो वह किसी जाति विशेष की माता का पुत्र नहीं होता बल्कि वह सिर्फ एक नाम लेता है "भारत माता की जय।" मैंने यहां पर देखा कि आरक्षण शहीदों के नाम पर लेने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको आरक्षण लेना है तो शांति से लीजिए। संविधान के उलट पिछली सरकार में भी सदन के माध्यम से बिल पास किया गया था। इसके कुछ दिन बाद ही वह बिल सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संस्था में फेल हो जाता है। अगर देश की सर्वोच्च संस्थाएं इस आरक्षण को सही नहीं मानती हैं तो फिर इस सदन के माध्यम से इस गलत परिपाटी को क्यों चलाया जा रहा है। अगर आरक्षण देना ही है तो प्रदेश में जितनी जातियां हैं उन्हें उसी के आधार पर जिस जाति की जितनी प्रतिशत संख्या है उसी अनुपात में उन्हें आरक्षण दिया जाए। मैं सदन से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आज यह सदन अगर इस तरीके का आरक्षण का बिल लाने का निर्णय करता है तो हम ऐसा गलत काम करेंगे जो हमारी अगली पीढ़ियों के लिए हरियाणा में एक नासूर का काम करेगा और पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। अगर आरक्षण को रखना ही है तो उसको इकोनॉमिक आधार पर चलाइये। आज तक सदन में किसी ने ब्राह्मण समुदाय के आरक्षण की बात नहीं की, राजपुत समुदाय के आरक्षण की बात नहीं की, अरोड़ा खत्री समुदाय की नहीं की और न ही किसी ने वैश्य समुदाय को आरक्षण देने की बात की है। क्या ये चार बिरादरियाँ ही ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। अगर

[श्री टेक चंद शर्मा]

आरक्षण देना है तो इसे इकोनॉमिक आधार पर रखिये। यदि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए तो हर जरूरतमंद आदमी इसका फायदा उठा सकता है। इसको चाहे 50 प्रतिशत कर दें या फिर सदन की सहमति से और अधिक कर दें। आज अगर आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए तो आपको हर जाति में कोई न कोई गरीब आदमी अवश्य मिल जाएगा। मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के लाभ को जाति-पाति का रूप देकर हम प्रदेश का नुक्सान ही करेंगे। मैं आपके सामने दो-चार बातें और लाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अभी मैं सदन को 2-4 बातें और बताना चाहता हूं। (विघ्न) इतना बोलने का समय तो मेरा बनता भी है। सोनीपत के गोहाना में 180 दुकानें जलाई गई हैं। सिर्फ जाति विशेष की बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि यह सब प्लानिंग के तहत किया गया था। माननीय सांसद रमेश कौशिक का कॉलेज जलाया गया और आदरणीय मंत्री श्रीमती कविता जैन के कॉलेज को जलाया गया। क्या यह कार्य जाति विशेष के खिलाफ नहीं था ? क्या यह काम जाति विशेष के माध्यम से फैलाने वाला जहर नहीं था ? सदन में सभी दलों के सदस्यों को आपस में सद्भावना रखनी चाहिए। हम तो सदन में बिल्कुल नये चुने गए सदस्य हैं। हो सकता है कि हमें बोलने का सही तरीका न पता हो। हमें तो पुराने सदस्यों के द्वारा चलाई गई परिपाटी को देखकर ही काम करना होगा। कई बार हमें धमकी भी मिल जाती है कि इनका माइक बंद कर दो। हम तो सिर्फ अपने सम्मानित सदस्यों से रिकवेस्ट ही कर सकते हैं। प्रदेश में नुक्सान बहुत हुआ है। इस नुक्सान की अगर भरपाई करनी है तो हमें लोगों के दिलों को जोड़ना होगा न कि धागे-धागे करके समाज को तोड़ना होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जो मुआवजा दिया जाए वह केवल और केवल निर्दोष व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। कई माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जिन लोगों को पैर या अन्य किसी अंग पर पुलिस की गोली लगी है तो गोली मारने वाले पर धारा 307 का केस बनाया जाना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि क्या वह व्यक्ति ऐसे स्थान पर सिनेमा हाल देखने गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को किसी भी कीमत पर मुआवजा न दिया जाय। अगर उन्हें मुआवजा दिया गया तो यह एक गलत परिपाटी पड़ जाएगी। जिस तरह से राजस्थान में जब गुर्जर आरक्षण के दौरान 10-15 लाख मुआवजा देने की घोषणा हुई थी तो राजस्थान के लोगों ने मृत बुजुर्गों को भी मुआवजा लेने के लिए रेलवे लाईन पर पहुंचा दिया था। अत: मेरी सदन से अपील है कि दोषी व्यक्तियों को मुआवजा न दिया जाए। इस सदन में जो भी गलत बात कही गई है उसकी हर हालत में भर्त्सना करनी चाहिए। जैसा माननीय सदस्य श्री कुल्दीप बिश्नोई और धनखड़ जी ने भी कहा कि इन सब चीजों के परिणाम को देखते हुए इन्कवायरी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर इस महान सदन में हो रही वृहद् और विस्तृत चर्चा पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हरियाणा प्रदेश की अढ़ाई करोड़ लोगों की आत्मा के प्रतीक के तौर पर यानि उसको परमात्मा मानकर हम सब की आत्माओं की समीक्षा और विभिक्षा करने का अधिकार हरियाणा की जनता को है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा प्रदेश

एक ऐसे दौर से गुजरा है और उस दौर को मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि-

पालकी को लूटा है कहारों ने, नावों को डूबोया है मल्हारों ने,
अरे पतझड़ की बात क्या करते हो, इस बाग को बर्बाद किया है बहारों ने।

जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान ऐसा वातावरण हरियाणा में बना है और एक महाभारत हरियाणा प्रदेश ने देखी है। महाभारत के युद्ध में असंख्य लोग शहीद होकर मरे थे लेकिन इस बार की महाभारत में हरियाणा की आत्मा मरी है। हरियाणा के भाई-भाई की आत्मा मरी है। ऐसा लगता है कि देवासुर संग्राम यानि राक्षसों और देवों का युद्ध जैसा दृश्य हर काल में चलता रहा है। रामायण काल में रामायण में रावण ने सीता का हरण तो किया था लेकिन उसने मर्यादा का पालन करते हुए सीता माता की पवित्रता को भंग करने का प्रयास नहीं किया। इस बार हरियाणा प्रदेश में घरों में जिंदा महिलाओं और बच्चों के होते हुए घरों को जलवाने का काम किया गया। राक्षसों और पिशाचों से भी घृणित कार्य उन्होंने करवाएं हैं और इस तरह के निंदनीय कामों के लिए शब्दकोष में भी कोई शब्द नहीं मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये सारी दर्दनाक बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश का वातावरण इस कद्र बिगड़ा है कि आज बड़े से बड़े लोगों से लेकर सामान्य व्यक्ति तक एक दूसरे को यहां तक की भाई भाई को और पड़ोसी को भी जाति-पाति के चश्मे से देख रहा है। इस सबकी पटकथा लिख दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जाते जाते महसूस कर लिया था कि अब हमारी सरकार नहीं आने वाली है। जिस प्रकार युद्ध में हारी हुए सेना भागते हुए जोहड़ों के पानी में जहर मिलाया करती थी, रास्ते के पुल तोड़ दिया करती थी, उसी प्रकार इन लोगों ने तय कर लिया था कि आने वाली सरकार के रास्ते में कांटे बोने हैं ताकि आने वाली सरकार ठीक से काम न कर सके। उसी का परिणाम निकला कि पिछली सरकार ने जाट आरक्षण देने का स्वांग रचा था। अध्यक्ष महोदय, उस स्वांग के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई बातें कहीं हैं कि उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से कमीशन की रिपोर्ट को एन.सी.बी.सी से रिजैक्ट करवाकर एन.सी.बी.सी. की आपत्ति को केन्द्रीय कैबिनेट से ओवररूल करवाकर एक स्वांग रचते हुए समाज को धोखा देने का काम किया। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज करवाकर उसको खारिज करने का काम किया। ये बीज उस वक्त कांग्रेस पार्टी के द्वारा बोए गए थे। अध्यक्ष महोदय, चुनावों में हार जीत होती रहती है। अनेक बार यहां बैठे हुए लोग कभी चुनाव जीते हैं और कभी हारे हैं। कभी यहां बैठे लोग सरकार में बैठे हैं और कभी विपक्ष में बैठे हैं। सरकार चलने के डेढ़ साल के भीतर उनकी छटपटाहट और उनकी बौखलाहट इस कदर हो गई कि वे सरकार को एक दिन भी और चलते हुए नहीं देखना चाहते थे। डेढ़ साल का माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का एक ईमानदार प्रयास रहा है और हमने हर क्षेत्र में कोशिश की कि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेयी आए। हम "सबका साथ सबका विकास" की नीति पर चले और सभी क्षेत्रों का विकास करते हुए आगे चले। हम प्रशासन में सुधार कर रहे थे और हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे थे। ये मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनसे हजम नहीं हुई। जब हरियाणा के किसानों पर परमात्मा की मार पड़ी तो किसानों को बचाने के लिए ढ़ाई ढ़ाई हजार करोड़ रूपये खजाने से इस तरह लुटा देना इनसे हजम नहीं हुआ। किसानों के नाम की राजनीति करने का इन्होंने ठेका ले रखा था लेकिन जब मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के लिए इतना कुछ किया तो कहीं न कहीं उनको लग रहा था कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। हरियाणा उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, आर्थिक तंत्र के क्षेत्र में आगे

[कैप्टन अभिमन्यु]

बढ़ रहा था। उन लोगों को लगा था कि यह अनुभवहीन सरकार है इसलिए लम्बा नहीं चल पाएगी लेकिन जब उन्होंने देखा कि सरकार ने साल डेढ़ साल में अपने पांव जमा लिए हैं और सरकार काम करने लग गई है और अनुभव इस बात का आया है कि आने वाले समय में यह सरकार इतने काम करके दिखायेगी और मेरे साथियों को यह डर लगने लगा कि वे वापिस शायद कभी सदन का मुंह नहीं देख पायेंगे तो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। पंचायत के चुनावों में इतना बड़ा फैसला हुआ वह सबके सामने है। उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक रोकने की कोशिश की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला दिया। इस प्रकार से 80 हजार के करीब पढ़े लिखे, चरित्रवान, योग्य लोग चुनकर आये हैं जो हरियाणा के गांव-गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको लगने लगा चार-चार पीढ़ी की दादा लाई जो उनकी परम्परागत सीट मानते थे कि हम तो लोगों को कैसे भी भेड़-बकरी की तरह हांक लेंगे, अब ऐसा नहीं होगा। उनको लगा कि उनकी चूल हिल रही है। मान्यवर, यही कारण था कि जब पंचायत चुनावों का रोहतक में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो मेरे साथियों को लगने लगा कि रोहतक में शपथ ग्रहण समारोह किस तरह से हो गया। जिनको अपने दस साल के शासन काल में यह कभी स्वीकार नहीं था और मैंने उनके सामने राजनीति की है। उस समय जब भी कभी हमारा पोस्टर लगता था तो 24 घंटे में एस.डी.एम. और एस.एच.ओ. को कहकर हटवा दिया जाता था। आज भी वे अधिकारी कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम इस तरह के आदेश नहीं देते हैं। जबकि पहले यदि 24 घंटे के अंदर-अंदर हमारा लगाया हुआ पोस्टर नहीं फट जाता था तो संबंधित एस.डी.एम. और एस.एच.ओ. का ट्रांसफर कर दिया जाता था। वह ऐसा दौर था जब उन लोगों ने अपने सामने किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया। उनको यह किस तरह से बर्दाश्त हो सकता था कि रोहतक के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी जो पंचायत के जनप्रतिनिधि चुनकर आए थे उनको शपथ दिलायें। उनके अपने विधान सभा क्षेत्र में जो छोटे-छोटे नौजवान थे जो दूध बेचने का काम करते थे उनमें से कोई नौजवान उनके बड़े-बड़े ठेकदारों को जिला परिषद के चुनाव में हरा दिया। वह केवल भारतीय जनता पार्टी का मण्डल का कार्यकर्ता था जो उनके विधान सभा क्षेत्र से जिला परिषद का मैंबर चुनकर आया है। ऐसा होने पर उनको लगा कि अब तो अति हो गई है और षड़यंत्र की पराकाष्ठा इस हद तक हुई कि आंदोलनकारी राजी हो गए क्योंकि सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली थी और उनकी हर बात पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार थी। आंदोलनकारी भी अपने घर जाने को तैयार थे। कुछ नये आदमी आगे आ गए जिनका कोई ठेकेदार या जिम्मेवार नहीं था। अचानक लोग सड़कों पर भेज दिए जाते हैं। पूरे सदन ने इस बात को नोटिस किया है और उसके भूगोल को भी नोटिस किया है कि उन लोगों के विधान सभा क्षेत्र में ही इस तरह की घटनाएं आरक्षण के आड में हुई हैं। उन लोगों ने अपने लोगों को भेजकर वहां ऐसा करवाया है और षड़यंत्र के तहत हरियाणा प्रदेश को बंधक बनाने की कोशिश की गई थी। उन लोगों ने हरियाणा को आग में झोंकने की कोशिश की थी। हरियाणा के अंदर उनके द्वारा जो ताण्डव करने की कोशिश की गई मुझे नहीं लगता कि इसके लिए यह महान सदन कभी उनको माफ कर पायेगा। प्रदेश की आत्मा और परमात्मा भी उनको कभी माफ नहीं करेगी। मान्यवर, हरियाणा प्रदेश में यह बहुत दुख:द हत्याकांड हुआ है जिसमें उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश को बदनाम करने का काम किया है। इसमें पूरे समाज को उन्होंने बदनामी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और हरियाणा प्रदेश की

जनता को बताना चाहता हूं कि उनका षड़यंत्र इस कदर था कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी सभी आंदोलनकारियों से बात करके उनको मना चुके थे और जहां जहां आंदोलनकारी बैठे हुए थे वहां जाकर उनकी इगो को सैटिस्फाई करके उनको मना लिया था। लेकिन उसके बाद भी वही व्यक्ति जो उनके द्वारा भेजे गए थे जो तीन महीने पहले तक उनके परिवार द्वारा चलाये जा रहे संस्थान में नौकरी किया करते थे, वे मुख्यमंत्री जी के निवास पर आकर वार्ता को विफल करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन वकीलों की और तथाकथित 35 बिरादरी के संगठन की लड़ाई हुई थी। वे दोनों उनके अपने थे। उनकी लड़ाई के सूत्रधार भी केवल एक व्यक्ति है। उसके ठीक अगले दिन जब मेरे घर पर आग लगाई जाती है तो वही एक व्यक्ति मेरे घर में आग लगाने वाले व्यक्तियों में सबसे पहले पहुंचता है। यह योजना एक लम्बे षड़यंत्र के तहत बनाई गई थी। उनके राजनैतिक सलाहकार जो दस वर्ष तक सरकार में उनको सलाह देते रहे और भेड़ की खाल में भेड़ियों जैसी सरकार दस साल तक रही। आज भेड़ियों का चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। विपक्ष में भी उनकी भूमिका क्या है और उनके राजनैतिक सलाहकार किस प्रकार की सलाह दे रहे थे यह सबको मालूम हो गया है। वे हरियाणा को जलाने की और हरियाणा के समाज को आपस में लड़ाकर हरियाणा के भाईचारे को खत्म करने की सलाह दे रहे थे। मान्यवर, वे हरियाणा के अपराधी हैं। इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं सदन में यह जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे घर पर तीन दिन तक हमला हुआ। उस समय मेरे परिवार के दस सदस्य घर के अंदर थे और मेरी पत्नी तथा बेटा भी उसमें शामिल था। एक-एक करके हरेक कमरे में आग लगाई गई। मेरे घर के 40 कमरों के अंदर आग लगाई गई। लेकिन पड़ोसियों ने दूसरी तरफ का ताला तोड़कर उनको बाहर निकाला। मान्यवर ऐसा एक बार नहीं हुआ बल्कि तीन बार हुआ और रात के डेढ़ बजे भी आग लगाने का काम किया गया। उन्होंने आग इसलिए नहीं लगाई कि मेरे से उनकी कोई दुश्मनी थी। मान्यवर अध्यक्ष जी, अगर उन्हें कोई आक्रोश होता तो जब पहली बार मेरे घर को आग लगाई जा रही थी तो उस समय आग लगाने के बाद मेरे घर के गेट के सामने मिठाई बांटी जा रही थी और साथ ही साथ हंसते हुए मिठाई खाई भी जा रही थी। वीडियो फुटेज़ इस बात की गवाह हैं। मान्यवर, इस सबकी वीडियो फुटेज़ आई हैं। इसलिए मैं दावे और विश्वास के साथ यह बात कह सकता हूं कि यह किसी वर्ग विशेष में सरकार के प्रति आक्रोश नहीं था बल्कि एक विशेष पार्टी का एक समुदाय विशेष को मुखौटा बनाकर किया गया एक योजनाबद्ध षड़यंत्र था। मेरे घर में लगातार तीन दिन तक आग लगाने के पीछे उनकी मंशा यही थी कि मेरे घर की तरफ से कोई गोलियां इत्यादि चल जायें। वे यही चाहते थे कि लोग मर जायें। वे चाहते थे कि हमारी सरकार के ऊपर आरोप लग जायें और उसी सुनियोजित षड़यंत्र के तहत उन्होंने मेरे घर पर तैनात पुलिस बल को भी उनके ऊपर गोली चलाने के लिए मज़बूर किया क्योंकि जिस पार्टी का यह षड़यंत्र था वह पार्टी सदा से ही लोगों की लाशों पर राजनीति करती आई है। कुल मिलाकर यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसको अंग्रेजों ने देश की आज़ादी से पहले अपनी "फूट डालो और राज करो" की नीति की सफलता के लिए बनाया था। वास्तव में यह कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी है। इसलिए यह कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ही "फूट डालो और राज करो" की नीति पर चल रही है। यह सदन किसी भी प्रकार से इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। स्पीकर सर, मैं यहां पर बड़ी विनम्रता के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि यह हरियाणा प्रदेश है और हमारे प्रदेश के बुजुर्गों ने हमें कुछ सीख दी है। जैसे महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने बताया है कि सभी मनुष्यों को मनुर्भाव होना चाहिए

[कैप्टन अभिमन्यु]

अर्थात हमें सच्चे अर्थों में मनुष्य बनना चाहिए। उन्होंने "कृतवन्तो विश्वमार्यम" का सिद्धान्त भी हमको दिया है और कहा है कि हमको आर्य श्रेष्ठ पुरूष बनना चाहिए। मुसलमान शब्द की भी वास्तविक परिभाषा हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई है अर्थात जो मुकम्मल इंसान है वही सच्चा मुसलमान है और इसी प्रकार से जो श्रेष्ठ पुरूष है वही आर्य है। जाति और वर्ण भेद से ऊपर उठकर सोचने की शक्ति हमारे बुजुर्गों ने हमें दी थी। "सर्वपंथ सम्भाव" के एकात्म मानव दर्शन को आगे रखकर हम राजनीति के अंदर काम करते हैं लेकिन यह बड़े दु:ख की बात है कि कुछ लोगों की संकीर्ण सोच के कारण आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है कि आज हम एक दूसरे पर ऊंगलियां उठा रहे हैं। हम एक-दूसरे की आंखों में देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, यह घटना कोई छोटी घटना नहीं है और न ही यह घटना कोई सामान्य घटना है। यह घटना कोई साधारण घटना भी नहीं है। यह घटना केवल मात्र कानून और व्यवस्था की भी नहीं है। यह हरियाणा प्रदेश के वर्तमान की है। ऐसा करके हमने हरियाणा प्रदेश की भविष्य की पीढ़ियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि आज की तारीख में इस महान सदन में बैठे हुए लोग जब अपनी-अपनी बात कह रहे थे तो वे अपनी जाति के आधार पर अपनी बात कह रहे थे या हरियाणा प्रदेश के ढ़ाई करोड़ और 36 बिरादरी के लोगों के सामने मानवता, मनुष्यता और सबके पक्ष की बात कर रहे थे। मान्यवर, इतिहास इस बात को तोलेगा। स्पीकर सर, आदरणीय डॉ. मिड्ढ़ा जी कभी-कभी तो मुझे अपना भांजा कह देते हैं। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु का भी नारको टैस्ट होना चाहिए। जिस भी आधार पर उन्होंने यह बात कही है मैं किसी भी प्रकार के नारको और पॉलीग्राफ टैस्ट करवाने के लिए तैयार हूं। इससे आगे जाकर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आत्मा का भी कोई टैस्ट हो सकता है मैं आप सभी के बीच में यह बात कहता हूं कि मैं आत्मा के टैस्ट के लिए भी तैयार हूं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि मेरा किसी भी प्रकार का टैस्ट करवा लिया जाये मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे जिस भाषण का उन्होंने यहां पर उल्लेख करके यहां पर सी.डी. चलवाने की बात कही है। मान्यवर, आपकी इजाज़त से मैं अपने उस भाषण के कुछ अंश एक मिनट में यहां पर पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह भाषण मैंने 12 फरवरी, 2016 को जींद में सर छोटू राम जयंती के अवसर पर दिया था। मैंने उस भाषण में यह कहा था कि समाज शास्त्री एक सिद्धान्त पर समझाते हैं कि किसी भी एरिया में कोई समाज प्रमुख भूमिका में होता है। उसके साथ 36 बिरादरी का ताना-बाना होता है। 36 बिरादरी एक होकर सबसे पहला काम तो धरती माता का सीना चीरकर अनाज पैदा करने का करती है। जितनी-जितनी जिसकी ज़रूरत होती है उतना-उतना उसको मिल जाता है। जिससे ऐसे समाज की अर्थव्यवस्था चलती है। उसी समाज में जो किसान होता है अगर वह ईमानदार है और सबके प्रति सच्ची सोच रखता है तो 36 बिरादरी में जैसी जिसकी आवश्यकता होती है उसके मुताबिक उसको बांटकर देता है। इससे सम्पूर्ण समाज में भाई-चारा बना रहता है। हरियाणा में हमेशा ही यह भाई-चारा बना रहा है। कभी अगर कोई एक-आध बार ऊंच-नीच हुई भी तो समाज ने गलत को गलत कहा और सही को सही कहा। हम समाजवादी और समतावादी लोग हैं। हम तो नेग-नाता निभाने वाले लोग हैं। हमारे खेत में काम करने वाला कोई सीरी अगर नेग में हमारा चाचा या ताऊ लगता है तो हम उसे नेग में चाचा या ताऊ कहते हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर कुछ संकीर्ण सोच वाले लोगों द्वारा हमारी सोच के ऊपर प्रश्नचिन्ह् लगाये जाते हैं। मैं

खासकर अपने प्रदेश के नौजवानों से अनुरोध करूंगा कि उनको जो गुस्सा आता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बल्कि जो शांति और धैर्य हैं वे सबसे बड़े हथियार हैं। शांति और धैर्य का सहारा लेकर ही खुद को प्रमाणित किया जा सकता है। कुछ लोग समाज को उकसाकर समाज के अंदर भाई-चारे के माहौल को खराब करना चाहते हैं और समाज का भाई-चारा बिगाड़कर समाज की पूरी की पूरी व्यवस्था को ही पूरी तरह से डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें उनमें न पड़कर समय के साथ यह साबित करना है कि हमारे बुजुर्गों ने जो संस्कृति सिखाई है हम उसका पालन करते हैं। जो यह सिखाती है कि हमें समाज का प्रमुख वर्ग होने की वजह से एक खास जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हमें हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी का ताना-बाना बनाकर रखना है। कोई मूर्ख कुछ भी बोलता रहे हमें सबका भाई-चारा बनाकर रखना है। मिड्ढा जी, मेरा नारको टैस्ट करवाना चाहते हैं, मेरा पॉलीग्राफ टैस्ट करवाना चाहते हैं मैं तो आत्मा की भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। अगर हमारे किसी भी टैस्ट से हम अपने हरियाणा प्रदेश में कोई नई रिवायत डालते हुए इसको शांति, अमन और भाई-चारे के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं तो हम उसके लिए कोई भी टैस्ट देने के लिए तैयार हैं। मैं सीधे-सीधे कांग्रेस पार्टी को और श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को इस पूरे षड़यंत्र के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने हरियाणा को आग लगाने का काम किया है। अपने हाथ से सत्ता छिन जाने का उनको जो गम था, उनको जो फ्रस्ट्रेशन थी और उनकी जो बौखलाहट थी उसने उनको ऐसा करने के लिए कहीं न कहीं मज़बूर किया है। मैं यह भी मानता हूं कि इस सारे षड़यंत्र में कहीं न कहीं कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी इसके लिए जिम्मेदार है। ये केवल हरियाणा के खिलाफ षड़यंत्र नहीं था बल्कि यह पूरे देश में एक षड़यंत्र चल रहा है। कभी यूनीवर्सिटीज़ को आग लगाई जाती है तो कभी कहीं और आग लगाई जाती है। हमारा हरियाणा प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को तीन तरफ से घेरता है इसलिए हरियाणा के माध्यम से पूरे देश को उद्वेलित करने का यह एक बहुत बड़ा षड़यंत्र था। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेतृत्व इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इस कृत्य के लिए उनकी घोर निंदा करते हुए आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

सदन की बैठक का और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय 1 घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी, ठीक हैं जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्य में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं संबंधी स्थगन प्रस्ताव संख्या-2 पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने जो काम रोको प्रस्ताव दिया था उस पर वित्त मंत्री जी ने विस्तारपूर्वक अपनी बात रखी है और सरकार तथा विपक्ष के सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं लेकिन जो प्रश्न हमने उठाये थे उनका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : अभी मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सरकार हैं और उन्होंने कहा है कि यह जाट आंदोलन का सारा षडयन्त्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा रचा गया है इसलिए अगर वह दोषी हैं तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उनको जेल में डाले। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं जयप्रकाश जी का समर्थन करता हूँ और यह भी कहता हूँ कि अगर हरियाणा में किसी का नार्को टैस्ट हो तो वह श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का होना चाहिए और साथ में श्री जयप्रकाश जी का भी नार्को टैस्ट करवाया जाये, इनकी भी जरूरत पड़ सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, आज जो काम रोको प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला की तरफ से सदन में रखा गया है उसके ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि इस मामले में काफी हद तक हाउस की सैंस भी आ गई है। अध्यक्ष महोदय, फरवरी माह में आरक्षण की मांग के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में 80 घंटे तक जो हिंसक घटनायें हुई वे बहुत ही चिन्ताजनक, दु:खद एवं दुर्भाग्यपूर्ण हैं लेकिन घटना घट गई है। उस घटना को किस तरह से रोका गया है और सरकार ने किस तरह से अपने काम किये हैं वह बात एक तरफ है लेकिन उस घटना से समाज में जो भी माहौल बदला है उसको ठीक करने का दायित्व पूरे सदन का है। यह दायित्व समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों और सभी राजनीतिक दलों का है। इस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार की लापरवाही बताना पूर्णतया असत्य है तथा आधारहीन है। स्थिति पर काबू पा लिये जाने के बाद सरकार द्वारा निर्दोष लोगों के जान और माल की जो क्षति हुई है उसका आंकलन करने और उनको तुरन्त सहायता पहुंचाने में कोई भी ढील दिखाने का जो आरोप है वह नितान्त गैर-जिम्मेदाराना और कपोल कल्पित है। मांग के प्रारम्भ में सरकार ने वार्तालाप के माध्यम से जो हल निकालने के प्रयत्न किये उसकी चर्चा हमारे मंत्रियों ने भी की है। कृषि मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़ जी ने भी इस विषय में विस्तावपूर्वक बताया है, कैप्टन अभिमन्यु जी ने भी अपनी बात रखी है तथा श्री रामबिलास शर्मा जी ने भी इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से यह घटना 9 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चली जिसका पूरा वृत हमारे सामने है। सबसे पहले जब आरक्षण पर बात हुई तो हमने आगे बढ़कर एक मीटिंग की जिसमें सर्वजाट खाप पंचायत के लगभग 70 प्रतिनिधि आए हमारी उनके साथ दो घण्टे तक बातचीत हुई और बातचीत के बाद एक सामान्य हल निकला जिसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई जो अपनी रिपोर्ट 31 मार्च तक दे देंगे। इसके परिणाम स्वरूप जो 15 फरवरी को बन्द की कॉल दी गई थी वह भी वापिस ले ली गई हमें ऐसा लगा कि इस प्रकार की मांग को हल करने के नाम पर जो उस दिन सहमति बनी उसके ऊपर आगे कोई विवाद नहीं आएगा लेकिन कुछ पक्षों की तरफ से यह मांग आई कि कुछ और लोग हैं जिनसे बातचीत करना आवश्यक हैं क्योंकि केवल सर्वजाट खाप पंचायत से बात करने से काम नहीं चलेगा उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। इसी बीच 12 फरवरी को ऑल इण्डिया जाट सभा ने मय्यड़ में रेलवे ट्रैक पर जो धरना दिया उस पर भी हमने 13 फरवरी को बैठक करके रास्ता निकाला जिससे वह धरना भी समाप्त हुआ। अध्यक्ष महोदय 15 फरवरी को दिल्ली रोहतक रेलवे लाईन और रोहतक तथा झज्जर जिलों में कुछ सड़कों पर जाम लगा दिये गये। हमने उसी

समय भारत सरकार से पांच कंपनियां आर.ए.एफ. की मांग की। इस मांग के संबंध में सभी खापों, संगठनों और अधिकारियों के साथ 17 फरवरी को एक मीटिंग भी बुलाई। बातचीत का रास्ता भी हमारे सामने था ताकि कहीं कोई गड़बड़ न हो। जो लोग हमारी इस बात से सहमत नहीं थे अगर वह किसी प्रकार का व्यवधान डालते हैं तो उनको काबू करने के लिए भी हमने अपनी ओर से पूरे प्रयत्न साथ-साथ चालू किये। 17 फरवरी को जो बैठक हुई उसमें लगभग 80 प्रतिनिधि शामिल थे उन्होंने भी सामान्य तौर से अधिकांश ने यह माना कि जो बातचीत हम कह रहे हैं वह उस बातचीत से सहमत हैं। हमने उनके सामने हर प्रकार का रास्ता रखा कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसको भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करके इन पांचों जातियों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है लेकिन सबने कहा कि हमें तो बैकवर्ड क्लास के अन्दर आरक्षण चाहिए और सदन में एक बिल लाया जाए। यह भी कहा कि जब तक सदन में बिल नहीं आता चाहे 15 दिन लगे चाहे एक महीना लगे तब तक हम इसका प्रावधान करते हैं और जैसे ही बिल पारित होगा उसमें बी.सी. कैटेगरी में भी करेंगे और उसके लिए क्रिमीलेयर की जो एक रेखा रखी गई थी जिसकी आर्थिक आधार पर एक सीमा थी उसको बढ़ाने की बात की तो हमने उसको तुरंत माना कि हम इसको भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मांग का हमने विरोध नहीं किया क्योंकि अगर समाज में शान्ति बाहल करनी है तो जो इस प्रकार की बातें जो इतने सालों से लम्बित पड़ी हुई हैं क्योंकि यह जाट आरक्षण का मुद्दा आज का नहीं है यह वर्ष 1990 से चला आ रहा है और उसको सहमत करने के लिए सरकार को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। अन्य समाजों की सब प्रकार की सुरक्षा करते हुए यदि कोई नये प्रावधान करने में कोई सहमति होती है तो उसमें हमें कहीं कोई अन्तर नहीं पड़ता है। हमने हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया। हर प्रकार की बात कही लेकिन न जाने कुछ राजनीतिक दल के लोग जिनको इस आरक्षण की आड़ में अपना कोई हेतु सफल करना था उन्होंने निरंतर अपनी मंशा साफ की, मंशा जाहिर की कि हम इस प्रकार की बातचीत से सहमत नहीं हैं। हम तो आन्दोलन करेंगे। मुझे लगता है कि विश्व में पहली बार एक ऐसा उदाहरण मिल रहा है कि कोई मांग है और उस मांग को माना जा रहा है और मांग के माने जाने के बाद भी आन्दोलन चलाया जाएगा आज तक ऐसा कहीं उदाहरण नहीं मिलता है। मांग मान ली जाए और फिर आन्दोलन इसका अर्थ है कि उनको तो आन्दोलन करना है उनको मांग से कोई मतलब नहीं है। ऐसा जो दृश्य उत्पन्न हुआ यह वास्तव में चिन्ताजनक है। जिसकी मैं घोर निन्दा भी करता हूं और इसकी जांच भी कराई जाएगी तथा उस जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाही भी की जाएगी। उन राजनीतिक दलों में खासकर कांग्रेस पार्टी से जुडे लोग जिनके नाम हमारे सामने आए हैं। प्रोफेसर बीरेन्द्र की ऑडियो विडियो सबने सुनी हैं उस आधार पर उन पर मुकदमा भी दायर हुआ है और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है उन्होंने समर्पण भी किया है उनको अभी आठ दिनों का पुलिस रिमांड भी मिला हुआ है। उससे और अधिक जानकारी निश्चित रूप से आगे मिलेगी कि किनके कहने पर तथा किस-किस षड़यंत्र के तहत जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा व आगजनी की घटनायें की गई थी। मैं यह बिल्कुल नहीं मानता कि प्रोफेसर वीरेन्द्र की अकेले इतनी हिम्मत हो सकती है कि वह ऑडियो पर यह कहते हुए सुना जायेगा कि हमारे यहां तो बहुत कुछ हो गया और आपके यहां तो चींटी भी नहीं मरी। इस प्रकार से लोगों को उकसाने का काम कोई एक व्यक्ति तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता है। इसके पीछे कोई न कोई साजिश है। इस साजिश का इन्कवॉयरी होने के बाद जरूर पर्दाफाश होगा। इसी प्रकार से कांग्रेस के वह

[श्री मनोहर लाल]

लोग जो भीड़ को लीड कर रहे थे उनके नाम भी मेरे पास आये हैं। इनके खिलाफ केसिज दर्ज किए गए हैं। 19 व 20.2.2016 को जो हमारे वित्त मंत्री जी के घर पर हमला बोला गया था तथा आग लगाई गई उस भीड़ को लीड करने वाला व्यक्ति जिसका नाम धर्मेन्द्र है, गांव खड़वाली का रहने वाला तथा वह कांग्रेस का वर्कर है। इसके खिलाफ सबूत मिले हैं हमने इसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए इसको अरेस्ट कर लिया है। महेन्द्र हुड्डा, किलोई का रहने वाला है तथा कांग्रेस का वर्कर है। यह सी.सी.टी.वी. कैमरे में बाकायदा माचिस देते हुए दिखाई दे रहा है। यह भी आगजनी की घटना में शामिल था इनके खिलाफ भी कार्यवाही की गई है। इस प्रकार जिसके खिलाफ भी कोई सबूत मिलता है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जोगेन्द्र उर्फ "जोगा" बालंद गांव का रहने वाला है और कांग्रेस का वर्कर है तथा प्रोफेसर वीरेन्द्र के परिवार से है। यह भी आगजनी की घटना में शामिल था। प्रदीप देशवाल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें कहा था जब तक इशारा नहीं मिलता तब तक किसी भी प्रकार की बात हम नहीं मानेंगे-हम यहीं बैठेंगे और जो भी कुछ हमको करना पड़ेगा वह हम करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने रास्ता भी रोकने की बात कही है। उनके उपर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगें हैं और पुलिस स्टेशन सांपला में उनके उपर 147, 149, 284, तथा 341 आदि धारायें लगाई गई हैं। जो भी कार्यवाही इनके खिलाफ बनेगी उसे हर हाल में किया जायेगा। राहुल जैन, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेजीडेंट, रोहतक जिसने भड़काऊ भाषण दिये और जो वकीलों के साथ कोर्ट के अन्दर पहली घटना हुई थी जिसके कारण से विवाद बढ़ा था उसके खिलाफ भी कार्यवाही लम्बित है। ऐसे बहुत से और भी नाम है जिनकी पर्याप्त सूची मेरे पास है जो भिन्न-भिन्न घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। जिस व्यक्ति के भी खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलेंगे हम पार्टी लैवल से उपर उठकर उस व्यक्ति पर कार्यवाही करेंगे। यह मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूँ। (इस समय मेजें थपथपाई गई) 18.2.2016 को आंदोलनकारियों ने बातचीत होने के बावजूद भी रेलवे ट्रैक को जाम करना शुरू कर दिया था। 9 जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम किए गए और 18.2.2016 से 22.2.2016 तक 449 जगहों पर रास्तों को बंद रखा गया। अलग-अलग जिलों में जितने रास्ते बंद हुए उनकी संख्या अलग-अलग है। पंचकुला में 1, अम्बाला-2, करनाल-25, यमुनानगर-8, कैथल-19, कुरूक्षेत्र-14, रोहतक-29, सोनीपत-40, पानीपत-20, झज्जर-60, गुड़गांव-8, फरीदाबाद-2, हिसार-30, सिरसा-19, भिवानी-70, जीन्द-35 (35 की संख्या में जो पांच रेलवे ट्रैक जाम किए गए थे वह भी शामिल है), फतेहाबाद-22, रिवाड़ी-14, पलवल-13, नारनौल-16 तथा मेवात में 2 जगहों पर रास्ता जाम किया गया था। इस प्रकार 18.2.2016 से 22.2.2016 तक 449 जगहों पर रेल और रोड़ जाम किए गए थे। यहां पर भी रोड़ ब्लॉक करने वालों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किए गए हैं। कुछ लोगों की जमानत हो गई है। जिन पर सीरियस आरोप हैं उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जायेगी। 18 फरवरी को मंत्रीमंडल की बैठक हुई और इसमें आंदोलन की पूरी तरह से समीक्षा की गई और जब हमें यह लगा कि इस मामले को ओर अधिक गम्भीरता से लेने की जरूरत आन पड़ी है क्योंकि मांगें माने जाने के बावजूद भी लोगों ने आंदोलन करने की जिद पकड़ी हुई है तो हमने 50 अद्धसैनिक बलों की कम्पनियां बुलवाई और अलग-अलग जगहों पर उनको डिप्यूट किया गया। अगले दिन सर्वदलीय बैठक करने का निर्णय लिया गया। सभी राजनीतिक दल 19.2.2016 को आयोजित सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। आरक्षण के लिए हरियाणा विधान सभा में एक बिल लाने की बात भी कही गई। उस दिन की भांति मैं आज भी इस

सदन के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से उस बिल की तैयारी की जा रही है और सदन में यह बिल अवश्य लेकर आया जायेगा। जब यह बिल आयेगा तो आरक्षण की मांग का समाधान भी होगा। मैं फिर सर्वदलीय बैठक के विषय पर आता हूँ। उस सर्वदलीय बैठक में बिल के ड्राफ्ट के लिए सभी पार्टियों के विधायकों ने अपने-अपने सुझाव देने की बात कही और मैंने कहा कि जो भी सुझाव आयेंगे तथा सर्वमान्य होंगे उन सभी सुझावों को इस बिल को तैयार करते समय शामिल कर लिया जायेगा। इसके बाद ऐसा लगता था कि इस सर्वदलीय बैठक में जाट आरक्षण के बारे में आम सहमति बन गई है। अब यह गंभीर मुद्दा समाप्त होगा और प्रदेश में अमन चैन होगा। हमारी सर्वदलीय बैठक करीब एक बजे खत्म हो गई थी, बैठक के तुरंत बाद लगभग 3 बजे सरकार को सूचना मिलती है कि प्रदेश के अन्दर स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई है। गांव-गांव से उपद्रवी लाठी, गंडासा जेली आदि कोई ना कोई हथियार लेकर शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी दिन हम सर्वदलीय बैठक कर रहे थे और सैकड़ों ग्रामीण सड़कों पर घुमने लगे। भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व मिल गए। उनमें से एक ने एक हैड कांस्टेबल श्री प्यारेलाल जी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 32वीं बटालियन में कार्यरत था, उसको गोली मार दी। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में राजनीति की जा रही थी कि वह बी.एस.एफ. का जवान कौन था ? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही कोई उसका फोटो मिला है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को बकायदा उसके बारे में पूरी जानकारी मिली थी। बल्कि जवान को घायल अवस्था में एम्बुलैंस गाड़ी में ले जाने पर भीड़ ने विरोध किया था, इस कारण बी.एस.एफ. को अपनी आत्मरक्षा के लिए अढ़ाई बजे के करीब गोली चलानी पड़ी, जिसमें राहुल नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। लगभग 5 बजे रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, जीन्द, हिसार और कैथल सभी उपायुक्तों को तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए कर्फ्यू लगाने, इंटरनेट सेवाएं बंद करने और सेना की टुकड़ियां में जवानों की संख्या बढ़ाने के आदेश दे दिए गए थे। अध्यक्ष महोदय, इस बढ़ती हुई हिंसा के तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए चण्डीगढ़ से हरियाणा सरकार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को इन सातों प्रभावित जिलों में स्पेशल भेजा गया था। मैंने स्वयं भारत के गृहमंत्री और रक्षा मंत्री को टेलीफोन करके इस गंभीर स्थिति से अवगत करवाया था और हमारी मांग के मुताबिक हमें पूरी सहायता करने के लिए आश्वासन मिला था। अध्यक्ष महोदय, देर रात ही सभी जिलों में केन्द्र से अर्ध सैनिक बल और बी.एस.एफ. के जवानों की टुकड़ियों को पहुंचा दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक और बात यह बताना चाहता हूँ कि जहां रोहतक, गोहाना आदि शहरों में जाने के लिए उपद्रवियों ने 19 फरवरी, 2016 को रास्ते बंद कर रखे थे, वहां वायु सेना के हैलीकॉप्टरों के माध्यम से यथा स्थानों पर अर्ध सैनिक बल और बी.एस.एफ. के जवानों की टुकड़ियों को पहुँचाया गया था। सरकार बड़ी तत्परता और मुस्तैदी से दिन-रात इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए कार्य कर रही थी। फिर भी सरकार के ऊपर इस तरह के कटाक्ष करना कि इस हिंसक आंदोलन को रोकने में सरकार असफल रही है और सरकार की कार्य प्रणाली पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह् लगाना मैं समझता हूँ कि यह बात बिल्कुल असत्य है। अध्यक्ष महोदय, 18 से 22 फरवरी तक चार दिन के आंदोलन को सरकार ने पूरी तरह से काबू कर लिया था। इस प्रकार के आंदोलन देश और प्रदेश में पहले भी हुए थे, उनकी सब डिटेल मेरे पास है कि ये आंदोलन कब-कब हुए और इनमें क्या-क्या स्थिति रही थी। अध्यक्ष महोदय, मंडल आयोग का आंदोलन दिनांक 20.08.1990 से शुरू हो कर 20.11.1990 तक तीन महीने चला, जिसमें 28 लोगों की जाने

[श्री मनोहर लाल]

गई थी। वर्ष 1984 में सिख दंगे दिनांक 31.10.1984 से लेकर 03.11.1984 चार दिन तक हुए थे। इसी प्रकार से मंडियाली कांड 01.09.2010 से शुरू होकर 10.10.2010 तक चला। सरकार इसे रोकने में असफल रही और लगभग सवा महीना चलता रहा, कादमा कांड 23 अगस्त, 2010 से शुरू होकर सितम्बर, 2010 तक लगभग 15-20 दिन चलता रहा, उसे भी सरकार रोकने में असफल रही थी और कंडेला कांड भी 21.12.2010 से शुरू होकर 31.12.2010 लगभग 10 दिन तक चलता रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए आपके माध्यम से सदन में बता रहा हूँ कि आखिर कोई भी आंदोलन प्रदेश या देश के अन्दर हो तो गया, लेकिन सरकार कितनी जल्दी से इस प्रकार के आंदोलनों पर काबू पा लेती है, यह देखने की बात होती है। सरकार की जिम्मेवारी व दायित्व निभाने का तरीका लोगों के सामने आता है। जाट आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने केन्द्र से देर रात ही अर्ध सैनिक जवानों की लगभग 100 टुकड़ियां बुलाकर अलग-अलग दंगा पीड़ित शहरों में भेजी, जहां पर ये सेना की टुकड़ियां मैजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर ड्यूटी देंगे ताकि कोई भी घटना रात और दिन किसी भी समय न हो। पहले दिन की घटनाओं में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाए भी हुई हैं लेकिन उनको स्वीकार करने में हमें कोई हर्ज नहीं है। इसके बावजूद हमने सेना और अर्द्धसैनिक बलों को सोनीपत के गोहाना में भेजने के लिए प्रयास किया लेकिन वहां की जनता ने रास्ते बंद किये हुए थे। वहां लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे बैठे हुए थे। हमने गोहाना में 21 फरवरी की सुबह ही हैलीकॉप्टर से सैनिकों को भेजा। हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा समुचित बल प्रयोग किया गया। इस घटना में 30 लोगों की मृत्यु हो गई और 320 लोगों को चोटें लगी जिसमें 72 पुलिस व सुरक्षा बलों के कर्मचारी हैं। हमारी त्वरित तथा कड़ी कार्रवाई के कारण 22 फरवरी को स्थिति पर पूर्णत: नियंत्रण पा लिया गया। ये 30 मारे गए लोग पूरे प्रदेश से थे। रोहतक में कुल 5 लोग मारे गए, सोनीपत में 8 लोग, झज्जर में 13 लोग, कैथल और हिसार में एक-एक व्यक्ति और जींद में 2 लोग मारे गए। इस तरह से अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग जातियों के 30 लोग मारे गए थे। इनमें कुछ लोग दोषी तथा कुछ लोग निर्दोष हैं। इसकी जाँच हमारी कमेटी कर रही है। निर्दोष लोगों को हमने 10-10 लाख रूपये का मुआवजा और एक-एक नौकरी देने की घोषणा की है। हाउस की सर्वसम्मति के अनुसार दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी काम करने की कोई व्यक्ति मन में भी न सोचे इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने इतने कम समय में किसी आंदोलन पर नियंत्रण पाया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मांग माने जाने के बाद भी हिंसा जारी रही जो निश्चित रूप से किसी दूसरी तरफ इशारा करती है कि इस हिंसा की कार्रवाई में किसी का कोई अन्य हित हो सकता है। इसकी जानकारी निश्चित रूप से सदन में रखी जाएगी। हमने कुल 2087 केसिज रजिस्टर किये हैं जिनमें से 440 अभियुक्तों की गिरफ्तारियां भी की जा चुकी हैं। कुछ ऐसे तथ्य भी हमारे सामने आए हैं जिनसे पता लगा है कि इस आंदोलन के जो सूत्रधार हैं वे राजनीतिक पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता हैं। इसकी जांच जारी है। जांच होने के बाद ही सही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हमने 22 तारीख को मंत्रिमण्डल की बैठक की और इस विषय पर मंत्रणा की कि हमें आगे क्या कार्रवाई करनी है। इस बैठक में जितने भी आवासीय और वाणिज्यिक स्थानों को क्षति पहुंची थी उनके लिए मुआवजे देना और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों की किसी प्रकार की संदिग्ध भूमिका की जांच करने का

निर्णय लिया गया। आंदोलन में जिन सरकारी अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने बैठक में आंदोलन में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को 10-10 लाख रूपये और पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का निर्णय लिया। सरकार ने असैसमैंट से पहले ही जिन व्यक्तियों की छोटी दुकानें और रेहड़ियां थी और जिनका 50 हजार रूपये तक मुआवजा है उनको तुरंत प्रभाव से मुआवजा देने का निर्णय किया। हमने सिर्फ दो दिन के अंदर-अंदर 50 हजार रूपये तक की मुआवजा राशि प्रत्येक पीड़ित परिवार को दे दी। इसी प्रकार से हमने बाकी पीड़ित लोगों को पहले ही 25 परसैंट अंतरिम राहत देने की घोषणा की। जिन व्यक्तियों का बीमा नहीं हुआ था उनको हमने 25 प्रतिशत, 10 लाख रूपये की सीमा तक अगले तीन दिन के भीतर पैसे पहुंचा दिये। इस समय तक लगभग 28 करोड़ रूपये की राशि सरकार द्वारा बांटी जा चुकी है। जितना लोगों की ओर से नुकसान का क्लेम आया है वह 365 करोड़ रूपये का है जिसमें से 20 लाख रूपये तक की असैसमैंट के कार्य पूरे हो चुके हैं और पैसा जा चुका है। इसके बाद एक करोड़ रूपये की राशि की असैसमैंट के लिए हमने ए.डी.सी. के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है और मार्किट की जो एसोसिएशंज है उनको भी इस काम में साथ जोड़ रहे हैं ताकि वे भी इस असैसमैंट में सहयोग करें। असैसमैंट केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि साथ में मार्किट की एसोएसिएशंज के लोग भी करेंगे ताकि जिसका नुकसान हुआ है उसकी संतुष्टि हो सके और उसको संतुष्ट करना जरूरी भी है। इन दोनों के तालमेल से जो भी कम्पनसेशन की असैसमैंट होगी वह उनको दिया जाएगा। एक करोड़ रूपये से ऊपर के नुकसान पर जैसा मैंने बताया है कि एक अधिकारी यानि ए.डी.सी. को स्पैशल लगाया है और आवश्यकता हुई तो एक सर्वेयर भी लगाया जाएगा ताकि उनके मुआवजे की जल्दी से जल्दी असैसमैंट हो सके। इंश्योरैंस जिन्होंने करवाया हुआ है उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का 57 करोड रूपये का इंश्योरैंस हुआ है। बीमा कम्पनियों ने कार्यवाही करके इन 57 करोड़ रूपये में से 25 करोड़ 85 लाख रूपये दे दिए हैं तथा बाकी पैसे की असैसमैंट जारी है। सरकारी सम्पत्ति का भी नुकसान हुआ है उसमें अभी तक जो अनुमान लगा है वह 17 करोड़ 14 लाख रूपये का लोस हुआ है। चाहे सरकारी नुकसान है अथवा लोगों का जान और माल का नुकसान है सब मिलाकर 650 करोड़ रूपये की असैसमैंट आई है। इसके अलावा रेलवे का नुकसान इससे अलग से है। रेलवे का नुकसान 100 करोड़ या 200 करोड़ का है यह उनके अधिकारी अनुमान लगाएंगे। कुल मिलाकर हरियाणा का जो नुकसान है वह 650 करोड़ रूपये का है। जो यह नुकसान के बारे में चर्चाएं है कि 30 हजार करोड़ या 20 हजार करोड़ रूपये हो गया इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी अधिकारी अपने घर में बैठकर, कितने दिन का लोस हुआ, कितने दिनों की जी.डी.पी. चली गई इस बेसिज पर आंकलन करते हैं। इस प्रकार के आंकड़े उनका अपना आंकलन होता है लेकिन जो हमारा प्रत्यक्ष नुकसान है जैसा मैंने पहले भी बताया है कि वह लगभग 650 करोड़ रूपये का है और रेलवे का मिलाकर 800-850 करोड़ रूपये का नुकसान बनता है। नुकसान की जितनी भी भरपाई हो सकती है, हम कर रहे हैं। जिनका नुकसान हुआ है उनकी किसी प्रकार से संतुष्टि हो जाए इसलिए भरपाई की जाती है। जो पैसा दिया जा रहा है उसमें हमारा मुख्य हेतु यह होता है कि जिसका नुकसान हुआ है उसकी संतुष्टि जरूर होनी चाहिए और उसको यह न लगे कि मेरा नुकसान ज्यादा हुआ है और मुआवजा कम है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमने बीमा कम्पनियों को बुलाकर कहा है कि जो बाकी पैसा बचा है उसको भी 15 दिनों के अंदर निपटा दिया जाए ताकि जिनका नुकसान हुआ है उनको पैसा

[श्री मनोहर लाल]

मिल सके। जिनका नुकसान हुआ है उन लोगों को हमने कुछ रियायतें भी दी हैं जैसे उनके बिजली के 4 महीनों के बिल माफ किए हैं। जो लोन इस समय उनके व्यापार पर चल रहे हैं, उनका 3 महीनों का इंट्रस्ट माफ किया है तथा हम वैट माफ करने बारे भी कोई योजना बना रहे हैं ताकि उनको इस स्कीम के माध्यम से एक असैसमैंट की राहत मिल जाएं। बैंकों को हमने कहा है कि डी.आर.आई. स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को यदि और लोन चाहिएं तो उनको 4 परसैंट इंट्रस्ट पर लोन दिया जाए। बैठक के निर्णय के बाद हमने 25 फरवरी को रिटायर्ड डी.जी.पी. श्री प्रकाश सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। श्री प्रकाश सिंह सीमा सुरक्षा बल और उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत महानिदेशक हैं उनको प्रशासनिक और पुलिस लापरवाही करने वालों के खिलाफ कारवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। जिन्होंने लापरवाही से काम किया है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके वे 45 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। इस कमेटी ने जांच प्रारम्भ कर दी है और मैं समझता हूं कि यह आयोग निर्धारित समय के अंदर यानि 45 दिन के अंदर अपनी जांच पूरी कर देगा। इसी प्रकार से रोहतक की बात की जा रही है वहां पर हमने एक आई.जी. को सस्पैंड किया है। उसको इसीलिए सस्पैंड किया गया है क्योंकि रोहतक के हालात जो इतने बदतर हुए थे उनके लिए वहां के आई.जी. का अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाह होना और उसका निकम्मापन ही पूरी तरह से सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। रोहतक के बदतर हालात की जिम्मेदारी वहां के आई.जी. पर डालकर उसे तुरंत प्रभाव से सस्पैंड किया गया है। इसी के साथ-साथ वहां के दो उप-पुलिस अधीक्षकों को भी निलम्बित किया गया है। इसके अलावा एक पुलिस अधिकारी को भारतीय संविधान की धारा 311 (2) (b) के अंतर्गत बर्खास्त भी किया गया है। इस प्रकार से कुछ जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिये हैं। ऐसे ही और भी जितने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हमें शिकायतें मिली हैं हमने उन शिकायतों के ऊपर भी आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। इस सारे घटनाक्रम के वास्तविक पहलुओं का पर्दाफाश करने के लिए हमारा पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम सच्चाई का पता लगा लेंगे जिससे यह स्वत: साफ हो जायेगा कि इस सारे के सारे घटनाक्रम को एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों द्वारा इस सारे घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाने की भी मांग की गई है। हमने यह तय किया है कि इस सारे घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाने का हमारा रास्ता खुला है इसलिए अगर हमने किसी स्टेज़ पर यह महसूस किया कि इस सारे घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाना आवश्यक है तो हम एक रिटायर्ड न्यायधीश की अगुवाई में इसकी न्यायिक जांच करवाने के लिए भी तैयार हैं। इस बारे में भी कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी गलतफहमी नहीं है लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस साजिश का खुलासा करना अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा ज़रूरी है इसलिए इसका हम जल्दी से जल्दी निश्चित रूप से खुलासा करवायेंगे। जहां तक हरियाणा प्रदेश के सारे समाज के सभी वर्गों की एकता के विषय का सम्बन्ध है हमारे लिए हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी और समाज के सभी वर्ग एक समान हैं। मैं यह बात ज़ोर देकर कहना चाहता हूं कि हमारे जो वास्तविक संस्कार हैं उनमें पूरे समाज के सभी वर्गों की एकता और अखण्डता को बनाए रखना हम सभी का सर्वप्रथम कर्त्तव्य है। हमारी नज़र में हमारे समाज के सभी वर्ग एक भारत माता के ही पुत्र हैं इसलिए जब हमारे समाज के सभी वर्गों के लोग भारत माता के पुत्र हैं तो फिर उनके परस्पर भाई-चारा और एकता होना नैचुरल है और यह सब होना भी चाहिए। हम इसी भावना को लेकर

चलते हैं। मैं तो प्रत्यक्ष तौर पर अपना ही उदाहरण लेकर चलता हूं कि सन् 1994 तक मैं जब समाज का काम करता था तो मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कि मैं कौन हूं और किस जाति व किस वर्ग से सम्बन्ध रखता हूं। सन् 1994 में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री बनने के बाद मेरी व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध हो पाई क्योंकि मैं समझता था कि हमारी राजनीति में यह सबसे बड़ी बिमारी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्तर पर शीर्ष स्थान पर पहुंच जाता है तो अक्सर उसे इन सवालों का सामना करना ही पड़ता है कि तुम कौन हो और किस जाति व वर्ग से सम्बन्ध रखते हो? अर्थात शीर्ष स्थान पर पहुंचने के बाद यह सब शुरू हो जाता है। आज भी जब कोई मेरे नाम के आगे खट्टर लगाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अपितु मुझे तो यही अच्छा लगता है कि मेरा नाम मनोहर लाल ही है। मैं समझता हूं ही कि मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है अर्थात मेरे लिए मेरी इतनी पहचान ही बहुत है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि यह हमारे संस्कार ही हैं जिनके कारण पूरे का पूरा समाज हमारा अपना ही है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अढ़ाई करोड़ लोग हमारे अपने ही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना अब तक का सारा जीवन एक खुली किताब की तरह जिया है। मैंने अपने जीवन में सच मानकर जिस भी राह को चुना उसी पर अडिगता के साथ अपनी यात्रा को जारी रखा है। मैंने जब से हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है तब से मैं "हरियाणा एक, हरियाणवी एक" इस रास्ते पर चला हूं। अपनी इस सोच के साथ अपने रास्ते पर अडिग था, अडिग हूं और अडिग ही रहूंगा इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाईश नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरे सदन को आपके माध्यम से यही विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार प्रत्येक हादसे से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। यह हादसा हुआ। यह हम भी मानते हैं कि यह हादसा नहीं होना चाहिए था लेकिन इसके बावजूद भी हम इस प्रकार के हादसों से निपटने के लिए पूरे तौर पर समर्थ हैं। आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त से सख्त समुचित कार्यवाही जल्दी से जल्दी की जायेगी। इसके साथ ही हमारा यह भी प्रयास है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक परेशान नहीं किया जायेगा। जो भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से किसी मुकद्दमें में फंसे हैं उनकी निर्दोषता की जानकारी जैसे ही हमें प्राप्त हो जायेगी उसके तुरंत पश्चात् उनको वहां से मुक्त करवाया जायेगा। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि सारे के सारे फैसले गुण-दोष के आधार पर किये जायेंगे। इस पूरे के पूरे मामले में जिस भी पुलिस अथवा प्रशासनिक अधिकारी की किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जायेगी उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा। ऐसे ही कुछ अन्य विषय भी हमारे माननीय साथियों ने यहां पर उठाये हैं जैसे कैथल में सर छोटू राम की मूर्ति को खंडित करने का मामला है। इस बारे में मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में मुकद्दमा दर्ज़ हो चुका है और एक व्यक्ति जिसका नाम देवा गुज्जर है उसकी इस मामले में संलिप्तता की आईडैंटीफिकेशन हुई है इसलिए उसके ऊपर मुकद्दमा दर्ज़ कर लिया गया है। इसी प्रकार से झज्जर में राव तुला राम की प्रतिमा को डैमेज़ करने का जो मुकद्दमा है वह एफ.आई.आर. नम्बर 120, पुलिस स्टेशन झज्जर में दर्ज़ कर लिया गया है। इस मामले में अपराधी की अभी तक आईडैंटीफिकेशन नहीं हो पाई है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस मामले में संलिप्त दोषियों की आईडैंटीफिकेशन जल्दी ही हो जायेगी। इसी प्रकार से पुलिस अधीक्षक, जीन्द हमारे सदन के माननीय निर्दलीय विधायक श्री जसबीर देसवाल जी के विरूद्ध दर्ज़ मुकद्दमें की जांच-पड़ताल कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वे जल्दी से जल्दी अपनी निष्पक्ष जांच रिपोर्ट माननीय न्यायालय में सबमिट कर देंगे ताकि आगे की आवश्यक कार्यवाही को शीघ्रता से

[श्री मनोहर लाल]

निपटाया जा सके। ऐसे ही यहां पर एक विषय हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भिवानी का उठाया था भिवानी में पैट्रोल पम्प पर जो हमला हुआ उसमें शिकायतकर्ता के हाथ से लिखी हुई एप्लीकेशन में इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा गया है। अगर इससे सम्बन्धित जांच में इस हमले के लिए किसी व्यक्ति का नाम शिकायतकर्ता द्वारा बताया जाता है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम निश्चित रूप से उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे। इस केस के सम्बन्ध में धारा 161 के तहत लिखे गये ब्यानों में भी शिकायतकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है। इस लूटपाल से सम्बंधित जो सी.सी.टी.वी. की फुटेज़ हैं वे काफी डिम हैं इसलिए उनकी रैज्योल्यूशन को बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इसी के साथ ही मोबाईल का डम्प भी ले लिया है और उसका भी एनैलेसिज़ किया जा रहा है। इस प्रकार से इस मामले में जांच की कार्यवाही जारी है और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। आज की तारीख में इस सम्बन्ध में 62 कम्पनियां हरियाणा प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में विभिन्न विषयों पर काम कर रही हैं। इन सभी जिलों में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, हिसार व भिवानी विशेष रूप से शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर इन कम्पनियों को भेजा गया है ताकि भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई घटना हरियाणा में हो तो उस घटना को रोकने में वह सक्षम हो सके। हम भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस फोर्स द्वारा हथियारों का प्रयोग कम किया गया। मैं यह बताना चाहूंगा कि पुलिस फोर्स के पास जितने भी साधन होते हैं चाहे वह स्मोक स्कैंडल हो, चाहे टियर गैस सैल हो, चाहे ड्यूल सैल हों, चाहे स्टनग्रेनेड हों अथवा टियर स्मोक ग्रेनेड हों ऐसे सभी साधनों का उपयोग किया गया है। उनकी कुल संख्या 879 है। इस प्रकार की जानकारी हमारे होम डिपार्टमैंट ने दी है। मैं यहां पर इसलिए यह सब जानकारी दे रहा हूं ताकि सभी को पता चल सके कि उस समय किस प्रकार की कार्यवाही हमारे पुलिस बल द्वारा की गई है। जो रिपार्ट दैनिक ट्रिब्यून समाचार पत्र की बताई गई है मैं भी यह मानता हूं कि यह निश्चित रूप से चिंताजनक है कि जजिज़ ने इस प्रकार से कहा लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो रोहतक की स्थिति थी वह वास्तव में ही दिनांक 20 फरवरी, 2016 को एक भयानक स्थिति के रूप में हमारे सामने खड़ी हो गई थी। यह घटना भी उसी दिन की है। जिसके कारण हमने वहां के आई.जी. को तत्काल प्रभाव से सस्पैंड किया है। इसी प्रकार से पुलिस के दो अन्य अधिकारियों को भी सस्पैंड किया गया है। यह बात सही है कि उस दिन रोहतक में बहुत ज्यादा दहशत का माहौल था लेकिन फिर भी एक दिन के अंदर-अंदर उस समस्या को हल कर लिया गया अर्थात केवल मात्र एक ही दिन के बाद उन समस्याओं पर ध्यान देकर उन पर काबू पा लिया गया। जिस घटना के बारे में माननीय सदस्य श्री कुलदीप बिश्नोई जी ने जिक्र किया है उस बारे में मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि अभी तक हमारे किसी भी रिकार्ड में यह घटना नहीं है। इसलिए यदि वे उस परिवार के बारे में बतायेंगे जिसके साथ उक्त घटना घटित हुई है तो हम अपने किसी विशेष अधिकारी की उस घटना की निष्पक्षता से जांच करने के लिए ड्यूटी लगा देंगे। इसलिए अगर हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट मिलेगी तो तभी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह मैं श्री कुलदीप बिश्नाई जी को विश्वास दिलाता हूं।

श्री कुलदीप बिश्नोई : स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बात बताना चाहता हूं कि जिस परिवार के साथ यह घटना घटित हुई है वह परिवार व्यक्तिगत तौर पर अपने आपको डिस्कलोज़ नहीं करना चाहता लेकिन अगर माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी चाहें तो मैं इनको व्यक्तिगत तौर पर उस परिवार से मिलवा सकता हूं। जिसका मैंने जिक्र किया है वह वास्तव में घटित हुई घटना है इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय सदस्य श्री कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं मैं उनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर हम इस प्रकार से बातों को आगे बढ़ायेंगे तो उसका कोई वास्तविक लाभ होने वाला नहीं है। जब तक कोई न कोई व्यक्ति सामने नहीं आयेगा अर्थात अगर कोई कम्पलेनैंट सामने नहीं आता है तो आगे की कार्यवाही में मुश्किल हो जायेगी।

श्री कुलदीप बिश्नोई : स्पीकर सर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी यह कहा है कि मैं उस पीड़ित परिवार के लोगों से किसी भी माननीय मंत्री को मिलवाने के लिए तैयार हूं। वह परिवार अपनी लड़की की शादी करना चाहता है इसलिए इस मामले को सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी मैं उनसे बात करके इसके लिए उनको राज़ी करने की कोशिश एक बार फिर से कर लेता हूं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, माननीय मंत्री श्री नायब सैनी और माननीय सदस्य डॉ. पवन सैनी जी जिनका जिक्र श्री कुलदीप बिश्नोई जी कर रहे हैं उन दोनों घरों में गये थे लेकिन वहां से इनको इस प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जैसा कि कुलदीप जी भी जानते हैं कि कानून का भी अपना एक नियम है कि जब तक कोई कम्पलेनैंट सामने नहीं आता है तब तक किसी भी मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

Shri Kuldeep Bishnoi : Speaker Sir, I am not wrong in this matter इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को अपने साथ चलने के लिए कह रहा हूं।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि इसको रिकार्ड पर लाना ठीक नही है। जिसके भी खिलाफ कोई भी कम्पलेंड करेगा जो आरोपित है उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए और प्रॉपर इंक्वायरी के लिए उसको ज़रूर बुलाया जायेगा। अगर हम यह समझते हैं कि उसको बुलाना सम्भव नहीं है और उससे बात भी नहीं की जा सकती है तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के विषयों को किसी भी सूरत में रिकार्ड पर नहीं लाया जाना चाहिए। जो बात हुई है या फिर नहीं हुई है इसके बारे में हमारे पास कोई भी तथ्यों पर आधारित जानकारी नहीं है।

श्री कुलदीप बिश्नोई : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मैंने हांसी में कार्यरत तीन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने के लिए कहा था।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं कुलदीप बिश्नोई जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि हांसी के जिन तीन अधिकारियों का ये जिक्र कर रहे हैं उनके नाम हमें बता दें। हम इंक्वायरी करवा लें और अगर वे दोषी पाये गये तो हम उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, इस सारे प्रकरण की व्यापक स्तर पर जांच चल रही है। यह सारे का सारा जांच का विषय है इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें।

कैप्टन अभिमन्यु : स्पीकर सर, मेरे साथी कुलदीप बिश्नोई जी ने जिन अधिकारियों का जिक्र किया है मैं विशेष रूप से हांसी के बारे में बताना चाहूंगा। मैं हिसार भी गया था और वहां पर सभी पक्षों से मिला भी था। वहां पर चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी था सभी अधिकारियों को जाति के आधार पर तोलने की बात की गई थी। हांसी में दो डी.एस.पीज़. हैं। एक डी.एस.पी. जो उस समय पूर्ण रूप से सक्रिय थे उनका नाम श्री भगवान दास है। इसी प्रकार से दूसरे डी.एस.पी. का नाम है संदीप मलिक। पूरा जिला प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर और यहां तक कि सम्बंधित एस.पी. भी वर्दी पहनकर उस दौरान दिन-रात फील्ड के अंदर रहे। 20-20 हजार लोगों की पंचायतें करवाई गई। उस वातावरण में जब हम लोगों के बीच में गये तो हमारे सैनी समाज और गुर्जर समाज के भाईयों ने डी.एस.पी. संदीप मलिक पर आरोप लगाये। इसी प्रकार से जो सिसाय गांव में जाट समाज के लोग थे उनका कहना यह था कि भगवान दास गुर्जर ने ही यह सब करवाया है। उसका गांव भी वहीं पर है। दोनों अधिकारियों ने अपनी-अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई है। मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि भी हूँ और उस तहसील से भी आता हूँ। आज के वातावरण में हमें हर बात को जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। हमें किसी भी आरोप को इग्नोर नहीं करना है, जांच पूरी करनी है और हम अधिकारियों को जाति के चश्मे से न देख कर उसके गुण-दोषों को देखते हुये निर्णय करें। मुझे पूरा विश्वास है कि सच सामने आयेगा तथा उसी आधार पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए।

श्रीमती रेणुका बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, हांसी की बात हो रही है इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी अपने विचार रखना चाहती हूँ। वहाँ पर दो अधिकारी डी.एस.पी. और एस.डी.एम. के विरूद्ध शिकायतें आई हैं इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। हम उन अधिकारियों से मिले भी नहीं हैं इसलिए ये श्री कुलदीप बिश्नोई और रेणुका की मनघडंत शिकायतें नहीं हैं। हम पीड़ितों के घर मिलने गये हैं और उन्होंने शिकायतें की हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, इनकी शिकायतें मनघडंत नहीं हैं। डॉ. कमल गुप्ता जी भी रात के 12-12 और 1-1 बजे तक हांसी में बैठे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं भी 3 दिन हांसी में बैठा रहा हूँ। जिस व्यक्ति की वहाँ पर मौत हुई थी मैंने उसका संस्कार भी करवाया है। मुख्यमंत्री जी ने 1 घंटे में वहाँ पर हेलीकॉप्टर से 70 सैनिकों को उतारा है। मैं वहाँ पर 3 दिन रहा हूँ और वहाँ पर डी.सी. और एस.पी. स्तर के अधिकारी मौजूद रहे हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों के नाम श्रीमती रेणुका बिश्नोई जी ले रही हैं उनकी जांच भी हम करवा लेंगे। जिन अधिकारियों के नाम ये ले रही हैं उनकी पूरी जानकारी हम लेंगे और जैसा ये कह रही हैं अगर वैसा हुआ है तो हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। इसमें बिरादरी का कोई विषय नहीं है। आप उन अधिकारियों के नाम लिख कर हमें दे दीजिए

हम जांच करवायेंगे। अगर जांच में ऐसा लगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है तो हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एक विषय और आया था हालांकि वह इस विषय से संबधित नहीं है लेकिन यहाँ पर वक्फ बोर्ड के विषय में भी चर्चा की गई है। उसके लिए हमने केन्द्रीय मंत्री श्रीमती नजमा हेपतुल्ला जी को पत्र लिख कर कहा है कि वक्फ बोर्ड का जो कानून कांग्रेस सरकार ने बनाया है यह ठीक नहीं है इसलिए इसमें संशोधन किया जाये। इस विषय में हमारा हरियाणा का एक प्रतिनिधि मंडल श्री रतन लाल कटारिया जी के नेतृत्व में उनसे मुलाकात करके भी आया है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यदि इसमें रेजोल्यूशन की बात आती है तो वह भी पास होना चाहिए कि यह कानून ठीक नहीं है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के नाम नोटिस भेजे जा रहे हैं उन पर तुरन्त रोक लगाई जाये।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, उस बारे में हम सी.ई.ओ. को रोक लगाने के लिए कह देंगे। दूसरी बात यह है कि इस विषय पर अगर रेजोल्यूशन रखने की बात आती है तो उसमें हमारी सहमति है। अगले सत्र में किसी भी दिन इसको रखा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मुरथल कांड के बारे में भी सदन में चर्चा हुई है। उस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मुरथल कांड की जांच के लिए हमने एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी लेकिन उसमें कोई भी कम्पलेनेंट सामने नहीं आया जिसके साथ इस तरह की घटना घटी हो। हमने यह भी कह दिया था कि उनके नाम गुप्त रखे जायेंगे। हमने यह भी कहा था कि अपनी शिकायत वैबसाईट पर भी डाल सकते हैं, एस.एम.एस. के माध्यम से भी दे सकते हैं या किसी भी तरीके से इसकी सूचना दे सकते हैं लेकिन इतने दिन बाद भी कोई कम्पलेनेंट नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि अगर किसी भी घटना का कोई कम्पलेनेंट नहीं आता है तो यह सरकार की मजबूरी है कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक एक पुलिस ऑफिसर्ज के बारे में कहा गया कि वह पुलिस की वर्दी में नहीं आई थी तो मैंने भी उसकी जानकारी ली थी और उस जानकारी में मुझे बताया गया है कि सामान्यत: जो क्राईम ब्रांच और सी.आई.डी. विजिलेंस के अधिकारी होते हैं वह किसी भी स्टेट में वर्दी नहीं पहनते हैं। वह भी एक दिन बिना वर्दी के आई हैं और अगले दिन ही हमने उनको कहा कि आप जांच के लिए जब भी लोगों को बुलाएंगीं तो आप वर्दी में जाएंगी। चाहे इसके लिए आपको वर्दी के नियम को तोड़ना भी पड़े। मैं अब इस सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा और सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हम सभी राजनीतिक व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लें। मैंने कुछ सामाजिक संगठनों से और कुछ धार्मिक नेताओं से भी बातचीत की है कि हरियाणा की जो आपसी भाईचारे की भावना को ठेस पहुंची है उसको ठीक करने के लिए समाज में समरसता आए, सद्भावना बने इसके लिए वह अपने तौर पर भी कार्यक्रम करें तो मुझे जानकारी मिली है कि सभी लोग अपने-अपने तौर पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं सभाएं कर रहे हैं, कहीं हवन यज्ञ कर रहे हैं इस प्रकार के कार्यक्रम लोगों ने शुरू किये हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम सब मिलकर प्रदेश के हित में फैसले करेंगे तो कोई भी अराजक तत्व इस प्रदेश की शान्ति को भंग करने का दुस्साहस नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब इस पर अमल करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैंने सदन के नेता से एक बात जाननी चाही थी और जिसका मैंने पूरे हवाले के साथ जिक्र किया था कि कहां-कहां पर किस-किस तरह की घटनाएं घटी। बाकी सब जगह का तो आपको बता दिया लेकिन जीन्द में जो चौधरी देवी लाल जी की प्रतिमा थी जिसका वीडियो मेरे पास है कहो तो मैं हाऊस में इस वीडियो को दिखा देता हूं। जिसमें कुछ लोग सरेआम उस प्रतिमा को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब तक उनकी कोई पहचान की गई है कि वह कौन लोग हैं ? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? इसी तरह झज्जर में चौधरी छोटूराम की प्रतिमा भी तोड़ी गई मैंने उसका भी जिक्र किया था क्या उसको तोड़ने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई ? मैंने ये भी जिक्र किया था कि वहां शहीद सुरेन्द्र सिंह छिक्कारा की प्रतिमा भी थी उसको भी तोड़ा गया था क्या उसको तोड़ने वालों की पहचान की गई कि वे कौन लोग थे ? इसके अलावा भिवानी की जाट धर्मशाला जलाई गई जिसकी कम्प्लेंट लेकर लोग एस.पी. से मिले थे उन्होंने नाम के साथ कम्प्लैंट दी थी लेकिन उन्होंने जिन लोगों के नाम दिये थे उनके खिलाफ पर्चा भी दर्ज नहीं किया गया। मतलब यह कि उनके खिलाफ कार्रवाही करनी तो दूर की बात है उनसे एप्लीकेशन ले ली गई लेकिन किसी के खिलाफ कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गयी। कोई भी व्यक्ति अगर एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए जाता है तो कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एफ.आई.आर. दर्ज करनी पड़ती है। उस पर आगे क्या सही है और क्या गलत है उसका निर्णय बाद में पुलिस करती है। मैंने आपसे ये सारी चीजें पूछी थी लेकिन आपने इन सारी चीजों को छोड़ दिया। उसके साथ-साथ मैंने आपसे एक निवेदन यह भी किया था कि जिस ढंग से हरियाणा में आगजनी को फैलाने के लिए इस सारे मामले में लगातार राजकुमार सैनी और रोशन लाल आर्य दोनों ने जिस ढ़ंग से अलग-अलग जगहों पर जाकर के जलसे किये, मीटिंग्ज की और उनमें जिस भाषा का प्रयोग किया क्या आप उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं ? इसी तरीके से जो मुरथल का मामला था जिसका आपने भी जिक्र किया था कि मुरथल में कोई कम्पलेनेंट सामने नहीं आया। मैंने यह बात मुरथल में जाकर वहां के लोगो से मिलकर और यहां आकर प्रैस कॉन्फ्रैंस की थी उसमें मैंने कहा था कि मुरथल के जो लोकल लोग हैं वह यह कहते हैं कि हमारे सामने ऐसी कोई घटना नहीं हुई लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मीडिया द्वारा इस इशू को बहुत ज्यादा उछाला गया। केवल और केवल किस तरीके से किसी को बदनाम किया जा सके। आपकी सरकार भी मानती है कि वहां पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई तो जिन लोगों को वहां पर लाकर और उनसे ब्यान दिलवाए गये थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे पूछा जाए कि आपको यहां ब्यान देने के लिए कौन लेकर आया था और आपने यह ब्यान क्यों दिये थे। कम से कम उनके खिलाफ कार्यवाई करो ताकि मुरथल की घटना की जानकारी आपको पूर्ण रूप से मिल सके। मैं यह स्थगन प्रस्ताव इस सदन में लेकर आया था और मैंने इस स्थगन प्रस्ताव पर आप सब लोगों की बहस को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। स्थगन प्रस्ताव पर बहस के दौरान कुछ सदस्यों ने इसको कंडम भी किया और कुछ सदस्यों ने कौन-कौन लोग दोषी हैं उनका जिक्र भी किया है। मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें अब भी छूट गई हैं इसलिए मेरा आप सब से निवेदन है कि इस पूरे मामले की ज्यूडिशियल इंक्वॉयरी करवाओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो सके। यदि इस केस की इंक्वॉयरी सिटिंग जज से करवाई जाती है तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि नेता प्रतिपक्ष ने अभी ज्यूडिशियल इंक्वॉयरी की बात कही है तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी तरह की ज्यूडिशियल इंकवॉयरी की राय हम भी रखते हैं और इस केस की ज्यूडिशियल इंकवॉयरी अवश्य करवाई जायेगी। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो भी धटनायें हुई हैं उन सबके लिए लगभग 2000 से उपर एफ.आई.आर.दर्ज की गई हैं और 449 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यद्यपि मैंने सारी घटनायें पढ़कर नहीं सुनाई हैं लेकिन निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही जरूर की जायेगी। इन सबके बावजूद नेता प्रतिपक्ष ने जो-जो बातें अभी दर्ज करवाई हैं उन सबके बारे में भी पर्याप्त जानकारी ली जायेगी और कौन-कौन लोग इस आंदोलन में खिलाफत का काम कर रहे थे, उनके बारे में भी आपको अवश्य अवगत करवाया जायेगा। इस आंदोलन से संबंधित जो-जो सबूत आपके पास उपलब्ध हैं यदि आप उन्हें उपलब्ध करवा दें तो उन सबूतों के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही जरूर की जायेगी। इसके अतिरिक्त मान लो काई सबूत पुलिस के पास नहीं पहुंचा है तो हमने इस समस्या को मद्देनज़र रखते हुए ओपनली एक पुलिस अधिकारी को लगाया है ताकि यदि किसी भी व्यक्ति के पास कोई सबूत है तो वह उस सबूत को उसके पास पहुंचा दे। यदि किसी भी दोषी के खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करते हुए कार्यवाही भी की जायेगी। इसलिए नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि जो सबूत अभी सामने नहीं आये हैं और आपके पास मौजूद हैं तो उन सबूतों को आप हमें पहुंचायें तो उन सबूतों के आधार पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि श्री कुलदीप बिश्नोई जी ने यह आरोप लगाया था कि झज्जर में जब जातिगत हिंसा भड़की तो उसके बाद वह पीड़ितों से मिलने झज्जर पहुंचे तो वहां पर यह बात सामने निकलकर आई कि उस दौरान मां-बेटी के साथ रेप किया गया था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, इस बात पर पहले ही पूरी चर्चा हो चुकी है। बार-बार एक विषय को सदन में उठाना ठीक बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप एक बार मेरी बात पूरी तो होने दीजिये। सदन के दो सदस्यों ने इस रेप केस पर अपनी-अपनी तरफ से बातें कहीं। कौन सा सदस्य सच बोल रहा है और कौन सा सदस्य झूठ बोल रहा है, सदन को कौन सा व्यक्ति गुमराह कर रहा है और कौन सदन में सहीं बात कह रहा है इस सारे मामले की जांच के लिए तीन या चार सदस्यों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए ताकि वह सारे मामले की तह तक पहुंचकर सारी जानकारी सदन को मुहैया करवाये। इस प्रकार से गलत और ठीक बात करने वाले की पहचान हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, एक बात साफ है कि यदि इस तरह के संवेदनशील मामले में कोई व्यक्ति जानबूझकर सदन को गुमराह करने की कोशिश करेगा या गलत बात कहेगा तो मैं समझता हूँ कि इससे सदन की मर्यादा को कहीं न कहीं ठेस ही पहुंचती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 100 प्रतिशत इस मामले पर कमेटी बनाई जानी अत्यावश्यक है।

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इस केस के बारे में मेरे को व्यक्तिगत रूप से बताया गया था। हो सकता है कि पीड़िता किन्हीं कारणों से प्रशासन के सामने न आ पा रही हो (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, कुलदीप बिश्नोई तो अपनी बात से भाग खड़े हुए हैं। अब जबकि यह मामला तूल पकड़ गया है तो वह कहने लग गये हैं कि उन्हें इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से बताया गया था। (शोर एवं व्यवधान) कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई है, किसी द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं की गई है, पुलिस के पास कोई जानकारी तक नहीं है, कंशंर्ड एस.पी. को कोई जानकारी नहीं, सारा प्रशासन मना कर रहा है और कुलदीप बिश्नाई व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाते है और अब उस आरोप से भी भाग खड़े हुए हैं।(शोर एवं व्यवधान) इसी प्रकार से मुरथल कांड में भी कुछ मीडिया वालों ने आरोप लगाये थे और बाद में उन आरोपों से किनारा कर लिया था। ठीक उसी प्रकार से कुलदीप बिश्नाई पहले आरोप लगाते हैं और अब उन आरोपों से भाग खड़े हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) "भाग लिए" इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मेरे साथ चलिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा को बदनाम करने की इजाजत नही दी जा सकती है। (शोर एवं व्यवधान) यह कौन सा तरीका है कि आरोप लगाओ, हरियाणा को बदनाम करो और भाग लो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की अमर्यादित बातें करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, कुलदीप बिश्नोई अपनी बात से भाग रहे है। (शोर एवं व्यवधान) अब इन्होंने इस केस में "व्यक्तिगत" शब्द प्रयोग कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, झज्जर में मां-बेटी से रेप की किसी प्रकार की घटना हुई ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, झज्जर में रेप केस हुआ है, और हर हाल में हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा है तो इनको इस मामले से न भागकर उन लोगों से एफ.आई.आर. दर्ज करवानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जब मैं झज्जर में पीड़ितों का हाल जानने के लिए गया तो वहां पर मुझे बड़े ही व्यक्तिगत रूप से पीड़ित ने अपने व अपनी बेटी के साथ हुए अपराध के बारे में "व्यक्तिगत" रूप से बताया। इसलिए मैंने यहां पर "व्यक्तिगत" शब्द का प्रयोग किया था। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन मंत्री जी उस "व्यक्तिगत" शब्द का गलत अर्थ निकालकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रकार से अपने बयान से बच नहीं सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) किसी भी व्यक्ति को सदन को गुमराह करने की इजाजत कदापि नहीं दी जा सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं किन्हीं कारणों से पीड़ितों की पहचान नहीं बता सकता। यदि धनखड़ साहब चाहे तो मैं उन्हें प्रभावितों तक ले जा सकता हूँ और यदि मामला सही पाया जाता है तो क्या मंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह इन जैसे लोगों की ओछी राजनीति है कि हरियाणा को बदनाम करो और भाग जाओ, यह तरीका गलत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यदि मामला सही पाया गया तो क्या मंत्री जी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के बेतुकी बातों से सदन को गुमराह नहीं किया जा सकता। (शोर एवं व्यवधान) यदि कोई इस तरह का केस हुआ है तो एफ.आई.आर. दर्ज करवानी चाहिए। मैं सदन को आश्वास्त करना चाहता हूँ कि यदि एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जायेगी तो दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, धनखड़ साहब मेरे साथ वहां चल सकते हैं इनको सही हालात का पता चल जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके साथ क्यों चलूं ? कुलदीप बिश्नोई जी, हमारे विधान सभा के सदस्य श्री सुभाष सुधा, श्री पवन सैनी, श्री नरेश कौशिक तथा श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास वहां पर जाकर सबसे मिलकर आये हैं। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। क्या आप अकेले ही सच्चे हो गये और सभी दूसरे सदस्य गलत हैं ? (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा को बदनाम मत कीजिये। आरोप लगाओ और भाग जाओ। (शोर एवं व्यवधान) ऐसा क्या था तुम्हारे पास कि केवल आपको ही इसके बारे में बताया गया। (शोर एवं व्यवधान) यह गलत तरीका है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धनखड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं अत: प्लीज शांत होकर उनको अपनी बात कह लेने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, कुलदीप बिश्नोई को सदन में झूठ बोलने की इजाजत कदापि नहीं दी जा सकती। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : धनखड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं। प्लीज आप बैठिये।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, सदन में किसी प्रकार के विवाद से नि:संदेह बचा जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी के खिलाफ कोई अपराध होता है। जो अपराध करने वाला होता है वह तो अपराध करके भाग गया लेकिन जिसके खिलाफ अपराध हुआ उसकी इतनी जिम्मेवारी तो कम से कम बनती ही है कि अपने खिलाफ अपराध के बारे में प्रशासन को बताये कि मेरे साथ यह अपराध हुआ है। यदि पीड़ित खुद इसकी जानकारी दे सकने में असमर्थ हैं तो उसका कोई शुभचिंतक, उस अपराध की रिपोर्ट प्रशासन को दे सकता है। प्रशासन के पास अपराध के खिलाफ कोई रिपोर्ट तो आनी ही चाहिए कि उसके खिलाफ अपराध हुआ है। ऐसी जानकारी जब प्रशासन के पास आती है तो प्रशासन अपराधी को भी ढूंढने की कोशिश करता है

तथा जिसके खिलाफ अपराध हुआ है उसकी भी जानकारी ली जाती है उसके खिलाफ अपराध हुआ है या नहीं। कुलदीप जी ने बोला कि जो पीड़ित है वह स्वयं इस केस से संबंधित कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाना चाहते और पारिवारिक कारणों की वजह से पीड़ित अपने साथ हुए अपराध के बारे में बाहर बात नहीं करना चाहते हैं। इनको उन्होंने गुड फेथ में व्यक्तिगत रूप से बताया होगा। हो सकता है कि कोई घटना उनके साथ घटी हो या नहीं लेकिन इस बात का हल विवाद से कभी भी नहीं हो सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पीड़ित परिवार के सदस्यों ने मुझे बताया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि पीड़ित परिवार के सदस्यों ने कुलदीप बिश्नोई जी को गुड फेथ में बताया होगा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब तक वह पीड़ित परिवार स्वयं या कोई भी शिकायतकर्त्ता जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, आगे नहीं आयेगा तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता है क्योंकि देश की कानून व्यवस्था के अनुसार तो गवाहों के अभाव में अपराधी भी छूट जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अब इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त की जाती है।

विधान कार्य-

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं.1) बिल, 2016

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री जी हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर तुरन्त विचार के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ--

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है --

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज-बाई-क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है --

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है --

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि शिड्यूल विधेयक का शिड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पास किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि विधेयक पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि विधेयक पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों पर चर्चा शुरू होगी। श्री असीम गोयल जी इस पर चर्चा शुरू करेंगे।

श्री असीम गोयल (अम्बाला शहर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हरियाणा प्रदेश की जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट सदन में पेश किया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। पिछली सरकारों के शासनकाल के कारण हरियाणा प्रदेश किन-किन हालातों से गुजर रहा है और इस समय इस तरह का बजट आना मानो ऐसा लगता है कि प्यासी धरती पर सावन आ गया हो। 'माना कि अंधेरा घना है, पर दीया जलाना कहां मना है' अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में पहले विकास के नाम पर अंधेरा था, यह बजट उस अंधेरे में रोशनी देने का काम करेगा। हरियाणा में बजट के द्वारा जो नई रोशनी दिखाई गई है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को पुन: बधाई देता हूँ। माननीय स्पीकर महोदय, नव हरियाणा के निर्माण का शंखनाद और विकास की नई इबारत तथा समृद्धि की नवध्वनि का घंटनाद बजट के माध्यम से हुआ है। भाजपा राज और जन-राज के लिए "जीवन-भर तिल-तिल करके जिये" ऐसे महान कर्मयोगियों और जन-सेवकों को सादर समर्पित-

"जो रूके नहीं, थके नहीं, झुके नहीं, मिटे पर बिके नहीं।"

मैं ऐसे महान कर्मयोगियों को सरकार की तरफ से यह बजट पेश करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हीटर चलता है तो गर्मी का अहसास होता है, एयर कंडीशनर चलता है तो ठंड का अहसास होता है। जिस प्रकार से यहाँ रोशनी एक बल्ब या टयूब के माध्यम से आ रही है इनका माध्यम एक ही है। इन दोनों में बिजली एक ही है लेकिन इनका भाव अलग-अलग है। प्रदेश में पूर्व की सरकारों को विकास करने के हमसे बहुत अधिक अवसर मिले हैं। इस हरियाणा को आगे ले जाने के पूर्व की सरकारों को बहुत अवसर मिले परंतु उनका भाव अच्छा नहीं था। इस हरियाणा की तरक्की का भाव इस भाजपाजनित सरकार ने नई इबारत लिखकर शुरू किया है। हम हरियाणा को 5 वर्षों में सचमुच में नंबर एक बनाएंगे। यह बजट इसका एक आइना है। मैं सर्वस्पर्शी, सर्वहितकारी, जनकेंद्रित, जनसमर्पित और जनहितकारी बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, इस बजट के माध्यम से हरियाणा को भय, भूख और भ्रष्टाचार की समस्याओं से छुटकारा मिलगा। वर्षों-वर्ष तक हमारे हरियाणा में भय, भूख और भ्रष्टाचार का शासन रहा है। इस अवसर पर मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा -

"फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए, (विघ्न)

हरियाणा विधान सभा के पूर्व विधायक का अभिनन्दन

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही देखने के लिए पूर्व विधायक श्री बनारसी दास वाल्मीकि सदन की वी.आई.पी. गैलरी में बैठे हैं। मैं सदन की ओर से इनका स्वागत करता हूं। ये भी बहुत अच्छी कविता जानते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : रामबिलास शर्मा जी, आपको माननीय सदस्य की कविता तो पूरी सुननी चाहिए थी।

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री असीम गोयल (नन्यौला): अध्यक्ष महोदय, सदन में बजट का मुद्दा चल रहा है। हमारे बजट का आखिर मोटिव क्या है। इस अवसर पर मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा -

"फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए, जिंदगी कट गई जिनकी पत्थर तोड़ते हुए अब उन हाथों में भी कोहिनूर होना चाहिए।"

यह गरीबों को समर्पित बजट है। माननीय स्पीकर महोदय, बेटी रंक की हो या बेटी राजा की हो उसको प्रसव की वेदना समान होती है। ऐसा नहीं है कि बेटी अगर राजा की है तो उसे प्रसव की वेदना कम होगी और अगर मजदूर या मेहनतकश व्यक्ति की है तो उसको ज्यादा होगी। प्रकृति का नियम सबके लिए समान है। बड़े अफसोस की बात है कि आज तक हरियाणा में इस खाई को पाटने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रक्रिया में अंतर सिर्फ गुदड़ी का है। राजा की बेटी प्रसव की वेदना रेशम के कपड़ों पर झेलती है और गरीब-मजदूर की बेटी झोपड़ी के अन्दर कपड़ों की चिन्दियों पर झेलती है लेकिन दर्द सबको समान होता है। इसी समान दर्द को महसूस करते हुए हरियाणा के विकास की नई इबारत लिखने का काम इस बजट के माध्यम से हरियाणा सरकार ने किया है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। (विघ्न) अभी हरियाणा में हमारा सरकार रूपी घर बना है और लोगों की आस्था और विश्वास हममें हैं। हमें अपनी जनता की भलाई के विषय में सोचना है। जिस प्रकार से एक मछली अपना सारा जीवन पानी के अंदर व्यतीत करती है। वह पानी में ही जीती है, पानी में ही मरती है, थक-हारकर पानी में ही आराम करती है, पानी में ही पोषित होती है और पानी में ही उसकी सारी जिंदगी निकल जाती है। उसके जन्म और विसर्जन का केन्द्र पानी ही है। ठीक इसी प्रकार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जननायक श्री अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का सारा जीवन इन जनराज को जन्म देने के लिए, इसको विकसित करने के लिए और निरंतर इसको पोषित करने के लिए लगा है। शासन और पदों के प्रलोभनों के बीच ऐसा कोई योगी ही कर सकता है। आज इस मुख्यमंत्री जी के बारे में विपक्ष के साथी भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी तो वास्तव में ही शरीफ और संत आदमी हैं। ऐसे शासन और प्रलोभनों के बीच में जो भोगी होता है वह केवल भोगना जानता है और स्वयं की अतृप्त प्यास को शांत करना चाहता है तथा जनराज, स्वराज और सुराज जैसे शब्दों से उसका कोई लेना देना नहीं होता। भोगी व्यक्ति को जब सत्ता मिलती है तो उसको जनता के सपने नहीं आते बल्कि उसकी आंखों के जो अपने सपने होते हैं, सत्ता लोलुपता जो उसकी आंखों के अंदर तैर रही होती है उसको पूरा करने का सत्ता एक माध्यम बनती है। जब वह वहां से हटता है तो विलाप भी करता है और रोते रोते एक दिन अतृप्त प्यास और क्षुधा के साथ इस दुनिया से विदाई

[श्री असीम गोयल]

ले लेता है। अध्यक्ष महोदय, निर्भय एक बहुत बड़ा गुण है और निर्भय वही व्यक्ति होगा जो सदाचारी, ईमानदार, कर्मयोगी, प्रमाणिक और पारदर्शी होगा। निर्भय व्यक्ति को पता है कि उसे इस पद से या तो विधान ही हटा सकता है या फिर वह अपनी गलती से ही हट सकता है। शेर निर्भय होकर अपना शिकार करता है तथा दूसरी तरफ चूहा अपने भोजन को अपने पंजे में दबाकर आधा भोजन खाता है तथा डर का भाव उसके चेहरे पर होता है तथा वह इधर उधर देखता रहता है। चूहे के डर के दो कारण होते हैं एक तो डर उसको यह होता है कि जो भोजन उसने पंजे में दबा रखा है कहीं उसको कोई छीन न ले तथा दूसरा सबसे बड़ा डर उसको यह होता है कि कहीं वह स्वयं किसी का भोजन न बन जाए। अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों ने प्रदेश को जमकर लूटा है और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए इस प्रदेश को कई राजनीतिक साजिशों में उलझाने का काम भी किया। जाट आरक्षण की घटनाएं उसी का ही परिणाम है। लोग मानने लगे थे कि देश और प्रदेश में कुछ अच्छा नहीं हो सकता और डेढ़ वर्ष पहले लोगों को लगता था कि इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि कुछ करोगे नहीं तो कुछ बनोगे नहीं। अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं लेकिन अच्छा इंसान अपने कर्मों से ही जाना जाता है।। अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट हमारी सरकार लाई है यह हमारी सरकार की डेढ़ वर्ष की कारगुजारियों को परिलक्षित करता है। अध्यक्ष महोदय, बजट के बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाते हुए कहना चाहूंगा कि हम अमेरिका को इस संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र मानते हैं और प्रमुख रूप से श्वेत राष्ट्र है। जब वहां एक बार सत्ता में जार्ज बुश आए, उसके बाद मिस्टर क्लिंटन आए और फिर जूनियर बुश तथा उसके बाद फिर क्लिंटन आए तब अमेरिका के लोग छटपटाकर जागे। वहां के लोग कहने लगे कि केवल दो परिवार ही इस बड़े देश की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते और दो परिवार ही इस देश को नहीं चला सकते इसलिए उस श्वेत मुल्क ने अपने यहां एक अश्वेत व्यक्ति मिस्टर ओबामा को आगे किया। हमारे यहां भारत में लगभग 42 सालों तक एक ही परिवार का राज रहा है। मैं पार्टी की बात करूं तो पार्टी के नाते उनकी पार्टी का शासन और ज्यादा रहा है। केवल परिवार की बात करें तो 42 सालों तक एक ही परिवार के लोगों ने भारत पर राज किया। अभी कोई गरीबी हटाओ के नारे की बात कह रहा था इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उनसे गरीबी तो हटी नहीं इसलिए उन्होंने गरीबों को ही मारने का काम शुरू कर दिया। उनका एजैंडा यह हो गया कि गरीबी नहीं हटती न हटे, इस गरीब को ही हटा दो। अध्यक्ष महोदय, किसी महापुरूष ने कहा था कि सच्ची लोकशाही केन्द्र में बैठे 20 लोग ही नहीं चला सकते। आज सत्ता के केन्द्र बिन्दु दिल्ली, कलकत्ता और मुम्बई जैसे शहर बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सत्ता के केन्द्र बिंदु को पूरे भारत के सात लाख गांवों के अंदर बांटना चाहता हूं। इसी बात को सोचते हुए हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया यह बजट है। यह बजट हरियाणा के ढाई करोड़ हरियाणवी लोगों का बजट है, 7000 गांवों का बजट है, नगरों का बजट है, शहरों का बजट है, मजदूर का बजट है, आम आदमी का बजट है, किसान का बजट है, उद्यमी का बजट है, कमेरे वर्ग का बजट है, महिला और बेटियों का बजट है और यह आम जन मानस का बजट है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां आज भी गांव के अंदर सवेरे-सवेरे लोग कोयल की कूक और मुर्गे की बांग से उठकर अपने खेतों में काम करके अधिक से अधिक सोना उगाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ हरियाणा एक ऐसा प्रदेश भी है जहां साईबर सिटी

के नाम से पूरे देश में गुड़गांव अग्रणी है। ये दोनों विपरीत दिशाएं हैं परंतु हरियाणा इसे संयत बनाये हुए है। जो बजट माननीय वित्तमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है यह पूरे हरियाणा को समर्पित बजट है। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका मकसद भी कुल मिलाकर हरियाणा का विकास और तरक्की का ही होगा। मैं उनसे दो शब्द कहना चाहूंगा कि-

लम्बा रास्ता है, कदम मिलाकर चलें,
दिल मिले न मिले, हाथ मिलाकर चलें।

यदि विपक्ष के साथी सच में हरियाणा प्रदेश का विकास चाहते हैं तो सरकार से हाथ मिलाकर चलें। माननीय वित्तमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र में कुल बजट का 13.71 प्रतिशत बजट दिया है। पिछली बार जहां 11444 करोड़ रूपये कृषि के लिए रखा गया था उसमें बढ़ौत्तरी करके 13495 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से जहां तक सिंचाई की बात है, पण्डित दीन दयाल उपाध्याय की सोच हर खेत को पानी और हर हाथ को काम उपलब्ध कराने के सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए सरकार द्वारा अनेक नई पहल की जा रही हैं तथा सिंचाई के लिए बजट बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत छ: जिलों नामत: अम्बाला, सोनीपत, झज्जर, सिरसा, रोहतक एवं हिसार के लिए जिला सिंचाई योजना तैयार की गई है जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी का बहुत-बहुत साधुवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, औषतन भारत में 309 ग्राम दुग्ध प्रति व्यक्ति प्रति दिन मिलता है उसके विपरित हरियाणा में 805 ग्राम दुग्ध प्रति व्यक्ति प्रति दिन मिलता है तभी कहा जाता है कि देसा मैं देश हरियाणा जहां दुग्ध दही का खाना। दुग्ध उत्पादन में हरियाणा पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सहकारिता की बात है। मैं जिक्र करना चाहूंगा कि किसानों को जहां पेमैंट न मिलने के कारण गन्ने की मिठास कड़वी लगने लगी थी उसके लिए 717 करोड़ रूपये का प्रावधान करके किसानों की रूकी हुई पेमैंट देने का काम करके उनको मिठास देने का कार्य सरकार ने किया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी , वित्तमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक वन एवं वन्य जीव की बात है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 29.3 प्रतिशत बजट की पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ौत्तरी की है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से यदि मैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की बात करूं तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 132.35 लाख लाभानुभोगियों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत हेराफेरी को रोकने के लिए समस्त प्रक्रिया का कम्प्युटरीकरण किया जा रहा है ताकि कोई गफलत या धोखेबाजी किसी उपभोक्ता के साथ न हो तथा इसके लिए 188 करोड़ रूपये का प्रावधान बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पंचायतें एवं ग्रामीण विकास की बात है पंचायती राज संस्थाओं को प्रबुद्ध शिक्षित नेतृत्व देने के लिए हमारी सरकार ने बिल बनाया जिसको माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने भी मान्यता दी। हरियाणा सरकार का यह कदम दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय है। ग्रामीण विकास के लिए ग्राम सचिवालयों की पहल बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसके लिए 2824.47 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हैपनिंग हरियाणा का आयोजन प्रदेश में पहली बार हुआ है। स्पीकर सर, माननीय वित्तमंत्री जी स्वयं भी

[श्री असीम गोयल]

एक उद्यमी हैं। उन्होंने पूरे बजट में क्लस्टर विकास की बात कही है। चाहे वह पानीपत का हैण्डलूम उद्योग हो, चाहे वह अम्बाला शहर का मिक्सर उद्योग हो, अम्बाला कैंट का साईंस उद्योग हो, चाहे बहादुरगढ़ की शू इण्डस्ट्री हो, चाहे यमुनानगर का प्लाईवुड उद्योग हो या फिर रेवाड़ी का धातू उद्योग हो। इस प्रकार से बजट में इन सभी उद्योगों का क्लस्टर बनाने की बात माननीय वित्तमंत्री महोदय द्वारा कही गई है। मैं इसके लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी प्रकार से शिक्षा क्षेत्र के अंदर "पढ़े भारत, बढ़े भारत" इस मिशन को ध्यान में रखते हुए जो 490 सरकारी स्कूलों में 10 ट्रेड्स की एक विशेष कोचिंग दी जा रही है वह अपने आप में सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। इसका बजट 10833 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 13043 करोड़ रूपये करने का काम किया गया है। इसी के साथ ही तकनीकी शिक्षा के लिए अलग से 501 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है। मैं इस सबके लिए भी आदरणीय वित्त मंत्री जी को साधुवाद देता हूं। इसी प्रकार से खेलों के क्षेत्रों में भी अनेक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए "नशामुक्त युवा और रोगमुक्त युवा से विचारयुक्त और कर्मयुक्त युवा" बनाने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज गुड़गांव में भारत केसरी दंगल चल रहा है। यह आयोजन अपनी तरह का सबसे अनूठा और पहला ऐसा आयोजन है जिसके अंदर एक करोड़ रूपया, 50 लाख रूपया, 25 लाख रूपया और दूसरे पुरूस्कार होंगे। ऐसा आयोजन आज तक पूरे देश के अंदर कहीं दूसरी जगह पर नहीं रखा गया है। ऐसा उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। शहीदों को सम्मान देने का हमारी सरकार का जो लक्ष्य रहा है इससे उसकी पूर्ति होती हुई नज़र आती है अर्थात "शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा" को हमारी सरकार ने यह अभूतपूर्व और एतिहासिक आयोजन करवाकर चरितार्थ कर दिया है क्योंकि कल राजगुरू, भगत सिंह और सुखदेव जी की पुण्य तिथि है। कल उस दंगल के ईनामों की घोषणा की जायेगी। मैं अपनी सरकार की इस सोच को भी बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं। इसी प्रकार से महिला और बाल विकास के अंदर "आपकी बेटी, हमारी बेटी", आंगनवाड़ी निर्माण के लिए, महिलाओं की सहायता के लिए एकल केन्द्र "सखी" नाम से खोले गए हैं। इसी प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महिला थाने खोले गऐ हैं। ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अर्थात 08 मार्च को भारत गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरूस्कार, 2015 से हरियाणा को सम्मानित किया गया है। पिछले 10 वर्षों के अंदर यह पहली बार हुआ है। जो हमारे प्रदेश में लिंगानुपात 900/1000 से ऊपर आ चुका है। इस मद के लिए जो बजट में 1207 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है मैं इसके लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अब मैं सड़क परिवहन के विषय पर अपनी बात रखना चाहूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री जननायक श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यह धन नहीं है जो सड़कें बनाता है परन्तु ये रास्ते हैं जो धन बनाते हैं। इतना बड़ा संदेश और राज इस बात के अंदर छिपा हुआ है कि हम लोग कहते हैं कि सड़क बनाने के ऊपर धन लगता है लेकिन अगर विकास की इबारत लिखनी हो और उद्योगों को आगे बढ़ाना हो जब तक हमारे पास अच्छी सड़कें नहीं होंगी फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो विकास भी नहीं होगा। विकास के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए जो 906 किलोमीटर के नए नौ राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई है वह अपने आप में अभूतपूर्व है। इसी प्रकारे से इस्टर्न पैरीफरल एक्सप्रैस-वे बनाया गया है और कुण्डली मानेसर

पलवल एक्सप्रैस वे के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। यह भी अपने आप में हमारी सरकार का एक एतिहासिक और सराहनीय प्रयास है। इस प्रकार से सारे बजट को 1925 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2948 करोड़ रूपये किया गया है। यह एक उल्लेखनीय वृद्धि है। मैं इसके लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवादी हूं। ऐसे ही हमारी सरकार ने विभिन्न जगहों पर ट्रिपल पी मोड पर बस स्टैण्ड्स के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है। मैं अगर अपने विधान सभा क्षेत्र अम्बाला शहर की बात करूं तो मुझे बड़े दु:ख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि 10 वर्षों से अम्बाला शहर में बस स्टैण्ड नहीं था। मुझे लगता है कि भारतवर्ष के अंदर यह पहला जिला मुख्यालय होगा जहां पर बस स्टैण्ड नहीं है लेकिन इस बजट के अंदर फरीदाबाद, करनाल, अम्बाला शहर और गुड़गांव आदि शहरों के अंदर ट्रिपल पी मोड के ऊपर नये बस स्टैण्ड्स की एक परियोजना रखी गई है। मैं इसके लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवादी हूं। अब मैं ई-प्रशासन के बारे में बात करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : असीम जी, आप कृपया करके जल्दी अपनी बात समाप्त करें क्योंकि आपको बोलते हुए काफी समय हो चुका है।

श्री असीम गोयल : स्पीकर सर, सी.एम. विंडो, हरियाणा पोर्टल और हरियाणा पुलिस का हर समय का ब्यौरा, ई-परमिट, ई-टैक्स और सी-फार्म की जो हमारी सरकार द्वारा ऑन-लाईन व्यवस्था की गई है यह अपने आप में ऐसे उल्लेखनीय और एतिहासिक कदम हैं जो पहली बार हरियाणा में किसी सरकार द्वारा शुरू किये गये हैं। इसके लिए 225 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है। इसी प्रकार से पर्यटन और संस्कृति के नाते कुरूक्षेत्र को कृष्णा सर्किट के नाम से डिवैल्प करने के लिए 99 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का गठन किया गया है उसके लिए भी मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अगर मैं पर कैपिटा इन्कम की बात करूँ तो पिछले साल यह डेढ़ लाख रूपये थी और इस साल 1 लाख 65 हजार रूपये है जो कि हरियाणा की तरक्की और खुशहाली का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरे हल्के की भी बहुत समस्याएं थी लेकिन आप कह रहे हैं कि समय का अभाव है तो इसलिए मैं एक बात कहते हुये अपनी वाणी को विराम देता हूँ :-

पसीने की स्याही से जो अपना मुकद्दर लिखते हैं,
उनकी तकदीर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते।

एक शानदार तथा जनकेन्द्रित बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जयहिन्द, जय हरियाणा।

श्री अध्यक्ष : असीम जी, आप अपने हल्के की समस्याएं लिख कर भिजवा देना हम उनको ऐड करवा देंगे।

श्रीमती रेणुका बिश्नोई (हांसी) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपने मुझे इस सम्मानित सदन में बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको तहेदिल से धन्यवाद देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब भी बजट पेश होता है तो सदन की हमेशा यह परम्परा रही है कि बजट पर सत्ता पक्ष के नेता तारीफों के पुल बांधते हैं और मेजें थपथपाते हैं लेकिन जो विपक्ष के सदस्य हैं वे बजट की खामियों को उजागर करते हैं। मैं इस बजट के आंकड़ों का आंकलन करने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, हिसार में जो इंटरनैशनल ऐयरपोर्ट बनाने का काम किया वह श्री कुलदीप बिश्नोई जी और रेणुका जी के लिए किया है।

श्रीमती रेणुका बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ लेकिन अकेले कुलदीप जी और मेरे सफर करने से वह ऐयरपोर्ट चलने वाला नहीं है उसके लिए आपको सभी लोगों को हवाई सफर करने के लिए सक्षम करना होगा। मैं बहुत सरलतापूर्वक एवं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहती हूँ। ये जो बजट के आंकड़े हैं ये लाचार और बेबस किसान की समझ से बाहर हैं। आज हमारे जो बेरोजगार नौजवान रोजगार की तलाश में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, यह बजट उनकी समझ से बाहर है। इसी प्रकार से जो महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस करती हैं यह बजट उनकी समझ से भी बाहर है। अध्यक्ष महोदय, आज जो बेबस और लाचार आम आदमी हैं मैं उनकी आवाज बन कर आपके सामने खड़ी हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो आम आदमी होता है वह आंकड़ों को नहीं समझता वह सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान का बजट समझता है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश के कुछ अहम मुद्दों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूँ कि उन्होंने हांसी के लिए 10 करोड़ रूपये की घोषणा की थी। इसी प्रकार से 5 करोड़ रूपये की आदमपुर के लिए तथा हिसार जिले के अन्य विधान सभा क्षेत्रों के लिए भी अपने पर्सनल कोष से घोषणा की थी लेकिन अभी तक वह पैसा नहीं मिला है जबकि उसके बाद दो बजट पेश हो चुके हैं। इसी प्रकार से अगर डी-प्लान की बात की जाये तो इस बारे में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी जिसमें हिसार जिले के अन्य विधायक भी मौजूद थे जिसमें मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जो डी-प्लान का पैसा आयेगा वह सभी विधायकों में बराबर बांटा जायेगा। डी-प्लान का पैसा आया और जब बांटा गया तो अखबार में हैडिंग आया कि सबसे ऊपर कैप्टन अभिमन्यु जी और सबसे नीचे रेणुका बिश्नोई। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि नारनौंद में पैसा लग रहा है क्योंकि नारनौंद भी बहुत पिछड़ा हुआ है और वहाँ पर भी विकास की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि छोटी बहन समझ कर या पड़ोसी समझ कर हमारे ऊपर भी कृपा कर दिया करो। इनको साढ़े तीन करोड़ रूपये मिले और हमें सिर्फ 17 लाख रूपये मिले हैं। हांसी से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन कर नहीं आया उसकी सजा वहाँ के लोगों को क्यों दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम डी-प्लान के पैसे में तो हमारी हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए। जिस प्रकार से स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के कार्यकाल में एम.एल.ए. लोकल एरिया डैवल्पमैंट स्कीम का प्रावधान रखा था जिसका निष्पक्षता से समान विकास की सोच रखते हुए 90 के 90 हल्कों में इसका प्रावधान रखा था। मैंने पिछले बजट में भी अनुरोध किया था और अब फिर मैं यह अनुरोध करती हूं कि यदि आप हमारे लिए भी कुछ प्रावधान रखें तो कम से कम हम भी अपने हल्कों में कुछ काम करवा सकते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय यदि हम किसानों की बात करें तो बार-बार तारीफों के पुल बांधे जाते हैं कि सरकार की तरफ से किसानों को इतना मुआवजा राशि दी गई है जिसमें केवल मुआवजा राशि गिनाई जाती है। यह मैं मानती हूं कि सरकार ने मुआवजा राशि दी है जिसके लिए मैं सरकार की तारीफ भी करती हूं और धन्यवाद भी करती हूं लेकिन मुआवजा राशि के बंटवारे को लेकर पारदर्शिता नहीं है क्योंकि अगर पारदर्शिता होती तो अभी दो दिन पहले तक आदमपुर के कुछ गांवों के किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि सफेद मक्खी से जो फसल में नुकसान हुआ

था अभी तक उसका भी मुआवजा नहीं मिला है। इसके अलावा उससे पिछले साल ओलावृष्टि और वर्षा से फसलों में जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा भी अभी तक पैंडिंग है। अध्यक्ष महोदय सरकार ने मुआवजा दिया है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन सभी किसानों तक यह मुआवजा नहीं पहुंच पाता। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि पारदर्शिता से मुआवजे का बंटवारा होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम स्टुडैंट्स की बात करें तो पिछले वर्ष मेरे बेटे भव्य बिश्नोई ने विश्वविद्यालयों, स्कूलों में जाकर सभी युवा वर्ग की जो-जो मांगें थी, जो दिक्कतें थी, समस्याएं थी उनकी एक सूची बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी थी तो मेरा अनुरोध है कि उस सूची पर भी गौर किया जाए। जो छात्र संघ चुनाव है जिसका आपने भी स्टुडैंट्स को विवास दिलाया था कि यह होने चाहिए और यह हमारे मैनीफेस्टो में भी था और इसके लिए सभी स्टुडैंट्स की बड़ी मांग भी है। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि यह छात्र संघ चुनाव को फिर से शुरू कर दिया जाए। सर, मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि हम कोई बड़े पैकेज उस तरीके से नहीं मांगते लेकिन आप यदि एक साल का बजट का प्रावधान भी एग्जस्टिंग इन्फ्रास्ट्रैक्चर पर लगा दें तो काफी कुछ सुधार हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहती हूं कि हांसी में एक वाटर वर्क्स है जो ढ़ाणी कुतुबपुर में बनाया गया है जिसमें पानी भी है और इतना पानी है कि हांसी कभी प्यासी नहीं रह सकती। लेकिन हांसी के लोग अभी भी सीवरेज से मिला हुआ गंदा पानी पी रहे हैं। उसका कारण यह है कि जो पाईप लाईन्ज हैं वह नये वाटर वर्कर्स से ठीक से जुड़ी हुई नहीं हैं। इसके साथ ही हाजमपुर गांव में वाटर वर्क्स का निर्माण हो रहा है लेकिन बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। ढ़ाणीराजो में एक नया वाटर वर्क्स बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण हो चुकी है लेकिन इन कामों में बहुत देरी हो रही है। अब जैसे गर्मी का समय आएगा तो हिसार जिले में तो वैसे ही पानी की बहुत किल्लत रहती है और गर्मी के समय में तो हिसार जिले के लोगों को पानी की बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय सरकार ने पिछले साल भी आश्वासन दिलाया था कि हम महीने में तीन हफ्ते हिसार जिले में नहर में पानी देंगे लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी भी केवल दो दिन या चार दिन नहरों में पानी आता है। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि चाहे एस.वाई.एल. का मामला हो चाहे कुछ भी हो अगर सरकार किसान हित या प्रदेश हित में जो भी कदम उठाएगी तो हजकां पार्टी तन-मन-धन से सरकार का हर कदम पर साथ देने को तैयार है। यदि हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश की करीब 70 प्रतिशत जनता एग्रीकल्चर पर डिपैंड करती है और कम से कम 80 प्रतिशत से जयादा भूमि एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है लेकिन जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का स्टेट के जी.एस.डी.पीजध्. पर है उसके प्रति उसका कंट्रीब्यूशन 20 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, क्या यह हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय नहीं है ? यदि हम कृषि का आधुनिकीकरण करते हैं तो निश्चित रूप से जी.एस.डी.पी. में हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और जो हमारे बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में दर-दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं, वह भी कृषि की ओर आकर्षित होंगे। जैसाकि आज हम देख रहे हैं कि कोई भी नौजवान युवा कृषि की तरफ नहीं जाना चाहता है। यदि हम कृषि का आधुनिकीकरण करते हैं तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि काफी हद तक हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकेंगे। आज जिस प्रकार से सरकार हैपनिंग हरियाणा की बात करती है, उस परिपेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगी कि हैपनिंग हरियाणा कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा और मकान हो। अब मैं एक अति महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान

[श्रीमती रेणुका बिश्नोई]

दिलाना चाहूँगी, जिस पर अभी भाई जाकिर जी ने भी सदन का ध्यान आकर्षित किया था कि उनके क्षेत्र के 95 प्रतिशत घरों में टॉयलेट्स सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। इसके संबंध में मैं एक सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आजकल जो सावर्जनिक स्थानों पर टॉयलेट्स बनाये जा रहे हैं बेशक उनकी संख्या कम कर दें और केरला प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में भी सिम्पल टॉयलेट्स की जगह ई-टॉयलेट्स का प्रावधान यदि लोगों को दिया जाये तो वह बहुत ज्यादा बेहतर व सुविधाजनक होगा। ई-टॉयलेट्स संभव की जा सकने वाली चीज है और इस पर कोई बड़ा खर्चा या लागत भी नहीं आती है। ई-टॉयलेट्स उस सुविधा का नाम है जिसमें किसी प्रकार की वेस्टेज के लिए कोई जगह ही नहीं है। ई-टॉयलेट्स की सुविधा सैल्फ कंट्रोल्ड है और किसी मैनुअली आपरेशन की इसमें जरूरत नहीं होती है। यदि सावर्जनिक जगहों पर ई-टॉयलेट्स का निर्माण किया जाता है तो मैं समझती हूँ कि यह आधुनिकीकरण की ओर एक बहुत बड़ा कदम होगा। मैं यहां पर मारीशस की बात करना चाहूँगी। मारीशस में एक घंटे में नया बिजनेश शुरू किया जा सकता है। मारीशस तो एक देश है जब वहां पर एक घंटे में बिजनेश शुरू हो जाता है तो हरियाणा तो बिल्कुल छोटा सा प्रदेश है और देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक है। यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो निश्चित रूप से ई-टॉयलेट्स की सुविधा प्रदान करके हम हरियाणा प्रदेश का आधुनिकीकरण करते हुए विकास की डगर पर आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि हमें नई-नईं योजनाओं को शुरू करने की बजाय जो योजनाएं पहले से ही चल रही हैं उन योजनाओं में मूलभूत सुधार करते हुए आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार द्वारा बार-बार महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' की बात कही जाती है। आप लोगों ने शायद पिछले हफ्ते पढ़ा भी होगा कि हिसार में एफ.सी.कॉलेज की एक बालिका जिसने सुसाईड किया था, उसके पास एक सुसाईड नोट मिला जिसमें लिखा था कि वह पीड़ित थी, उसकी कही भी सुनवाई नहीं की गई, वह महिला थाने में भी गई थी लेकिन उसको वहां से धमकाकर वापिस लौटा दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि केवल मात्र बड़े-बड़े स्लोग्नज व बड़ी-बड़ी बातें कहने से महिला सशक्तिकरण या हैपनिंग हरियाणा की अवधारणा को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता है। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो सदन का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये।

आवजें : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्रीमती रेणुका बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आजकल आर्दश ग्राम योजना की बात भी की जाती है लेकिन इस संबंध में मैं सदन के समक्ष यह बात रखना चाहूँगी कि जो हमारे विपक्ष के सदस्य हैं यदि उनको आदर्श गांव योजना को मूर्त रूप देने के लिए कोई राशि उपलब्ध करवाई जायेगी तभी तो वह इस दिशा में आगे बढ़कर आदर्श गांव की अवधारणा को सफल बनाने में

प्रयासरत हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, यदि विपक्ष के सदस्यों को इस तरह के कार्य के लिए कोई राशि उपलब्ध ही नहीं करवाई जायेगी तो आदर्श ग्राम योजना की अवधारण भी जुमला मात्र बनकर रह जायेगी। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जन हित में उठाये गये प्रत्येक कदम का हरियाणा जनहित पार्टी तन-मन-धन से साथ देगी। इन चंद लाईनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि -

" तेरे दावे हैं तरक्की के, तो ऐसा क्यों है,

हरियाणा मेरा अभी भी, फुटपाथ पर सोता क्यों हैं"

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन सोमवार, दिनाक 28 मार्च, 2016 दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

16:03 बजे (तत्पश्चात सदन, सोमवार, दिनांक 28-3-2016 बाद दोपहर 2.00 बजे तक *स्थगित हुआ)

54379—H.V.S.—H.G.P.,Chd.

© 2016

Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha and printed by the Controller, Printing and Stationery Department, Haryana, Chandigarh.